

MPEDA
www.mpeda.gov.in



MPEDA

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2024-25



समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
एमपीईडीए हाउस, पनम्पिल्ली नगर, कोच्ची - 682 036, केरल

The Marine Products Export Development Authority
Ministry of Commerce & Industry, Government of India
MPEDA House, Panampilly Nagar, Kochi - 682036, Kerala
Website : www.mpeda.gov.in



**NOT JUST
SEAFOOD
A STATEMENT**



**ENJOY
THE OCEAN'S
DELIGHT**



**WITH
LOBSTER**



MPEDA

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2024-25

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
एमपीईडीए हाउस, पनमपिल्ली नगर, कोच्चि - 682036, केरल

The Marine Products Export Development Authority

Ministry of Commerce & Industry, Government of India
MPEDA House, Panampilly Nagar, Kochi-682036, Kerala
www.mpeda.gov.in



विषयसूची

1. प्राधिकरण	4
2. प्रशासन और स्थापना	6
3. हाइलाइट्स	14
4. निर्यात प्रदर्शन	18
4.1 प्रमुख मद-वार निर्यात	20
4.2 प्रमुख गंतव्य-वार निर्यात	24
4.3 प्रमुख बंदरगाह-वार निर्यात	30
5. पंजीकरण	30
6. निर्यात संवर्धन	32
6.1 विपणन सेवाएँ	32
6.2 प्रचार और बाजार संवर्धन	46
7. कल्चर मात्सिकी	62
8. प्रसंस्करण अवसंरचना और मूल्य संवर्धन	82
9. गुणवत्ता नियंत्रण	88
10. एमपीईडीए के अंतर्गत आने वाली समितियाँ	96
10.1 राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए)	96
10.2 मछली गुणवत्ता प्रबंधन और चिरस्थायी मत्स्यन के लिए नेटवर्क (नेटफिश)	100
10.3 राष्ट्रीय चिरस्थायी जलकृषि केंद्र (नाक्सा)	108
11. बजट और व्यय के साथ वार्षिक योजना	140
12. राजभाषा कार्यकलाप	140
13. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अन्य कार्यकलाप	144
14. आभारोक्ति	156
परिशिष्ट - I	
परिशिष्ट - II	
15. वित्तीय विवरण 2024-25	170



CONTENT

1.	The Authority	5
2.	Administration and Establishment	7
3.	Highlights	15
4.	Export Performance	19
	4.1 Major item-wise exports	21
	4.2 Major destination - wise export	25
	4.3 Major port-wise exports	31
5.	Registration	31
6.	Export Promotion	33
	6.1 Marketing Services	33
	6.2 Publicity and Market Promotion	47
7.	Culture Fisheries	63
8.	Processing infrastructure and value addition	83
9.	Quality Control	89
10.	Societies under MPEDA	97
	10.1 Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA)	97
	10.2 The Network for Fish Quality Management & Sustainable Fishing (NETFISH)	101
	10.3 National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA)	109
11.	Annual Plan with Budget and Expenditure	141
12.	Official Language activities	141
13.	Other activities during the FY 2024-25	145
14.	Acknowledgement	157
	Appendix - I	
	Appendix - II	
15.	Financial Statements 2024-25	171



1. प्राधिकरण

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की स्थापना 1972 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। भारत सरकार द्वारा सितंबर 1961 में स्थापित पूर्ववर्ती समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद को 24 अगस्त 1972 को एमपीईडीए में समाहित कर दिया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है जिसे समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्राथमिक कार्य सौंपा गया है।

प्राधिकरण में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष (केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त), निदेशक, 3 सांसद, जिनमें से दो लोक सभा द्वारा तथा एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित होंगे, 5 सदस्य जो केन्द्रीय कृषि, वित्त, विदेश व्यापार, उद्योग, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा 20 अन्य सदस्य जो समुद्री राज्यों तथा एमपीईडीए नियम, 1972 में निर्दिष्ट अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

1.1. प्राधिकरण के कार्य

एमपीईडीए अधिनियम, 1972 ने प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्य सौंपा है।

1. प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे उपायों द्वारा, जिन्हें वह उचित समझे, निर्यात के विशेष संदर्भ में, केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन सामुद्रिक उत्पाद उद्योग के विकास को बढ़ावा दे।
2. उपधारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रति पूर्वाग्रह के बिना, इसमें निर्दिष्ट उपायों को निम्नलिखित के लिए प्रदान किया जा सकता है :-
 - क. अपतटीय और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास और विनियमन करना तथा अपतटीय और गहरे समुद्र में मत्स्यन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए उपाय करना;
 - ख. समुद्री उत्पादों के परिवहन के लिए प्रयुक्त मत्स्य यानों प्रसंस्करण संयंत्रों या भंडारण परिसरों तथा वाहनों का पंजीकरण करना;
 - ग. निर्यात के प्रयोजनों के लिए समुद्री उत्पादों के मानकों और विनिर्देशों को तय करना;
 - घ. अपतटीय और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में लगे मत्स्य यानों के मालिकों और समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण संयंत्रों या भंडारण परिसरों और समुद्री उत्पादों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के मालिकों को वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करना और प्राधिकरण को सौंपी गई ऐसी राहत और सब्सिडी योजनाओं के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करना;
 - ङ. उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से;
 - च. समुद्री उत्पादों के निर्यात को विनियमित करना;
 - छ. भारत के बाहर समुद्री उत्पादों के विपणन में सुधार करना;
 - ज. निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समुद्री उत्पादों के निर्यातकों का पंजीकरण;
 - झ. मछली या अन्य समुद्री उत्पादों को पकड़ने में लगे व्यक्तियों, समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण संयंत्रों या भंडारण परिसरों के मालिकों, या समुद्री उत्पादों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों, ऐसे उत्पादों के निर्यातकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जो समुद्री उत्पाद उद्योग से संबंधित किसी भी मामले पर निर्धारित किए जा सकते हैं, आंकड़े एकत्रित करना और इस प्रकार एकत्र किए गए आंकड़ों, या उनके भागों या उनके उद्धरणों को प्रकाशित करना;
 - ञ. समुद्री उत्पाद उद्योग के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण; और
 - ट. ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

1. AUTHORITY

The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) under the Ministry of Commerce and Industry is a statutory body entrusted with the primary task of promotion of export of marine products. MPEDA was set up by an act of Parliament during 1972. The erstwhile Marine Products Export Promotion Council (MPEPC) established by the Government of India in September 1961 was converged into MPEDA on 24th August 1972.

The Authority consists of 30 members including a Chairman (Appointed by the Central Government), Director, 3 Members of Parliament of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States, 5 members representing Central Ministries of Agriculture, Finance, Foreign Trade, Industry, Shipping and Transport and 20 other members to represent the Maritime States and other relevant fields as specified in MPEDA Rules, 1972.

1.1. Functions of the Authority

The MPEDA Act, 1972, assigned the following functions to the Authority.

1. It shall be the duty of the Authority to promote, by such measures as it thinks fit, the development under the control of the Central Government of the marine products industry with special reference to exports.
2. Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the measures referred to therein may provide for:-
 - a) Developing and regulating off-shore and deep-sea fishing and undertaking measures for the conservation and management of off-shore and deep-sea fisheries;
 - b) Registering fishing vessels, processing plants or storage premises for marine products and conveyances used for the transport of marine products;
 - c) Fixing of standards and specifications for marine products for purposes of export;
 - d) Rendering of financial or other assistance to owners of fishing vessels engaged in off-shore and deep-sea fishing and owners of processing plants or storage premises for marine products and conveyances used for the transport of marine products, and acting as an agency for such relief and subsidy schemes as may be entrusted to the Authority;
 - e) Carrying out inspection of marine products in any fishing vessel, processing plant, storage premises, conveyance or other places where such products are kept or handled, for the purpose of ensuring the quality of such products;
 - f) Regulating the export of marine products;
 - g) Improving the marketing of marine products outside India;
 - h) Registering of exporters of marine products on payment of such fees as may be prescribed;
 - i) Collecting statistics from persons engaged in the catching of fish or other marine products, owners of processing plants or storage premises for marine products, or conveyances used for the transport of marine products, exporters of such products and such other persons as may be prescribed on any matter relating to the marine products industry and the publishing of statistics so collected, or portions thereof or extracts there from;
 - j) Training in various aspects of the marine products industry; and
 - k) Such other matters as may be prescribed.



3. प्राधिकरण इस धारा के अधीन अपने कार्यों का निष्पादन ऐसे नियमों के अनुसार तथा उनके अधीन रहते हुए करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हों।

प्राधिकरण का पुनर्गठन 26 अगस्त 2022 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया। 31.03.2025 तक प्राधिकरण के सदस्यों की सूची परिशिष्ट I में संलग्न है।

2. प्रशासन और स्थापना

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, अध्यक्ष के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करता है, जिन्हें मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों, दोनों में अधिकारियों की एक टीम द्वारा सहयोग प्राप्त होता है। श्री डी.वी. स्वामी, भा प्र से, 17.08.2022 से एमपीईडीए के अध्यक्ष हैं। 2024-25 के दौरान श्री के.एस. प्रदीप, भा व से, सचिव और डॉ. एम. कार्तिकेयन, निदेशक के रूप में बने रहें।

2.1. मुख्यालय

प्राधिकरण का मुख्यालय कोच्चि में स्थित है और सभी समुद्री राज्यों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अध्यक्ष, प्राधिकरण के समुचित संचालन और अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत उसके कार्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी है।

2.2. 31.03.2025 तक कर्मचारियों की संख्या

एमपीईडीए की स्वीकृत संख्या 420 (अध्यक्ष सहित) हैं और वर्तमान में 31.03.2025 तक प्रभावी संख्या 159 हैं, जिसमें 10 अधिकारी शामिल नहीं हैं, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसमें ग्रुप ए के 53, ग्रुप बी के 58 और ग्रुप सी के 48 अधिकारी शामिल हैं, जिनमें ग्रुप ए में 8 महिला अधिकारी, ग्रुप बी में 29 और ग्रुप सी में 23 शामिल हैं। अधिकारियों की सूची परिशिष्ट II में दी गई है।

2.3. अ.ज./अ.ज.ज./अ.पि.व./ दिव्यांग कल्याण

प्राधिकरण ने संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) डॉ. एस. कंदन को अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया है। उप निदेशक (निर्यात संवर्धन) श्री एस. अशोक कुमार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित मामलों के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया है। एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का विवरण तालिका 2.1. में दिया गया है।

तालिका 2.1: दिनांक 31.03.2025 तक श्रेणी-वार स्टाफ नफ़री

समूह/श्रेणी	कुल अधिकारी	महिला अधिकारी	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	दिव्यांगजन (अ.पि.व. में)
समूह ए	53	8	19	11	8	-
समूह बी	58	29	22	11	8	-
समूह सी	48	23	23	9	3	1
कुल	159	60	64	31	19	1

2.4. प्राधिकरण की स्थापनाएँ

प्राधिकरण के सभी समुद्री राज्यों में विभिन्न निर्यात संवर्धन और जलीय कृषि विकास कार्यों के लिए प्रतिष्ठान हैं। समुद्री उत्पाद निर्यातकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और जलकृषि विशेषज्ञों की सहायता के लिए 8 क्षेत्रीय प्रभाग, 10 उप-क्षेत्रीय प्रभाग, 3 व्यापार संवर्धन कार्यालय, 5 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ और 2 डेस्क कार्यालय हैं ताकि हितधारकों को समय पर सलाह मिल सके। कोच्चि में एक बहु-प्रजाति जलकृषि परिसर (MAC) राजीव गांधी जलकृषि केंद्र द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एमपीईडीए 14 एलिसा प्रयोगशालाएँ और 20 एक्वा वन केंद्र भी संचालित करता है।





3. The Authority shall perform its functions under this section in accordance with and subject to such rules as may be made by the Central Government.

The Authority was re-constituted on 26th August 2022 for a period of three years. The list of Authority Members as on 31.03.2025 is annexed as Appendix I.

2. ADMINISTRATION AND ESTABLISHMENT

The Marine Products Export Development Authority functions under the overall supervision of the Chairman, supported by a team of officials both at the Head Office and the Field Offices. Shri D.V. Swamy, IAS is the Chairman of MPEDA since 17.08.2022. Shri K. S. Pradeep, IFS continued to serve as the Secretary and Dr. M. Karthikeyan continued as Director during 2024-25.

2.1. Head Office

Head office of the Authority is located at Kochi and it has field offices across all maritime states. The Chairman is responsible for the proper functioning of the Authority and the discharge of its function under the Act and Rules.

2.2. Staff strength as on 31.03.2025

The sanctioned strength of MPEDA is 420 (including Chairman) and at present the effective strength as on 31.03.2025 is 159 excluding 10 officials on deputation with 53 Group A, 58 Group B and 48 Group C officials. Women represent as 8 officials in Group A, 29 in Group B and 23 in Group C. List of officials are given in Appendix II.

2.3. SC/ST/OBC/PwD welfare

The Authority has appointed Dr. S. Kandan, Joint Director (Training) as Liaison Officer for Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs) and Person with Disabilities (PwD). Shri S. Asok Kumar, Deputy Director (Export Promotion) as Liaison Office for matters relating to Other Backward Communities (OBCs). Details of SC/ST/OBC/PwD officials are given in Table 2.1.

Table 2.1: Category wise Staff strength as on 31.03.2025

Group/Category	Total Officials	Women Officials	OBC	SC	ST	PwD (in OBC)
Group A	53	8	19	11	8	–
Group B	58	29	22	11	8	–
Group C	48	23	23	9	3	1
Total	159	60	64	31	19	1

2.4. Establishments of the Authority

The Authority has establishments in all the maritime states to carry out various export promotion and aquaculture development functions assigned to it. There are 8 Regional Divisions, 10 Sub-Regional Divisions, 3 Trade Promotion Offices, 5 Quality Control laboratories and 2 Desk Offices to assist the marine product exporters, processors and aqua culturists for ensuring timely advice to the stakeholders. A Multi species Aquaculture Complex (MAC) at Kochi is being operated by Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture. In addition, MPEDA also operate 14 ELISA laboratories and 20 Aqua One Centres.





एमपीईडीए वार्षिक रिपोर्ट 2024-25



2.5. व्यापार संवर्धन कार्यालय


एमपीईडीए के तीन व्यापार संवर्धन कार्यालय हैं, जिनमें से एक नई दिल्ली में है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ संपर्क बनाए रखना है। अन्य दो कार्यालय न्यूयॉर्क और टोक्यो में हैं। ये व्यापार संवर्धन कार्यालय आयातकों, सरकारी एजेंसियों, संगरोध अधिकारियों, व्यापार संघों आदि के साथ संपर्क बनाए रखते हैं और देश के भीतर और पड़ोसी देशों में होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखते हैं जिनका भारत से समुद्री खाद्य व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता है।

2.6. गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ और एलिसा लैब्स

एमपीईडीए कोच्ची (केरल), नेल्लोर और भीमावरम (आंध्र प्रदेश), भुवनेश्वर (ओडिशा) और पोरबंदर (गुजरात) में पांच पूरी तरह से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ संचालित करता है। ये प्रयोगशालाएँ रासायनिक अवशेषों के परीक्षण के लिए एलसी-एमएसएमएस, जीसी-एमएसएमएस, आईसीपी एमएस, एचपीएलसी, स्वचालित एलिसा विश्लेषक आदि जैसे परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरणों से सुसज्जित हैं। सभी प्रयोगशालाओं को एनएबीएल (परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) द्वारा आईएसओ/आईसी 17025 के तहत मान्यता प्राप्त है और चुनिंदा बाजारों में खेप के पूर्व निर्यात परीक्षण (पीईटी) नमूनों के परीक्षण के लिए ईआईसी (निर्यात निरीक्षण परिषद) द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। कोच्चि स्थित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में बैक्टीरिया और वायरस के परीक्षण के लिए एक माइक्रोबायोलॉजी प्रभाग है।

इसके अलावा, एमपीईडीए द्वारा समुद्री राज्यों में संचालित चौदह एलिसा स्क्रीनिंग प्रयोगशालाएँ और दो संग्रहण केंद्र, हार्वेस्ट से पहले जलकृषि उत्पादों में नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स और क्लोरेम्फेनिकॉल जैसे प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स की जाँच कर रहे हैं। ये प्रयोगशालाएँ जलकृषि उत्पादों के लिए हार्वेस्ट पूर्व परीक्षण (पीएचटी) प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं।





2.5. Trade Promotion Offices

MPEDA has three Trade Promotion Offices, of which one is in New Delhi, mainly to liaise with various Ministries of Government of India. The other two offices are in New York and Tokyo. These Trade Promotion offices liaise with Importers, Government Agencies, Quarantine authorities, Trade Associations, etc. and keep a close watch on various developments within the country as well as their neighboring countries that may have an impact on the seafood trade from India.

2.6. Quality Control Laboratories & ELISA labs

MPEDA operates five full-fledged Quality Control Laboratories, at Kochi (Kerala), Nellore & Bhimavaram (Andhra Pradesh), Bhubaneswar (Odisha) and Porbandar (Gujarat). These laboratories are equipped with sophisticated analytical instruments like LC-MSMS, GC-MSMS, ICP MS, HPLC, Automatic ELISA Analyser etc. for testing chemical residues. All labs are accredited under ISO/IEC 17025 by the NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) and recognized by EIC (Export Inspection Council) for testing Pre Export Test (PET) samples of consignments to selected markets. Quality Control Lab at Kochi has a Microbiology division for testing bacteria and viruses. In addition to the testing of samples under the monitoring plan, these labs also provide testing services for commercial samples of fish and fishery products.

In addition, fourteen ELISA Screening Laboratories and two collection centers are operated by MPEDA in the maritime states are performing the screening of aquaculture products for banned antibiotics like Nitrofurans, Metabolites and Chloramphenicol prior to harvest. These labs are issuing Pre-Harvest Test (PHT) certificates for aquaculture products.





2.7. सोसाइटियां

एमपीईडीए ने तीन सोसाइटियों की स्थापना की है, यथा निर्यातोनमुख जलकृषि के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को चलाने के लिए राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए), मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन और सतत मत्स्य पालन के लिए नेटवर्क (नेटफिश) जो मत्स्य पालन से संबंधित विषयों, विशेष रूप से मछली गुणवत्ता प्रबंधन, संरक्षण और सतत मत्स्य पालन पर मछुआरा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर पर गतिविधियों को बढ़ाने के लिए है, और जलकृषि में गुणवत्ता और सुरक्षित जलीय उत्पादों का उत्पादन करने के लिए जलकृषि किसानों को सतत और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय सतत जलकृषि केंद्र (एनएसीएसए) कार्य करता है।

2.8. आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभाग

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक के कार्यालय से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) टीम ने 2019 से 2024 तक एमपीईडीए की पाँच वर्षों की गतिविधियों को कवर करते हुए 'परिचालन निष्पादन पर विषयगत लेखा परीक्षा' किया। आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभाग ने लेखा परीक्षा प्रक्रिया का समन्वय किया और मसौदा रिपोर्ट पर समय पर प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, इस अनुभाग ने नवंबर 2024 में वाणिज्य विभाग और वस्त्र मंत्रालय द्वारा किए गए मंत्रालय स्तर की लेखा परीक्षा में भी सहायता प्रदान किया।

वर्ष के दौरान, आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग ने अनुमोदित योजना के अनुसार इकाई कार्यालयों का प्रथम-स्तरीय आंतरिक लेखापरीक्षा निरीक्षण पूरा किया और रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अनुभाग ने इकाई कार्यालयों का अर्धवार्षिक ऑनलाइन लेखापरीक्षा भी किया, पहचाने गए मुद्दों पर आभासी मार्गदर्शन प्रदान किया और अनुपालन सुनिश्चित किया। आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यक्षेत्र का प्रभावी ढंग से विस्तार किया और संगठन के भीतर आंतरिक नियंत्रण ढाँचे को सुदृढ़ किया।

2.9. सतर्कता अनुभाग

सतर्कता अनुभाग संगठन के भीतर अनुपालन उपायों और नैतिक मानकों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। इसमें नियमों और विनियमों के पालन की निगरानी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, कदाचार का रोकथाम और अन्य अनैतिक प्रथाओं से निपटना शामिल है।

2.10. मुख्य सतर्कता अधिकारी

मुख्य सतर्कता अधिकारी-गण (सीवीओ) मुख्य सतर्कता आयोग के प्रमुख प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। श्री के.एस. प्रदीप, भा वि से, एमपीईडीए के सचिव, जनवरी 2025 तक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे और सतर्कता संबंधी सभी मामलों में विभागाध्यक्ष की सहायता करते रहे। वर्तमान में, सचिव श्री अनिल कुमार पी. सीवीओ का कार्यभार संभाल रहे हैं।

2.11. आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4, की उपधारा (1) अध्याय II के प्रावधानों के अनुसार एमपीईडीए में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान किसी भी महिला कर्मचारी की ओर से कोई शिकायत नहीं हुई है।

2.12. समन्वय अनुभाग

समन्वय अनुभाग ने रिपोर्ट/इनपुट समय पर प्रस्तुत करने के लिए वाणिज्य विभाग, टीपीओ नई दिल्ली, एमपीईडीए के अनुभागों/ क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ संपर्क में रहा है और निम्नलिखित बैठकें, कार्यशालाएं और कार्यकलापों का भी आयोजन किया है।

क. बैठकों का आयोजन: समन्वय अनुभाग ने प्राधिकरण की निम्नलिखित वैधानिक बैठकें और अन्य बैठकें आयोजित कीं



2.7. Societies

MPEDA has set up three societies viz., Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA) for carrying out Technology Development activities in the areas of export oriented aquaculture, Network for Fish Quality Management and Sustainable Fishing (NETFISH) for extension activities at grass root level to empower fishermen community on fishery related subjects particularly on fish quality management, conservation and sustainable fishing and National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA) to enable aquaculture farmers to adopt sustainable and environment friendly farming practices to produce quality and safe aquatic products in the aquaculture.

2.8. Internal Audit Section

The C&AG team from the Office of the Principal Director of Commercial Audit conducted 'Thematic Audit on Operational Performance' covering a five-year period of MPEDA's activities from 2019 to 2024. The Internal Audit Section coordinated the audit process and submitted timely responses to the draft report. Additionally, the section facilitated the Ministry Audit carried out by the Department of Commerce and the Ministry of Textiles in November 2024.

During the year, the Internal Audit Section completed the first-level internal audit inspection of Unit Offices as per the approved plan and submitted the report. The Section also conducted a half-yearly online audit of Unit offices, provided virtual guidance on issues identified and ensured compliance. The Internal Audit Section effectively expanded its scope of work and strengthened the internal control framework within the organization during the FY.

2.9. Vigilance Section

The Vigilance Section oversees the implementation of compliance measures and ethical standards within the organization. This includes monitoring adherence to rules and regulations, preventing corruption, fraud, misconduct, and addressing other unethical practices.

2.10. Chief Vigilance Officer

The Chief Vigilance Officers (CVOs) serve as key representatives of the Chief Vigilance Commission. Shri K.S. Pradeep, IFS, Secretary of MPEDA, served as the Chief Vigilance Officer until January 2025, assisting the Head of the Department with all vigilance-related matters. Currently, Shri Anil Kumar P., Secretary holds the charge of CVO.

2.11. Internal Complaints Committee (ICC)

MPEDA has an Internal Complaints Committee to deal with complaints of sexual harassment of women employees in MPEDA as per the provisions of sub-section (1) of section 4, Chapter II of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. There were no complaints from any woman employee during the period under report.

2.12. Coordination Section

The Coordination section has liaised with DoC, TPO New Delhi, Sections/ field offices of MPEDA for timely submission of reports / inputs and also organized following meetings, workshops and activities.

- a. *Organizing Meetings:* The Coordination section organized the following statutory meetings and other meetings of the Authority.





तालिका 2.2: प्राधिकरण की वैधानिक बैठकें

क्र सं.	बैठक का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या
1	प्राधिकरण की बैठक	2
2	तकनीकी समिति	2
3	निर्यात संवर्धन समिति	1
4	कार्यकारिणी समिति	2
5	क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठकें	3
6	वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें	16
7	निविदा निगरानी समिति	22

- ख. *संसद प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करना*: संसद और विधान सभाओं के सभी सत्रों के लिए संबंधित अनुभागों से मंत्रालयों/ विभागों को सूचना संकलित करने के बाद संसद और विधान सभाओं के दोनों सदनों और विधान सभाओं से विभिन्न मुद्दों पर प्राप्त 97 प्रश्नों के उत्तर विधिवत रूप से दिए गए हैं।
- ग. *वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन*: वर्ष 2023-24 के एमपीईडीए की वार्षिक रिपोर्ट संकलित, मुद्रित की गई तथा निर्धारित समय के भीतर संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई। वार्षिक रिपोर्ट की प्रति मत्स्य पालन, जलकृषि, निर्यात, अनुसंधान आदि के क्षेत्र में प्रमुख संबद्ध संगठनों को वितरित किया गया।
- घ. *रिपोर्टें, उत्तर और टिप्पणियाँ*: अनुभाग ने वाणिज्य विभाग (डीओसी) और अन्य मंत्रालयों/ विभागों को निम्नलिखित रिपोर्टें, उत्तर, टिप्पणियाँ आदि समय पर भेजा है।
- ❖ निर्यात संवर्धन उपायों पर मासिक तौर पर ली गई कार्रवाई के रिपोर्ट
 - ❖ एमपीईडीए की मासिक प्रमुख उपलब्धियाँ
 - ❖ एमपीईडीए की मासिक संक्षिप्त रिपोर्ट
 - ❖ वित्तीय सलाहकारों के लिए मासिक डीओ फॉरमैट सूचना
 - ❖ भारत के विदेशी व्यापार पर प्रेस वार्ता के लिए मासिक पीपीटी स्लाइड्स
 - ❖ सीआईएम डैशबोर्ड अपडेट
 - ❖ लोक सभा और राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र
 - ❖ वाणिज्य विभाग के वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के लिए इनपुट
 - ❖ वीआईपी / पीएमओ / माननीय मंत्री के संदर्भ
 - ❖ मंत्रिमंडल के निर्णयों पर अपडेट
 - ❖ संसदीय स्थाई समिति के बैठकों/ मंत्रिमंडल सचिव के नोट के लिए इनपुट
- ङ. *चिंतन शिविर कार्यशाला* : समुद्री खाद्य निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों के साथ चिंतन शिविर कार्यशाला का आयोजन 10-11 मई 2024 को लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप में किया गया था। श्री सुनील बड़थवाल, भाप्रसे, सचिव, वाणिज्य विभाग ने सभा को संबोधित किया जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों/ संगठनों, हितधारकों, अभिनव किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधि मौजूद थे जिन्होंने अपने क्षेत्र का अनुभव साझा किया। चिंतन शिविर के रिपोर्टों पर आधारित फिलपबुक सभी प्रतिभागियों और समितियों के सदस्यों में परिचालित किया गया। इसके अनुसरण में, चिंतन शिविर कार्यशाला के दौरान गठित उप समितियों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए अपर सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में तीन संचालन समितियाँ आयोजित की गईं।
- च. व्यापार में सुचारूपन को बढ़ावा देने के उपायों के रूप में, जन विश्वास बिल के तहत एमपीईडीए के अधिनियम और नियम प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया गया तथा अनुपालन बोझ को कम करके उन्हें उद्यमी-अनुकूल बनाया गया।

Table 2.2: Statutory meetings of the Authority

Sl No	Name of the meeting	No of Meetings held
1	Authority meeting	2
2	Technical Committee	2
3	Export Promotion Committee	1
4	Executive Committee	2
5	Regional Officers meetings	3
6	Senior Officers meetings	16
7	Tender Monitoring Committee	22

- b. *Furnishing Reply to Parliament Questions:* 97 Questions received from both the Houses of Parliament and Legislative Assemblies on various issues have been duly replied after compiling information from the concerned sections to Ministries / Departments for all sessions of the Parliament and Legislative Assemblies.
- c. *Publishing Annual Report:* The Annual Report of MPEDA for the year 2023-24 was compiled, printed and thereafter laid on the table of both the Houses of Parliament within specified time. Copy of the Annual Report was distributed to major allied organizations in the field of Fisheries, Aquaculture, Export, Research, etc.
- d. *Reports, Replies and Comments:* The section has submitted the following reports, replies, comments etc. to Department of Commerce (DoC) and other Ministries / Departments in time.
- ❖ Monthly Action Taken Report on Export Promotional Measures
 - ❖ Monthly Major Achievements of MPEDA
 - ❖ Monthly Brief Report of MPEDA
 - ❖ Monthly DO Format Information for Financial Advisers
 - ❖ Monthly PPT Slides for Press Conference on India's Foreign Trade
 - ❖ CIM Dashboard Updates
 - ❖ Paper for laying in Lok Sabha and Rajya Sabha
 - ❖ Inputs for Annual Administrative Report of DoC
 - ❖ VIP / PMO / Hon'ble Minister References
 - ❖ Updates on Cabinet Decisions
 - ❖ Inputs for Parliamentary Standing Committee Meetings/ Cabinet Secretaries note.
- e. *Chintan Shivir workshop :* Chintan Shivir workshop with stakeholders for enhancing seafood exports was organised at Bangaram Island, Lakshadweep, from 10-11th May 2024. Shri Sunil Barthwal IAS, Secretary, DoC, addressed the gathering and representatives from various Government departments/organisations, stakeholders, innovative farmers and exporters, shared their field experience. Flipbook on report on the Chintan Shivir circulated to all participants and members of the committees. Followed by three steering committees held under the Chairmanship of Additional Secretary, DoC in order to review the action taken by the sub committees constituted during Chintan Shivir workshop.
- f. As part of measures to promote ease of doing business, MPEDA Act and Rules provisions were decriminalized under the Jan Vishwas Bill and made entrepreneur-friendly by reducing the compliance



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

न्यायनिर्णयन एवं अपील के प्रावधानों को प्रस्तुत करने वाले नियमों एवं अधिनियम की अधिसूचनाएं भारत सरकार के राजपत्र में 14.08.2024 को अधिसूचना एस.ओ. 3470(ई) और जी.एस.आर. 501(ई) के तहत प्रकाशित की गईं। इसे मंगलवार, 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में तथा शुक्रवार, 20 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में रखा गया।

- छ. एमपीईडीए द्वारा “डीलर” श्रेणी के अंतर्गत कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं और समुद्री उत्पाद व्यापार संवर्धकों के पंजीकरण से संबंधित एमपीईडीए नियमों में संशोधन को अधिसूचित करने के लिए वाणिज्य विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह संशोधन समुद्री उत्पादों के लिए ट्रेसेबिलिटी आवश्यकताओं से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों के कारण प्रस्तावित किया जा रहा है।
- ज. एमपीईडीए ने भारत भर के विभिन्न मत्स्य पालन और प्रबंधन महाविद्यालयों के छात्रों के लिए जागरूकता कक्षाओं की एक श्रृंखला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। निर्यात प्रवृत्तियों और प्रक्रियाओं, चिरस्थायी प्रथाओं, पता लगाने की आवश्यकताओं, गुणवत्ता मानकों और वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इन सत्रों ने छात्रों के समुद्री उत्पाद के क्षेत्र के ज्ञान को बढ़ाया। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम ने मत्स्य पालन क्षेत्र में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा दिया।

3. मुख्य अंश

- ❖ **राजभाषा कार्यान्वयन:** एमपीईडीए को ‘ग’ क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (तृतीय पुरस्कार) से सम्मानित किया गया है।
- ❖ **निर्यात प्रदर्शन:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत ने 7.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 16,98,170 मेट्रिक टन समुद्री खाद्य निर्यात किया है। अमेरिका और चीन भारतीय समुद्री खाद्य के प्रमुख आयातक हैं। प्रशिक्षित श्रमिक सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तु बनी रही, उसके बाद प्रशिक्षित मछली का स्थान रहा।
- ❖ **पंजीकरण:** 117 निर्यातक और 21 प्रसंस्करण संयंत्र पंजीकृत किए गए।
- ❖ **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले:** एमपीईडीए ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया है, जैसे सीफूड एक्सपो ग्लोबल 2024, बार्सिलोना, जापान इंटरनेशनल सीफूड एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो 2024, टोक्यो, सीफूड एक्सपो एशिया 2024, सिंगापुर, सीफूड एक्सपो रूस 2024, सेंट पीटर्सबर्ग, बुसान इंटरनेशनल सीफूड एंड फिशरीज एक्सपो 2024, बुसान, चाइना फिशरीज एंड सीफूड एक्सपो 2024, किंगदाओ, गल्फूड 2025, दुबई, सीफूड एक्सपो नॉर्थ अमेरिका 2025, बोस्टन।
- ❖ **घरेलू व्यापार मेले:** एमपीईडीए ने विभिन्न घरेलू मेलों जैसे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, नई दिल्ली और इंडसफूड 2024, नोएडा में भाग लिया।
- ❖ **वर्चुअल क्रेता-विक्रेता मीट (वीबीएसएम)** एमपीईडीए जापान, हांगकांग, डोमिनिकन गणराज्य और बालारूस के साथ वीबीएसएम आयोजित किया गया जिसमें 50 निर्यातकों और 10 खरीददारों ने भाग लिया।
- ❖ **रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठक (आरबीएसएम)** - एमपीईडीए ने 13 देशों (अर्थात इटली, स्पेन, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जापान, दक्षिण कोरिया, डोमिनिकन गणराज्य, पेरू, रूस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया) के 34 खरीददारों और 41 भारतीय निर्यातकों के साथ आरबीएसएम का आयोजन किया।
- ❖ **सोशल मीडिया संवर्धन:-** सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से 300 से अधिक पोस्ट जारी किए गए।
- ❖ **मूल्य संवर्धन:** वर्ष 2024-25 के दौरान, ‘निर्यात के लिए मूल्य संवर्धन’ के अंतर्गत लाभार्थियों को दी गई कुल वित्तीय सहायता 15 लाभार्थियों के लिए ₹ 2,796.07 लाख थी।
- ❖ एमपीईडीए ने भारत सरकार की पीएमएसवाई योजना के साथ मिलकर 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत समुद्री खाद्य प्रसंस्करण श्रमिकों के लिए कुल 40 समुद्री खाद्य मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।
- ❖ **त्रिपक्षीय समिति:-** एमपीईडीए के प्रयासों से, श्रमिक कल्याण की निगरानी हेतु आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त, छह राज्यों - केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और आंध्र प्रदेश - द्वारा एक संयुक्त कार्य बल का गठन किया गया।
- ❖ **यूरोपीय संघ द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठान:** भारत में 456 समुद्री खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठान और 70 स्वतंत्र कोल्ड स्टोर यूरोपीय संघ द्वारा अनुमोदित हैं।
- ❖ **राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी (एमपीआरएनएल):** भारत के समुद्री राज्यों से अंतर्देशीय

burden. Notifications for Act and Rules introducing the provisions for Adjudication & Appeal were published in the Official Gazette of India on 14.08.2024 vide notification S.O. 3470(E) and G.S.R. 501(E). It was laid on the table of the Lok Sabha on Tuesday, 17th December 2024, and the Rajya Sabha on Friday, 20th December 2024.

- g. A proposal has been submitted by MPEDA to the DoC for notifying an amendment to the MPEDA rules regarding the registration of raw material suppliers and marine product trade promoters under the category of "Dealer." This amendment is being proposed due to the various challenges associated with the traceability requirements for marine products.
- h. MPEDA successfully conducted a series of awareness classes for students from various fisheries and management colleges across India. These sessions enhanced students knowledge of the marine products sector, focusing on export trends & procedures, sustainability practices, traceability requirements, quality standards, and the global seafood market. Additionally, the program promoted entrepreneurship and innovation within the fisheries sector.

3. HIGHLIGHTS

- ❖ **Official Language implementation:** MPEDA has been awarded Rajbhasha Kirti Puraskar (Third Prize) for the year 2023-24 for the best implementation of Official Language Policy amongst the Central government offices located in Region "C".
- ❖ **Export Performance:** During the financial year 2024-25, India has exported 16,98,170 MT of seafood worth US\$ 7.45 Billion. USA and China are the major importers of Indian seafood. Frozen Shrimp continued to be the major exported item followed by Frozen fish.
- ❖ **Registration:** 117 exporters and 21 processing plants were registered.
- ❖ **International trade fairs:** MPEDA participated in various international fairs viz., Seafood Expo Global 2024, Barcelona, Japan International Seafood & Technology Expo 2024, Tokyo, Seafood Expo Asia 2024, Singapore, Seafood Expo Russia 2024, St. Petersburg, Busan International Seafood & Fisheries Expo 2024, Busan, China Fisheries and Seafood Expo 2024, Qingdao, Gulfood 2025, Dubai, and Seafood Expo North America 2025, Boston.
- ❖ **Domestic trade fairs:** MPEDA participated in various domestic fairs like World Food India 2024, New Delhi and Indusfood 2025, Noida.
- ❖ **Virtual Buyer seller Meet (VBSM):** MPEDA was conducted VBSM with Japan, Hong Kong, Dominican Republic and Balarus where conducted with participation of 50 exporters and 10 buyers.
- ❖ **Reverse Buyer Seller Meet (RBSM):** MPEDA organized an RBSM with 34 buyers from 13 countries (viz., Italy, Spain, Thailand, the United Kingdom, Japan, South Korea, Dominican Republic, Peru, Russia, Vietnam, Australia and Indonesia) and 41 Indian exporters.
- ❖ **Social media Promotion:-** More than 300 posts were released through the social media handles.
- ❖ **Value addition:** During the year 2024-25, the total financial assistance extended to beneficiaries under 'Value Addition for Exports' was ₹2,796.07 Lakh for 15 beneficiaries.
- ❖ MPEDA organized a total of 40 seafood value-addition training programs for seafood processing workers under the 100 Days Action Plan in convergence with the PMMSY scheme of GOI.
- ❖ **Tripartite Committee:-** Due to efforts of MPEDA, a tripartite committee to monitor labour welfare was formed by Andhra Pradesh and Maharashtra. Further Joint Task Force was formed by 6 states- Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Odisha and Andhra Pradesh.
- ❖ **EU-approved establishments:** 456 seafood processing establishments and 70 independent cold stores in India are approved by the EU.
- ❖ **Monitoring of Pesticide Residues at the National Level (MPRNL):** 842 samples of inland fishes



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

मछलियों और क्रस्टेशियंस के 842 नमूनों का विश्लेषण किया गया और परिणाम सूचित किए गए।

- ❖ **यूरोपीय आयोग (ईसी) लेखा परीक्षा:** यूरोपीय आयोग (ईसी) के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा महानिदेशालय (डीजी-सांटे) की एक निरीक्षण टीम ने यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए मत्स्य उत्पादों के उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए 11-22 नवंबर 2024 तक भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग का लेखा परीक्षण किया।
- ❖ **श्रिम्प विनियामक साझेदारी समझौता (आरपीए):** यूएसएफडीए के साथ आरपीए के तहत, एमपीईडीए ने जलकृषि उत्पाद मूल्यांकन उपकरण (एपीएटी) के नौ मानकों के अनुसार विभिन्न सरकारी एजेंसियों से जानकारी संकलित की है।
- ❖ **एचएसीसीपी प्रशिक्षण:** एमपीईडीए ने विभिन्न स्थानों पर 10 समुद्री खाद्य एचएसीसीपी प्रशिक्षण आयोजित किए, और भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग के 256 तकनीकी कार्मिकों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभ हुआ।
- ❖ **एनआरसीपी:** एनआरसीपी 2024 के अंतर्गत एमपीईडीए प्रयोगशालाओं द्वारा 3692 नमूनों के लक्ष्य के मुकाबले 3710 नमूनों का विश्लेषण किया गया।
- ❖ **पीएचटी:** एमपीईडीए एलिसा प्रयोगशालाओं द्वारा 12,936 प्री-हार्वैस्ट प्रमाणपत्र जारी किए गए।
- ❖ **जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (एनएसपीएएडी)** एमपीईडीए, मत्स्य पालन विभाग के वित्तीय सहयोग से आईसीएआर-एनबीएफजीआर द्वारा समन्वित, 2023-24 से तीन वर्षों के लिए एक भागीदार संगठन बन गया है। एमपीईडीए की कोच्चि स्थित प्रयोगशाला इस परियोजना के कार्यान्वयन प्रयोगशालाओं में से एक है और लक्ष्य के सापेक्ष 2820 नमूने प्राप्त हो चुके हैं।
- ❖ एमपीईडीए के प्रस्ताव के आधार पर, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में किसी भी खाद्य-उत्पादक पशु-पालन प्रणाली में उपयोग के लिए क्लोरैम्फेनिकॉल और नाइट्रोफ्यूरान के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
- ❖ **मत्स्य पालन:** वर्ष 2024-25 के दौरान निर्यातोन्मुखी जलकृषि उत्पादन 12.93 लाख मेट्रिक टन था।
- ❖ प्रतिबंधित एंटीबायोटिक के उपयोग पर 1,004 जागरूकता अभियान (11,164 किसान) और प्रजाति विविधीकरण और जलकृषि प्रमाणन को बढ़ावा देने वाले 85 अभियान (2,261 किसान)।
- ❖ **फार्म नामांकन:** रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 1491 नये फार्मों का नामांकन किया गया तथा 1880 फार्मों को स्तर 2 सत्यापन के लिए अनुमोदित किया गया।
- ❖ **शफरी प्रमाणन:** 2024-25 तक, 15 हैचरी और 285 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को शफरी के तहत प्रमाणित किया गया है, जो देश में उच्च स्वास्थ्य श्रिम्प उत्पादन सुनिश्चित करता है।
- ❖ **नेक्स्टजेन टेक्नोलॉजीज:** एमपीईडीए ने 30 अगस्त 2024 को समुद्री खाद्य क्षेत्र में बेहतर दक्षता, उत्पादकता और स्थिरता के लिए आधुनिक तकनीक को शामिल करने हेतु नेक्स्टजेन टेक्नोलॉजीज पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। 44 प्रस्ताव प्राप्त हुए, 11 नवप्रवर्तकों की पहचान उनके आवेदन के आधार पर की गई और उन्हें कॉन्क्लेव के दौरान एक प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया।
- ❖ **एमपीईडीए-आरजीसीए:** विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 1,755 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए लगभग 10.7 मिलियन बीज/उपज की आपूर्ति की गई, 3228 लाभार्थियों के साथ 157 प्रशिक्षण आयोजित किए गए और 1,92,555 बूड स्टॉक की आपूर्ति की गई।
- ❖ **एमपीईडीए-नेटफिश:** 4797 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 56321 मछुआरों को लाभ मिला, उमरगाम, गुजरात से सूखी मछली प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए सीआईएफटी, एनआईपीएचएटीटी, एमपीईडीए, पुडुचेरी के नाव मालिकों के लिए केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में मछली पकड़ने के बंदरगाहों और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों का दौरा किया गया, जिसमें क्षमता निर्माण कार्यक्रम, बैठकें, टीईडी कार्यान्वयन कार्यक्रम, परियोजना गतिविधियां, सफाई कार्यक्रम, सजावटी मछली स्वास्थ्य प्रमाणन, मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण, बंदरगाह डेटा संग्रह आदि गतिविधियां शामिल थीं।
- ❖ **एमपीईडीए-नाक्सा:** भारत के विभिन्न तटीय राज्यों में 139 क्लस्टर-आधारित समितियों का गठन किया गया। इन प्रयासों से 1,498 किसानों को सहायता मिली, 3,124 तालाबों को शामिल किया गया और 1,334.7 हेक्टेयर जल विस्तार क्षेत्र (डब्ल्यू एसए) को कवर किया गया।
- ❖ **चिंतन शिविर** कार्यशाला 10-11 मई, 2024 को लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप में समुद्री खाद्य निर्यातों के लिए

and crustaceans from the maritime states of India were analyzed and the results were communicated.

- ❖ **European Commission (EC) audit:** An inspection team from the Directorate-General for Health and Food Safety (DG- SANTE) of the European Commission (EC) audited the Indian seafood industry from 11-22 November 2024 to evaluate the control system in place governing the production of fishery products intended for exports to the European Union.
- ❖ **Shrimp Regulatory Partnership Agreement (RPA):** As part of the RPA with USFDA, MPEDA has compiled the information from various Government agencies as per the nine standards of the Aquaculture Products Assessment Tool (APAT).
- ❖ **HACCP trainings:** MPEDA organized 10 seafood HACCP trainings at various locations, and 256 technical personnel from the Indian seafood industry benefited from these training programmes.
- ❖ **NRCP:** 3710 samples were analysed by the MPEDA labs under NRCP 2024 against the target of 3692.
- ❖ **PHT:** 12,936 Pre-Harvest Certificates were issued by MPEDA ELISA labs.
- ❖ **National Surveillance Programme for Aquatic Animal Diseases (NSPAAD):** MPEDA has become a partner organization in the NSPAAD coordinated by ICAR- NBFGR with the fund support of the Department of Fisheries, for three years from 2023-24. The MPEDA lab Kochi is one of the implementing labs for the project and 5331 samples have been received against the target.
- ❖ Based on MPEDA's proposal, the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, has issued **a notification prohibiting the import, manufacture, distribution, and sale of Chloramphenicol and Nitrofurans** for use in any food-producing animal-rearing systems in India.
- ❖ **Culture Fisheries:** Export-oriented aquaculture production during the year 2024-25 was 12.98 lakhs MT.
- ❖ 1,004 awareness campaigns on banned antibiotic use (11,164 farmers) and 85 campaigns promoting species diversification and aquaculture certification (2,261 farmers) were conducted.
- ❖ **Farm enrollment :** 1491 new farms have been enrolled during the report year, and 1880 farms were approved for level 2 verification.
- ❖ **Shaphari certification:** Till 2024-25, 15 hatcheries and 285 ha farm area are certified under SHAPHARI which ensures high health shrimp production from the country.
- ❖ **NextGen Technologies:** MPEDA organized the International Conclave on NextGen Technologies to infuse modern technology into the seafood sector for better efficiency, productivity and sustainability on 30th August 2024. 44 proposals were received, 11 innovators were identified based on their application and invited for a presentation during the Conclave.
- ❖ **MPEDA-RGCA:** supplied nearly 10.7 million seeds/produce benefitting 1,755 beneficiaries through various projects, conducted 157 trainings with 3228 beneficiaries and 1,92,555 Brood stock supplied.
- ❖ **MPEDA-NETFISH :** conducted 4797 programmes benefitting 56321 fishers, conducted exposure visit for Dry fish processors from Umargam, Gujarat to CIFT, NIPHATT, MPEDA, Boat owners from Puducherry to fishing harbours and seafood processing plants across Kerala, Karnataka, Goa and Maharashtra, activities including capacity building programs, meetings, TED implementation programs, project activities, clean-up events, ornamental fish health certification, value addition training, harbour data collection etc.
- ❖ **MPEDA-NaCSA:** organized 139 cluster-based societies across various coastal states in India. These efforts supported 1,498 farmers, encompassing 3,124 ponds and covering a Water Spread Area (WSA) of 1,334.7 hectares.
- ❖ **Chintan Shivir** workshop with stakeholders for enhancing seafood exports was organized at



हितधारकों के साथ कार्यशाला आयोजन किया गया।

- ❖ व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों के तहत, जन विश्वास बिल के तहत एमपीईडीए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया गया तथा अनुपालन बोझ को कम करके उन्हें उद्यमी-अनुकूल बनाया गया।
- ❖ एमपीईडीए ने 21.02.2025 को एमपीईडीए की गतिविधियों की समीक्षा के लिए माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की कोच्चि यात्रा का आयोजन किया।
- ❖ एमपीईडीए की गतिविधियों की समीक्षा के लिए 10 अक्टूबर 2024 को एमपीईडीए मुख्यालय में माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन का दौरा आयोजित किया।
- ❖ एमपीईडीए ने स्वच्छता कार्य योजना 2024-25 वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत की।
- ❖ एमपीईडीए ने 2024 बैच के 18 भाप्रसे अधिकारी प्रशिक्षुओं को अपने शीतकालीन अध्ययन दौरे के दौरान मेजबानी की।
- ❖ एमपीईडीए ने हर घर तिरंगा अभियान, स्वतंत्रता दिवस समारोह, एमपीईडीए दिवस समारोह 2024, को अपने शीतकालीन अध्ययन दौरे के तहत स्वच्छता ही सेवा 2024, स्वच्छता पखवाड़ा 2024, संविधान दिवस समारोह और विश्व रक्तदाता दिवस 2024, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024, राष्ट्रीय एकता दिवस, सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह और सशस्त्र सेना झंडा दिवस का मनाया।

4. निर्यात प्रदर्शन


भारत ने 7.45 बिलियन यूएस \$ मूल्य का 16,98,170 मेट्रिक टन समुद्री खाद्य का निर्यात किया। यूएसए और चीन भारतीय समुद्री खाद्य के मुख्य आयातक रहे। प्रशीतित श्रिम्प सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तु रही, उसके बाद प्रशीतित मछली का स्थान रहा। निर्यात सारांश रिपोर्ट तालिका-1 में दी गई हैं

तालिका 4.1, 2024-25 की तुलना में 2023-24 के दौरान निर्यात प्रदर्शन

निर्यात विवरण	2024-25	2023-24	% परिवर्तन
मात्रा मेट्रिक टन में	16,98,170	17,81,602	-4.68%
मूल्य ₹ करोड़ में	62,408.45	60,523.89	3.11%
मिलियन अमेरिकी डॉलर	7,453.73	7,381.89	0.97%
इकाई मूल्य (अमेरिकी डॉलर/किग्रा)	4.39	4.14	5.93%

तालिका 1 इस वर्ष निर्यात में ₹ मूल्य के हिसाब से 3.11%, अमेरिकी डॉलर मूल्य के हिसाब से 0.97% तथा इकाई मूल्य (अमेरिकी डॉलर/किग्रा) में भी 5.93% की वृद्धि हुई।

समुद्री उत्पादों का दशकीय निर्यात प्रदर्शन चित्र 4.1 में दिया गया है



चित्र 4.1 समुद्री उत्पादों का निर्यात प्रदर्शन

Bangaram Island, Lakshadweep, from 10-11th May 2024.

- ❖ As part of measures to promote **ease of doing business**, the MPEDA Act and Rules provisions were decriminalized under the Jan Vishwas Bill and made entrepreneur-friendly by reducing the compliance burden.
- ❖ MPEDA organized the visit of Shri. Piyush Goyal, Hon'ble Commerce & Industry Minister to Kochi to review the activities of MPEDA on 21.02.2025
- ❖ MPEDA organized the visit of Hon'ble Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying & Minority Affairs, Shri. George Kurian to MPEDA Headquarters, on 10th October 2024 to review the MPEDA activities.
- ❖ MPEDA submitted Swachhata Action Plan 2024-25 to the DoC
- ❖ MPEDA hosted 18 IAS officer trainees from the 2024 batch as part of their Winter Study Tour.
- ❖ MPEDA organized Har Ghar Tiranga Campaign, Independence Day Celebrations, MPEDA Day Celebration 2024, Swachhata Hi Seva 2024, Swachhata Pakhwada 2024, Constitution Day Celebration and observed World Blood Donor Day 2024, International Day of Yoga 2024, Rashtriya Ekta Diwas (National Unity Day), Communal Harmony Campaign Week and Armed Forces Flag Day.

4. EXPORT PERFORMANCE

India has exported 16,98,170 MT of seafood worth US\$ 7.45 Billion. USA and China are the major importers of Indian seafood. Frozen Shrimp continued to be the major exported item followed by Frozen fish.

Table: 4.1 Export Performance during 2024-25 v/s. 2023-24

Export Details	2024-25	2023-24	% Change
Quantity in MT	16,98,170	17,81,602	-4.68%
Value in ₹ Crore	62,408.45	60,523.89	3.11%
US\$ Million	7,453.73	7,381.89	0.97%
Unit Value (US\$/Kg)	4.39	4.14	5.93%

This year the exports improved by 3.11% by value ₹, 0.97% by US\$ value and unit value (US\$/kg) also improved by 5.93%.

The decadal export performance of marine products is given in Figure 4.1




Figure.4.1 Export Performance of Marine Products Exports



एमपीईडी

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

4.1. प्रमुख मदवार निर्यात विवरण

प्रशीतित श्रिम्प मात्रा और मूल्य के आधार पर निर्यात की प्रमुख वस्तु बना रहा, जिसकी मात्रा में 43.67% और कुल अमेरिकी डॉलर आय में 69.46% हिस्सेदारी रही। इस अवधि के दौरान प्रशीतित श्रिम्प निर्यात मूल्य के संदर्भ में 8.30% बढ़कर ₹ 40013.54 से ₹ 43334.25 करोड़ हो गया। प्रशीतित श्रिम्प निर्यात में मात्रा और अमेरिकी डॉलर मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 3.56% और 6.06% की वृद्धि हुई। प्रशीतित श्रिम्प का इकाई मूल्य भी 6.82 से बढ़कर 6.98 (2.41%) हो गया।

प्रशीतित मछली दूसरे सबसे बड़े स्थान पर है, जिसकी मात्रा में 20% और अमेरिकी डॉलर व रुपये मूल्य दोनों में 8.35% की हिस्सेदारी है। प्रशीतित मछली के निर्यात में मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से गिरावट आई है। हालाँकि, इकाई मूल्य में 1.76 से 1.83 तक 4.20% की वृद्धि देखी गई।

प्रशीतित रिव्वड निर्यात में तीसरे स्थान पर है, जिसने 90,370 मेट्रिक टन का निर्यात दिखाया है जिसकी मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 5.32% और 4.93% की हिस्सेदारी है। इकाई मूल्य प्राप्ति 1.89% बढ़कर 3.99 से 4.07 हो गई।

सूखी वस्तुओं का निर्यात 2,52,948 मेट्रिक टन रहा, जिसकी मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से हिस्सेदारी क्रमशः 14.90% और 4.57% रही। पिछले वर्ष की तुलना में सूखी वस्तुओं के निर्यात में मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से गिरावट आई है।

प्रशीतित कटलफिश ने मात्रा मूल्य ₹ और अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में क्रमशः 9.11%, 6.29% और 3.99% की वृद्धि दर्शाई है।

शीतित वस्तुओं का निर्यात 18,744 मेट्रिक टन रहा, जिसकी मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से हिस्सेदारी क्रमशः 1.10% और 1.06% रही। पिछले वर्ष की तुलना में शीतित वस्तुओं के निर्यात में मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से गिरावट आई है।

जीवित वस्तुओं ने ₹ मूल्य और अमेरिकी डॉलर मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 17.64% और 15.21% का सकारात्मक निर्यात रुझान दर्शाया है।

अन्य वस्तुओं के निर्यात में मात्रा और यूएस \$ मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 11.10% और 7.05% की हिस्सेदारी रही। पिछले वर्ष की तुलना में अन्य वस्तुओं के निर्यात में मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में गिरावट आई है।

निर्यात की प्रमुख वस्तुओं का विवरण नीचे तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2 : अप्रैल-मार्च, 2024-25 के दौरान वस्तु-वार निर्यात

क्यू: मात्रा टन में, वी: मूल्य करोड़ रुपये में, \$: यूवी \$: मिलियन, यूवी\$:यूएस\$/किग्रा

वस्तु		शेयर %	2024 - 25	2023 - 24	परिवर्तन (%)
प्रशीतित श्रिम्प	क्यू:	43.67%	741529	716004	3.56%
	वी:	69.44%	43334.25	40013.54	8.30%
	\$:	69.46%	5177.01	4881.27	6.06%
	यूवी \$:		6.98	6.82	2.41%
प्रशीतित मछली	क्यू:	20.00%	339692	381588	-10.98%
	वी:	8.35%	5212.12	5509.69	-5.40%
	\$:	8.35%	622.60	671.17	-7.24%
	यूवी \$:		1.83	1.76	4.20%
प्रशीतित कटलफिश	क्यू:	3.49%	59264	54316	9.11%
	वी:	3.84%	2394.26	2252.63	6.29%
	\$:	3.83%	285.57	274.62	3.99%
	यूवी \$:		4.82	5.06	-4.69%

4.1. Major Item wise exports details

Frozen shrimp continued to be the major item of export in terms of quantity and value, accounting for a share of 43.67% in quantity and 69.46% of the total US\$ earnings. Frozen shrimp exports during the period increased in terms of value by 8.30%, ₹ 40013.54 to ₹ 43334.25 Crore. Frozen shrimp exports increased by 3.56% and 6.06% in Quantity and US\$ value terms respectively. Unit value of Frozen shrimp also increased from 6.82 to 6.98 (2.41%).

Frozen Fish is at the second largest position, accounting for a share of 20% in quantity and 8.35% both in US\$ and ₹ value earnings. The export of Frozen fish has decline by quantity and value. However, Unit value increase was observed at 4.20% from 1.76 to 1.83.

Frozen squid having third position in exports, has shown exports of 90,370 MT with a share of 5.32% and 4.93% in quantity and value terms. Unit value realization has increased by 1.89% from 3.99 to 4.07.

Dried Items shown an export of 2,52,948 MT with a share of 14.90% and 4.57% in terms of volume and value. Compared to last year the exports of dried items have declined both in terms of volume and value.

Frozen Cuttlefish has shown a growth of 9.11%, 6.29% and 3.99% in quantity value ₹ and US\$ terms respectively.

Chilled items show an export of 18,744 MT with a share of 1.10% and 1.06% in terms of volume and value. Compared to last year the exports of chilled items have declined both in terms of volume and value.

Live items have shown a positive export trend of 17.64% and 15.21% in terms of value ₹ and value US\$.

Other items exports accounted for a share of 11.10% and 7.05% in terms of volume and value US\$. Compare to last year the export of Other items have declined both in terms of volume and value.

The details of major items of exports are given in Table 4.2 below.

Table 4.2: Item-wise Export during April-March 2024-25

Q: Quantity in Tons, V: Value in ₹ Crores, \$: US\$ Million, UV\$:US\$/Kg


ITEM		Share %	2024- 25	2023 - 24	Change (%)
FROZEN SHRIMP	Q:	43.67%	741529	716004	3.56%
	V:	69.44%	43334.25	40013.54	8.30%
	\$:	69.46%	5177.01	4881.27	6.06%
	UV\$:		6.98	6.82	2.41%
FROZEN FISH	Q:	20.00%	339692	381588	-10.98%
	V:	8.35%	5212.12	5509.69	-5.40%
	\$:	8.35%	622.60	671.17	-7.24%
	UV\$:		1.83	1.76	4.20%
FROZEN CUTTLE FISH	Q:	3.49%	59264	54316	9.11%
	V:	3.84%	2394.26	2252.63	6.29%
	\$:	3.83%	285.57	274.62	3.99%
	UV\$:		4.82	5.06	-4.69%



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

प्रशीतित स्क्विड	क्यू:	5.32%	90370	93509	-3.36%
	वी:	4.93%	3078.01	3061.46	0.54%
	\$:	4.93%	367.68	373.40	-1.53%
	यूवी\$:		4.07	3.99	1.89%
सूखी मर्दे	क्यू:	14.90%	252948	300966	-15.95%
	वी:	4.57%	2852.60	4070.60	-29.92%
	\$:	4.57%	340.75	496.21	-31.33%
	यूवी\$:		1.35	1.65	-18.29%
जीवित मर्दे	क्यू:	0.42%	7054	7585	-7.00%
	वी:	0.75%	468.01	397.84	17.64%
	\$:	0.75%	56.01	48.61	15.21%
	यूवी\$:		7.94	6.41	23.89%
शीतित मर्दे	क्यू:	1.10%	18744	35925	-47.82%
	वी:	1.06%	659.41	687.19	-4.04%
	\$:	1.06%	78.79	83.85	-6.04%
	यूवी\$:		4.20	2.33	80.08%
अन्य	क्यू:	11.10%	188570	191709	-1.64%
	वी:	7.07%	4409.80	4530.92	-2.67%
	\$:	7.05%	525.32	552.74	-4.96%
	यूवी\$:		2.79	2.88	-3.38%
कुल	क्यू:	100.00%	1698170	1781602	-4.68%
	वी:	100.00%	62408.45	60523.89	3.11%
	\$:	100.00%	7453.73	7381.89	0.97%
	यूवी\$:		4.39	4.14	5.93%



चित्र 4.2 मद-वार निर्यात 2024-25 (मूल्य अमेरिकी डॉलर)





FROZEN SQUID	Q:	5.32%	90370	93509	-3.36%
	V:	4.93%	3078.01	3061.46	0.54%
	\$:	4.93%	367.68	373.40	-1.53%
	UV\$:		4.07	3.99	1.89%
DRIED ITEMS	Q:	14.90%	252948	300966	-15.95%
	V:	4.57%	2852.60	4070.60	-29.92%
	\$:	4.57%	340.75	496.21	-31.33%
	UV\$:		1.35	1.65	-18.29%
LIVE ITEMS	Q:	0.42%	7054	7585	-7.00%
	V:	0.75%	468.01	397.84	17.64%
	\$:	0.75%	56.01	48.61	15.21%
	UV\$:		7.94	6.41	23.89%
CHILLED ITEMS	Q:	1.10%	18744	35925	-47.82%
	V:	1.06%	659.41	687.19	-4.04%
	\$:	1.06%	78.79	83.85	-6.04%
	UV\$:		4.20	2.33	80.08%
OTHERS	Q:	11.10%	188570	191709	-1.64%
	V:	7.07%	4409.80	4530.92	-2.67%
	\$:	7.05%	525.32	552.74	-4.96%
	UV\$:		2.79	2.88	-3.38%
TOTAL	Q:	100.00%	1698170	1781602	-4.68%
	V:	100.00%	62408.45	60523.89	3.11%
	\$:	100.00%	7453.73	7381.89	0.97%
	UV\$:		4.39	4.14	5.93%





Figure 4.2: Item-wise exports 2024-25 (Value US\$)





चित्र 4.3 मद-वार निर्यात 2024-25 (मात्रा)

4.2 प्रमुख गंतव्य-वार निर्यात

भारत ने 2024-25 में 130 देशों को समुद्री उत्पादों का निर्यात किया

अमेरिका ने अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 36.42% की हिस्सेदारी के साथ भारतीय समुद्री खाद्य के प्रमुख आयातक के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा। अमेरिका ने चालू वित्त वर्ष में 2714.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 3,46,868 मेट्रिक टन समुद्री खाद्य का आयात किया। अमेरिका को निर्यात में रुपये मूल्य, अमेरिकी डॉलर मूल्य और मात्रा के संदर्भ में क्रमशः 8.76%, 6.5% और 5.37% की वृद्धि देखी गई है। इस बाजार में इकाई मूल्य भी 1.08% बढ़कर 7.74 से 7.83 हो गया। प्रशीतित श्रिम्प अमेरिका को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु बनी रही, जिसकी अमेरिकी डॉलर मूल्य में 92.55% हिस्सेदारी रही।

चीन (हांगकांग सहित) भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, जिसकी अमेरिकी डॉलर आय में 17.13% हिस्सेदारी है। चीन ने 3,96,424 मेट्रिक टन समुद्री खाद्य पदार्थों का आयात किया, जिसका आयतन हिस्सा 23.34% रहा और इसकी कीमत 1276.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। चीन को निर्यात में मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से गिरावट देखी गई है। हालाँकि, इकाई मूल्य में 1.86% की वृद्धि हुई है, जो 3.16 से बढ़कर 3.22 हो गया है। प्रशीतित श्रिम्प चीन के बाजार में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है, जिसकी मात्रा में 34.35% और अमेरिकी डॉलर आय में 59.53% हिस्सेदारी है।

यूरोपीय संघ (ईयू *) भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में हिस्सेदारी 15.10% है। यूरोपीय संघ को निर्यात में मात्रा, रुपये मूल्य और अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में क्रमशः 11.73%, 11.44% और 9.01% की सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। हालाँकि, बाजार में इकाई मूल्य 2.43% घटकर 5.36 से 5.23 रह गया है। यूरोपीय संघ को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु प्रशीतित श्रिम्प रही, जिसकी मात्रा के हिसाब से यूरोपीय संघ को कुल निर्यात में 46.17% और अमेरिकी डॉलर आय के हिसाब से 56.18% की हिस्सेदारी रही। यूरोपीय संघ को प्रशीतित श्रिम्प के निर्यात में मात्रा और अमेरिकी डॉलर मूल्य के हिसाब से क्रमशः 10.72% और 10.30% की वृद्धि हुई।

* यूके शामिल है

दक्षिण पूर्व एशिया भारतीय समुद्री उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा बाजार है, जिसकी अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 13.08% हिस्सेदारी है। दक्षिण पूर्व एशिया को निर्यात में क्रमशः रुपये मूल्य और अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 3.35% और 1.14% की सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। प्रशीतित श्रिम्प इस बाजार का एक प्रमुख उत्पाद है, जिसकी हिस्सेदारी 35.70% है और अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 18.09% की वृद्धि हुई है।

जापान भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों का पाँचवाँ सबसे बड़ा गंतव्य है, जिसकी अमेरिकी डॉलर आय में 5.52% और मात्रा के लिहाज से 6.06% हिस्सेदारी है। जापान को निर्यात में रुपये मूल्य के हिसाब से 5.29% और अमेरिकी डॉलर मूल्य के हिसाब से 2.95% की वृद्धि देखी गई है। इकाई मूल्य में 7.99% की वृद्धि देखी गई है। प्रशीतित श्रिम्प जापान को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु बनी रही, जिसकी अमेरिकी डॉलर आय में 70.85% और मात्रा के हिसाब से 37.81% हिस्सेदारी रही। जापान को प्रशीतित श्रिम्प के निर्यात में रुपये के हिसाब से 12.75%, अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 10.56% और मात्रा के हिसाब से 8.39% की वृद्धि हुई।




Figure 4.3: Item-wise exports 2024-25 (Quantity)

4.2. Major Destination - wise export

India exported marine products to 130 countries in 2024-25

USA retained the title as the major importer of Indian seafood with a share of 36.42% in terms of US\$. The USA imported 3,46,868 MT of seafood in the current financial year worth US\$ 2714.94 million. Exports to the USA have shown an increase of 8.76%, 6.5% and 5.37% in terms of ₹ value, US\$ value and quantity terms respectively. Unit value in this market also increased by 1.08% from 7.74 to 7.83. Frozen Shrimp continued to be the principal item exported to the USA with a share of 92.55% of US\$ value.

China (including Hong Kong) continued to be the second largest market destination for Indian Seafood with a share of 17.13% in US\$ earnings. China imported 3,96,424 MT of Seafood with a volume share of 23.34% worth US\$ 1276.58 million. The export to China has shown a decline by quantity and value. However, unit value has shown an increase of 1.86% from 3.16 to 3.22. Frozen Shrimp is the major item of exports to the China market accounting for a share of 34.35% in quantity and 59.53% in US\$ earnings.

European Union (EU*) is the third largest destination of Indian seafood with a share of 15.10% in US\$. The exports to EU have shown a positive trend of 11.73%, 11.44% and 9.01% in quantity, ₹ value and US\$ terms respectively. However, the unit value in the market has declined by 2.43% from 5.36 to 5.23.

Frozen Shrimp continued to be the major item of exports to EU accounting for a share of 46.17% in quantity and 56.18% in US\$ earnings out of the total exports to EU. Export of frozen shrimp to the EU increased by 10.72% and 10.30% in quantity and value US\$ respectively.

**Includes UK*

South East Asia is the fourth largest market destination of Indian Marine products accounting for a share of 13.08 % in US\$ terms. The export to South East Asia has shown a positive trend of 3.35% and 1.14% in ₹ value and US\$ terms respectively. Frozen Shrimp is a major item in this market with a share of 35.70% with growth of 18.09% in US\$ terms.

Japan is the fifth largest destination for Indian Seafood with a share of 5.52% in US\$ earnings and 6.06% in quantity terms. Exports to Japan have shown a growth of 5.29% in ₹ value terms, and 2.95% in US\$ value terms. Unit value has shown an increase of 7.99%. Frozen Shrimp continued to be the major item of exports to Japan accounting for a share of 70.85% in US\$ earnings and 37.81% in quantity. Exports of Frozen shrimp to Japan increased by 12.75% in ₹ terms, 10.56% in US\$ terms and 8.39% in quantity terms.





एमपीईडी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

मध्य पूर्व ने 278.31 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का समुद्री खाद्य आयात किया, जिसकी मात्रा और मूल्य के संदर्भ में हिस्सेदारी क्रमशः 3.88% और 3.73% थी। इस बाज़ार में रुपये और अमेरिकी डॉलर मूल्य में क्रमशः 4.01% और 1.88% की वृद्धि देखी गई। इकाई मूल्य में 15.92% की वृद्धि देखी गई। प्रशीतित श्रिम्प मध्य पूर्व को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु बनी रही, जिसकी अमेरिकी डॉलर आय में 66.51% की हिस्सेदारी रही।

अन्य देशों में मात्रा, मूल्य (रुपये में) और अमेरिकी डॉलर में क्रमशः 7.33%, 4.36% और 6.42% की गिरावट देखी गई। अमेरिकी डॉलर मूल्य के संदर्भ में निर्यात बास्केट का योगदान 9.01% रहा। प्रशीतित श्रिम्प निर्यात की प्रमुख वस्तु है, जिसकी मात्रा और मूल्य (अमेरिकी डॉलर में) क्रमशः 28.83% और 66.57% रही।

‘अन्य देशों’ के वर्गीकरण के अंतर्गत, निम्नलिखित 8 देशों: कैनडा (29.54%), रूस (17.87%), बांग्लादेश (5.39%), ट्यूनीशिया (4.82%), डोमिनिकन गणराज्य (4.81%), ऑस्ट्रेलिया (4.21%), दक्षिण अफ्रीका (3.12%) और कैमरून (2.87%) ने मिलकर अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में निर्यात में 72.65% का योगदान दिया।

भारतीय समुद्री उत्पादों के प्रमुख बाजारों का विवरण तालिका 4.3 में दिया गया है

तालिका 4.3: अप्रैल-मार्च 2024-25 के दौरान बाजार-वार निर्यात विवरण

क्यू: मात्रा टन में, वी: मूल्य करोड़ रुपये में, \$: यूवी \$: मिलियन, यूवी\$: यूएस\$/किग्रा

बाज़ार		शेयर %	2024 - 25	2023 - 24	परिवर्तन (%)
जापान	क्यू:	6.06%	102933	107968	-4.66%
	वी:	5.53%	3452.92	3279.44	5.29%
	\$:	5.52%	411.55	399.74	2.95%
	यूवी\$:		4.00	3.70	7.99%
यूएसए	क्यू:	20.43%	346868	329192	5.37%
	वी:	36.41%	22722.69	20892.44	8.76%
	\$:	36.42%	2714.94	2549.15	6.50%
	यूवी\$:		7.83	7.74	1.08%
यूरोपीय संघ*	क्यू:	12.67%	215080	192505	11.73%
	वी:	15.11%	9429.56	8461.55	11.44%
	\$:	15.10%	1125.60	1032.55	9.01%
	यूवी\$:		5.23	5.36	-2.43%
चीन*	क्यू:	23.34%	396424	457215	-13.30%
	वी:	17.09%	10667.82	11852.97	-10.00%
	\$:	17.13%	1276.58	1445.40	-11.68%
	यूवी\$:		3.22	3.16	1.86%
दक्षिण पूर्व एशिया	क्यू:	20.47%	347541	378630	-8.21%
	वी:	13.09%	8172.21	7907.28	3.35%
	\$:	13.08%	974.99	964.02	1.14%
	यूवी\$:		2.81	2.55	10.18%



The Middle East imported seafood worth 278.31 million. US\$ with a share of 3.88% and 3.73% in terms of quantity and value. This market has shown an increase of 4.01% and 1.88% value in ₹ and US\$ value respectively. Unit value has shown an increase of 15.92%. Frozen Shrimp continued to be the major item of exports to the Middle East, accounting for a share of 66.51% in US\$ earnings.

Other countries showed a decline of 7.33%, 4.36% and 6.42% by quantity, value in ₹ and US\$ respectively. The export basket contributed to a share of 9.01% in terms of value US\$. Frozen shrimp is the major item of export with a share of 28.83% and 66.57% in terms of quantity and value US\$.

Under 'Other countries' classification, the following 8 countries: Canada (29.54%), Russia (17.87%), Bangladesh (5.39%), Tunisia (4.82%), Dominican Republic (4.81%), Australia (4.21%), South Africa (3.12%) and Cameroon (2.87%) together contributed 72.65% of exports in US\$ terms.

The details on major markets for Indian marine products are given in the Table 4.3

Table 4.3: Market-wise Export Details during April-March 2024-25

Q: Quantity in Tons, V: value in ₹ Crore, \$: US\$ Million, UV\$:US\$/Kg


Market		Share %	2024 – 25	2023 - 24	Change (%)
JAPAN	Q:	6.06%	102933	107968	-4.66%
	V:	5.53%	3452.92	3279.44	5.29%
	\$:	5.52%	411.55	399.74	2.95%
	UV\$:		4.00	3.70	7.99%
USA	Q:	20.43%	346868	329192	5.37%
	V:	36.41%	22722.69	20892.44	8.76%
	\$:	36.42%	2714.94	2549.15	6.50%
	UV\$:		7.83	7.74	1.08%
EUROPEAN UNION*	Q:	12.67%	215080	192505	11.73%
	V:	15.11%	9429.56	8461.55	11.44%
	\$:	15.10%	1125.60	1032.55	9.01%
	UV\$:		5.23	5.36	-2.43%
CHINA*	Q:	23.34%	396424	457215	-13.30%
	V:	17.09%	10667.82	11852.97	-10.00%
	\$:	17.13%	1276.58	1445.40	-11.68%
	UV\$:		3.22	3.16	1.86%
SOUTH EAST ASIA	Q:	20.47%	347541	378630	-8.21%
	V:	13.09%	8172.21	7907.28	3.35%
	\$:	13.08%	974.99	964.02	1.14%
	UV\$:		2.81	2.55	10.18%




एमपीईडीए वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

मध्य पूर्व	क्यू:	3.88%	65956	75046	-12.11%
	वी:	3.73%	2328.50	2238.82	4.01%
	\$:	3.73%	278.31	273.17	1.88%
	यूवी\$:		4.22	3.64	15.92%
अन्य	क्यू:	13.15%	223369	241045	-7.33%
	वी:	9.03%	5634.75	5891.40	-4.36%
	\$:	9.01%	671.76	717.85	-6.42%
	यूवी\$:		3.01	2.98	0.99%
कुल	क्यू:	100.00%	1698170	1781602	-4.68%
	वी:	100.00%	62408.45	60523.89	3.11%
	\$:	100.00%	7453.73	7381.89	0.97%
	यूवी\$:		4.39	4.14	5.93%

* यूरोपीय संघ के बाजार में ब्रिटेन के आंकड़े शामिल हैं और चीन के बाजार में हांगकांग के आंकड़े शामिल हैं।



चित्र 4.4 बाजार-वार निर्यात 2024-25 (मूल्य अमेरिकी डॉलर)



चित्र 4.5 बाजार-वार निर्यात 2024-25 (मात्रा)





MIDDLE EAST	Q:	3.88%	65956	75046	-12.11%
	V:	3.73%	2328.50	2238.82	4.01%
	\$:	3.73%	278.31	273.17	1.88%
	UV\$:		4.22	3.64	15.92%
OTHERS	Q:	13.15%	223369	241045	-7.33%
	V:	9.03%	5634.75	5891.40	-4.36%
	\$:	9.01%	671.76	717.85	-6.42%
	UV\$:		3.01	2.98	0.99%
Total	Q:	100.00%	1698170	1781602	-4.68%
	V:	100.00%	62408.45	60523.89	3.11%
	\$:	100.00%	7453.73	7381.89	0.97%
	UV\$:		4.39	4.14	5.93%

*EU market contains UK data and China market contains Hong Kong data




Figure 4.4: Market Wise Exports 2024-25 (Value US\$)




Figure 4.5 Market-wise Exports 2024-25 (Quantity)





4.3 प्रमुख बंदरगाह-वार निर्यात

शीर्ष 5 बंदरगाहों विशाखापत्तनम, जेएनपीटी, कोच्ची, चेन्नई और कोलकाता ने अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 67.26% का योगदान दिया।

विवरण नीचे तालिका 4.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.3 2024-25 बंदरगाह-वार निर्यात विवरण

पत्तन	मात्रा मेट्रिक टन	मूल्य ₹ करोड़	मूल्य यूएस \$ मिलियन	% शेयर यूएस \$
विशाखापत्तनम	3,31,205	19,658.17	2,349.45	31.52
जेएनपीटी	2,43,368	6,738.53	805.46	10.81
कोच्ची	1,66,257	6,050.20	722.70	9.70
चेन्नई	1,02,295	4,838.36	577.37	7.75
कोलकाता	89,813	4,663.68	558.31	7.49
अन्य	7,65,231	20,459.52	2,440.44	32.74
कुल	1698170	62408.45	7453.73	100

2024-25 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों से जारी मूल प्रमाणपत्र पर रिपोर्ट

एमपीईडीए ने डीजीएफटी के साथ समन्वय किया और विभिन्न व्यापार समझौतों के तहत मूल प्रमाणपत्र (सीओओ) जारी करने में सुविधा प्रदान की। एमपीईडीए के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, 2024-25 के दौरान 11,505 अधिमान्य और 20 गैर-अधिमान्य मूल प्रमाणपत्र जारी किए गए।

5. पंजीकरण

एमपीईडीए अधिनियम और नियमों के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण ने 2024-25 के दौरान निर्यातकों, प्रसंस्करण संयंत्रों, बर्फ संयंत्रों, शीत भंडारण और हैंडलिंग केंद्रों का पंजीकरण/विपंजीकरण और रद्दीकरण जारी रखा। 31.03.2025 तक श्रेणियों के अंतर्गत किए गए पंजीकरण, विपंजीकरण और रद्दीकरण का विवरण नीचे तालिका 5.1 में दिया गया है।

तालिका 5.1: 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान संस्थाओं का पंजीकरण, विपंजीकरण और निरस्तीकरण

वर्ग	01.04.2024 को पंजीकृत	वर्ष के दौरान किया गया पंजीकरण	वर्ष के दौरान किया गया विपंजीकरण	अनुरोध के अनुसार रद्दीकरण	ऑनलाइन के अनुसार 31.03.2025 को पंजीकृत	क्षमता मेट्रिक टन में
निर्माता निर्यातक	661	43	12	9	667	लागू नहीं
व्यापारी निर्यातक	462	58	44	46	419	लागू नहीं
निर्यातक के माध्यम से मार्ग	148	16	11	13	137	लागू नहीं
सजावटी मछली निर्यातक	56	0	12	2	42	लागू नहीं
कुल निर्यातक	1327	117	79	70	1265	लागू नहीं

4.4. Major Port wise Exports

The top 5 ports Vishakhapatnam, JNPT, Kochi, Chennai and Kolkata contributed a share of 67.26% in US\$ terms.

The details are shown in Table 4.4 below:

Table 4.4: Port Wise Export Details 2024-25

Port	Qty MT	Value ₹ Cr.	Value US\$ Mln.	% Share US\$
Visakhapatnam	3,31,205	19,658.17	2,349.45	31.52
JNPT	2,43,368	6,738.53	805.46	10.81
Kochi	1,66,257	6,050.20	722.70	9.70
Chennai	1,02,295	4,838.36	577.37	7.75
Kolkata	89,813	4,663.68	558.31	7.49
Others	7,65,231	20,459.52	2,440.44	32.74
Total	1698170	62408.45	7453.73	100

Report on CoO issued from field offices during 2024-25

The MPEDA coordinated with DGFT and facilitated the issuance of Certificates of Origin (CoO) under various trade agreements. Through all MPEDA field offices, issued 11,505 preferential and 20 non-preferential CoOs during 2024–25.

5. REGISTRATION

The Authority under the statutory provisions of the MPEDA Act and Rules continued to Register/De-register and Cancel the Exporters, Processing Plants, Ice Plants, Cold Storage and Handling Centres during 2024-25. The details of Registration, De-registration and Cancellation effected as of 31.03.2025 under categories are shown below in the Table 5.1.

Table 5.1: Registration, De-registration and Cancellation of entities during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025

Category	Registered as on 01.04.2024	Registration done during the year	De-registration done During the year	Cancellation done as per request	Registered as on 31.03.2025 As per online	Capacity in MT
Manufacturer Exporter	661	43	12	9	667	NA
Merchant Exporter	462	58	44	46	419	NA
Route Through Exporter	148	16	11	13	137	NA
Ornamental Fish Exporter	56	0	12	2	42	NA
Total Exporters	1327	117	79	70	1265	NA



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

मत्स्य यान	8144	0	28	0	8116	लागू नहीं
प्रसंकरण प्लांट	629	21	3	3	647	38236.48
भंडारण परिसर	803	31	5	3	829	713819.96
पीलिंग शेड	595	26	4	7	617	11825
बर्फ प्लांट	50	1	0	1	51	1585.50
ताज़ा/शीतित मछली हैंडलिंग केंद्र	60	1	1	1	60	306.74
जीवित मछली हैंडलिंग केंद्र	51	2	2	1	51	20,556.79 एम ³
सूखी/नमकीन मछली हैंडलिंग केंद्र 3	112	7	2	0	117	2,198.35
अन्य खाद्य हैंडलिंग केंद्र	4	2	0	0	6	278.25
अन्य गैर-खाद्य हैंडलिंग केंद्र	30	14	0	0	44	1,921.64 एम ³
वाहन	147	3	0	1	150	176266.69

प्राधिकरण की 147वां बैठक में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार 08.08.2024 से नए मत्स्य आहार और मत्स्य तेल यूनितों के पंजीकरण पर स्थगन को हटाया गया और क्षमता निर्धारण के लिए एकसमान मानदंडों का आकलन करने तथा मत्स्य संसाधनों का मत्स्य आहार और मत्स्य तेल उत्पादन के लिए सतत उपयोग सुनिश्चित करने हेतु उपाय सुझाने हेतु समितियों का गठन किया गया है। मत्स्य आहार और मत्स्य तेल इकाई की क्षमता निर्धारण के लिए एकसमान मानदंडों हेतु दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रसारित किए गए हैं। सभी पंजीकृत निर्यातकों और संस्थाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल में पैन का समर्थन अनिवार्य कर दिया गया है। निर्यात इकाई के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश तैयार कर 63वां तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

6. निर्यात संवर्धन

6.1. विपणन सेवाएँ

एमपीईडीए विभिन्न मंत्रालयों को व्यापार नीतियों, बजट प्रस्तावों को तैयार करने, विभिन्न देशों से संबंधित बाजार पहुंच के मुद्दों, एसपीएस/टीबीटी अधिसूचनाओं, एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी), काउंटरवेलिंग शुल्क (सीवीडी), अमेरिकी सार्वजनिक कानून 101-162 की धारा 609, समुद्री स्तनपायी संरक्षण अधिनियम (एमएमपीए) और ईयू 1005/2009 के समाधान के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करता है। विभिन्न व्यापार समझौतों के अंतर्गत, समुद्री क्षेत्र से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है तथा उचित स्तर पर उन्हें उठाने के लिए वाणिज्य विभाग को जानकारी प्रदान की जाती है।

विपणन में निर्यातकों के समक्ष आने वाली समस्याओं को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया तथा क्रेताओं से प्राप्त गुणवत्ता संबंधी शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया गया। व्यापार में आसानी के लिए, ऑनलाइन माध्यम से कैच सर्टिफिकेट, आईसीसीएटी, डीएस-2031, शुल्क-मुक्त आयात प्रमाणपत्र, कानूनी उत्पत्ति प्रमाणपत्र, गैर-रेडियोधर्मिता प्रमाणपत्र और आरसीएमसी जैसे प्रमाणपत्र जारी करने की सुविधा प्रदान की गई। इससे निर्यातकों को शीघ्रता से प्रमाणपत्र प्राप्त करने और बिना किसी देरी के माल की निकासी करने में मदद मिली है।

6.1.1. अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय श्रिम्प के निर्यात पर एंटी डंपिंग शुल्क

दक्षिणी श्रिम्प उत्पादक गठबंधन (अमेरिका में स्थानीय श्रिम्प उत्पादकों का संघ) के अभ्यावेदन के आधार पर, वर्ष 2004 से अमेरिकी वाणिज्य विभाग भारत से किये जाने वाले श्रिम्प आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा रहा है। प्रारंभिक एंटी-डंपिंग

Fishing vessels	8144	0	28	0	8116	NA
Processing Plants	629	21	3	3	647	38236.48
Storage Premises	803	31	5	3	829	713819.96
Peeling shed	595	26	4	7	617	11825
Ice Plants	50	1	0	1	51	1585.50
Fresh/Chilled Fish Handling Centre	60	1	1	1	60	306.74
Live Fish Handling Centre	51	2	2	1	51	20,556.79 M³
Dried/Salted Fish Handling Centre ³	112	7	2	0	117	2,198.35
Other Edible Handling Centre	4	2	0	0	6	278.25
Other Non-Edible Handling Centre	30	14	0	0	44	1,921.64 M³
Conveyance	147	3	0	1	150	176266.69

Moratorium on registration of new Fish Meal and Fish Oil units lifted w.e.f. 08.08.2024 as per the approval in 147th Authority meeting and committees were constituted to assess the uniform norms for capacity fixation and to suggest measures to ensure that fishery resources are sustainably used for Fish Meal and Fish Oil production. Guideline for uniform norms for capacity fixation of fish meal and fish oil unit was prepared and circulated among field offices for implementation. The endorsement of PAN in Online Registration Module for all registered exporters and entities made mandatory. Guidelines for registration of depuration unit was prepared and placed in 63rd Technical Committee.

6. EXPORT PROMOTION

6.1. Marketing Services

MPEDA provides necessary inputs to various ministries for framing the trade policies, budget proposals, addressing the market access issues related to various countries, SPS/TBT notifications, Anti-dumping duty (ADD), Countervailing duty (CVD), Section 609 of US Public law 101-162, Marine Mammal Protection Act (MMPA) and EU 1005/2009. Under the various trade agreements, the issues related to marine sector are analysed and inputs furnished to the Department of Commerce for taking up the same at the appropriate level.

Problems confronted by exporters in marketing were taken up with the authorities concerned and the quality complaints received from the buyers were attended to resolve the same amicably. For ease of doing business, facilitating to issue certificates like, Catch Certificate, ICCAT, DS-2031, Duty free import certificate, Certificate of Legal Origin, Non-radioactivity certificate and RCMC through online. This has made exporter to avail the certificate in faster and clear the consignment without delay.

6.1.1. Antidumping duty on exports of Indian Shrimp to USA

Based on the representations of Southern Shrimp Producers Alliance (the association of local shrimp producers in USA), the US DOC has been imposing anti-dumping duty on shrimp imports from India since 2004. The



ड्यूटी 10.17% था। बाद में विभिन्न प्रशासनिक समीक्षाओं के माध्यम से इसकी समीक्षा की गई। 18 वीं प्रशासनिक समीक्षा के अनुसार, भारतीय श्रिम्प पर लगाया गया एंटी-डंपिंग ड्यूटी 2.49% है।

6.1.2. भारत से किए जाने वाले प्रशीतित श्रिम्प के निर्यात पर अमेरिका द्वारा प्रतिपूरक शुल्क

14 नवंबर, 2023 को, अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने 1930 के टैरिफ अधिनियम के अनुसार, इक्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम से उष्ण जल श्रिम्प के आयात की प्रतिकारी शुल्क जांच शुरू की। ये जांच 25 अक्टूबर, 2023 को अमेरिकी श्रिम्प प्रोसेसर्स एसोसिएशन (एएसपीए), टेक्सास द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में थी, जिसमें आयातित श्रिम्प पर प्रतिकारी शुल्क लगाने की मांग की गई थी। अपनी याचिका में, एएसपीए ने आरोप लगाया है कि भारत, इक्वाडोर, इंडोनेशिया और वियतनाम से आने वाले प्रशीतित उष्ण जल श्रिम्प को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी से लाभ मिलता है और इससे ताजा तथा प्रशीतित उष्ण जल श्रिम्प का उत्पादन करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के घरेलू उद्योग को भौतिक रूप से क्षति पहुंचती है तथा यदि सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे और अधिक भौतिक क्षति होने का खतरा है। तदनुसार, संघीय रजिस्टर में प्रकाशन के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले प्रशीतित उष्ण जल श्रिम्प की सभी खेपों पर भारत से आयातित श्रिम्प के लिए प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) की दर 5.77% निर्धारित की गई है।

6.1.3 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और व्यापार बैठकों पर प्रस्तुत इनपुट

चालू विभिन्न मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं के अंतर्गत टैरिफ तौर-तरीकों और मूल नियमों पर इनपुट/टिप्पणियां प्रदान की गईं तथा संपन्न एफटीए और व्यापार बैठकों की समीक्षा नीचे दी गई है:

1. भारत-कनाडा प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता (ईपीटीए)।
2. भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए)।
3. भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)।
4. भारत-यूके व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता (सीईटीए)।
5. भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)।
6. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए)।
7. भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)।
8. कृषि और समुद्री उत्पादों पर भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी)।
9. भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी)।
10. कृषि पर भारत-रूस संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी)।
11. भारत-स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग (जेसीईसी)।
12. भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसी)।
13. भारत-वियतनाम संयुक्त व्यापार उप-आयोग (जेटीएससी)।
14. भारत-पापुआ न्यू गिनी विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी)।
15. व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में बाधाओं के उन्मूलन पर भारत-रूस उप कार्य समूह (एसडब्ल्यूजी)।
16. कृषि पर भारत-रूस कार्य समूह (डब्ल्यूजी)।
17. भारत-थाईलैंड संयुक्त तकनीकी समिति (जेटीसी)।
18. भारत-कजाकिस्तान विदेश कार्यालय परामर्श।
19. भारत-इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग (जेसीईसी)।
20. भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (आईएसएमआर)।
21. भारत-किर्गिजस्तान अंतर सरकारी समिति (आईजीसी)।

initial anti-dumping duty was 10.17%. This was reviewed subsequently through various administrative reviews. As per the 18th administrative review, Antidumping Duty imposed for Indian shrimp is 2.49%.

6.1.2. Countervailing Duty by USA on Frozen Shrimp exports from India

On November 14, 2023, the U.S. Department of Commerce initiated countervailing duty investigations of imports of frozen warm water shrimp from Ecuador, India, Indonesia, and Vietnam, pursuant to the Tariff Act of 1930. These investigations were in response to petitions filed on October 25, 2023, by the American Shrimp Processors Association (ASPA), Texas, seeking imposition of countervailing duties on imported shrimp. In its Petition, ASPA alleges that frozen warm water shrimp from India, Ecuador, Indonesia, and Vietnam benefit from countervailable subsidies and materially injured the United States domestic industry producing fresh and frozen warm water shrimp and threaten to cause further material injury if remedial action is not taken. Accordingly, upon publishing in the federal register, all consignments of frozen warm water shrimp landing in USA have set countervailing duty (CVD) rates for shrimp imports from India at 5.77% .

6.1.3. Inputs offered on Free Trade Agreements (FTAs) & Trade meetings

Inputs/comments were provided on tariff modalities and Rules of Origin under various ongoing Free Trade Agreement negotiations & review of concluded FTAs and trade meetings as given below:

1. India- Canada Early Progress Trade Agreement (EPTA).
2. India - Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
3. India – Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
4. India – UK Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA).
5. India – EU Free Trade Agreement (FTA.)
6. India- Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA).
7. India- Australia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA).
8. India- EU Joint Working Group (JWG) on Agriculture and Marine Products.
9. India- New Zealand Joint Trade Committee (JTC).
10. India – Russia Joint Working Group on Agriculture (JWG).
11. India- Spain Joint Commission for Economic Cooperation (JCEC).
12. India – Australia Joint Ministerial Commission (JMC).
13. India – Vietnam Joint Trade Sub-Commission (JTSC).
14. India- Papua New Guinea Foreign Office Consultations (FOC).
15. India - Russia Sub Working Group (SWG) on Elimination of Barriers in Trade, Economic and Investment Spheres.
16. India-Russia Working Group (WG) on Agriculture.
17. India-Thailand Joint Technical Committee (JTC).
18. India – Kazakhstan Foreign Office Consultations.
19. India – Italy Joint Commission for Economic Cooperation (JCEC)
20. India – Singapore Ministerial Roundtable (ISMR)
21. India-Kyrgyzstan Inter Government Committee (IGC)



6.1.4 एमपीईडीए ने निर्यात संवर्धन से संबंधित **131 मामलों** पर विभिन्न मंत्रालयों/भारतीय दूतावासों को इनपुट प्रदान किए। (विवरण क्यूआर कोड में दिया गया है)।



<https://tinyurl.com/usz5y7ck>

(निर्यात संवर्धन से जुड़े मामलों के लिए एमपीईडीए ने विभिन्न मंत्रालयों/भारतीय दूतावासों को जो इनपुट प्रदान किए हैं, उनकी लिस्ट देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें।)

6.1.5. निर्यात सुविधा प्रमाणपत्र

क. कैच सर्टिफिकेशन योजना: यूरोपीय संघ विनियमन 1005/2008 के कार्यान्वयन के तहत 1 जनवरी 2010 से यूरोपीय संघ को समुद्र से पकड़ी गई मछली की किस्मों के निर्यात के लिए कैच प्रमाणपत्र के सत्यापन की आवश्यकता है। भारत सरकार ने कैच प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए एमपीईडीए को अधिकृत किया है। कैच प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मछली पकड़ने वाले जहाजों की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने हेतु वास्तविक समय में नावों के आगमन को शामिल करने हेतु भारत के सभी समुद्री राज्यों में छोटे मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों /लैंडिंग केंद्रों में लगभग 100 हार्बर डेटा कलेक्टर (एचडीसी) तैनात किए गए थे।

वर्ष 2024-25 के दौरान, एमपीईडीए ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए 9728 पकड़ प्रमाणपत्रों को मान्य किया है।

ख. गैर-यूरोपीय संघ कैच प्रमाणपत्र: एमपीईडीए को निर्यातकों से यूरोपीय संघ के अलावा अन्य देशों को भेजे जाने वाले समुद्री उत्पादों के लिए कैच प्रमाणपत्रों को मान्य करने के लिए पूछताछ प्राप्त हो रही है, जैसा कि उनके संबंधित खरीदारों द्वारा मांग की गई है। इस पर विचार किया गया और सक्षम प्राधिकारी ने 05.03.2018 से यूरोपीय संघ के अलावा अन्य देशों को भेजे जाने वाले सभी समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए कैच प्रमाणपत्रों को मान्य करने का निर्णय लिया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, एमपीईडीए ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से गैर-यूरोपीय संघ देशों को निर्यात के लिए 931 पकड़ प्रमाणपत्रों को मान्य किया है।

ग. जापान कैच डॉक्यूमेंटेशन स्कीम (जेसीडीएस): जापान ने निर्दिष्ट जलीय जानवरों और पौधों के उचित घरेलू वितरण और आयात को सुनिश्चित करने संबंधी अधिनियम के अनुच्छेद 11 के तहत वर्ग II जलीय जानवरों और पौधों के लिए 01.12.2022 से कैच सर्टिफिकेट योजना लागू की है। नया कैच सर्टिफिकेट कानून जापान में आईयूयू कैच के आयात को रोकने के लिए विकसित किया गया है जिसके माध्यम से इसका लक्ष्य आईयूयू मत्स्यन को खत्म करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान करना है। स्क्वड, कटल फिश, पैसिफिक सॉरी (कोलोलाबिस एसपीपी), मैकेरल (स्कॉम्बर एसपीपी) और सारडाइन (सार्डिनॉप्स एसपीपी) जैसी मछली प्रजातियों को जापान द्वारा कैच डॉक्यूमेंटेशन स्कीम में शामिल किया गया है। एमपीईडीए को भारत सरकार द्वारा कैच सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए अधिकृत किया गया है और 01.12.2022 से सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कार्यान्वित किया गया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, एमपीईडीए ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जापान को निर्यात के लिए 175 जापान कैच प्रमाणपत्रों को मान्य किया है।

घ. डीएस 2031 प्रमाणपत्र: अमेरिका को भेजे जाने वाले श्रिम्प की खेप के लिए डीएस 2031 प्रमाणपत्र अनिवार्य है, जो यह दर्शाता है कि श्रिम्प को समुद्री कछुओं के लिए हानिकारक न होने वाले तरीके से या जलकृषि द्वारा संग्रहित किया गया है। एमपीईडीए ने डीएस 2031 प्रमाणपत्र का ऑनलाइन सत्यापन शुरू किया और 06.04.2020 से अधिकारियों



6.1.4. MPEDA provided inputs to various Ministries / Embassies of India for **131 issues** related to export promotion. **(Details provided in QR code).**



<https://tinyurl.com/42mxbben>

(Scan the QR code to view the list of inputs provided by MPEDA to various Ministries / Embassy of India for issues related to export promotion)

6.1.5. Export Facilitation Certificates

a. Catch Certification scheme: Implementation of European Union Regulation 1005/2008 demands validation of catch certificate for export of sea caught varieties to European Union since 1st January 2010. MPEDA has been authorized by the Govt. of India for validation of catch certificate. Around 100 Harbour Data Collector's (HDCs) were deployed in fishing harbours/landing centres in all maritime states of India for incorporating real time boat arrivals for ensuring the traceability of fishing vessels for issuing the catch certificates.

During the year 2024-25, MPEDA has validated 9728 catch certificates for export to EU through its field offices.

b. Non-EU catch certificate: MPEDA has been receiving enquiries from exporters to validate Catch Certificates for the sea caught consignments to countries other than EU as demanded by their respective buyers. This was considered and the Competent Authority has taken a decision to validate Catch Certificates for the export of all sea caught marine products destined for countries other than European Union w.e.f 05.03.2018.

During the year 2024-25, MPEDA has validated 931 catch certificates for export to Non-EU countries through its field offices.

c. Japan Catch Documentation Scheme (JCDS): Japan has implemented Catch Certificate scheme from 01.12.2022 for Class II Aquatic Animals and Plants under Article 11 of the Act on Ensuring the Proper Domestic Distribution and Importation of Specified Aquatic Animals and Plants. The new catch certificate legislation has been developed to prevent the import of IUU catches into Japan through which it is aiming to contribute to global efforts to eliminate IUU fishing. The fish species such as Squid, Cuttle fish, Pacific saury (*Cololabis* spp.), Mackerel (*Scomber* spp.) and Sardine (*Sardinops* spp.) are included in the catch documentation scheme by Japan. MPEDA has been authorized by the Govt. of India for validation of catch certificate and implemented to issue the certificate from 01.12.2022.

During the year 2024-25, MPEDA has validated 175 Japan catch certificates for export to Japan through its field offices.

d. DS 2031 certificates: DS 2031 certificate is mandatory for the shrimp consignment to USA, which states that the shrimp was harvested in a manner not harmful to sea turtles or harvested by aqua culture. MPEDA started online validation of DS 2031 certificate and fully switched over to online to validate certificates





के डिजिटल हस्ताक्षर वाले प्रमाणपत्रों को पूरी तरह से ऑनलाइन मान्य कर दिया। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 20,531 डीएस 2031 प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया गया।

- ई. आईसीसीएटी प्रमाणपत्र:-** भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 5/1/2015-ईपी (एमपी) दिनांक 27 जून 2016 के माध्यम से एमपीईडीए को अटलांटिक महासागर और उसके आस-पास के समुद्रों में टूना और टूना जैसी प्रजातियों के संरक्षण हेतु कुछ यूरोपीय संघ के बाजारों में बिग आई टूना और स्वोर्डफ़िश के निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय अटलांटिक टूना संरक्षण आयोग (आईसीसीएटी) के स्वोर्डफ़िश सांख्यिकीय दस्तावेज़ को मान्य करने के लिए अधिकृत किया है। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 435 आईसीसीएटी स्वोर्डफ़िश सांख्यिकीय दस्तावेज़ों को मान्य किया गया।
- च. गैर-रेडियो धर्मिता प्रमाणपत्र:-** पर्यावरण या खाद्य श्रृंखला में रेडियोधर्मी संदूषण के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, एमपीईडीए, बीएआरसी, मुंबई के माध्यम से विभिन्न उत्पादों पर रेडियो धर्मिता परीक्षण करता है। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 395 एनआरए प्रमाणपत्रों को मान्य किया गया।
- छ. कानूनी उत्पत्ति प्रमाण पत्र:-** एमपीईडीए सितंबर 2018 से चिली के लिए कानूनी उत्पत्ति प्रमाण पत्र को मान्य कर रहा है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन और जलकृषि सेवा (सेरनापेस्का), चिली ने एमपीईडीए को कानूनी उत्पत्ति प्रमाण पत्र को मान्य करने के लिए एक प्राधिकरण के रूप में निर्धारित किया है। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 32 कानूनी उत्पत्ति प्रमाणपत्रों को मान्य किया गया।
- ज. पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी):-** एमपीईडीए उन निर्यातकों को पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) जारी कर रहा है जिन्होंने विदेश व्यापार नीति के तहत विभिन्न लाभों और डीजीएफटी दिशानिर्देशों के अनुसार सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाने के लिए एमपीईडीए के साथ सदस्य के रूप में पंजीकरण कराया है। एमपीईडीए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से डीजीएफटी की निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना के तहत विभिन्न मशीनरी वस्तुओं के आयात/खरीद के लिए संभावित निर्यातकों को अस्थायी पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) भी जारी कर रहा है, जिसके तहत वे वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात कर सकते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 14 आरसीएमसी जारी किए गए।
- झ. शुल्क मुक्त आयात प्रमाणपत्र:-** विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार, निर्यातक समुद्री खाद्य उत्पाद के प्रसंस्करण में उपयोग हेतु पात्र सामग्रियों और रसायनों के शुल्क मुक्त आयात के लिए पात्र हैं, जो पिछले वर्ष के निर्यात मूल्य के 1% के बराबर है। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 112 शुल्क मुक्त आयात प्रमाणपत्रों को मान्य किया गया।

6.1.6. अन्य प्रमुख कार्यकलाप

क. इकाइयों की सूची:

एमपीईडीए ने यूरोपीय संघ और रूस जैसे विभिन्न आयातक देशों के नियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित भारतीय समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सूचीबद्ध न करने का मामला उठाया। एमपीईडीए के प्रयासों के कारण, इन देशों ने इस अवधि के दौरान इकाइयों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया है:

- ❖ यूरोपीय संघ ने ट्रेसस प्रणाली में 26 नई इकाइयों को सूचीबद्ध किया, जिससे वे समुद्री और कृषित समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र हो गए।
- ❖ रूस: 2 इकाइयां सूचीबद्ध हैं तथा रूस का एफएसवीपीएस अधिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में है।

ख. मूल्य वर्धन के लिए कच्चे माल के आयात की प्रक्रिया को आसान बनाना:

- ❖ मूल्य वर्धन हेतु आयात की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक अध्याय तैयार करना: एमपीईडीए ने एसईएआई, समुद्री खाद्य निर्यातकों आदि के परामर्श से मूल्य वर्धन हेतु समुद्री उत्पाद कच्चे माल के आयात (पीएमआरआईवीए) की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक योजना तैयार की और देश की विदेश व्यापार नीति में एक अलग अध्याय के रूप में शामिल करने के लिए डीजीएफटी को प्रस्तुत किया।



with digital signature of officers with effect from 06.04.2020. A total of 20,531 DS 2031 certificates were validated during the year 2024-25.

- e. **ICCAT certificates:-** MPEDA has been authorized by the Govt. of India vide letter no. 5/1/2015-EP (MP) dated 27th June 2016 to validate International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) Swordfish Statistical Document for the export of Big Eye tuna and swordfish to certain EU markets for conservation of tunas and tuna like species in the Atlantic Ocean and its adjacent seas. A total of 435 ICCAT Swordfish Statistical Documents were validated during the year 2024-25.
- f. **Non-Radio Activity Certificate:-**MPEDA carries out radio activity testing on a range of products through BARC Mumbai to control the risk of radio-active contamination in the environment or food chain. A total of 395 NRA Certificates were validated during the year 2024-25.
- g. **Certificate of Legal origin:** - MPEDA has been validating Certificate of Legal Origin for Chile since September 2018. National Fisheries and Aquaculture Service (SERNAPESCA), Chile has identified MPEDA as an Authority to validate the Certificate of Legal Origin.

A total of 32 Certificate of Legal Origin were validated during the year 2024-25.
- h. **Registration Cum Membership Certificate (RCMC):-**MPEDA is issuing Registration cum Membership Certificate (RCMC) to the exporters those who are registered with MPEDA as member in order to avail various benefits under Foreign Trade Policy and customs duty exemption as per the DGFT guidelines. MPEDA, through its field offices is also issuing temporary Registration cum Membership Certificate (RCMC) to prospective exporters for import /procure various machinery items under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) scheme of DGFT, under which they can import items duty free. A total of 14 RCMC were issued during the year 2024-25.
- i. **Duty Free Import Certificate:** - As per the provisions of Foreign Trade Policy, exporters are eligible for duty-free imports of eligible ingredients and chemicals for usage in processing of the seafood product, to the tune of 1% of the export value of the previous year. A total of 112 Duty Free Import Certificates were validated during the year 2024-25.

6.1.6. Other major activities

a. Listing of Units:

MPEDA took up the matter of non-listing of approved Indian seafood processing units by the regulatory authorities of various importing countries like EU and Russia, due to the efforts of MPEDA, these countries started the listing of units during the period is as follows:

- ❖ EU listed 26 new units in the TRACES system which made them eligible for exports of both wild caught and farmed seafood products.
- ❖ Russia: 2 units listed and FSVPS of Russia is in the process of listing more units.

b. Easing the procedure for imports of raw material for value addition:

- ❖ Framing a Chapter for easing the Procedures for imports for value addition: MPEDA in consultation with SEAI, seafood exporters etc framed a scheme for easing the Procedures for Marine Products Raw Material Import for Value Addition (PMRIVA) and submitted to DGFT for inclusion as a separate Chapter in the country's Foreign Trade policy.





ग. व्यापार समझौतों के लिए इनपुट:

वाणिज्य विभाग को वर्तमान व्यापार वार्ताओं तथा संपन्न व्यापार वार्ताओं की समीक्षा के संबंध में टैरिफ तौर-तरीकों, उत्पत्ति के नियम अध्याय तथा तकनीकी शब्दों की परिभाषाओं के संदर्भ में इनपुट प्रदान किए गए।

- ❖ चालू व्यापार वार्ताएं: भारत-कनाडा सीईपीए, भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए, भारत-ईयू एफटीए, भारत-पेरू एफटीए आदि।
- ❖ एफटीए-भारत-जापान और भारत-कोरिया सीईपीए की समीक्षा।
- ❖ भारत-ईएफटीए ईपीए पर हस्ताक्षर: भारत ने 10 मार्च 2024 को यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देशों - आइसलैंड, लिक्टेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ व्यापक व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए। एमपीईडीए ने समुद्री उत्पादों से संबंधित टैरिफ तौर-तरीकों पर इनपुट पेश किए हैं।

घ. सैनित्री आयात परमिट की आवश्यकता में छूट

स्वच्छता आयात परमिट (एसआईपी), पशुधन आयात अधिनियम, 1998 की धारा 3 (ए) के तहत जारी किया गया एक दस्तावेज़ है जो पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात को अधिकृत करता है। यह भारत में पशुधन उत्पाद के प्रवेश से पहले निर्यातक देश द्वारा पूरी की जाने वाली स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं के बारे में बताता है, ताकि भारत में न फैले हुए विदेशी रोगों के प्रवेश को रोका जा सके। एसआईपी में विदेशी बीमारियों के प्रवेश के जोखिम को कम करने के लिए निर्यातक देश के आधिकारिक पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित स्वच्छता संबंधी शर्तों की परिकल्पना की गई है।

निर्यातकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें एसआईपी जारी करने में देरी (7-21 दिन), कठोर आवेदन शर्तें (संशोधन का कोई प्रावधान नहीं), और एसपीएफ प्रमाणपत्रों की अनिवार्य प्रस्तुति शामिल है, जिन्हें कई निर्यातक देश जारी नहीं करते हैं। ये बाधाएँ समय पर खरीद में बाधा डालती हैं, खासकर उच्च-समुद्री खरीद के लिए, और समुद्री खाद्य मूल्य वर्धन और पुनर्निर्यात के लिए आयातित कच्चे माल के उपयोग को सीमित करती हैं।

एमपीईडीए ने डीजीएफटी द्वारा जारी अग्रिम लाइसेंस के तहत केवल पुनःप्रसंस्करण और पुनर्निर्यात के लिए आयातित समुद्री मात्स्यिकी उत्पादों के लिए एसआईपी आवश्यकता से छूट का प्रस्ताव रखा है। आयातित प्रजातियाँ रोग का न्यूनतम जोखिम रखती हैं और घरेलू उपभोग के लिए नहीं हैं।

एमपीईडीए की सिफारिश के आधार पर, डीओएफ, भारत सरकार ने आयातित कच्चे माल से मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने, प्रसंस्करण श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, भारतीय समुद्री खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों में स्थापित विश्व स्तरीय प्रसंस्करण क्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और अंततः निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश से समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाने के लिए राजपत्र अधिसूचना दिनांक 11/03/2025 द्वारा समुद्र से पकड़ी गई ठंडे पानी की मत्स्य के आयात के लिए एसआईपी मानदंडों में ढील दी।

6.1.7. कैप्चर मात्स्यिकी

क. भारत में समुद्री मत्स्य उत्पादन 1950 के 0.58 मिलियन टन से बढ़कर 2023 में 3.53 मिलियन टन हो गया है। भारत में समुद्री मत्स्य उत्पादन की अनुमानित क्षमता 5.31 मिलियन टन है। समुद्री क्षेत्र, जिसमें कैप्चर फिशरीज़ भी शामिल है, जीडीपी में 1.1% और कृषि जीडीपी में 6.7% का योगदान देता है (मात्स्यिकी सांख्यिकी पर पुस्तिका: 2023, मात्स्यिकी विभाग)। 2023-24 में, भारत ने 7.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का समुद्री खाद्य निर्यात किया है। कैप्चर फिशरीज़ ने निर्यात मूल्य में लगभग 38% का योगदान दिया, जबकि शेष जलकृषि से आया।

ख. समुद्र से पकड़े गए श्रिम्प के निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की पहल: भारत में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (टेड्स) का कार्यान्वयन

अमेरिकी विदेश विभाग ने अप्रैल 2018 में संघीय रजिस्टर में प्रकाशित अमेरिकी लोक कानून 101-162 की धारा 609 के तहत अमेरिका को किए जाने वाले समुद्र से पकड़े गए श्रिम्प के निर्यात के लिए योग्य राष्ट्र के रूप में भारत को प्रमाणित नहीं किया है। इसका कारण भारतीय समुद्र से पकड़े जाने वाली मात्स्यिकी में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइज़ (टेड) का कार्यान्वयन न होना है। भारत ने सितंबर 2018 में समुद्र से पकड़े गए श्रिम्प के प्रमाणीकरण के लिए अपील दायर की थी। यह प्रतिबंध अगस्त 2019 में लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप अनुमानित ₹ 4,500 करोड़ प्रतिवर्ष का महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान हुआ है, और समुद्र से पकड़े गए श्रिम्प के औसत निर्यात मूल्यों में 42% की गिरावट आई है।



c. Inputs for Trade agreements:

Inputs were offered to DoC in connection with the ongoing trade negotiations and review of concluded trade negotiations, w.r.t tariff modalities, Rules of Origin (RoO) Chapter and Definitions on technical terms.

- ❖ Ongoing trade negotiations: India-Canada CEPA, India-Australia FTA, India-EU FTA, India-Peru FTA etc.
- ❖ Review of FTA-India-Japan and India-Korea CEPA.
- ❖ Signing of India-EFTA EPA: India signed the comprehensive Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) with Member States of the European Free Trade Association – Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland on 10 March 2024. MPEDA has offered inputs on the tariff modalities pertaining to marine products.

d. Relaxation in the requirement for Sanitary Import Permit

The Sanitary Import Permit (SIP) is a document issued under Section 3 (a) of the livestock importation act 1898 authorizing import of livestock and livestock products. It communicates the sanitary requirement to be fulfilled by the exporting country before the entry of livestock product into India to prevent the entry of exotic diseases that are not prevailing in India. The SIP envisages sanitary conditions to be certified by the official veterinarian of the exporting country to mitigate the risk of ingress of exotic diseases.

Exporters face several challenges, including delays in SIP issuance (7–21 days), rigid application conditions (no provision for amendments), and the mandatory submission of SPF certificates, which many exporting countries do not issue. These constraints hinder timely procurement, especially for high-seas purchases, and limit the use of imported raw materials for seafood value addition and re-exports.

MPEDA proposed exempting the SIP requirement for wild-caught marine fishery products imported solely for reprocessing and re-export under an Advance License issued by DGFT. The imported species pose minimal disease risk and are not intended for domestic consumption.

Based on MPEDA recommendation, DoF, GoI relaxed the SIP norms for the imports of wild caught cold water fish by Gazette Notification dated 11/03/2025 to promote value addition from imported raw materials, create employment opportunities for processing workers, effectively utilise the installed world-class processing capacity in the Indian seafood processing establishments, and ultimately enhance seafood exports from the country to achieve the export target.

6.1.7. Capture Fisheries

a. Marine Fish production in India has been continuously increasing from 0.58 million tons in 1950 to 3.45 million tons in 2024. The potential for marine fish production for India is estimated to be 5.31 million tons. The fisheries sector including the capture fisheries contributes to 1.1 % of the GDP and 7.3 % of the agricultural GDP (Annual report, DoF 2024-25). In 2024-25, India has exported seafood valued US\$ 7.45 billion. Capture fisheries contributed nearly 34.49% of the export value, while the rest came from aquaculture.

b. Initiatives for Lifting the US Ban on Wild-Caught Shrimp Exports: Implementation of Turtle Excluder Devices (TEDs) in India

The US Department of State has not certified India as a nation eligible for exporting wild-caught shrimp to the USA under Section 609 of US Public Law 101-162, published in the Federal Register in April 2018. This is due to the non-implementation of the Turtle Excluder Device (TED) in Indian wild-caught fisheries. India filed an appeal for certification of wild-caught shrimp in September 2018. The ban was imposed in August 2019. This has resulted in significant economic losses, estimated at ₹ 4,500 crore annually, and a 42% drop in average export prices of wild-caught shrimp.





इस समस्या के समाधान के लिए वाणिज्य विभाग ने, एमपीईडीए के ज़रिए सक्रिय कदम उठाए। एमपीईडीए ने आईसीएआर-सीआईएफटी के साथ मिलकर फ़ील्ड ट्रायल और हितधारक कार्यशालाओं के आयोजन में टेड डिज़ाइन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त, एमपीईडीए ने अमेरिकी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (एनओए) के विशेषज्ञों के साथ भी सहयोग किया।

20 जून 2024 को हुई यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम की बैठक के तहत नॉन-एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप में, भारत ने प्रस्ताव दिया कि लंबे कोस्टलाइन की वजह से पूरे भारत को यूएस सार्वजनिक नियम की धारा 609 के तहत प्रामाणित होने में समय लग सकता है। भारत ने अनुरोध की है कि अगर प्रामाणीकरण को राज्य/इलाके के हिसाब से लागू किया जा सकता है, तो इससे दूसरे राज्यों को भी प्रामाणित होने के लिए बढ़ावा मिलेगा। यूएस ने हमें बताया कि वे एनओए और यूएस राज्य विभाग के साथ परामर्श का एक और राउंड करेंगे और इस मामले पर फिर से बात करेंगे।

एमपीईडीए-नेटफिश ने सभी कोस्टल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में टेड अनुपालन के लिए 11 हितधारकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला, 33 फ़ील्ड ट्रायल और 265 जागरण कार्यक्रम किए।

एमपीईडीए ने मत्स्यपालन विभाग को सभी कोस्टल राज्यों में टेड लागू करने और पीएमएमएसवाई के तहत वित्तीय सहायता देने के लिए लिखा। एमपीईडीए के प्रस्ताव के आधार पर, टेड के लिए वित्तीय सहायता की योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पीएमएमएसवाई में शामिल किया गया है, जहाँ केंद्र और राज्य टेड की लागत (क्रमशः 60% और 40%) साझा करेंगे।

ग. अमेरिकी समुद्री स्तनपायी संरक्षण अधिनियम (यूएस एमएमपीए)

यूएसए की राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी सेवा (एनएमएफएस) ने देखा है कि भारतीय मात्स्यिकी में समुद्री स्तनपायी उप-पकड़ का समग्र जोखिम 'उच्च' है। विदेशी मात्स्यिकी की अंतिम सूची (भारत के लिए एलओएफएफ) के अनुसार, तीन मात्स्यिकी को छूट प्राप्त मात्स्यिकी और 12 को यूएस समुद्री स्तनपायी संरक्षण अधिनियम 2017 के तहत निर्यात मात्स्यिकी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विनियमन का अनुपालन करने के लिए, एमपीईडीए ने भारतीय जल में समुद्री स्तनपायी स्टॉक आकलन अध्ययन करने के लिए सीएमएफआरआई को परियोजना का वित्त पोषण किया। अध्ययन के आधार पर, एमपीईडीए ने सीएमएफआरआई, एफएसआई, सीआईएफटी और एमपीईडीए-नेटफिश के साथ उचित परामर्श में यूएस-एनओए को सूचीबद्ध भारतीय मात्स्यिकी के लिए तुलनात्मकता खोज आवेदन (सीएफए) प्रस्तुत किया। वर्तमान में, एफएसआई भारतीय जल में समुद्री स्तनपायी स्टॉक आकलन अध्ययन जारी रखने के लिए अन्य हितधारकों के साथ अग्रणी भूमिका निभा रहा है यद्यपि अधिनियम के प्रावधानों को 01.01.2023 से लागू करने का प्रस्ताव था, इसे दो बार स्थगित किया गया और अब इसे 01.01.2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। एमपीईडीए ने मात्स्यिकी मंत्रालय के मात्स्यिकी विभाग के संयुक्त सचिव से विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए समुद्री स्तनपायी सर्वेक्षण के आंकड़ों को अनुमोदित करने हेतु एमएमपीए पर स्थायी समिति की बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया है, जिसके बाद इसे यूएस एनओए को प्रस्तुत किया जा सके।

घ. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना

- ❖ एमपीईडीए के विकास अनुभाग के सहायक निदेशक ने फरवरी 2025 के दौरान मत्स्य पालन निदेशक के साथ बैठक के लिए श्री विजया पुरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया, जिसमें सामान्य टंडा मछली हैंडलिंग केंद्र की स्थापना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से समुद्री उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के बारे में चर्चा की गई।

ङ. सीसीएएमएलआर जलक्षेत्र से भारतीय उद्यमियों द्वारा पकड़ी गई मछलियों के निर्यात को सुविधाजनक बनाना:

एमपीईडीए ने आरएफएमओ जलक्षेत्र में मत्स्य पकड़ने के लिए प्रसंस्करण/भंडारण सुविधाओं, निर्यातक संस्थाओं, पकड़ प्रमाण-पत्रों और उत्पत्ति प्रमाण-पत्रों के पंजीकरण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है।





To address this issue, the Department of Commerce (DoC), through the Marine Products Export Development Authority (MPEDA), took proactive measures. MPEDA, as the nodal agency for the development of the seafood industry in India, collaborated with ICAR-CIFT and played a crucial role in improving the TED design in conducting field trials and organising stakeholder workshops. Additionally, MPEDA collaborated with US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) experts to ensure compliance with US regulations.

In the Non-Agriculture Working Group under the US Trade Policy Forum meeting held on 20 June 2024, the Indian side proposed that the whole of India getting certified under section 609 of US Public Law may take time due to the long coastline. India has requested that if the certification can be implemented state/region-wise, it will also incentivize other states to get certified. The US side informed us that they will have another round of consultation with NOAA and the US Department of State and get back on the matter.

MPEDA -NETFISH conducted 11 state level stakeholder's workshops, 33 field trials and 265 awareness programmes for TED implementation in all the coastal states & UTs.

MPEDA wrote to DoF to implement TED in all Coastal states & extend financial assistance under PMMSY. Based on MPEDA 's proposal, scheme for financial assistance for TED has been included in the PMMSY under Centrally sponsored scheme, where in central and state to share the cost of TED (60% and 40% respectively).

c. US Marine Mammal Protection Act (US MMPA)

The USA's National Marine Fisheries Service (NMFS) has observed that the overall risk of marine mammal by-catch in Indian fishery is 'High'. As per the Final List of Foreign Fisheries (LOFF for India), three fisheries are classified as Exempt Fisheries and 12 as Export Fisheries under US Marine Mammal Protection Act in 2017. In order to comply the regulation, MPEDA funded the project to CMFRI for conducting Marine mammal stock assessment study in Indian waters. Based on the study, MPEDA submitted Comparability Finding Application (CFA) for the listed Indian fisheries to US-NOAA in due consultation with CMFRI, FSI, CIFT and MPEDA-NETFISH. Presently, FSI is taking the lead role along with other stake holders for continuing the marine mammal stock assessment study in Indian waters. India is waiting of the final determination from US NOAA for our listed export fisheries. Though the provisions of the Act were proposed to be implemented w.e.f. 01.01.2023, it is deferred twice and is proposed to be implemented from 01.01.2026. MPEDA requested Joint Secretary, Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, for the conduct of meeting of the Standing Committee on MMPA for approving the data on Marine Mammal survey conducted by various agencies, subsequent to which it can be furnished to US NOAA.

d. Promotion of marine products exports from Andaman & Nicobar Islands

- ❖ Assistant Director, Development section, MPEDA HO visited Sri. Vijaya Puram, Andaman & Nicobar Island for a meeting with the Director of Fisheries during February 2025 to discuss about the establishment of common chilled fish handling center and facilitating exports of marine products from Andaman & Nicobar Islands.

e. Facilitating exports of fish caught by Indian entrepreneurs from the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) waters:

MPEDA prepared a Standard Operating Procedure (SOP) for the registration of processing/storage facilities, exporter entities, catch certificates, and certificates of origin for fishing in Regional Fisheries Management Organisation (RFMO) waters.





च. कछुआ बहिष्करण उपकरण (टेड) पर परीक्षण कार्यक्रम

इस अनुभाग ने 5 मार्च 2025 को कोचीन मत्स्य पालन बंदरगाह, थोप्पुमपडी में, राज्य मत्स्य विभाग और नाव मालिक संघ के सहयोग से, एमपीईडीए नेटफिश द्वारा आयोजित कछुआ बहिष्करण उपकरण (टेड) पर परीक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। ये परीक्षण श्रिम्प ट्रॉलर सी मास्टर (पंजीकरण संख्या IND-KL-02-MM-4873) और एम्मानुवेल (पंजीकरण संख्या IND-KL-02-MM-4042) पर किए गए।



कछुआ बहिष्करण उपकरण (टेड) पर परीक्षण कार्यक्रम

छ. बीओबीपी द्वारा आईयूयू मत्स्यन से निपटने के लिए बंदरगाह राज्य उपायों पर समझौते पर कार्यशाला

एमपीईडीए के अधिकारियों ने आईयूयू मत्स्यन से निपटने के लिए बंदरगाह राज्य उपायों पर समझौते पर कार्यशाला में भाग लिया। यह कार्यशाला मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (एमओएफएचएंडडी), भारत सरकार द्वारा 10 से 11 फरवरी, 2025 तक कोच्चि में आयोजित की गई थी। कार्यशाला में बंदरगाह राज्य उपाय समझौते (पीएसएमए) के अनुसमर्थन के लिए भारत की तैयारियों और अवैध, असूचित और अनियमित (आईयूयू) मत्स्यन से निपटने में इसकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। एफएओ के विशेषज्ञों, मत्स्य पालन मंत्रालय, भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल के अधिकारियों और मत्स्य पालन संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भारत में पीएसएमए को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रणनीतियों और रूपरेखाओं को एकत्रित किया।



बीओबीपी द्वारा आईयूयू मत्स्यन से निपटने के लिए बंदरगाह राज्य उपायों पर समझौते पर कार्यशाला





f. Turtle Excluder Device (TED) on-board trial programme

The section participated in the Turtle Excluder Device (TED) onboard trial program organized by MPEDA-NETFISH, in association with the State Fisheries Department and the Boat Owners Association, on 5th March 2025 at Cochin Fisheries Harbour, Thoppumpady. The trials were conducted onboard the shrimp trawlers SEA MASTER (Reg. No. IND-KL-02-MM-4873) and EMMANUEL (Reg. No. IND-KL-02-MM-4042).



Turtle Excluder Device (TED) on-board trial programme

g. Workshop on the Agreement on Port State Measures to Combat IUU Fishing by BoBP

MPEDA officials attended the workshop on the Agreement on Port State Measures to Combat IUU Fishing hosted by the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (MoFAH&D), Government of India, took place in Kochi from February 10 to 11, 2025. The Workshop focused on India's preparedness for ratifying the Port State Measures Agreement (PSMA) and its role in combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing. Experts from the FAO, officials from the Ministry of Fisheries, Indian Navy, Coast Guard, and representatives from fisheries institutions and NGO, gathered strategies and frameworks for implementing the PSMA effectively in India.



Workshop on the Agreement on Port State Measures to Combat IUU Fishing by BoBP





एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

6.1.8 बैठकें, सेमिनार, प्रशिक्षण आदि।

एमपीईडीए के अधिकारियों द्वारा भाग लिए देशीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सूची देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें।



<https://tinyurl.com/57sh2r5y>

6.2. प्रचार और बाजार संवर्धन

6.2.1 अंतर्राष्ट्रीय मेले:

बाजार संवर्धन कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, एमपीईडीए ने भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों के साथ मिलकर एक भारतीय मंडप स्थापित करके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य मेलों में भारत की भागीदारी सुनिश्चित की। अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भारतीय मंडप भारतीय निर्यातकों के लिए अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और विदेशी खरीदारों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। निर्यातकों को इस क्षेत्र में नवीनतम विकास जैसे नई मशीनरी, तकनीक, उत्पाद आदि से परिचित होने का अवसर मिलता है। हमारे निर्यातक प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों/ पैकिंग विधियों को जान पाते हैं, और बाजार की जानकारी एकत्र कर पाते हैं। इन मेलों से उत्पन्न व्यापार संबंधी पूछताछ को एमपीईडीए न्यूज़लेटर्स के माध्यम से हितधारकों के बीच प्रसारित किया गया। इन मेलों से उत्पन्न व्यापारिक पूछताछ भारत के संपूर्ण समुद्री खाद्य उद्योग के लिए अपने व्यापार का विस्तार करने हेतु एक सूचना भंडार के रूप में कार्य करेगी।

2024-25 के दौरान एमपीईडीए ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य मेलों में सफलतापूर्वक भाग लिया;

1. सीफूड एक्सपो ग्लोबल 2024, बार्सिलोना, स्पेन:

सीफूड एक्सपो ग्लोबल 2024, 23-25 अप्रैल, 2024 को फिरा बार्सिलोना ग्रान विया, बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े सीफूड मेले के तौर पर पहचाने जाने वाले इस इवेंट में 87 देशों से करीब 35,000 लोग आए और 2,244 एग्जिबिटर आए। इसमें 51,248 वर्ग मी प्रदर्शनी स्थल शामिल था और 2023 के मुकाबले इसमें काफी बढ़ोतरी के साथ रिकॉर्ड उपस्थिति दर्ज की गई।

एक्सपो में हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट-फ्रेंडली खाने की चीजों और नए, आसानी से बनने वाले सीफूड प्रोडक्ट्स में ग्लोबल ट्रेंड्स दिखाए गए। एमपीईडीए ने 39 भारतीय निर्यातकों के साथ 615 वर्ग मी के पवेलियन में हिस्सा लिया।



एसईजी 2024 के एमपीईडीए पविलियन में डॉ. कंदन एस, संयुक्त निदेशक और श्री अर्चिमान लाहिड़ी, उप निदेशक, एमपीईडीए



एसईजी 2024 के दौरान एमपीईडीए के अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाले खरीदार



6.1.8. Meetings, Seminars, Training etc.

Scan the QR code to view the list of National and International Programmes attended by Officials of MPEDA



<https://tinyurl.com/49kfd696>

6.2. Publicity and Market Promotion

6.2.1. International Fairs

As part of the Market Promotion activities, MPEDA organized participation of India in major International Seafood Fairs by setting up an India pavilion along with co-exhibiting Indian Seafood exporters. The India Pavilion in International fairs act as a platform for Indian exporters to showcase their products and interact with overseas buyers. Exporters get an opportunity to acquaint themselves with the latest developments in the sector viz. new machinery items, technology, products etc. Our exporters get to know the competitor's products/ packing methods and gather market intelligence. The trade enquiries generated from these fairs act as an information bank for the entire Seafood industry in India to expand their trade.

During 2024-25 MPEDA participated in the following international seafood fairs:

1. Seafood Expo Global 2024, Barcelona, Spain:

The Seafood Expo Global 2024 was held from 23–25 April 2024 at Fira Barcelona Gran Via, Barcelona, Spain. Recognized as the world's largest seafood fair, the event hosted around 35,000 attendees and 2,244 exhibitors from 87 countries, covering 51,248 sq. m of exhibition space and achieving record attendance with a significant increase over 2023.

The expo highlighted global trends in health, sustainability, climate-friendly foods, and innovative, easy-to-prepare seafood products.



Dr. Kandan S., Joint Director, and Mr. Archiman Lahiri, Deputy Director, MPEDA, in MPEDA pavilion at SEG 2024



MPEDA officials interacting with buyers during SEG 2024





प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व संयुक्त निदेशक डॉ. कंदन एस. और उप निदेशक श्री अर्चिमान लाहिड़ी ने किया। सुश्री पृथिका रानी एम., आईएफएस, द्वितीय सचिव, भारतीय दूतावास, मैड्रिड, ने एमपीईडीए मंडप और सह-प्रदर्शकों के स्टॉल का दौरा किया।

एमपीईडीए स्टॉल ने विभिन्न प्रकार के भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन किया, और भारतीय दूतावास, मैड्रिड के माध्यम से आयोजित लाइव खाना पकाने के प्रदर्शन और स्वाद सत्रों को शामिल किया। सह-प्रदर्शकों के स्टॉल पर कई व्यापारिक बातचीत के अलावा, एमपीईडीए बूथ पर कुल 81 व्यापार पूछताछ प्राप्त हुई।

2. जापान इंटरनेशनल सीफूड एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो 2024, टोक्यो, जापान:

जेआईएसटीई 2024 का 26वां संस्करण 21-23 अगस्त 2024 को टोक्यो बिग साइट इंटरनेशनल एक्जिबिशन सेंटर में एक्जिबिशन टेक्नोलॉजीज़, इंक. द्वारा आयोजित किया गया। एमपीईडीए ने 136 वर्ग मीटर में फैले भारतीय मंडप की स्थापना की, जिसमें 15 सह-प्रदर्शनकारी निर्यातक शामिल थे। मंडप का समन्वयन श्री अनिल कुमार पी., संयुक्त निदेशक; डॉ. एस. षस्सी, उप निदेशक; श्रीमती अंजू, सहायक निदेशक; और श्री जुन नाकायमा, कार्यकारी सहायक, टीपीओ टोक्यो द्वारा किया गया।

इंडियन पवेलियन का उद्घाटन भारत सरकार के माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री जितिन प्रसाद ने किया। नोबाशी, आईक्यूएफ, पीडी, पीयूडी श्रिम्प, स्क्यूअर्स, एएफडी श्रिम्प, सेफेलोपोड्स, पाश्चुराइज्ड क्रैब, श्रिम्प बिरयानी, ड्राई फिश और कोलेजन पाउडर जैसे कई फ्रोजन और वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स दिखाए गए। को-एग्जिबिटर्स ने भी अपने प्रोडक्ट्स दिखाए, जिससे खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ी।



श्री जितिन प्रसादा, माननीय केन्द्रीय राज्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार, जेआईएसटीई 2024 में भारतीय पविलियन का उद्घाटन कर, एमपीईडीए के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं



एमपीईडीए पविलियन पर श्री जितिन प्रसादा, माननीय केन्द्रीय राज्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार, एमपीईडीए के श्री अनिल कुमार पी, संयुक्त निदेशक; डॉ. एस शस्सी, उप निदेशक; श्रीमती अंजू, सहायक निदेशक



जेआईएसटीई 2024 के दौरान खरीदारों से बातचीत करते हुए एमपीईडीए के अधिकारी



जेआईएसटीई 2024 में सुशी फेस्ट





MPEDA participated with a 613 sq. m pavilion, along with 39 Indian exporters. The delegation was represented by Dr. Kandan S., Joint Director, and Mr. Archiman Lahiri, Deputy Director. Ms. Prithika Rani M., IFS, Second Secretary, Embassy of India, Madrid, visited the MPEDA pavilion and the co-exhibitors' stalls.

The MPEDA stall showcased a variety of Indian seafood products and featured live cooking demonstrations and tasting sessions arranged through the Embassy of India, Madrid. A total of 81 trade enquiries were received at the MPEDA booth, in addition to numerous business interactions at the co-exhibitors' stalls.

2. Japan International Seafood & Technology Expo 2024, Tokyo, Japan:

The 26th edition of the JISTE 2024 was held from 21–23 August 2024 at Tokyo Big Sight International Exhibition Centre, organized by Exhibition Technologies, Inc. MPEDA set up the Indian Pavilion over 136 sq. m, with 15 co-exhibiting exporters. The pavilion was coordinated by Mr. Anil Kumar P., Joint Director; Dr. S. Shassi, Deputy Director; Mrs. Anju, Assistant Director; and Shri Jun Nakayama, Executive Assistant, TPO Tokyo.

The Indian Pavilion was inaugurated by Mr. Jitin Prasada, Hon'ble Union Minister of State for Commerce and Industry, Government of India. Various frozen and value-added products such as Nobashi, IQF, PD, PUD shrimp, skewers, AFD shrimp, cephalopods, pasteurized crab, shrimp biriyani, dry fish, and collagen powder were showcased. Co-exhibitors also displayed their products, attracting strong buyer interest.



Mr. Jitin Prasada, Hon'ble Union Minister of State for Commerce and Industry, Government of India, inaugurates the India pavilion at JISTE 2024 and interact with MPEDA officials



Mr. Jitin Prasada, Hon'ble Union Minister of State for Commerce and Industry, Government of India, Mr. Anil Kumar P., Joint Director; Dr. S. Shassi, Deputy Director of MPEDA at the MPEDA pavilion



MPEDA officials interacting with buyers during JISTE 2024



Sushi fest at JISTE 2024



3. सीफूड एक्सपो एशिया 2024, सिंगापुर:

एस ई ए 2024 4-6 सितंबर 2024 तक हुआ, सी 2024 में 47 देशों के 400 एग्जिबिटर्स और 4,000 से ज़्यादा सीफूड प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया। एमपीडीए ने 8 इंडियन एक्सपोर्टर्स के साथ 90 वर्ग मी के पवेलियन में हिस्सा लिया, जिसे उप निदेशक श्री विनु पी.के. और सहायक निदेशक सुश्री शाजिना आई. ने समन्वय किया।

एमपीडीए के स्टॉल में ब्रेडेड और बैटर वाले श्रिम्प, श्रिम्प स्क्यूअर्स, पूरे रॉक लॉबस्टर और ब्लैंच्ड पीडी वन्रामेई श्रिम्प दिखाए गए। इंडियन सीफूड डिशेज़ परोसने वाले एक लाइव कुकिंग स्टेशन ने काफी दिलचस्पी दिखाई। करीब 47 ट्रेड पूछ-ताछ प्राप्त हुए।



एसईए 2024 के दौरान खरीदारों के साथ बातचीत करते हुए एमपीडीए के श्री विनु पी के, उप निदेशक और श्रीमती शजीना आई, सहायक निदेशक



सह प्रदर्शनीकर्ताओं के साथ एमपीडीए के अधिकारी

4. सीफूड एक्सपो रूस 2024, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस:

सीफूड एक्सपो रूस 2024, 17-19 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया था, जिसमें 10 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। एमपीडीए का मंडप 82.5 वर्ग मीटर में फैला था और इसमें 4 सह-प्रदर्शक शामिल थे, जिनका समन्वय निदेशक डॉ. एम. कार्तिकेयन और सहायक निदेशक डॉ. के. पाउ बियाक लून ने किया। प्रश्रीतित श्रिम्प ब्लॉक्स, आईक्यूएफ श्रिम्प और सुरीमी प्रदर्शित किए गए। मंडप का उद्घाटन सेंट पीटर्सबर्ग स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के आईएफएस श्री कुमार गौरव ने किया।



रूस - भारत एसईआर, 2024 के व्यवसाय सत्र में डॉ. एम कार्तिकेयन, निदेशक, एमपीडीए



एसईआर 2024 में एमपीडीए पविलियन

5. बुसान इंटरनेशनल सीफूड एंड फिशरीज एक्सपो 2024, बुसान साउथ कोरिया:

बीआईएसएफई 2024, 1-3 नवंबर 2024 तक हुआ था। एमपीडीए ने 108 वर्ग मी के पवेलियन में 7 भारतीय निर्यातकों के साथ हिस्सा लिया, जिन्हें सहायक निदेशक डॉ. अभिलाष ई. सी. और श्री दर्शन लाल ढोंडियाल ने रिप्रेजेंट किया।

श्री निशि कांत सिंह, आईएफएस, मिशन के उप प्रमुख, भारतीय दूतावास, सियोल, और श्री प्रवीण कुमार, आईईएस, निदेशक, वाणिज्य विभाग, वीआईपी उद्घाटन में शामिल हुए। भारतीय सीफूड से बनी भारतीय, कोरियन और फ्यूज़न डिशेज़ का कुकिंग डेमो एक बड़ा आकर्षण था।



3. Seafood Expo Asia 2024, Singapore:

SEA 2024 held from 4–6 September 2024, featured 400 exhibitors from 47 countries and over 4,000 seafood professionals. MPEDA participated with a 90 sq. m pavilion, along with 8 Indian exporters, coordinated by Mr. Vinu P.K., Deputy Director, and Ms. Shajina I., Assistant Director.

The MPEDA stall displayed breaded and battered shrimps, shrimp skewers, whole rock lobsters, and blanched PD *vannamei* shrimps. A live cooking station serving Indian seafood dishes attracted significant interest. About 47 trade enquiries were received.



Mr. Vinu P.K., Deputy Director, and Ms. Shajina I., Assistant Director, MPEDA interacting with buyers during SEA 2024



MPEDA officials along with co exhibitors- SEA 2024

4. Seafood Expo Russia 2024, St. Petersburg, Russia:

Seafood Expo Russia 2024 was held from 17–19 September 2024, featuring participants from more than 10 countries. MPEDA's pavilion covered 82.5 sq. m with 4 co-exhibitors, coordinated by Dr. M. Karthikeyan, Director, and Dr. K. Pau Biak Lun, Assistant Director. Frozen shrimp blocks, IQF shrimps, and surimi were displayed. The pavilion was inaugurated by Mr. Kumar Gaurav, IFS, Consulate General of India, St. Petersburg.



Dr. M. Karthikeyan, Director, MPEDA at business session "Russia-India SER, 2024"



MPEDA pavilion at SER 2024

5. Busan International Seafood & Fisheries Expo 2024, Busan South Korea:

BISFE 2024 was held from 1–3 November 2024. MPEDA participated with 7 Indian exporters in a 108 sq. m pavilion, represented by Dr. Abhilash E. C. and Shri Darshan Lal Dhondiyal, Assistant Directors.

Mr. Nishi Kant Singh, IFS, Deputy Chief of Mission, Embassy of India, Seoul, and Mr. Praveen Kumar, IES, Director, Department of Commerce, attended the VIP opening. A cooking demo featuring Indian, Korean, and fusion dishes made with Indian seafood was a major attraction.





सह प्रदर्शनीकर्ताओं के साथ श्री प्रवीण कुमार, आईईएस, निदेशक, वाणिज्य विभाग, एम्पीईडीए के डॉ. अभिलाष ई सी, सहायक निदेशक और श्री दर्शन लाल धोंडीयाल, सहायक निदेशक



खरीदारों से बातचीत करते हुए डॉ. अभिलाष ई सी, सहायक निदेशक, एम्पीईडीए

6. चाइना फिशरीज़ एंड सीफ़ूड एक्सपो 2024, किंगदाओ, चीन

27वां सीएफएसई 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें 120 देशों से 40,000 आगंतुक और 51 देशों की 1,680 कंपनियों ने 48,000 वर्ग मीटर के प्रदर्शनी स्थल में भाग लिया। एम्पीईडीए ने 46 सह-प्रदर्शनकारी निर्यातकों के साथ भाग लिया, जिनका प्रतिनिधित्व निदेशक डॉ. एम. कार्तिकेयन और उप निदेशक श्री रजाक अली ने किया। भारतीय श्रिम्प, स्क्वड, सीर मछली और तिलापिया का प्रदर्शन किया गया, साथ ही खरीदारों और आयातकों के लिए खाना पकाने का प्रदर्शन और स्वाद चखने के सत्र भी आयोजित किए गए।



सीएफएसई 2024 पर पाक कला प्रदर्शनी का एक दृश्य



एम्पीईडीए पविलियन पर एम्पीईडीए के अधिकारी, ईओआई, बीजीग और सह प्रदर्शनीकर्ता

7. गल्फूड 2025, दुबई, यूएई:

गल्फूड 2025 का आयोजन 17-21 फरवरी 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यूएई में किया गया था। 129 देशों के 5,500 प्रदर्शकों ने भाग लिया। एम्पीईडीए ने 54 वर्ग मीटर के मंडप में 7 सह-प्रदर्शकों के साथ भाग लिया, जिसका प्रतिनिधित्व उप निदेशक श्री राजकुमार एस. नाइक और सहायक निदेशक श्री श्रीजित पी. टी. ने किया। प्रशीतित और रेडी-टू-ईट समुद्री खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, जिससे 41 व्यापारिक पूछताछ हुई।



सह प्रदर्शनीकर्ताओं के साथ एम्पीईडीए के श्री राजकुमार एस नायक, उप निदेशक और श्री श्रीजित पी टी, सहायक निदेशक



खरीदारों के साथ बातचीत करते हुए श्री श्रीजित पी टी, सहायक निदेशक





Mr. Praveen Kumar, IES, Director, Department of Commerce, Dr. Abhilash E. C. and Shri Darshan Lal Dhondiyal, Assistant Directors, MPEDA along with coexhibitors



Dr. Abhilash E. C. Assistant Director, MPEDA, interacting with buyers

6. China Fisheries and Seafood Expo 2024, Qingdao, China

The 27th CFSE was held from 30 October–1 November 2024, attracting 40,000 visitors from 120 countries and 1,680 companies from 51 countries across 48,000 sq. m of exhibit space. MPEDA participated with 46 co-exhibiting exporters, represented by Dr. M. Karthikeyan, Director, and Mr. Razak Ali, Deputy Director.

Indian shrimp, squid, seer fish, and tilapia were showcased, along with a cooking demo and tasting sessions for buyers and importers.



View of cooking demo at CFSE 2024



Officials of MPEDA, EoI, Beijing and Co-exhibitors at MPEDA pavilion

7. Gulfood 2025, Dubai, UAE:

GULFOOD 2025 was held from 17–21 February 2025 at Dubai World Trade Centre, UAE. Gulfood featured 5,500 exhibitors from 129 countries. MPEDA participated with 7 co-exhibitors in a 54 sq. m pavilion, represented by Shri Rajakumar S. Naik, Deputy Director, and Shri Sreejith P. T., Assistant Director.

Frozen and ready-to-eat seafood products were showcased, generating 41 trade enquiries.



Shri Rajakumar S. Naik, Deputy Director, and Shri Sreejith P.T., Assistant Director, MPEDA with co-exhibitors



Shri Sreejith P.T., Assistant Director, MPEDA, interacting with buyers





8. सीफूड एक्सपो नॉर्थ अमेरिका 2025, बोस्टन

सीफूड एक्सपो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा सीफूड एक्सपो है, जो दुनिया भर से हज़ारों खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं को आकर्षित करता है। यह तीन दिवसीय आयोजन नेटवर्किंग, व्यावसायिक लेन-देन और उद्योग में नवीनतम सीफूड उत्पादों, प्रसंस्करण उपकरणों और सेवाओं के प्रदर्शन पर केंद्रित था। इस आयोजन में 250,665 वर्ग मीटर का प्रदर्शनी स्थल शामिल था। इस आयोजन में 51 देशों की 1,215 प्रदर्शनकारी कंपनियाँ शामिल थीं।

श्री प्रवीण कुमार आईईएस, निदेशक - वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्री महेश जी., उप निदेशक और श्री आर प्रसाद नाइक, सहायक निदेशक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 16 से 18 मार्च 2025 तक बोस्टन कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर में आयोजित सीफूड एक्सपो नॉर्थ अमेरिका में एमपीईडीए की भागीदारी का आयोजन किया।

सेना 2025 में, एमपीईडीए ने 2000 वर्ग फुट का क्षेत्र अधिग्रहित किया। 16. भारतीय निर्यातकों ने एमपीईडीए के साथ सह-प्रदर्शक के रूप में भाग लिया। एमपीईडीए ने भारत के विभिन्न मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन किया और अपने स्टॉल पर समुद्री खाद्य व्यंजनों का पाक कला प्रदर्शन भी किया। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत, महामहिम राजदूत श्री बिनया एस. प्रधान ने एमपीईडीए मंडप का दौरा किया।

सेना 2025 के दौरान, निर्यातकों के लिए व्यापार चर्चा हेतु एक अलग बैठक कक्ष की व्यवस्था की गई। संभावित खरीदारों को संबोधित करने के लिए एक मंच और आमने-सामने की बैठकों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।



एसईएनए 2025 पर एमपीईडीए पविलियन का उद्घाटन करते हुए श्री प्रवीण कुमार, निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय



एसईएनए 2025 पर एमपीईडीए के अधिकारियों और निदेशक वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय बातचीत करते हुए

6.2.2. घरेलू मेले

क. वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यूएफआई) 2024 (19 से 22 सितंबर 2024)

एमपीईडीए ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित डब्ल्यूएफआई 2024 में सफलतापूर्वक भाग लिया, जो 19-22 सितंबर तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 'समृद्धि के लिए प्रसंस्करण' विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन सहित भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला गया। एमपीईडीए ने 456 वर्ग मीटर का एक सीफूड पैवेलियन स्थापित किया जिसमें 25 भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक शामिल हुए। मूल्यवर्धित उत्पादों सहित जलकृषि और समुद्र से पकड़े गए समुद्री उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रशिक्षित, शीतित और परिवेशी स्वरूपों में प्रदर्शित किया गया।





8. Seafood Expo North America 2025, Boston

The Seafood Expo North America is the largest seafood exposition in North America, drawing thousands of buyers and suppliers from across the globe the three-day event focused on networking, business transactions, and showcasing the latest seafood products, processing equipment, and services in the industry. The event covered 250,665 net square feet of exhibit space. The event featured 1,215 exhibiting companies from 51 countries.

A delegation led by Shri Praveen Kumar IES, Director – DoC, MoCI, Shri Mahesh G., Deputy Director and Shri R Prasad Naik, Assistant Director organised MPEDA participation in Seafood Expo North America (SENA) held in Boston from 16th to 18th March 2025, at the Boston Convention and Exhibition Center.

At SENA 2025, MPEDA acquired an area of 2000 Sq Ft., 16 Exporters from India participated along with MPEDA as co-exhibitors. MPEDA showcased various value-added seafood products from India and conducted a cooking demonstration of Seafood delicacies at its stall. His Excellency Ambassador Mr. Binaya S. Pradhan, IFS, Consul General of India in New York, visited MPEDA pavilion.

During SENA 2025, a separate meeting room was arranged for exporter to conduct trade discussions. A dais for addressing prospective buyers, and facilities for one-on-one meetings were also made available.



Shri Praveen Kumar, Director, DoC, MoCI, inaugurates MPEDA, Pavilion at SENA 2025



MPEDA officials and Director, DoC, MoCI interacting at SENA 2025

6.2.2. Domestic Fairs

a. World Food India (WFI) 2024 (19th to 22nd September 2024)

MPEDA successfully participated in WFI 2024, organized by the Ministry of Food Processing Industries, held from 19–22 September at Pragati Maidan, New Delhi with the theme “Processing for Prosperity”, the event highlighted investment opportunities in India’s food processing sectors, including agriculture, fisheries, dairying, and animal husbandry. MPEDA set up a 456 sq. m. Seafood Pavilion featuring 25 Indian seafood exporters. A wide range of aquaculture and wild-caught marine products, including value-added items, were displayed in frozen, chilled, and ambient formats.





एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25



एमपीईडीए अधिकारियों के साथ तकनीकी सत्र टीम



डब्ल्यूएफआई 2024 पर सह प्रदर्शनीकर्ता स्टाल्स का एक दृश्य

रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठक (आरबीएसएम) - एमपीईडीए ने 13 देशों (इटली, स्पेन, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जापान, दक्षिण कोरिया, डोमिनिकन गणराज्य, पेरू, रूस, वियतनाम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया) के 34 क्रेताओं और 41 भारतीय निर्यातकों के साथ एक रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठक (आरबीएसएम) का आयोजन किया। एमपीईडीए ऐप के माध्यम से 255 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें पहले से बुक किए गए स्लॉट को प्राथमिकता दी गई। स्पॉट पंजीकरण की भी अनुमति दी गई।



वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में एमपीईडीए समुद्री खाद्य क्रेता विक्रेता मीट के दौरान श्री डी वी स्वामी भा प्र से, अध्यक्ष, एमपीईडीए और श्री प्रवीण कुमार आईईएस, निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार



डब्ल्यूएफआई 2024 पर आरबीएसएम का एक दृश्य

आस्वादन सत्र - आरबीएसएम प्रतिभागियों के लिए समुद्री खाद्य आस्वादन सत्र आयोजित किए गए, जिसमें विशेषज्ञ शेफ द्वारा तैयार श्रिम्प, मत्स्य, स्क्वड, केकड़ा, टूना और सुरीमी उत्पादों से बने व्यंजन शामिल थे।

तकनीकी सत्र - 20 सितंबर को भारत मंडप में 'समुद्री खाद्य गुणवत्ता आश्वासन एवं मूल्य वर्धन' पर एक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें यूएसएफडीए, एफएओ, एचेसन समूह और भारतीय उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने भाग लिया। विषयों में सुरक्षा मानक, आयात नियम, चिरस्थायी जलकृषि और मूल्य वर्धन शामिल थे।

ख इंडस फूड्स 2025

एमपीईडीए ने 72 वर्ग मीटर क्षेत्र का अधिग्रहण करके इंडस फूड 2025 में सफलतापूर्वक भाग लिया। एमपीईडीए के साथ 6 निर्यातकों ने सह-प्रदर्शक के रूप में भाग लिया।

ग संबंधित क्षेत्रीय कार्यक्रमों में प्रत्येक स्टॉल लेकर निम्नलिखित घरेलू मेलों में भाग लिया।

आईसीएआर - सीएमएफआरआई मत्स्यमेला प्रदर्शनी 2025,	1-3 फ़रवरी 2025	कोच्चि
मत्स्य-प्राणी समावेश ओडिशा (एमपीएसओ) - 2025,	14-16 फ़रवरी 2025	भुवनेश्वर
आईसीएआर - सीआईएफई मत्स्य स्वाद महोत्सव,	26 जनवरी 2025	मुंबई
14वां एशियाई मात्स्यिकी और जलकृषि मंच	12-15 फ़रवरी 2025	दिल्ली





Technical session team with MPEDA officials



View of co-exhibitor stalls at WFI 2024

Reverse Buyer Seller Meet (RBSM) - MPEDA organized an RBSM with 34 buyers from 13 countries (viz., Italy, Spain, Thailand, the United Kingdom, Japan, South Korea, Dominican Republic, Peru, Russia, Vietnam, France, Australia and the Indonesia) and 41 Indian exporters, 255 meetings arranged via the MPEDA App, with priority for pre-booked slots. Spot registration was also allowed.



Shri D. V. Swamy IAS, Chairman MPEDA and Shri Praveen Kumar IES, Director, Department of Commerce, MoC&I, Govt. of India during the MPEDA Seafood Buyer Seller Meet in World Food India 2024.



View of RBSM at WFI 2024

Tasting Session - Seafood tasting sessions were held for RBSM participants, featuring dishes made from shrimp, fish, squid, crab, tuna, and surimi products, prepared by expert chefs. **Technical Session** - A session on “Seafood Quality Assurance & Value Addition” was conducted at Bharat Mandapam on 20th September, featuring experts from USFDA, FAO, The Acheson Group, and Indian industry. Topics included safety standards, import regulations, sustainable aquaculture, and value addition.

b. Indus Food 2025

MPEDA successfully participated in Indus Food 2025, by acquiring an area of 72 square meters. 6 Exporters have participated along with MPEDA as co-Exhibitors.

c. MPEDA participated in following domestic fairs by taking each stall in the respective regional events.

ICAR - CMFRI Matsyamela exhibition 2025,	1-3 Feb 2025	Kochi
Matsya-Pranee Samavesh Odisha (MPSO) - 2025,	14-16 Feb 2025	Bhubaneswar
ICAR - CIFE the Fish Swad Festival,	26 Jan 2025	Mumbai
14th Asian Fisheries and Aquaculture Forum	12-15 Feb 2025	Delhi





6.2.3 क्रेता-विक्रेता बैठक

10 जुलाई 2024 को कतर में क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की गई। भारतीय मिशन के सहयोग से कतर के प्रमुख समुद्री उत्पाद आयातकों को आमंत्रित करके बीएसएम का आयोजन किया गया। बीएसएम में 9 भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों और 20 समुद्री खाद्य आयातक कंपनियों ने भाग लिया।



भारत-कतर समुद्री खाद्य क्रेता विक्रेता मीट के दौरान भाग लेने वाले निर्यातकों और आयातकों को संबोधित करते हुए माननीय राजदूत श्री विपुल, भारतीय दूतावास, कतर



स्वागत भाषण देते हुए श्री अब्दुल सतार, उपाध्यक्ष (व्यावसायिक कार्य), आईबीपीसी

6.2.4 प्रतिनिधिमंडल:

एमपीईडीए ने भारतीय दूतावास - रोम (ईओआई रोम) के सहयोग से 27-28 मार्च 2025 के दौरान 10 भारतीय निर्यातकों की भागीदारी के साथ इटली में एक सफल निर्यातक प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया। इस आयोजन के हिस्से के रूप में, संभावित इतालवी खरीदारों के साथ क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की गईं और प्रसंस्करण सुविधाओं का दौरा भी आयोजित किया गया।

6.2.5 समुद्री खाद्य आस्वादन सत्र

एमपीईडीए ने भारतीय दूतावास (ईओआई) - ब्रसेल्स के सहयोग से 20 नवंबर 2024 को ब्रसेल्स में भारतीय समुद्री खाद्य और वाइन आस्वादन का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में राजदूत महामहिम श्री सौरभ कुमार और वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में आयातकों, गणमान्य व्यक्तियों, यूरोपीय संघ के संस्थानों के नीति निर्माताओं, राजनयिक मिशनों के सदस्यों, सरकारी एजेंसियों, बेलजियम चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और व्यापार संघों सहित 125 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।



वाइन टेस्टिंग इवेंट के लिए इकट्ठे हुए लोगों को संबोधित करते हुए श्री सुनील बर्थवाल, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार





6.2.3. Buyer Seller Meet

Buyer Seller Meet was conducted in Qatar on 10th July 2024. BSM was organised in association with the Indian Mission by inviting major marine products importers in Qatar. 9 Indian seafood exporters and 20 seafood importing companies participated in the BSM.



His Excellency Ambassador Mr. Vipul, Embassy of India, Qatar addresses participating importers and exporters during India-Qatar Seafood Buyer Seller Meet



Mr. Abdul Sathar, Vice President (Professional Affairs), IBPC, Delivers the welcome address

6.2.4. Delegation

MPEDA, in association with the Embassy of India - Rome (EoI Rome), organized a successful exporter delegation to Italy, with participation of 9 Indian exporters during 27-28 March 2025. As part of the event, Buyer-Seller meetings were held with potential Italian buyers and visit to processing facilities were also arranged.

6.2.5. Seafood Tasting Session

MPEDA in association with Embassy of India (EoI) - Brussels conducted Indian Seafood and Wine Tasting Event held in Brussels on 20th November 2024. The event was graced by HE Shri Saurabh Kumar, Ambassador and Shri Sunil Barthwal, Commerce Secretary. Over 120 participants, including importers, high dignitaries, policymakers from EU institutions, members of diplomatic missions, government agencies, Belgian Chambers of Commerce, and trade associations participated in the event.



Shri Sunil Barthwal, Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Government of India addressing the gathering on Wine Tasting Event





6.2.6. वर्चुअल क्रेता-विक्रेता मीट (वीबीएसएम)

एमपीईडीए ने जापान, हांगकांग, डोमिनिकन गणराज्य और बालारूस के साथ वीबीएसएम आयोजित किया, जिसमें 50 निर्यातकों और 10 खरीदारों ने भाग लिया।

- ❖ 09.04.2024 को जापानी क्रेता के साथ वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की गई, बैठक में भारत के 5 निर्यातकों ने भाग लिया।
- ❖ 09.05.2024 को एक हांगकांग क्रेता के साथ वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के 16 निर्यातकों ने भाग लिया।
- ❖ 19 जुलाई 2024 को डोमिनिकन गणराज्य के साथ एक वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की गई, जिसमें 26 भारतीय निर्यातकों और एक क्रेता ने भाग लिया। वीबीएसएम के आयोजन के लिए ब्राज़ील स्थित भारतीय मिशन से संपर्क किया गया है।
- ❖ आलंकारिक मत्स्य निर्यातकों और केरल मात्स्यिकी और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय (कुफोस) के साथ एक वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक 26 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। 4 भारतीय निर्यातकों ने वीबीएसएम में भाग लिया।
- ❖ जापान की मेसर्स कोह्यो कंपनी लिमिटेड की सीफूड आयात प्रभाग प्रबंधक सुश्री अन्ना नाकाडा के साथ एक वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की गई। लगभग 35 निर्यातकों ने वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक में भाग लिया, अपनी संक्षिप्त प्रस्तुतियाँ दीं और क्रेता से बातचीत की। बैठक के दौरान संपर्क विवरण भी साझा किए गए।
- ❖ एमपीईडीए ने ईओआई मिन्स्क, बेलारूस के सहयोग से एक प्राथमिक वीबीएसएम का आयोजन किया जिसमें 9 भारतीय निर्यातकों और एक बेलारूस खरीदार ने भाग लिया, दूतावास के अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।



वीबीएसएम का स्क्रीन ग्राब

6.2.7 सोशल मीडिया प्रचार

एमपीईडीए की प्रमुख गतिविधियों/उपलब्धियों को सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से प्रकाशित किया गया। एमपीईडीए के सोशल मीडिया हैंडल (फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एमपीईडीए का यूट्यूब) के माध्यम से 300 से अधिक पोस्ट जारी किए गए। वर्ष 2024-2025 के लिए एमपीईडीए का सोशल मीडिया गतिविधियों और फॉलोअर्स की प्रगति का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

एमपीईडीए सोशल मीडिया			
हैंडल	अप्रैल 2024	मार्च 2025	% वृद्धि
फेसबुक			
फॉलोअर्स	69432	102000	46.9
एक्स			
फॉलोअर्स	8752	9065	3.58
यूट्यूब			
ग्राहक	3160	3690	16.8
इन्स्टाग्राम			
फॉलोअर्स	6300	12400	96.8





6.2.6. Virtual Buyer seller Meet (VBSM)

MPEDA has conducted VBSM with Japan, Hong Kong, Dominican Republic and Belarus with participation of 50 exporters and 10 buyers.

- ❖ Virtual buyer seller meet was conducted with Japanese buyer on 09.04.2024, 5 exporters from India participated in the meeting.
- ❖ Virtual buyer seller meet was conducted with one Hong Kong buyer on 09.05.2024, 16 exporters from India participated in the meeting.
- ❖ A virtual buyer-seller meeting with the Dominican Republic was conducted on 19th July 2024, 26 Indian exporters and 1 buyers participated in the VBSM. Communication has been made with the Indian Mission in Brazil for conducting VBSM.
- ❖ A virtual buyer-seller meeting with the Ornamental Fish Exporters & Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (KUFOS) was conducted on 26th July 2024. 4 Indian exporters participated in the VBSM.
- ❖ Conducted a Virtual Buyer Seller Meeting with Ms. Anna Nakada, Seafood Import Division Manager of M/s. Kohyo Co Ltd, Japan. About 35 exporters joined the VBSM, shared their brief presentations and interacted with Buyer. Contact details were shared during the meeting.
- ❖ MPEDA in association with EOI Minsk, Belarus organized a primary VBSM with a participation of 9 Indian Exporters and 1 Belarus buyers, Embassy officials also participated in the event.



Screen grab of VBSM

6.2.7. Social Media Promotions

The major activities / achievements of MPEDA were published through social media handles. More than 300 posts were released through the social media handles (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE of MPEDA). The Analytics on the progress of Social Media activities of MPEDA, followers for the year 2024-2025 is produced below.

MPEDA Social Media			
Handles	April 2024	March 2025	% Growth
Facebook			
Followers	69432	102000	46.9
X			
Followers	8752	9065	3.58
YouTube			
Subscribers	3160	3690	16.8
Instagram			
Followers	6300	12400	96.8





6.2.8 प्रकाशन

अंतर्राष्ट्रीय मेलों के लिए कंपनी प्रोफाइल और उत्पाद विवरण सहित सह-प्रदर्शक मार्गदर्शिकाएँ प्रकाशित की गईं। इसके अतिरिक्त, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए एक समर्पित सह-प्रदर्शक मार्गदर्शिका भी तैयार और प्रकाशित की गई है।

ब्रसेल्स और इटली में भारतीय मिशनों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बैठकों का समर्थन करने के लिए, एमपीईडीए ने पोषण संबंधी तथ्यों और प्रमुख समुद्री खाद्य निर्यातकों के प्रोफाइल सहित उत्पाद जानकारी का विवरण देने वाले प्रकाशन को संकलित और साझा किया है।

कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात में हमारे मिशनों द्वारा आयोजित व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए व्यापार संवर्धन वीडियो तैयार और प्रकाशित किए गए। एमपीईडीए ने विभिन्न देशों की सभी व्यापारिक पूछताछ, निर्यात प्रवृत्तियों, समुद्री खाद्य क्षेत्र से संबंधित लेखों आदि से युक्त मासिक समाचार पत्र जारी किया। 2024-25 के दौरान एमपीईडीए न्यूज़लेटर के 166 ग्राहक होंगे।


6.2.9 प्रेस विज्ञप्ति

‘समुद्री उत्पाद क्षेत्र को समर्थन देने वाली बजट 2024-25 घोषणाएँ’ पर प्रेस विज्ञप्ति के लिए कार्यकलापों का समन्वयन किया।

7. कल्चर मात्स्यिकी

7.1 जलकृषि के माध्यम से निर्यात उत्पादन

2024-25 में, निर्यातोन्मुख जलकृषि उत्पादन बढ़कर 12,98,679 मीट्रिक टन हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 79,665 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से लिटोपेनियस वन्नामेई के उच्च उत्पादन के कारण हुई, क्योंकि किसानों ने अन्य प्रजातियों से ज्यादा इस इस किस्म की ओर रुख किया।



चित्र 7.1: निर्यातोन्मुखी जलकृषि प्रजातियों का अनुमानित उत्पादन (मीट)

7.1.1 श्रिम्प और स्कैम्पी का जलकृषि उत्पादन:

क्षेत्र से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि भारत का श्रिम्प का कुल जलकृषि उत्पादन, जिसमें एल.वन्नामेई, पी.मोनोडॉन और अन्य श्रिम्प शामिल हैं, 2024-25 के दौरान 12,54,027 मीट्रिक टन था, जो पिछले वर्ष के दौरान दर्ज 11,63,440 मीट्रिक टन उत्पादन से 7.8% की वृद्धि दर्ज करता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से एल. वन्नामेई के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई। वर्ष के दौरान एल.वन्नामेई का उत्पादन 11,86,266 मीट्रिक टन था, जो पिछले वर्ष के 10,76,970 मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 1,09,296 मीट्रिक टन अधिक है, इस प्रकार 10.14% की वृद्धि दर्ज की



6.2.8. Publications

Co-exhibitor guides with company profile and product details were published for all international fairs participated by MPEDA. In addition, a dedicated co-exhibitor guide for World Food India 2024 has also been prepared and published.

To support international business meetings organized by Indian Missions in Brussels and Italy, MPEDA have compiled and shared publication detailing the product information, including nutritional facts and profiles of major seafood exporters.

Trade promotion videos were prepared and published for business events conducted by our Missions in Canada and UAE. MPEDA issued monthly newsletter containing all the trade enquiries of different countries, export trends, articles related to seafood sector etc. MPEDA Newsletter 166 subscribers during 2024 - 25.

6.2.9. Press Release

Coordinated activities for the press release on 'Budget 2024-25 announcements supporting the marine products sector'.

7. CULTURE FISHERIES

7.1. Export production through aquaculture

In 2024–25, export-oriented aquaculture production rose to **12,98,679 MT**, marking an increase of **79,665 MT** over the previous year. This growth was primarily driven by higher production of *Litopenaeus vannamei*, as farmers increasingly shifted from other species to this variety.




Figure 7.1: Estimated production of export-oriented aquaculture species (MT)

7.1.1 Aquaculture production of Shrimp and Scampi:

India’s total aquaculture production of shrimp, comprising *L.vannamei*, *P.monodon*, and other shrimp, as estimated based on reports received from the field, was 12,54,027 MT during 2024-25, registering an increase of 7.8% over the production of 11,63,440 MT recorded during the previous year. The increase was propelled mainly by the rise in the production of *L. vannamei*. The *L.vannamei* production during the year was 11,86,266 MT, which is higher by 1,09,296 MT compared to the previous year’s production of 10,76,970 MT, thus registering an increase of 10.14%. *L. vannamei* production contributed around 94.59%






एमपीईडीए वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

गई है। एल. वन्नामेई उत्पादन ने देश में कुल श्रिम्प जलकृषि उत्पादन का लगभग 94.59% योगदान दिया। पी. मोनोडॉन के कुल उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 21.82% की कमी दर्ज की गई। इस वर्ष स्कैम्पी का उत्पादन 2023-24 की तुलना में 15.09% कम होकर 21,031 मीट्रिक टन रहा। अन्य श्रिम्प के उत्पादन में 2023-24 की तुलना में 0.42% की वृद्धि दर्ज की गई। श्रिम्प और स्कैम्पी का कुल उत्पादन (12,75,058 मीट्रिक टन) भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7.30% अधिक रहा।

तालिका 7.1: 2023-24 की तुलना में 2024-25 में प्रजाति-वार उत्पादन में भिन्नता

प्रजातियाँ	2024-25	2023-24	अंतर	वृद्धि / घटाव %
एल. वन्नामेई	11,86,266	10,76,970	1,09,296	10.14
पी. मोनोडॉन	67,039	85,751	-18,712	-21.82
अन्य श्रिम्प	722	719	3	0.42
स्कैम्पी	21031	24769	-3,738	-15.09
कुल	12,75,058	11,88,209	86,849	7.30

प्रशांत श्वेत श्रिम्प (एल. वन्नामेई) भारत के संवर्धित श्रिम्प और स्कैम्पी उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देता रहा। चित्र 2 दर्शाता है कि 2024-25 के दौरान कुल श्रिम्प और स्कैम्पी उत्पादन में एल. वन्नामेई का हिस्सा 93% था।



चित्र 7.2: 2024-25 में जलकृषि उत्पादन (एमटी) में श्रिम्प और स्कैम्पी की संरचना, मात्रा और प्रतिशत हिस्सेदारी दोनों के संदर्भ में

देशी प्रजाति, टाइगर श्रिम्प (पेनियस मोनोडॉन) का योगदान मात्रा के संदर्भ में 67,039 मीट्रिक टन और कुल (श्रिम्प और स्कैम्पी) उत्पादन में हिस्सेदारी के संदर्भ में लगभग 5.26% था। स्कैम्पी और अन्य श्रिम्प (पेनियस इंडिकस और अन्य पेनेइड श्रिम्प) कुल श्रिम्प और स्कैम्पी उत्पादन में क्रमशः 1.65% और 0.06% के लिए जिम्मेदार थे।

क. एल. वन्नामेई

देश के विभिन्न समुद्री राज्यों में एल. वन्नामेई श्रिम्प के क्षेत्र उपयोग और उत्पादन का रुझान तालिका 7.2 में दिया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान, पालन के अंतर्गत क्षेत्रफल 1,34,353 हेक्टेयर था, जबकि 2023-24 के दौरान यह क्षेत्रफल 1,25,980 हेक्टेयर था। औसत फसलवार उत्पादकता पिछले वर्ष के 4.3 मीट्रिक टन/हेक्टेयर/फसल से बढ़कर 4.9 मीट्रिक टन/हेक्टेयर/फसल हो गई।



of the total shrimp aquaculture production in the country. The total production of *P. monodon* registered a decrease of 21.82% compared to the previous year. Scampi production this year recorded a 15.09 % decrease over 2023-24, with a production figure of 21,031 MT. Other shrimp recorded a 0.42% increase in production compared to 2023-24. The total production of shrimp and scampi (12,75,058 MT) also registered an increase of about 7.30 % compared to the previous year.

Table 7.1: Variations in species-wise production in 2024-25 in comparison with 2023-24

Species	2024-25	2023-24	Difference	% increase/ decrease
<i>L. vannamei</i>	11,86,266	10,76,970	1,09,296	10.14
<i>P. monodon</i>	67,039	85,751	-18,712	-21.82
Other shrimp	722	719	3	0.42
Scampi	21031	24769	-3,738	-15.09
Total	12,75,058	11,88,209	86,849	7.30

The Pacific White shrimp (*L. vannamei*) continued to contribute the lion’s share of India’s cultured shrimp and scampi production. Fig. 7.2 shows that the share of *L. vannamei* in total shrimp and scampi production during 2024-25 was 93%.




Figure 7.2: Composition of shrimp and scampi in aquaculture production (MT) in 2024-25, both in terms of quantity and % share

The contribution of the native species, Tiger shrimp (*Penaeus monodon*) was 67,039 MT in terms of quantity and about 5.26% in terms of share in the total (shrimp and scampi) production. Scampi and other shrimps (*Penaeus indicus*) accounted for 1.65 % and 0.06% respectively of the total shrimp and scampi production.

a. *L.vannamei*

The trend in the area utilization and production of *L. vannamei* shrimp in various maritime states of the country is given in Table 7.2. During the year 2024-25, the area under culture was 1,34,353 Ha compared to the area of 1,25,980 Ha during 2023-24. The average crop-wise productivity increased to 4.9 MT/Ha/crop from 4.3 MT/Ha/crop in the previous year.





तालिका 7.2: राज्यवार वन्नामेई का कृषि क्षेत्र और उत्पादन

राज्य		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पश्चिम बंगाल	एयूसी	6,059	6,437	6,069	6,470	4,997
	ईपी	35,392	47,410	46,021	37,365	29,894
ओडिशा	एयूसी	10,649	11,619	11,536	8,409	7,339
	ईपी	43,677	49,812	46,460	42,637	46,940
आंध्र प्रदेश	एयूसी	71,921	77,236	90,491	97,137	1,08,986
	ईपी	6,34,672	7,82,772	9,12,439	9,32,484	10,53,500
तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी	एयूसी	8,600	8,199	8,762	9,188	9,065
	ईपी	44,735	39,198	39,558	41,200	40,690
केरल	एयूसी	157	141	280	284	255
	ईपी	421	388.8	788	804	725
कर्नाटक एवं गोवा	एयूसी	970	939	1,102	818	1044
	ईपी	2,186	1,762	2,325	2,287	2,385
महाराष्ट्र	एयूसी	1,183	1,336	1,207	850	706
	ईपी	4,252.10	4,776.50	4,380	1,968	1,340
गुजरात	एयूसी	8,986	7,929	6,746	2,768	1,942
	ईपी	50,410	50,094	45,340	18,015	10,726
* तेलंगाना	एयूसी			44	56	19
	ईपी			170	209	66
कुल	एयूसी	1,08,526	1,13,835	1,26,236	1,25,980	1,34,353
	ईपी	8,15,745	9,76,213	10,97,481	10,76,970	11,86,266

एयूसी: कृषि अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर)

ईपी: अनुमानित उत्पादन (मीट्रिक टन)

* 2022-23 से तेलंगाना राज्य से रिपोर्ट किया गया अलग उत्पादन

तालिका 7.3, 2023-24 और 2024-25 के लिए संवर्धित उत्पादन से उत्पन्न उत्पाद भार के अनुमानों और उपज के अनुमानित मूल्य की तुलना प्रस्तुत करती है। जीवित भार और उत्पाद भार दोनों में 10.14% की वृद्धि हुई है, और मूल्य प्राप्ति में लगभग 16.22% की वृद्धि हुई है।

तालिका 7.3: 2023-24 और 2024-25 में एल. वन्नामेई जलकृषि उत्पादन

वर्ष	जीवित वजन (मीट्रिक टन)	उत्पाद वजन (मीट्रिक टन)	अनुमानित मूल्य (करोड़ रुपये में)
2023-24	10,76,970	7,00,031	39,568
2024-25	11,86,266	7,71,073	45,987
वृद्धि/कमी	(+)109296	(+) 71042	(+) 6419
अंतर %	(+) 10.14	(+) 10.14	(+) 16.22

Table 7.2: State-wise farm area and production of *vannamei*

State		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
West Bengal	AUC	6,059	6,437	6,069	6,470	4,997
	EP	35,392	47,410	46,021	37,365	29,894
Odisha	AUC	10,649	11,619	11,536	8,409	7,339
	EP	43,677	49,812	46,460	42,637	46,940
Andhra Pradesh	AUC	71,921	77,236	90,491	97,137	1,08,986
	EP	6,34,672	7,82,772	9,12,439	9,32,484	10,53,500
Tamil Nadu & Pondicherry	AUC	8,600	8,199	8,762	9,188	9,065
	EP	44,735	39,198	39,558	41,200	40,690
Kerala	AUC	157	141	280	284	255
	EP	421	388.8	788	804	725
Karnataka & Goa	AUC	970	939	1,102	818	1044
	EP	2,186	1,762	2,325	2,287	2,385
Maharashtra	AUC	1,183	1,336	1,207	850	706
	EP	4,252.10	4,776.50	4,380	1,968	1,340
Gujarat	AUC	8,986	7,929	6,746	2,768	1,942
	EP	50,410	50,094	45,340	18,015	10,726
*Telangana	AUC			44	56	19
	EP			170	209	66
Total	AUC	1,08,526	1,13,835	1,26,236	1,25,980	1,34,353
	EP	8,15,745	9,76,213	10,97,481	10,76,970	11,86,266

AUC: Area Under Culture (Ha)

EP: Estimated Production (MT)

*Separate production reported from Telangana state from 2022-23 onwards

Table 7.3 Provides a comparison of the estimates of the product weight generated from the culture production and the estimated value of the produce for 2023-24 and 2024-25. There is an increase of 10.14 % in both live weight and product weight, about 16.22% increase in value realization.

Table 7.3: *L. vannamei* aquaculture production in 2023-24 and 2024-25

Year	Live weight (MT)	Product weight (MT)	Estimated Value (Rs. In crore)
2023-24	10,76,970	7,00,031	39,568
2024-25	11,86,266	7,71,073	45,987
Increase/Decrease	(+)109296	(+) 71042	(+) 6419
Difference %	(+) 10.14	(+) 10.14	(+) 16.22



ख. पी. मोनोडॉन

वर्ष के दौरान पी. मोनोडॉन श्रिम्प उत्पादन 67,039 मीट्रिक टन दर्ज किया गया। देश के कुल टाइगर श्रिम्प उत्पादन में गुजरात का योगदान लगभग 47.7% (31,997 मीट्रिक टन) रहा, उसके बाद पश्चिम बंगाल (34.5%) और आंध्र प्रदेश (14.5%) का स्थान रहा। अन्य तटीय राज्यों ने शेष 4% का योगदान दिया। वर्ष 2024-25 के दौरान संवर्धन और उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र का राज्यवार विवरण तालिका 7.4 में दिया गया है।

वर्ष 2023-24 में पी. मोनोडॉन के उत्पादन की तुलना में, चालू वर्ष के दौरान उत्पादन में लगभग 21.8% की उल्लेखनीय कमी आई, जिसका मुख्य कारण संवर्धन अवधि का लंबा होना और एल. वन्रामेई संवर्धन में किसानों की रुचि है। उत्पादकता पिछले वर्ष की 1.18 मीट्रिक टन/हेक्टेयर/फसल उत्पादकता से थोड़ी कम होकर 1.00 मीट्रिक टन/हेक्टेयर/फसल रह गई है।

तालिका 7.4: ब्लैक टाइगर श्रिंप का राज्यवार क्षेत्र उपयोग और उत्पादन

राज्य		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पश्चिम बंगाल	एयूसी	50,000	50,000	51,607	51,650	51,650
	ईपी	19,190	22,185	24,345	24,815	23,110
ओडिशा	एयूसी	551	394	763	252	44
	ईपी	878	849	2,288	402	76
आंध्र प्रदेश	एयूसी	2,591	2,251	4,135	4,517	1,050
	ईपी	5,222	5,936	17,617	31,365	9,724
तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी	एयूसी	30	2	26	68	133
	ईपी	81	6	65	199	449
केरल	एयूसी	2,814	3,148	3,032	3,034	3,037
	ईपी	1,129	1,137	1,038	1,048	1,050
कर्नाटक एवं गोवा	एयूसी	2,175	2,160	2,200	2,273	2,200
	ईपी	1,000	327	378	425	355
महाराष्ट्र	एयूसी	0	0	50	55	172
	ईपी	0	0	60	68	278
गुजरात	एयूसी	35	2,970	4,390	6,406	7,486
	ईपी	116	10,065	17,250	27,430	31,997
कुल	एयूसी	58,196	60,926	66,209	68,253	65,772
	ईपी	27,616	40,504	63,041	85,751	67,039

ग. स्कैम्पी

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान स्कैम्पी का कुल उत्पादन 21,031 मीट्रिक टन रहा, जबकि पिछले वर्ष में यह 24,769 मीट्रिक टन था। विभिन्न राज्यों में स्कैम्पी की खेती के लिए उपयोग किए गए क्षेत्र और उत्पादन का राज्यवार विवरण और उत्पादन की जानकारी राज्य-वार डेटा में शामिल की गई थी।

b. *P. monodon*

The *P. monodon* shrimp production reported during the year was 67,039 MT. Gujarat contributed about 47.7% (31,997 MT) of the total tiger shrimp production of the country, followed by West Bengal (34.5%), and Andhra Pradesh (14.5%). Other coastal states contributed the remaining 4%. The state-wise details of the area utilized for culture and production during the year 2024-25 are given in Table 7.4.

In comparison with the production of *P. monodon* in the year 2023–24, the production decreased considerably by about 21.8% during the current year, mainly due to the prolonged culture period and farmers' interest on *L. vannamei* culture. Productivity has slightly decreased to 1.00 MT/Ha/Crop from the previous year's productivity of 1.18 MT/Ha/Crop.

Table 7.4: State-wise area utilization and production of Black Tiger shrimp

State		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
W. Bengal	AUC	50,000	50,000	51,607	51,650	51,650
	EP	19,190	22,185	24,345	24,815	23,110
Odisha	AUC	551	394	763	252	44
	EP	878	849	2,288	402	76
Andhra Pradesh	AUC	2,591	2,251	4,135	4,517	1,050
	EP	5,222	5,936	17,617	31,365	9,724
Tamil Nadu & Pondicherry	AUC	30	2	26	68	133
	EP	81	6	65	199	449
Kerala	AUC	2,814	3,148	3,032	3,034	3,037
	EP	1,129	1,137	1,038	1,048	1,050
Karnataka & Goa	AUC	2,175	2,160	2,200	2,273	2,200
	EP	1,000	327	378	425	355
Maharashtra	AUC	0	0	50	55	172
	EP	0	0	60	68	278
Gujarat	AUC	35	2,970	4,390	6,406	7,486
	EP	116	10,065	17,250	27,430	31,997
Total	AUC	58,196	60,926	66,209	68,253	65,772
	EP	27,616	40,504	63,041	85,751	67,039

c. Scampi

The total scampi production during the year under report was 21,031 MT, compared to 24,769 MT during the previous year (the state-wise details of the area utilized for culture and the production details of scampi from various states were included in the state wise data).



7. 1.2. निर्यात के लिए कलचर्ड श्रिम्प का योगदान



चित्र 7.3 यह आंकड़ा श्रिम्प निर्यात मात्रा में जलकृषि के योगदान में समग्र वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें इसके प्रतिशत हिस्से में 0.47% की मामूली वृद्धि हुई है।

7.2. जलकृषि विस्तार गतिविधियाँ:

एमपीईडीए ने 5,279 किसानों के लिए 194 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 301 जलकृषि तकनीशियनों के कौशल उन्नयन हेतु 12 विशेष सत्र आयोजित किए। चौदह किसान सम्मेलनों और संगोष्ठियों में 1,231 लाभार्थी शामिल हुए, जिससे विशेषज्ञों के साथ संवाद को बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त, प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं पर 1,004 जागरूकता अभियान 11,164 किसानों तक पहुँचे, जबकि प्रजातियों के विविधीकरण और प्रमाणन पर 85 अभियानों से 2,261 किसान लाभान्वित हुए-जिनसे ज्ञान में वृद्धि हुई, चुनौतियों का समाधान हुआ और निर्यात के लिए गुणवत्तापूर्ण, अवशेष-मुक्त समुद्री खाद्य उत्पादन को बढ़ावा मिला। कार्यालयवार विवरण अनुलग्नक 1 में दिया गया है।



एमपीईडीए, क्षेत्रीय प्रभाग, कोलकाता ने 25.09.2024 को उत्तर 24 परगना के बेरमजुर नतुन पारा, संदेशखली-2 में एसटी समुदाय से संबंधित 30 कृषि श्रमिकों के लिए 'जैव सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वच्छता पहलुओं' पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।





7.1.2. Contribution of Cultured Shrimps for Export



Figure 7.3 illustrates an overall increase in the contribution of aquaculture towards shrimp export volume, with a marginal increase of 0.47% in its percentage share.

7.2. Aquaculture extension Activities:

MPEDA conducted 194 training programs for 5,279 farmers and 12 specialized sessions for 301 aquaculture technicians to upgrade their skills. Fourteen farmers’ meets and seminars reached 1,231 beneficiaries, fostering expert interaction. Additionally, 1,004 awareness campaigns on banned antibiotics reached 11,164 farmers, while 85 campaigns on species diversification and certification benefited 2,261 farmers enhancing knowledge, addressing challenges, and supporting quality, residue-free seafood production for export. The office wise details are in Annexure 1.



MPEDA, RD Kolkata conducted a one-day capacity building training programme on “Biosecurity and personal hygiene” aspects for 30 farm workers belonging to ST community on 25.09.2024 at Bermajuri Natun Para, Sandeshkhali-2, North 24 Parganas





7.3. जलकृषि फार्मों और हैचरी का नामांकन

ट्रेसिबिलिटी के उद्देश्य से एमपीईडीए के पास भारत में निर्यातानुमुखी प्रजातियों का उत्पादन करने वाले जलकृषि फार्मों और हैचरी के नामांकन के लिए एक स्वैच्छिक योजना है। प्रत्येक फार्म को एक अद्वितीय सिस्टम जनरेटेड फार्म नामांकन संख्या के साथ टैग किया गया है। दस्तावेजों के सत्यापन और खेतों के क्षेत्र सत्यापन के बाद फार्मों को नामांकित किया जाता है, जिसमें अत्यधिक सटीक हैंडहेल्ड जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) डिवाइस का उपयोग करके फार्म के भौगोलिक निर्देशांक रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया और हेड ऑफिस स्तर पर आगे का सत्यापन और केएमएल (कीहोल मार्कअप लैंग्वेज) फाइलें तैयार करना शामिल है, जो गूगल एर्थ एप्लिकेशन में देखी जा सकती हैं। नामांकित फार्मों को प्री-हार्वैस्ट टेस्ट सिस्टम के साथ-साथ राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) से जोड़ा गया है ताकि प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं/ पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। एमपीईडीए के साथ नामांकन के लिए दर्ज किए गए खेतों की कुल संख्या 82,198 है, जिनका कृषि क्षेत्र (जल प्रसार क्षेत्र) 2,17,898 है और इनमें से 1,13,633 हेक्टेयर वाले 58,943 खेतों को स्तर 2 सत्यापन के बाद अनुमोदित किया गया है।

एमपीईडीए ने 'एक्वा ट्रेस' नामक एक वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग करके कृषि नामांकन को उन्नत करता है। अधिकारियों के लिए वेब जीआईएस और किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप के साथ, यह मैन्युअल सर्वेक्षणों की जगह ड्रोन इमेजरी के माध्यम से खेतों की भौगोलिक स्थिति का पता लगाने में सक्षम बनाता है। यह प्रणाली ट्रेसिबिलिटी को मज़बूत करती है और सतत जलकृषि को बढ़ावा देती है।

7.4. शफरी प्रमाणन:

2024-25 तक, 15 हैचरी और 285 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को शफरी के अंतर्गत प्रमाणित किया जा चुका है, जो देश में उच्च-स्वास्थ्यवर्धक श्रिम्प उत्पादन सुनिश्चित करता है। वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए, एमपीईडीए ने 28 फरवरी 2025 को आधिकारिक शफरी लोगो प्रस्तुत किया, जिससे भारतीय श्रिम्प की ब्रांड दृश्यता, उपभोक्ता विश्वास और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई।



शफरी लोगो प्रकाशन कार्यक्रम

7.5. जलकृषि के विविधीकरण पर प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

निर्यात योग्य विभिन्न प्रकार की फिनफिश और शेल फिश, जैसे तिलापिया (गिफ्ट), मड क्रेब और सीबास एवं स्कैम्पी के संवर्धन उत्पादन हेतु नई जलकृषि तकनीकों को लोकप्रिय बनाकर जलकृषि में विविधीकरण किया गया। आरजीसीए द्वारा विकसित तकनीक को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रदर्शन कार्यक्रमों में अपनाया जाता है। सीबास, तिलापिया और मडक्रेब के बीज आरजीसीए और मल्टीस्पीशीज़ एक्वाकल्चर कॉम्प्लेक्स (मैक), वल्लारपदम, केरल से प्राप्त किए गए थे। 2024-25 में, तिलापिया (गिफ्ट) और सी बास जैसी विविध प्रजातियों पर दो प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए और केरल के कन्नूर जिले में एक सीबास प्रदर्शन फार्म से भी मछली का उत्पादन किया गया।



7.3. Enrolment of Aquaculture farms and hatcheries

For traceability purpose MPEDA has a voluntary scheme for enrolment of aquaculture farms and hatcheries which produce export-oriented species in India. Each farm is tagged with a unique system generated farm enrolment number. The farms are enrolled after verification of documents and field verification of farms including the process of recording geographical coordinates of the farm using a highly accurate handheld GPS (Global Positioning System) device and further verification at the head office level and generation of KML (Keyhole Markup Language) files, viewable in Google earth application. The enrolled farms are linked with Pre-Harvest Test System as well as National Residue Control Plan (NRCP) to trace the presence of banned antibiotics/substances. 1491 new farms have been enrolled during the 2024-25 and 1880 farms were approved for level 2 verification, 15 hatcheries with a total annual production capacity of 2,856 million were enrolled with MPEDA. The total number of farms entered for enrolment with MPEDA is 82,198 with farming area (Water Spread Area) of 217898 Ha and out of these 58,943 farms with 1,13,633 Ha have been approved after Level 2 verification.

MPEDA developed 'Aqua Trace', a web and mobile platform that upgrades farm enrolment using geospatial technology. With Web GIS for officials and a mobile app for farmers, it enables geo-location of farms via drone imagery, replacing manual surveys. The system strengthens traceability and promotes sustainable aquaculture.

7.4. SHAPHARI certification:

As of 2024-25, 15 hatcheries and 285 hectares of farm area have been certified under SHAPHARI, which ensures the production of high-health shrimp in the country. To boost global recognition, MPEDA introduced the official SHAPHARI logo on 28th February 2025, enhancing brand visibility, consumer trust and export competitiveness for Indian shrimp.



SHAPHARI Logo release function

7.5. Transfer of Technology through Demonstration Programmes on Diversification of Aquaculture

Diversification in aquaculture by popularizing new aquaculture technologies for culture production of exportable variety of finfishes and shell fishes, viz., Tilapia (GIFT), Mud crab and Sea bass and scampi were carried out. The technology developed by RGCA is adopted in various demonstration programmes conducted by the field offices. The seeds for Seabass, Tilapia and Mudcrab were procured from RGCA & Multispecies Aquaculture Complex (MAC), Vallarpadam, Kerala. In 2024-25, two demonstration programmes were undertaken on diversified species such as Tilapia (GIFT) and Seabass and also harvested 1 seabass demonstration farm at Kannur district, Kerala.



7.6 वित्तीय सहायता योजनाओं का कार्यान्वयन

व्यय वित्त समिति द्वारा 2021-26 की अवधि के लिए अनुमोदित योजनाओं के अनुसार, 7 इकाइयों को अग्रिम अनुमोदन जारी किए गए हैं और कुल 43.7 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

तालिका 7.5: जलकृषि विकास गतिविधियों के लिए 2024-25 के दौरान जारी वित्तीय सहायता

क्रम संख्या	वित्तीय सहायता योजना	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (लाखों में)
1	फार्म परिसर में बीजों के पालन के लिए नर्सरियों की स्थापना	2	15.00
2	विविध जलकृषि के लिए फार्मों की स्थापना	4	25.7
3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जलकृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु विशेष योजना	1	03.00
कुल		7	43.7



श्री डी वी स्वामी भाप्रसे अध्यक्ष, एमपीईडीए, तिरुवनंतपुरम में मेसर्स ले मरीन वन्नामेई फार्म के मालिक के साथ



श्री डी.वी. स्वामी भाप्रसे अध्यक्ष, 7 मार्च 2025 को तेलंगाना के मिड मनैर जलाशय में मछली पालन की तिलापिया पिंजरा कल्चर परियोजना का दौरा करते हुए

7.7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर क्षेत्र का कल्याण

2024-25 के दौरान, एमपीईडीए और उसकी समितियों, नाक्सा और नेटफिश ने, समुद्री तटवर्ती राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए कई पहल कीं, जिन पर ₹ 4.04 करोड़ खर्च किए गए और 10,600 से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया गया। मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

क्षमता निर्माण:

- ❖ व्यक्तिगत स्वच्छता और जैव सुरक्षा पर 127 एक दिवसीय कार्यक्रम (2,561 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थी)।
- ❖ टिकाऊ जलकृषि पर 27 पांच दिवसीय प्रशिक्षण सत्र (554 जलकृषक)।
- ❖ 30 मत्स्य अधिकारियों और संकाय के लिए 11 दिवसीय प्रशिक्षण-सह-अध्ययन दौरा।

नाक्सा पहल:

- ❖ 3 एक्वा वन केंद्र संचालित किए गए, जिससे 600 से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसान लाभान्वित हुए।
- ❖ 66 क्षमता निर्माण कार्यक्रमों से 1,324 क्लस्टर किसानों और श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
- ❖ पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 164 किसानों को लाभ (4.4 लाख रुपये व्यय)।



7.6. Implementation of financial assistance schemes

As per the schemes approved by the Expenditure Finance Committee for the period 2021-26, advance approvals have been issued to 7 units and a total of Rs. 43.7 Lakhs were released.

Table 7.5: Financial assistance released during 2024-25 for aquaculture development activities

Sl. No.	Financial assistance Scheme	No. of beneficiary	Amount Released (In Lakhs)
1	Establishment of nurseries for rearing seeds in the farm premises	2	15.00
2	Establishment of farms for diversified Aquaculture	4	25.7
3	Special Scheme for increasing aquaculture production for SC/ST	1	03.00
Total		7	43.7



Shri.D V Swamy, IAS, Chairman, MPEDA along with Owner of M/s Le Marine Vannamei Farm in Thiruvananthapuram



Shri D.V. Swamy, IAS, Chairman, visiting Tilapia cage culture project of FISHIN at Mid Manair Reservoir, Telangana on 7 March 2025

7.7. Welfare of SC/ST and Northeastern Region

During 2024–25, MPEDA and its societies, NaCSA and NETFISH, undertook several initiatives for the welfare of SC/ST communities across maritime states, spending ₹ 4.04 crore and benefiting over 10,600 SC and ST beneficiaries. Key highlights include:

Capacity Building:

- ❖ 127 one-day programmes on personal hygiene and biosecurity (2,561 SC/ST beneficiaries).
- ❖ 27 five-day training sessions on sustainable aquaculture (554 aqua farmers).
- ❖ 11-day training-cum-study tour for 30 fisheries officials and faculty.

NaCSA Initiatives:

- ❖ Operated 3 Aqua One Centres in Andhra Pradesh, benefiting 600+ SC/ST farmers.
- ❖ 66 capacity-building programmes benefiting 1,324 cluster farmers and workers.
- ❖ 8 training programmes in the NE region, benefiting 164 farmers (₹ 4.4 lakh spent).





एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

- ❖ शफरी-प्रमाणित हैचरी बीजों के लिए 15 लाभार्थियों को बीज लागत सब्सिडी (50% तक)।

सामुदायिक निवेश निधि:

- ❖ पहली बार नाक्सा सोसाइटियों में छोटे/सीमांत अ.ज./अ.ज.ज. किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया।
- ❖ प्रत्येक सोसायटी को 4 लाख रुपये की राशि परिक्रामी निधि के रूप में दी गई; 39 सक्रिय सोसाइटीयों में से 5 को पहली किस्त जारी की गई।

नेटफिश गतिविधियाँ:

- ❖ बंदरगाहों पर 176 एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे 5,236 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मछुआरों को लाभ मिला।
- ❖ ये प्रयास हाशिए पर पड़े समुदायों में स्वच्छता, जैव सुरक्षा, ऋण पहुंच, टिकाऊ खेती और क्षमता विकास में सुधार पर केंद्रित थे।

तालिका 7.6: सतत जलकृषि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 दिन) और व्यक्तिगत स्वच्छता एवं जैव सुरक्षा (1 दिन)

क्रम सं.	राज्य	सतत जलकृषि (5 दिन) अनु.जाति		सतत जलकृषि (5 दिन) अनु.जनजाति		स्वच्छता और जैव सुरक्षा (1 दिन) अनु.जाति		स्वच्छता और जैव सुरक्षा (1 दिन) अनु.जनजाति	
		प्रशिक्षणों की संख्या	प्रतिभागी	प्रशिक्षणों की संख्या	प्रतिभागी	प्रशिक्षणों की संख्या	प्रतिभागी	प्रशिक्षणों की संख्या	प्रतिभागी
1	पश्चिम बंगाल	2	40	0	0	0	0	12	360
2	ओडिशा	2	40	0	0	8	240	4	120
3	आंध्र प्रदेश	10	200	1	20	19	568	9	289
4	तेलंगाना	1	20	0	0	-	-	-	-
5	तमिलनाडु	2	40	1	20	21	615	2	60
6	केरल	1	20	1	20	6	180	6	180
7	गुजरात	1	20	2	40	8	254	4	116
8	महाराष्ट्र	1	20	0	0	9	276	6	186
9	कर्नाटक और गोवा	1	20	1	31	8	224	5	172
I	कुल (राज्य)	21	423	6	131	79	2357	48	1483
II	एमपीईडीए-नाक्सा	-	-	-	-	41	820	25	504
III	एमपीईडीए-नेटफिश	-	-	-	-	165	4929	11	307
कुल		21	423	6	131	285	8106	84	2294

7.7 नेक्स्टजेन तकनीकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: समुद्री खाद्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, एमपीईडीए ने 30 अगस्त 2024 को ग्रैंड ह्याट, कोच्चि में नेक्स्टजेन तकनीकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। प्राप्त 44 प्रस्तावों में से, 11 नवीन तकनीकों को चुना गया और कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया। समुद्री खाद्य मूल्य श्रृंखला के प्रमुख हितधारकों - शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, किसानों, हैचरी संचालकों, निर्यातकों, बैंकरों और प्रशासकों - को दृश्यता बढ़ाने और संभावित अनुप्रयोगों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन तकनीकों को देश भर में और अधिक प्रचारित करने के लिए ऑनलाइन सत्र आयोजित किए गए।

- ❖ Seed cost subsidy (up to 50%) to 15 beneficiaries for SHAPHARI-certified hatchery seeds.

Community Investment Fund:

- ❖ Introduced for the first time to support small/marginal SC/ST farmers in NaCSA societies.
- ❖ ₹ 4 lakh per society as a revolving fund; first installment released to 5 out of 39 active societies.

NETFISH Activities:

- ❖ Conducted 176 one-day programmes at fishing harbours, benefiting 5,236 SC/ST fishers.
- ❖ These efforts focused on improving hygiene, biosecurity, credit access, sustainable farming, and capacity development among marginalized communities.

Table 7.6: Training programme on Sustainable Aquaculture (5 days) & Personal Hygiene and Biosecurity (1 day)

Sl. No.	State	Sustainable Aquaculture (5 days) SC		Sustainable Aquaculture (5 days) ST		Hygiene & Biosecurity (1 day) SC		Hygiene & Biosecurity (1 day) ST	
		No. of training	Participants	No. of training	Participants	No. of training	Participants	No. of training	Participants
1	West Bengal	2	40	0	0	0	0	12	360
2	Odisha	2	40	0	0	8	240	4	120
3	Andhra Pradesh	10	200	1	20	19	568	9	289
4	Telangana	1	20	0	0	–	–	–	–
5	Tamil Nadu	2	40	1	20	21	615	2	60
6	Kerala	1	20	1	20	6	180	6	180
7	Gujarat	1	20	2	40	8	254	4	116
8	Maharashtra	1	20	0	0	9	276	6	186
9	Karnataka & Goa	1	20	1	31	8	224	5	172
I	Total (States)	21	423	6	131	79	2357	48	1483
II	MPEDA–NaCSA	–	–	–	–	41	820	25	504
III	MPEDA–NETFISH	–	–	–	–	165	4929	11	307
Total		21	423	6	131	285	8106	84	2294

7.8. International Conclave on NextGen Technologies: To promote modern technology adoption in the seafood sector, MPEDA organized the International Conclave on NextGen Technologies on 30th August 2024 at Grand Hyatt, Kochi. Of the 44 proposals received, 11 innovative technologies were shortlisted and presented at the event. Key stakeholders across the seafood value chain researchers, academicians, farmers, hatchery operators, exporters, bankers, and administrators were invited to enhance visibility and explore potential applications. Additionally, online sessions were held to further disseminate these technologies nationwide.



एमपीईडीए वार्षिक रिपोर्ट 2024-25



माननीय मुख्य अतिथि श्री लोकनाथ बेहरा आईपीएस (सेवानिवृत्त), प्रबंध निदेशक, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा उद्घाटन भाषण।



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) डॉ. एस. कंदन धन्यवाद ज्ञापन करते हुए

7.8 जलकृषि तकनीशियन प्रशिक्षण : श्रिम्प फार्मों और हैचरी में प्रतिबंधित सामग्री के दुरुपयोग के कारण निर्यात अस्वीकृतियों को दूर करने के लिए, एमपीईडीए ने 2024-25 में जलकृषि फार्मों और हैचरी तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने हेतु एक नई योजना शुरू की। इस पहल का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, ट्रेसबिलिटी, व्यापार नियमों और उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष के दौरान, देश भर में 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 301 तकनीशियन लाभान्वित हुए, जिससे बेहतर अनुपालन और उच्च-गुणवत्ता वाले समुद्री खाद्य निर्यात में योगदान मिला।



उक्षेत्र, वलसाड ने 22.10.2024 से 23.10.2024 तक नवसारी गुजरात में एक्वाकल्चर तकनीशियनों के लिए उन्नत प्रशिक्षण आयोजित किया।



क्षेत्रीय प्रभाग, विजयवाड़ा ने बापटला जिला, एपी में 'जलकृषि तकनीशियनों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम' पर 10.12.2024 से 13.12.2024 तक 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।



<https://tinyurl.com/32x8kmz4> (एमपीईडीए - जलकृषि अनुभाग के अधिकारियों द्वारा भाग लिए गए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की सूची देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें)





Inaugural Speech by Hon'ble Chief Guest Shri. Loknath Behera IPS (Rtd.), Managing Director, Kochi Metro Rail Ltd.



Dr. S. Kandan, Joint Director (Trg) delivering Vote of thanks

7.9. Aquaculture Technician Training: To address export rejections caused by the misuse of prohibited inputs in shrimp farms and hatcheries, MPEDA launched a new scheme in 2024–25 to train aquaculture farm and hatchery technicians. The initiative aimed to enhance awareness on food safety, traceability, trade regulations, and emerging technologies. During the year, 12 training programmes were conducted nationwide, benefiting 301 technicians, thereby contributing to improved compliance and higher-quality seafood export.



SRD, Valsad conducted advanced training for Aquaculture Technicians at Navsari Gujarat from 22.10.2024 to 23.10.2024



Regional Division, Vijayawada Organized a 4-day Training Programme from 10.12.2024 to 13.12.2024 on "Basic Training Programme for Aquaculture Technicians" at Bapatla District, AP



<https://tinyurl.com/59pudhz2> (Scan the QR code to view the list of National and International Programmes attended by Officials of MPEDA - Aqua Section)



एमपीईडीए कार्यालय द्वारा संचालित विस्तार कार्यक्रमों का विवरण

अनुलग्नक 1

ए - प्राप्त (कुल प्रशिक्षण / प्रतिभागी) टी- लक्ष्य

योजना घटक का नाम	आरडी कोलकाता		आरडी भुवनेश्वर		आरडी विजयवाड़ा		एसआरडी भीमावस्म		एसआरडी विजाग		एसआरडी हैदराबाद		एसआरडी काकीनाडा		एसआरडी नागाई		आरडी कोच्चि		आरडी मंगलोर		आरडी मुंबई		एसआरडी वलसाड		कुल	
	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए
सामान्य प्रशिक्षण (संख्या/कार्मिक)	4	2/40	4	4/80	3	4/180	4	4/80	2	0/0	1	1/23	1	0	3	3/60	2	2/40	2	2/67	2	2/34	4	4/80	28/584	
प्रशिक्षण (एससी/एसटी) (संख्या/व्यक्ति)	3	2/40	2	2/40	4	6/123	5	5/100	2	2/40	1	1/23	2	1/20	3	3/60	2	2/40	2	2/51	2	1/20	3	3/60	27/554	
किसान सम्मेलन/सेमिनार (संख्या/व्यक्ति)	1	0	1	1/107	1	6/547	1	2/170	1	0	0	0	0	0	1	1/83	1	1/136	1	1/54	1	1/54	1	1/81	14/1231	
जलकृषि तकनीशियन प्रशिक्षण	2	0	3	2/58	4	1/20	4	2/57	4	1/30	0	0	2	0	2	2/47	0	0	1	1/18	1	1/16	3	2/55	12/301	
जागरूकता अभियान (विविधीकरण और प्रमाणन) (संख्या/व्यक्ति)	8	9/220	5	9/210	12	12/277	12	13/264	5	5/78	2	2/13	6	3/212	6	6/135	8	8/492	4	4/50	4	6/157	5	5/153	85/2261	
जागरूकता अभियान (एंडीबायोटेक) (संख्या/व्यक्ति)	10	12/270	10	12/263	100	641/5099	100	130/2082	50	50/853	2	2/13	13	13/285	100	101/1297	10	13/457	10	10/131	10	10/189	10	10/225	1004/11164	



एमपीईडीए
वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

Details of Extension programmes conducted by MPEDA office

Annexure 1

A – Achieved (No. of training / participants) T - Target

Name of scheme component	RD Kol-kata		RD Bhubaneswar		RD Vijayawada		SRD Bhimavaram		SRD Vizag		SRD Hyderabad		SRD Kakinada		SRD Nagai		RD Kochi		RD Mangalore		RD Mumbai		SRD Valsad		Total	
	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
General Training (No./Pers)	4	2/40	4	4/80	3	4/180	4	4/80	2	0/0	1	1/23	1	0	3	3/60	2	2/40	2	2/67	2	2/34	4	4/80	32	28/584
Training (SC/ST) (No./Pers)	3	2/40	2	2/40	4	6/123	5	5/100	2	2/40	1	1/23	2	1/20	3	3/60	2	2/40	2	2/51	1	1/20	3	3/60	31	27/554
Farmers meet / seminar (No./Pers)	1	0	1	1/107	1	6/547	1	2/170	1	0	0	0	0	0	1	1/83	1	1/136	1	1/54	1	1/54	1	1/81	10	14/1231
Aqua-culture Technician Trainings	2	0	3	2/58	4	1/20	4	2/57	4	1/30	0	0	2	0	2	2/47	0	0	1	1/18	1	1/16	3	2/55	26	12/301
Awareness campaign(-diversification & certification) (No./Pers)	8	9/220	12	12/277	12	12/277	12	13/264	5	5/78	2	2/13	6	3/212	6	6/135	6	8/492	4	4/50	4	6/157	5	5/153	75	85/2261
Awareness campaign (antibiotic) (No./Pers)	10	12/270	100	12/263	100	641/5099	100	130/2082	50	50/853	2	2/13	10	13/285	100	101/1297	10	13/457	10	10/131	10	10/189	10	10/225	412	1004/11164



8. प्रसंस्करण अवसंरचना और मूल्य संवर्धन

मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों का वैश्विक निर्यात लगभग 32.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। प्रमुख निर्यातकों में चीन (9.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर), थाईलैंड (3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर), वियतनाम (2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर), इक्वाडोर (1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर), स्पेन (1.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और इंडोनेशिया (1.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं। इसके विपरीत, भारत का निर्यात केवल 0.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर (व्यापार मानचित्र 2024) है। मूल्यवर्धित उत्पादों की बढ़ती माँग के साथ, भारतीय निर्यातकों के लिए वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने और मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इस पहलू पर ध्यान केंद्रित करना तत्काल आवश्यक है।

समुद्री खाद्य क्षेत्र को वैश्विक मानकों को पूरा करने और मूल्यवर्धित उत्पादों की बढ़ती माँग का लाभ उठाने में मदद करने के लिए, एमपीईडीए विशिष्ट मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीएसवीएमपी) के माध्यम से समुद्री खाद्य क्षेत्र की सहायता कर रहा है। इन वित्तीय सहायता घटकों का उद्देश्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार, स्वचालन प्रसंस्करण, शीत श्रृंखला विकास, जीवित, सजावटी, ठंडी और सूखी मछलियों के लिए हैंडलिंग और पैकिंग केंद्रों की स्थापना और समुद्री खाद्य मूल्य संवर्धन पर श्रमिकों के कौशल को उन्नत करना है।

वित्तीय सहायता के घटक के साथ-साथ समुद्री खाद्य मूल्य संवर्धन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने भारतीय हितधारकों को मूल्य संवर्धन व्यवसाय में सक्रिय रूप से शामिल होने में मदद की है। इस घटक का उद्देश्य भारत को पुनर्प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है। एमपीईडीए मूल्य संवर्धन में अत्याधुनिक तकनीक से उद्योग को सुसज्जित करके और मूल्य संवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यबल के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना करता है।

8.1. 2024-25 के दौरान वित्तीय सहायता योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति

वित्त वर्ष 2024-25 (अनुलग्नक 1) के दौरान टीडीएसवीएमपी के अंतर्गत 15 लाभार्थियों को ₹ 2,796.07 लाख की वित्तीय सहायता जारी की गई। योजना और वित्तीय सहायता का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

8.1.1. विशिष्ट मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीएसवीएमपी)

टीडीएसवीएमपी का उद्देश्य स्वचालन और पैकेजिंग प्रणालियों सहित प्रसंस्करण अवसंरचना को समर्थन प्रदान करके और शीत भंडारण सुविधाएँ प्रदान करके मूल्यवर्धन में निवेश को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, यह विशेष मत्स्य प्रबंधन केंद्रों की स्थापना करके जीवित, सजावटी, ठंडी और सूखी वस्तुओं के प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करता है और इसका उद्देश्य लघु एवं मध्यम आकार की कंपनियों के व्यापक दायरे को समर्थन प्रदान करना, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में समावेशी विकास को बढ़ावा देना और देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:

1. मूल्य वर्धित उत्पाद विकास (एसवीए) के लिए समर्थन
2. प्रक्रिया स्वचालन के लिए समर्थन (एसपीए)
3. शीत भंडारण विकास के लिए समर्थन (एससीएस)
4. जीवित/सजावटी/शीतित मछली प्रबंधन सुविधाओं (एसएलएफ/एसओएफ/एससीएफ) के निर्माण के लिए समर्थन
5. सूखी मछली हैंडलिंग सुविधाओं (एसडीएफ) के निर्माण के लिए समर्थन



8. PROCESSING INFRASTRUCTURE AND VALUE -ADDITION

Global exports of value-added seafood products amount to approximately USD 34.21 billion. Major exporters include China (USD 9.1 billion), Thailand (USD 3.8 billion), Vietnam (USD 2.6 billion), Ecuador (USD 1.7 billion), Spain (USD 1.55 billion), and Indonesia (USD 1.38 billion). In contrast, India's exports stand at only USD 0.74 billion (Trade Map 2024). With the growing demand for value-added products, there is an urgent need for Indian exporters to focus on this aspect to capitalize on global opportunities and increase India's share in the global export of value-added seafood products.

To help the seafood sector meet global standards and tap into growing demand for value-added products, MPEDA has been assisting the seafood sector through the Technology Development for Specific Value-Added Marine Products (TDSVMP). These financial assistance components aimed at improving the infrastructural facilities for processing and value addition, automation, cold chain development, establishment of handling centres for live, ornamental, chilled and dried fishes and to upgrade the skills of the workers on seafood value addition.

The component on financial assistance as well as hands on training programs on seafood value addition has facilitated the Indian stakeholders to actively venture into value addition business. The vision of this component is to transform India into a hub for re-processing and value addition. MPEDA envisages achieving this vision by equipping the industry with state-of-the-art technology in value addition and focusing on skill development of the work force through training programs on value addition.

8.1. Progress of the implementation of financial assistance schemes during 2024-25

Financial assistance of ₹ 2,796.07 Lakh was released to 15 beneficiaries under TDSVMP during the FY 2024-25 (Annexure 1). Brief details of the scheme and financial assistance are provided below.

8.1.1. Technology Development for Specific Value-Added Marine Products (TDSVMP)

TDSVMP intends to promote investment in value addition by supporting processing infrastructure, including automation and packaging systems, as well as providing cold storage facilities. Further, it encourages processing of Live, Ornamental, Chilled and Dried items by establishing specialized fish handling centres and aims to support a broader spectrum of small and medium-scale companies, fostering inclusive growth in the seafood processing industry and strengthening the manufacturing ecosystem in the country. The scheme has the following components:

1. Support for Value Added Product Development (SVA)
2. Support for Process Automation (SPA)
3. Support for Cold Storage Development (SCS)
4. Support for creation of Live/Ornamental/Chilled Fish handling facilities (SLF/SOF/SCF)
5. Support for creation of Dried Fish handling facilities (SDF)





एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वितरित वित्तीय सहायता

अनुलग्नक- I
(लाख रूप में)

योजना	केरल		महाराष्ट्र		पश्चिम बंगाल		ओडिशा		आंध्र प्रदेश		तमिलनाडु		कुल	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
टीडीएसवीएमपी - एसवीए	1	186.81	2	340.90	2	343.30	0	0.00	3	986.79	2	660.69	10	2518.49
टीडीएसवीएमपी - एसपीए	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
टीडीएसवीएमपी - एससीएस	2	125.00	0	0.00	0	0.00	1	67.50	0	0.00	0	0.00	3	192.50
टीडीएसवीएमपी - एससीएफ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	35.08	1	35.08
कुल	3	311.81	2	340.9	2	343.3	1	67.5	4	1036.79	3	695.77	15	2796.07

नोट: प्रसंस्करण संयंत्र के स्थान के आधार पर राज्यवार क्रमबद्ध किया है।

8.2. समुद्री खाद्य मूल्य वर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (2024-25)

एमपीईडीए ने समुद्री खाद्य प्रसंस्करण श्रमिकों के लिए कुल 40 समुद्री खाद्य मूल्यवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। जिनमें से 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम अगस्त-सितंबर 2024 के दौरान भारत सरकार की पीएमएमएसवाई योजना के साथ 100 दिनों की कार्य योजना के तहत आयोजित किए गए, जिसमें 65 प्रसंस्करण इकाइयों के 1,000 समुद्री खाद्य प्रसंस्करण श्रमिकों को शामिल किया गया और अन्य 20 कार्यक्रम जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान आयोजित किए गए, जिसमें 30 प्रसंस्करण इकाइयों के 1,000 समुद्री खाद्य प्रसंस्करण श्रमिकों को शामिल किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों की तैयारी और प्रस्तुति में 2,000 समुद्री खाद्य प्रसंस्करण श्रमिकों के कौशल को बढ़ाना था, जिससे लोकप्रिय मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा मिले और देश से मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ाया जा सके। यह प्रशिक्षण सभी समुद्री राज्यों में 26 जगहों पर हुई और इसे एमपीईडीए-नेटफिश के योग्य प्रशिक्षकों के साथ वियतनामी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित समुद्री खाद्य प्रसंस्करण टेक्नीशियनों द्वारा आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षण सत्रों में प्रदर्शनों के बाद व्यावहारिक गतिविधियाँ शामिल थीं, जहाँ श्रमिकों ने विभिन्न मूल्य-वर्धित उत्पाद विकसित करना सीखा। प्रदर्शन अनुभाग के बाद, प्रशिक्षण से अर्जित कौशल का आकलन करने के लिए प्रशिक्षुओं के लिए एक व्यावहारिक कौशल परीक्षा आयोजित की गई। प्रशिक्षुओं ने बटरफ्लाई श्रिम्प, सीक, ब्रेडेड नोबाशी श्रिम्प, ब्रेडेड फिश फिलेट, ब्रेडेड बटरफ्लाई श्रिम्प, ब्रेडेड पॉपकॉर्न श्रिम्प, ब्रेडेड फ्रिटर श्रिम्प, ब्रेडेड स्क्वड रिंग्स, मैरीनेटेड श्रिम्प और डस्टेड स्क्वड रिंग्स आदि मूल्य-वर्धित उत्पाद तैयार करके अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिनका प्रशिक्षण के दौरान दिया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को भागीदारी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रसंस्करण संयंत्र प्रबंधन और प्रशिक्षुओं से प्रतिक्रिया भी एकत्र की गई।



व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र का दृश्य



प्रशिक्षकों, एमपीईडीए और नेटफिश अधिकारियों के साथ प्रतिभागी



FINANCIAL ASSISTANCE DISBURSED FOR THE FY 2024-25

Annexure- I
(Rs in Lakh)

Scheme	Kerala		Maharashtra		West Bengal		Odisha		Andhra Pradesh		Tamil Nadu		Total	
	Phy	Fin.	Phy	Fin.	Phy	Fin.	Phy	Fin.	Phy	Fin.	Phy	Fin.	Phy	Fin.
TDSVMP- SVA	1	186.81	2	340.90	2	343.30	0	0.00	3	986.79	2	660.69	10	2518.49
TDSVMP- SPA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
TDSVMP - SCS	2	125.00	0	0.00	0	0.00	1	67.50	0	0.00	0	0.00	3	192.50
TDSVMP - SCF	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	35.08	1	35.08
TOTAL	3	311.81	2	340.9	2	343.3	1	67.5	4	1036.79	3	695.77	15	2796.07

NB: State –wise sorted based on location of the processing plant.

8.2. Training Programme on Seafood Value Addition (2024-25)

MPEDA organized a total of 40 seafood value-addition training programs for seafood processing workers. Among which 20 trainings programmes were conducted during August-September 2024 under the 100 Days' Action Plan in convergence with the PMMSY scheme of GOI, covering 1,000 seafood processing workers from 65 processing units and another 20 programs were conducted during January-February 2025, covering 1,000 seafood processing workers from 30 processing units. These programs aimed to enhance the skills of 2,000 seafood processing workers in the preparation and presentation of value-added seafood products, thereby promoting the production of popular value-added products and to enhance the value-added products exports from the country. The training took place across 26 locations in all maritime states and was conducted by qualified trainers from MPEDA-NETFISH, along with seafood processing technicians trained by Vietnamese experts.

The training sessions included demonstrations followed by hands-on activities, where the workers learned to develop various value-added products. After the demonstration section, a practical skill test was conducted for the trainees to assess the skills acquired from the training. The trainees demonstrated their skills by preparing value-added products like butterfly shrimp, skewers, Breaded Nobashi shrimp, Breaded fish fillet, Breaded butterfly shrimp, Breaded fritter shrimp, Breaded squid rings, Marinated Shrimp and Dusted squid rings etc which were trained during the training. Certificates of participation were distributed to the participants at the end of the program. Feedback from the processing plant management and trainees were also collected.



View of hands-on training session



Participants with Trainers, MPEDA & NETFISH Officials





पीडीटीओ स्केवर



स्क्वड स्केवर



ब्रेडेड बटरफ्लाई श्रिम्प



बटरफ्लाई श्रिम्प



सुषि कट्टल फिश



ब्रेडेड बटरफ्लाई श्रिम्प

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तैयार किए गए मूल्यवर्धित उत्पाद

8.3. श्रिम्प मूल्य श्रृंखला में श्रम संबंधी मुद्दे:

अमेरिकी श्रम विभाग ने बाल श्रम और/या जबरन बाल श्रम की संभावना के साथ उत्पादित वस्तुओं की अपनी सूची में भारतीय श्रिम्प को शामिल करने की घोषणा की है। जवाब में, भारत ने 16.12.2024 को अमेरिकी श्रम विभाग (यूएस डीओएल) को एक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की, जिसमें श्रम विभाग, भारत सरकार के इनपुट के आधार पर श्रिम्प क्षेत्र में श्रम अधिकारों की रक्षा के उपायों की रूपरेखा दी गई। एमपीईडीए ने यह भी अनुरोध किया कि यूएस डीओएल बाल श्रम या जबरन श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कार्यकारी आदेश (ईओ) 13126 सूची में भारतीय श्रिम्प को शामिल करने से परहेज करे। एमपीईडीए के प्रयासों के कारण, समुद्री खाद्य मूल्य श्रृंखला में श्रम कल्याण की निगरानी के लिए आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा 6 राज्यों - केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और आंध्र प्रदेश ने जॉइंट टास्क फोर्स बनाई।





PDTO Skewer



Squid Skewer



Breaded Butterfly Shrimp



Butterfly Shrimp



Sushi Cuttlefish



Breaded Butterfly Shrimp

Value added Products prepared during the training programme

8.3. Labour issues in shrimp value chain:

The US Department of Labour has announced the inclusion of Indian shrimp in its list of goods produced with a likelihood of child labour and/or forced child labour. In reply, India submitted a response to the US Department of Labor (US DoL) on 16.12.2024, outlining measures to protect labour rights in the shrimp sector, based on inputs from the Department of Labour, GoI. MPEDA also requested that US DoL to refrain from including Indian shrimp in the Executive Order (E.O) 13126 List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labour. Due to efforts of MPEDA, a tripartite committee was formed by Andhra Pradesh and Maharashtra to monitor labour welfare in seafood value chain. Further Joint Task Force was formed by 6 states- Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Odisha and Andra Pradesh.





9. गुणवत्ता नियंत्रण

भारत से निर्यात किए जाने वाले समुद्री खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और उसमें सुधार लाने की पहल, एमपीईडीए के विभिन्न कार्यों में से एक है। एमपीईडीए का गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग, समुद्री खाद्य उद्योग को देश से सुरक्षित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मछली और मत्स्य उत्पादों का उत्पादन और निर्यात करने के लिए सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करता है।

9.1. नाइट्रोफ्यूरान और क्लोरैम्फेनिकॉल पर प्रतिबंध

एमपीईडीए के प्रस्ताव के आधार पर, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर भारत में किसी भी खाद्य उत्पादक पशु-पालन प्रणाली में उपयोग के लिए क्लोरैम्फेनिकॉल और नाइट्रोफ्यूरान के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) ने इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना, एसओ 1158 (ई), दिनांक 12.03.2025 प्रकाशित की। अधिसूचना की विषय-वस्तु इस प्रकार है:

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात, किसी भी खाद्य उत्पादक पशु पालन प्रणाली में उपयोग के लिए निम्नलिखित औषधियों के आयात, विनिर्माण, बिक्री और वितरण को तत्काल प्रभाव से निषिद्ध करती है, अर्थात् -

(1) क्लोरैम्फेनिकॉल और इसकी विनिर्मितियां; और

(2) नाइट्रोफ्यूरान और इसकी विनिर्मितियां।

9.2. श्रिम्प नियामक साझेदारी समझौता (आरपीए)

यूएसएफडीए के साथ श्रिम्प नियामक भागीदारी समझौते (आरपीए) के हिस्से के रूप में, एमपीईडीए ने एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स असेसमेंट टूल (एपीएटी) के 9 मानकों के अनुसार विभिन्न सरकारी एजेंसियों से जानकारी संकलित की है और यह टूल 22 फरवरी 2023 को यूएसएफडीए को सौंप दिया गया। भारत द्वारा प्रदान की गई जानकारी का मूल्यांकन करने के बाद, अमेरिका ने प्रत्येक मानक पर अधिक स्पष्टीकरण मांगा था। इसके अलावा, एमपीईडीए ने संबंधित एजेंसियों से जानकारी एकत्र की और उसे यूएसएफडीए को भेज दिया। भारत द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, यूएसएफडीए ने सूचित किया है कि उन्होंने भारत के एपीएटी सबमिशन की समीक्षा पूरी कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रदान की गई जानकारी आरपीए कार्यक्रम के अगले चरण, यानी देश में मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है। यूएसएफडीए ने पुष्टि की है कि उनकी टीम मई 2025 में अपने देश के दौरे के पहले चरण के रूप में भारत में जलकृषि श्रिम्प से संबंधित सरकारी कार्यालयों का दौरा करेगी।

9.3. डीजी-सैंटे मिशन 2024

यूरोपीय आयोग (ईसी) के स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा महानिदेशालय (डीजी-सैंटे) की एक निरीक्षण टीम ने 11-22 नवंबर 2024 तक भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग का लेखापरीक्षा किया ताकि यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले मत्स्य उत्पादों के उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया जा सके। टीम ने समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, जलकृषि फार्मों, शीत भंडारण सुविधाओं, मछली पकड़ने के बंदरगाहों और भारतीय नियामक एजेंसियों की प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया। एमपीईडीए ने निर्यात निरीक्षण परिषद के साथ मिलकर भारत में ईसी मिशन के लेखापरीक्षा में मदद की। लेखापरीक्षा टीम की अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

9.4. यूरोपीय संघ द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठान

यूरोपीय संघ को निर्यात हेतु स्वीकृत भारतीय समुद्री खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों की सूची का आवधिक अद्यतनीकरण, क्यूसी अनुभाग द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2025 तक, भारत में 456 समुद्री खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठान और 70 स्वतंत्र कोल्ड स्टोर यूरोपीय संघ द्वारा अनुमोदित और सूचीबद्ध हैं। यूरोपीय संघ ने 2018 से अनुमोदित इकाइयों की सूची में नई इकाइयों को जोड़ना बंद कर दिया था। व्यापार संबंधी द्विपक्षीय बैठकों के दौरान भारतीय पक्ष द्वारा निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, यूरोपीय संघ ने भारत से मछली और मत्स्य उत्पादों के निर्यात हेतु अनुमोदित इकाइयों की सूची में नई प्रसंस्करण इकाइयों को जोड़ना शुरू कर दिया। वर्ष के दौरान, यूरोपीय संघ द्वारा 27 इकाइयों को सूचीबद्ध किया गया।



9. QUALITY CONTROL

Initiatives to maintain and improve the quality of seafood exported from India is one among the various mandates of MPEDA. The Quality Control Section of MPEDA works towards equipping the seafood industry to produce and export safe and internationally acceptable fish and fishery products from the country.

9.1. Ban on Nitrofurans & Chloramphenicol

Based on MPEDA's proposal, the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, has issued a notification prohibiting the import, manufacture, distribution, and sale of Chloramphenicol and Nitrofurans for use in any food-producing animal-rearing systems in India.

The Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) published a Gazette notification, S.O. 1158(E), dated 12.03.2025, in this regard. The contents of the notification are as follows:

In exercise of powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, and after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, the Central Government hereby prohibits the import, manufacture, sale and distribution of the following drugs, for use in any food-producing animal rearing system, with immediate effect, namely –

- (1) *Chloramphenicol and its formulations; and*
- (2) *Nitrofurans and its formulations.*

9.2. Shrimp Regulatory Partnership Agreement (RPA)

As part of the Shrimp Regulatory Partnership Agreement (RPA) with USFDA, MPEDA has compiled the information from various Government agencies as per the 9 standards of the Aquaculture Products Assessment Tool (APAT) and the tool was submitted to USFDA on 22nd February 2023. After evaluating the information provided by India, the US had sought more clarification on each standard. Further, MPEDA collected information from the respective agencies and forwarded the same to USFDA. Based on the clarifications provided by India, USFDA has informed that they have completed the review of India's APAT submission and have concluded that the information provided is sufficient to move forward with the next phase of RPA program i.e. to conduct an in-country assessment. USFDA has confirmed that their team will visit the Government offices related to aquaculture shrimps in India in May 2025 as the first leg of their in-country visit.

9.3. DG-SANTE mission 2024

An inspection team from the Directorate-General for Health and Food Safety (DG- SANTE) of the European Commission (EC) audited the Indian seafood industry from 11-22 November 2024 to evaluate the control system in place governing the production of fishery products intended for exports to the European Union. The team inspected seafood processing units, aquaculture farms, cold storage facilities, fishing harbours and laboratories of the Indian regulatory agencies. MPEDA, along with Export Inspection Council, facilitated the EC mission audit in India. The final report from the audit team is awaited.

9.4. EU-approved establishments

Periodic updation of the list of Indian seafood processing establishments approved for export to EU is carried out by QC section. As on 31st March 2025, 456 seafood processing establishments and 70 independent cold stores in India are approved & listed by the EU. The EU had stopped adding new units to the list of approved units since 2018. As a result of sustained follow-up by the Indian side during bilateral meetings related to trade, the EU started adding new processing units to the list of approved units for exporting fish & fishery products from India. During the year, 27 units were listed by the EU.





9.5. समुद्री खाद्य एचएसीसीपी प्रशिक्षण

एमपीईडीए 1996 से भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग को सीफूड एचएसीसीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। एचएसीसीपी प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य समुद्री खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों में एचएसीसीपी के कार्यान्वयन में सहायता करना है। यह कोर्स यूएस सीफूड एचएसीसीपी एलायंस द्वारा विकसित मानकीकृत पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें यूएस सीफूड एचएसीसीपी विनियम (21 सीएफआर भाग 123), सीजीएमपी (सीएफआर भाग 117) और स्वच्छता नियंत्रण प्रक्रिया (एससीपी) का विशेष संदर्भ है। यूएसएफडीए और जेआईएफएसएएन द्वारा संचालित ट्रेन-द-ट्रेनर कोर्स कर चुके एमपीईडीए अधिकारियों द्वारा आयोजित एचएसीसीपी पाठ्यक्रम में एचएसीसीपी के सात सिद्धांतों को शामिल किया गया है और प्रसंस्करणकर्ताओं को उनके द्वारा संभाले या उत्पादित प्रत्येक समुद्री खाद्य उत्पाद के लिए विशिष्ट एचएसीसीपी योजनाएं विकसित करने का अधिकार दिया गया है। एमपीईडीए ने अलग-अलग जगहों पर 10 सीफूड एचएसीसीपी प्रशिक्षण आयोजित किए और भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग के 256 तकनीकी कार्मिकों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से फ़ायदा हुआ। प्रशिक्षण के अलावा, संबंधित राज्य में एक प्रसंस्करण इकाई का संकाय द्वारा उसके एचएसीसीपी कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु लेखापरीक्षा भी हुआ था, खासकर उसका जिसका पहले अस्वीकृति का इतिहास रहा है और इकाइयों को सुधारात्मक कार्रवाई का भी सुझाव दिया गया था।

9.6. कतर और भारत के बीच खाद्य सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन

कतर और भारत गणराज्य के बीच व्यापार एवं वाणिज्य पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 10 जुलाई 2024 को हुई पहली बैठक में, दोनों पक्ष खाद्य सुरक्षा पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए। खाद्य सुरक्षा पर इस समझौता ज्ञापन से भारत से कतर को कृषि और समुद्री उत्पादों का निर्यात सुगम होगा। एमपीईडीए ने भारत और कतर के बीच खाद्य सुरक्षा पर हुए समझौता ज्ञापन के मसौदे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान की हैं। समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कतर और भारत के बीच एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निदेशक, एमपीईडीए और संयुक्त निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण) एमपीईडीए ने विचार-विमर्श के दौरान एमपीईडीए का प्रतिनिधित्व किया।

9.7. कोडेक्स बैठकें

खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली पर कोडेक्स समिति (सीसीएफआईसीएस): श्री डी. वी. स्वामी भाप्रसे, अध्यक्ष, और डॉ. पी. जयगोपाल उप निदेशक (एक्वा) ने अन्य भारतीय प्रतिनिधियों के साथ 16-20 सितंबर 2024 को कांस, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली (सीसीएफआईसीएस) पर कोडेक्स समिति के 27वें सत्र में एमपीईडीए से भाग लिया।

कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग (सीएसी47): संयुक्त निदेशक (क्यूसी) डॉ. राम मोहन एम के ने 25-30 नवंबर 2024 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग (सीएसी47) के 47वें सत्र में भाग लिया।

9.8. आयातक देशों द्वारा अधिसूचित गुणवत्ता संबंधी मुद्दे

वर्ष 2024-25 में यूरोपीय संघ द्वारा 14 त्वरित चेतावनी सूचनाएँ, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा 30 आयात अस्वीकृतियाँ, और जापान द्वारा मानकों के 4 उल्लंघनों की सूचना दी गई। प्राथमिक उत्पादन से लेकर निर्यात तक मूल्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर की गई सक्रिय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, वर्ष 2024-25 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान से कुल अस्वीकृतियों की संख्या घटकर 48 रह गई, जबकि वर्ष 2023-24 में यह संख्या 66 थी। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों ने प्रत्येक मामले की जांच की और मूल कारण विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रसंस्करणकर्ताओं को पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया गया।

9.9. एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण और एलिसा लैब्स

एमपीईडीए, भारत के निर्यात निरीक्षण परिषद की ओर से राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) को क्रियान्वित करता है ताकि मछली और मत्स्य उत्पादों में अवैध पदार्थों तथा पर्यावरणीय प्रदूषकों के अवशेषों की निगरानी की जा सके। यह निगरानी जलकृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर की जाती है। एनआरसीपी के नमूनों के एमपीईडीए के पाँच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में विश्लेषण होते हैं, जबकि नमूनों को एमपीईडीए के फ़ील्ड अधिकारियों द्वारा संचयित किया जाता है।





9.5. Seafood HACCP Training

MPEDA has been providing Seafood HACCP training programs to the Indian Seafood Industry since 1996. The primary purpose of the HACCP training is to assist the implementation of HACCP in seafood processing establishments. The course is based on the standardized curriculum developed by the US Seafood HACCP Alliance with special reference to the US Seafood HACCP Regulations (21 CFR Part 123), CGMP (CFR Part 117) and Sanitation Control Procedures (SCPs). The HACCP course conducted by MPEDA officials who have undergone the Train-The-Trainer course conducted by USFDA & JIFSAN covers the seven principles of HACCP and empowers processors to develop HACCP plans specific to each seafood product they handle or produce. MPEDA organized 10 seafood HACCP trainings at various locations, and 256 technical personnel from the Indian seafood industry benefited from these training programmes. Apart from the training, an audit of one processing unit in the respective state, preferably one with a history of rejections, was also conducted to review its HACCP implementation by the faculty and corrective actions were suggested to the units.

9.6. MoU on food safety between Qatar and India

During the 1st meeting of the Joint Working Group on Trade and Commerce (JWG) between the State of Qatar and the Republic of India, held on 10th July 2024, both parties agreed to enter into a Memorandum of Understanding (MoU) on Food Safety. The MoU on Food Safety will facilitate the export of agricultural and marine products from India to the state of Qatar. MPEDA has provided comments on the draft MoU on Food safety between India and Qatar. To facilitate the finalization of the MoU, an online meeting was held between Qatar and India in which the Director, MPEDA, and the Joint Director (Quality Control), represented MPEDA during the deliberations.

9.7. CODEX Meetings

Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS): Shri.D.V.Swamy IAS, Chairman, and Dr. P. Jayagopal Deputy Director (AQUA) participated from MPEDA in the 27th session of Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS) at Cairns, Australia held in 16-20 September 2024 along with other Indian delegates.

Codex Alimentarius Commission (CAC47): Dr. Ram Mohan M.K., Joint Director (QC) participated in the 47th session of the Codex Alimentarius Commission (CAC47) held in Geneva, Switzerland, from 25-30 November 2024.

9.8. Quality issues notified by importing countries

Fourteen (14) Rapid Alert notifications by the EU, 30 import refusals by the US FDA, and 4 violations of Japanese standards were notified in 2024-25. With the active intervention made at various levels across the value chain right from primary production to export, the number of rejections from the USA, EU and Japan taken together has come down in 2024-25 to 48 from 66 in 2023-24. The field offices concerned have investigated the respective cases and furnished root-cause analysis reports. Corrective actions were suggested to the processors to prevent recurrences.

9.9. MPEDA Quality Control & ELISA labs

MPEDA implements the National Residue Control Plan (NRCP) on behalf of the Export Inspection Council of India to monitor the residues of unauthorized substances and environmental contaminants in fish & fishery products across the aquaculture value chain. NRCP samples are analyzed in the five Quality Control Laboratories of MPEDA, while the samples are collected by the field officers of MPEDA.





इसके अतिरिक्त, एमपीईडीए तटीय राज्यों में 14 एलिसा स्क्रीनिंग प्रयोगशालाएँ और 1 नमूना संग्रह केंद्र भी संचालित करता है, ताकि फसल-पूर्व परीक्षण प्रमाणन कार्यक्रम के तहत निर्यात से पहले किसान समुदाय को प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स के अवशेषों की जांच में सहायता मिल सके।

एमपीईडीए की क्यूसी एवं एलिसा प्रयोगशालाओं की उपलब्धियां/गतिविधियां इस प्रकार हैं:

9.9.1 राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी)

राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) यूरोपीय संघ को निर्यात करने वाले देशों द्वारा लागू की जाने वाली एक वैधानिक आवश्यकता है। जलकृषि उत्पादों के लिए, एनआरसीपी यूरोपीय संघ के विनियमन 2017/625 के तहत यूरोपीय संघ को जलकृषि उत्पादों के निर्यात के लिए एक पूर्वापेक्षा है। भारत से निर्यात किए जाने वाले समुद्री उत्पादों (मछली और मत्स्य उत्पादों) की गुणवत्ता पर उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, एमपीईडीए जलकृषि उत्पादों के लिए एनआरसीपी लागू कर रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना एसओ संख्या 1034 (ई) दिनांक 09-09-2003 के तहत एमपीईडीए को सक्षम प्राधिकारी, भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) की ओर से अवशेष निगरानी गतिविधियाँ संचालित करने के लिए प्रत्यायोजित किया। एनआरसीपी की संकल्पना, योजना और क्रियान्वयन एमपीईडीए द्वारा किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, एनआरसीपी 2024 के अंतर्गत इन प्रयोगशालाओं द्वारा 3710 नमूनों का विश्लेषण किया गया, जबकि लक्ष्य 3692 नमूनों का था।

9.9.2. कटाई-पूर्व परीक्षण

निर्यात के लिए एंटीबायोटिक अवशेष-मुक्त जलकृषि श्रिम्प उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु, एमपीईडीए देश में 14 एलिसा स्क्रीनिंग प्रयोगशालाएँ संचालित करता है। ये प्रयोगशालाएँ कटाई से पहले एकत्र किए गए श्रिम्प के नमूनों का परीक्षण करती हैं और स्क्रीनिंग के आधार पर किसानों को कटाई-पूर्व परीक्षण प्रमाणपत्र (पीएचटीसी) जारी करती हैं। 2024-25 के दौरान, एमपीईडीए एलिसा प्रयोगशालाओं द्वारा कुल 12,936 कटाई-पूर्व परीक्षण प्रमाणपत्र जारी किए गए। एलिसा प्रयोगशालाओं के कामकाज और नमूने लेने व विश्लेषण की सटीकता की पुष्टि के लिए निगरानी दौरे और निगरानी लेखापरीक्षा भी किए जाते हैं।

तालिका 9.1 विश्लेषित नमूनों का राज्यवार सारांश (पीएचटीसी द्वारा जारी)

क्र. सं.	राज्य	अप्रैल 2024 - मार्च 2025
1	आंध्र प्रदेश	7790
2	पश्चिम बंगाल	1480
3	तमिलनाडु	1075
4	ओडिशा	1331
5	गुजरात	1229
6	केरल	31
	कुल	12936

9.9.3. राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी (एमपीआरएनएल)

कोच्चि स्थित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी (एमपीआरएनएल) हेतु एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत के समुद्री तटवर्ती राज्यों से अंतर्देशीय मछलियों और क्रस्टेशियंस के 842 नमूनों का विश्लेषण किया गया और परिणाम सूचित किए गए।

9.9.4. एमपीईडीए प्रयोगशालाओं की मान्यता/अनुमोदन स्थिति

एमपीईडीए की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं ने अपनी पहली मान्यता और अनुमोदन के बाद से ही एनएबीएल और ईआईसी से अपनी मान्यता और अनुमोदन को बिना किसी रुकावट के बनाए रखा है। पोरबंदर स्थित एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला ने एनएबीएल मान्यता और ईआईसी अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। नेल्लोर और ऑंगोल स्थित एमपीईडीए एलिसा प्रयोगशालाओं ने भी एनएबीएल मान्यता प्राप्त कर ली है।

प्रयोगशालाओं की मान्यता और अनुमोदन स्थिति का विवरण तालिका 9.2 में दिया गया है:





In addition, MPEDA also operates 14 ELISA Screening laboratories and 1 sample collection centre in the coastal states to support the farming community in screening their crops for residues of banned antibiotics before export under the Pre-Harvest Test Certification programme.

The achievements/activities of the QC & ELISA labs of MPEDA are as follows:

9.9.1. National Residue Control Plan (NRCP)

The National Residue Control Plan (NRCP) is a statutory requirement to be implemented by countries exporting to the EU. For aquaculture products, NRCP is a prerequisite under EU regulation 2017/625 for the export of aquaculture products to the European Union. To ensure proper control on the quality of the marine products (fish & fishery products) exported from India, the MPEDA is implementing NRCP for aquaculture products. MoC&I vide notification SO No.1034(E) dated 09-09-2003 delegated MPEDA to carry out the residue monitoring activity on behalf of the Competent Authority, the Export Inspection Council of India (EIC). The conceptualizing, planning and implementation of NRCP is undertaken by the MPEDA. During the reporting year, 3710 samples were analysed by these labs under NRCP 2024 against the target of 3692.

9.9.2. Pre-Harvest Testing

To ensure antibiotic residue-free aquaculture shrimp production for export, MPEDA operates 14 ELISA screening labs in the country, and these labs test the farmed shrimp samples collected prior to harvest and issue Pre-Harvest Test Certificates (PHTC) to the farmers based on the screening. During 2024-25, a total of 12,936 Pre-Harvest Test Certificates were issued by MPEDA ELISA labs. Monitoring visits and surveillance audits are also carried out to verify the functioning of ELISA Labs and the accuracy of sampling and analysis.

Table 9.1. State-wise summary of samples analyzed (PHTC Issued)

Sl. No.	State	April 2024 - March 2025
1	Andhra Pradesh	7790
2	West Bengal	1480
3	Odisha	1331
4	Gujarat	1229
5	Tamil Nadu	1075
6	Kerala	31
TOTAL		12936

9.9.3. Monitoring of Pesticide Residues at the National Level (MPRNL)

The Quality Control lab at Kochi implements a project for the Monitoring of Pesticide Residues at the National Level (MPRNL) funded by the Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. During the reporting year, 842 samples of inland fishes and crustaceans from the maritime states of India were analyzed and the results were communicated.

9.9.4. Accreditation / Approval Status of MPEDA labs

Quality Control labs of MPEDA continued to maintain their accreditation and approval from NABL and EIC without any break since their first accreditation & approval. MPEDA QC lab at Porbandar attained NABL accreditation and EIC approval. MPEDA ELISA labs in Nellore and Ongole also attained NABL accreditation.

The details of accreditation and approval status of labs are detailed Table 9.2:





तालिका 9.2: प्रयोगशालाओं की मान्यता और अनुमोदन स्थिति का विवरण

क्र. सं.	प्रयोगशाला	प्रमाणपत्र की वैधता (एनएबीएल और ईआईसी)
1	एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, कोच्चि	30/10/2025
2	एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, भीमावरम	24/10/2025
3	एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, नेल्लोर	23/05/2025
4	एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला भुवनेश्वर	07/02/2027
5	एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, पोरबंदर	06/05/2025
6	एमपीईडीए एलिसा स्क्रीनिंग लैब, ऑंगोल	12/02/2029

9.9.5. प्रवीणता परीक्षा (पीटी) और अंतर प्रयोगशाला तुलना (आईएलसी) कार्यक्रम:

प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम मान्यता प्राप्त पीटी प्रदाताओं द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं और अंतर-प्रयोगशाला तुलना कार्यक्रम, विश्लेषण में विश्वसनीय परिणाम देने हेतु प्रयोगशालाओं की योग्यता की जाँच और स्थापना हेतु व्यक्तिगत प्रयोगशालाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, प्रयोगशालाओं ने निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर 9 पीटी और 4 आईएलसी कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक भाग लिया है:

तालिका 9.3: पीटी और आईएलसी कार्यक्रमों की सूची

क्र.सं.	पीटी कार्यक्रम	क्र.सं.	आईएलसी कार्यक्रम
1	सल्फोनामाइड्स और बीटा लैक्टम	1	नाइट्रोइमिडाज़ोल - आईपीजेड, आईपीजेडओएच
2	कीटनाशकों	2	एनएफएम (एएमओजेड)
3	हिस्टामिन	3	एलिसा- एनएफएम (एएमओजेड)
4.	4- एपिमर्स के साथ टेट्राक्सीक्लाइन	4.	डब्ल्यूओएच (ओआईई) सूचीबद्ध वायरस
5	क्विनोलोन और फ्लूरोक्विनोलोन		
6	पानी में एंटरोकोकी, स्ट्यूडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेन्स		
7	मछली और मत्स्य उत्पादों में विब्रियो हैजा, विब्रियो पैराहेमोलिटिकस, विब्रियो मिमिकस, विब्रियो वल्नीफिकस और विब्रियो एल्गिनोलिटिकस		
8	मछली पाउडर में स्टैफिलोकोकस ऑरियस, लिस्टेरिया एसपीपी, साल्मोनेला एसपीपी और ई कोलाई		

9.9.6. आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षाएँ ISO/IEC 17025: 2017 के अनुसार उपलब्ध उपकरण हैं जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि प्रयोगशाला अपने कार्यों में प्रबंधन संबंधी आवश्यकताओं एवं तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है या नहीं। एमपीईडीए की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं और ईएलआईएसए प्रयोगशालाओं का आंतरिक लेखापरीक्षा कैलेंडर के अनुसार किया गया। लेखापरीक्षक एमपीईडीए के अन्य गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं से लिए गए हैं। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के सभी कर्मचारी और अधिकारी ISO/IEC 17025: 2017 के अंतर्गत प्रशिक्षित हैं और आंतरिक लेखापरीक्षा करने में सक्षम हैं।

9.9.7 शफरी प्रमाणन के तहत नमूनों का परीक्षण:

हैचरी द्वारा एंटीबायोटिक मुक्त श्रिम्प बीज उत्पादन को प्रमाणित करने के लिए “शफरी” प्रमाणन योजना के तहत कुल 44 नमूनों का परीक्षण किया गया है।





Table 9.2: Details of accreditation and approval status of labs

Sl. No.	Lab	Certificate Validity up to (NABL and EIC)
1	MPEDA Quality Control Lab, Kochi	30/11/2025
2	MPEDA Quality Control Lab, Bhimavaram	24/10/2025
3	MPEDA Quality Control Lab, Nellore	23/05/2026
4	MPEDA Quality Control Lab Bhubaneswar	07/02/2027
5	MPEDA Quality Control Lab, Porbandar	06/05/2025
6	MPEDA ELISA Screening Lab, Ongole	12/02/2029

9.9.5. Proficiency Test (PT) and Inter Laboratory Comparison (ILC) Programmes:

Proficiency Test Programmes are international programmes organized by accredited PT providers and Inter Laboratory Comparison programmes are organized by the individual labs for checking and establishing the competency of laboratories to produce reliable results in analysis. During the reporting year, the labs have participated successfully in 9 PT and 4 ILC programmes for the following parameters:

Table 9.3: List of PT and ILC programmes

Sl. No.	PT Programmes	Sl. No.	ILC Programmes
1	Sulphonamides & Beta lactum	1	Nitroimidazole- IPZ , IPZOH
2	Pesticides	2	NFM (AMTZ)
3	Histamine	3	ELISA- NFM (AMTZ)
4.	Tetracycline with 4- epimers	4.	WOAH (OIE) listed viruses
5	Quinolones & fluoroquinolones		
6	<i>Enterococci, Pseudomonas</i> and <i>Clostridium perfringens</i> in Water		
7	<i>Vibrio cholera, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio mimicus, Vibrio vulnificus</i> and <i>Vibrio alginolyticus</i> in Fish and Fishery products		
8	<i>Staphylococcus aureus, Listeria spp, Salmonella spp</i> and <i>E coli</i> in Fish powder		

9.9.6. Internal Audits

Internal Audits are tools available as per ISO / IEC 17025: 2017 to check whether management requirements and technical requirements are met by the laboratory in its function. The Internal Audit of MPEDA QC labs & ELISA labs was conducted as per the audit calendar. The auditors are drawn from other QC laboratories of MPEDA. All staff and officials of QC labs are trained under ISO / IEC 17025: 2017 and are competent to conduct internal audits.

9.9.7. Testing samples under Shaphari Certification:

A total of 44 samples has been tested under “Shaphari” certification scheme to certify the antibiotic-free shrimp seed production by hatcheries.





एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

9.9.8 जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (एनएसपीएएडी) से परियोजना

एमपीईडीए, मत्स्य पालन विभाग के वित्तीय सहयोग से आईसीएआर-एनबीएफजीआर द्वारा समन्वित जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (एनएसपीएएडी) में 2023-24 तक तीन वर्षों के लिए एक भागीदार संगठन बन गया है। कोच्चि स्थित एमपीईडीए क्यूसी लैब का माइक्रोबायोलॉजी प्रभाग इस परियोजना के कार्यान्वयन प्रयोगशालाओं में से एक है। वर्ष 2024 के दौरान 2993 नमूनों के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 2820 नमूने प्राप्त हुए हैं।

10. एमपीईडीए के अंतर्गत सोसाइटियाँ

10.1 राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए)

राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए) व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण और निर्यातोन्मुखी जलकृषि प्रजातियों में विविधता लाकर सतत जलकृषि को प्रोत्साहित कर रहा है। गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन और प्रौद्योगिकी मानकीकरण के अलावा, आरजीसीए जलकृषि क्षेत्र के लिए कई व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और परामर्श सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

संक्षिप्त विवरण

क. बीज आपूर्ति और लाभार्थियों का विवरण

तालिका 10.1: बीज आपूर्ति और लाभार्थियों का विवरण

क्र सं.	परियोजना का नाम	उत्पाद/सेवाओं का नाम	वित्त वर्ष 2024 - 2025	
			लाभार्थियों की संख्या	आपूर्ति की गई मात्रा
1	एशियाई सीबास हैचरी और	सीबास फिंगरलिंग्स (संख्या)	346	58,90,703
2	मड क्रैब हैचरी थोडुवई, तमिलनाडु	केकड़ा इन्स्टार (संख्या)	108	12,90,755
3	गिफ्ट तिलापिया हैचरी विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	गिफ्ट बीज (सं.)	19	7,35,950
		गिफ्ट ब्रूड-फ्राई (सं.)	13	15,087
4	समुद्री फिनफिश हैचरी पोन्नियूर, केरल	सीबास फिंगरलिंग्स (संख्या)	9	15,860
		सिल्वर पोम्पानो (संख्या)	10	6,883
5	जलीय संगरोध सुविधाएं एल. वन्नामेई, चेन्नई, टीएन	एल .वन्नामेई ब्रूडस्टॉक्स (संख्या) को संगरोधित किया गया	346	1,83,266
		पी .मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक्स (संख्या) को संगरोधित किया गया		9,289
		पी . मोनोडॉन पीपीएल (संख्या) को संगरोधित किया गया		68,568
		एल. वन्नामेई पीपीएल (संख्या)		4,93,184
6	आर्टेमिया डेमो फार्म थारुवैकुलम और उप्पूर, तमिलनाडु	आर्टेमिया बायोमास (किग्रा)	53	425
		आर्टेमिया सिस्ट (टिन्स)		687



9.9.8. Project from National Surveillance Programme for Aquatic Animal Diseases (NSPAAD)

MPEDA has become a partner organization in the National Surveillance Programme for Aquatic Animal Diseases (NSPAAD) coordinated by ICAR- NBFGR with the fund support of the Department of Fisheries, for three years from 2023-24. The microbiology division of MPEDA QC lab at Kochi is one of the implementing labs for the project. A total number of 5331 samples have been received during the year 2024-25.

10. SOCIETIES UNDER MPEDA

10.1. Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA)

Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA) is promoting sustainable aquaculture through diversification of commercially important and export-oriented aquaculture species. Apart from quality seed production and technology standardization, RGCA is conducting several hands-on training programmes and providing consultancy services to the aquaculture sector.

Overview

a. Details of seed supply and beneficiaries

Table 10.1.: Details of seed supply and beneficiaries


Sl. No.	Name of the Project	Name of the produce/ services	FY 2024 - 2025	
			No. of Beneficiaries	Quantity supplied
1	Asian Seabass Hatchery and	Seabass fingerlings (nos.)	346	58,90,703
2	Mud crab Hatchery Thoduvai, TN	Crab instar (nos.)	108	12,90,755
3	GIFT Tilapia Hatchery Vijayawada, AP	GIFT seeds (nos.)	19	7,35,950
		GIFT brood-fry (nos.)	13	15,087
4	Marine Finfish Hatchery Pozhiyoor, Kerala	Seabass fingerlings (nos.)	9	15,860
		Silver Pompano (nos)	10	6,883
5	Aquatic Quarantine Facilities for <i>L. vannamei</i> , Chennai, TN	<i>L. vannamei</i> Broodstocks (nos.) quarantined	346	1,83,266
		<i>P. monodon</i> broodstocks (nos.) quarantined		9,289
		<i>P. monodon</i> PPLs (nos.) quarantined		68,568
		<i>L. vannamei</i> PPLs (nos.)		4,93,184
6	Artemia Demo Farm Tharuvaikulam & Uppoor, TN	Artemia biomass (kg)	53	425
		Artemia cyst (tins)		687





7	बहुप्रजाति जलकृषि परिसर (MAC) वल्लारपाडम, केरल	गिफ्ट बीज (सं.)	456	4,09,758
		सीबास फिंगरलिंग्स(सं.)	172	2,02,919
		एट्रोप्लस सुरटेन्सिस बीज (संख्या)	163	5,80,322
		पी. मोनोडोन बीज (संख्या)	21	7,47,000
8	जलकृषि प्रदर्शन फार्म, कारैकल	एशियाई सीबास फिंगरलिंग्स/जुवनाइल	39	48,850
		क्रैबलेट्स		86,687

ख. आरजीसीए केंद्रीय प्रयोगशालाओं से योगदान



चित्र 10.1: सीएजीपीएफटीएल, आरजीसीए से संसाधित नमूने और लाभार्थी

ग. आरजीसीए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रशिक्षण प्रभाग से विस्तार सेवा

तालिका 10.2: 2024-25 के दौरान विस्तार सेवा

क्र.सं.	विवरण	2024 -2025	
		प्रशिक्षणों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	प्रशिक्षण कार्यक्रम	40	550
2	जल-किसान मिलन कार्यक्रम	7	166
3	जागरूकता कार्यक्रम	78	2371
4	मैक सुविधा पर विभिन्न कॉलेजों से छात्रों के लिए इंटरनशिप कार्यक्रम और केंद्रीय प्रयोगशाला	32	141
	कुल	157	3228





7	Multispecies Aquaculture Complex (MAC) Vallarpadam, Kerala	GIFT Seeds (nos.)	456	4,09,758
		Seabass fingerlings(nos.)	172	2,02,919
		<i>Etroplus suratensis</i> seeds (nos.)	163	5,80,322
		<i>P. monodon</i> seeds (nos.)	21	7,47,000
8	Aquaculture Demonstration Farm, Karaikal	Asian Seabass Fingerlings/Juvenile	39	48,850
		Crablets		86,687

b. Contribution from RGCA Central Laboratories




Figure 10.1: Samples processed and beneficiaries from CAGPFTL, RGCA

c. Extension service from RGCA Technology transfer and training division

Table 10.2. : Extension service during 2024-25

Sl. No.	Particulars	2024 -2025	
		No. of Trainings	No. of Beneficiaries
1	Training programmes	40	550
2	Aqua-farmers Meet Programme	7	166
3	Awareness Programme	78	2371
4	Internship programme for students from various colleges at MAC facility and Central Laboratory	32	141
	Total	157	3228





मड क्रैब कल्चर तालाब पर व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र

घ. भारत के तटीय समुदायों के जलवायु लचीलेपन को बढ़ाने (ईसीआरआईसीसी) के साथ सहयोग

ईसीआरआईसीसी एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों का समाधान करना है। यह कार्यक्रम ओडिशा के चार जिलाओं के सात प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 949 गांवों में फैला हुआ है, जो अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों को पुनर्स्थापित करने और समुदाय की सहनशीलता को मजबूत करने पर केंद्रित है। अपने मूल में, ईसीआरआईसीसी तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत प्रबंधन, समुदाय-आधारित अनुकूलन और नवीन जलवायु-प्रतिरोधी आजीविका समाधानों को बढ़ावा देता है। मजबूत साझेदारियों, क्षमता निर्माण और समावेशी सहभागिता के माध्यम से, यह पहल जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से तटीय आजीविका और पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है।

एमपीईडीए-आरजीसीए, मैंग्रोव मड क्रैब (स्काइला सेराटा) संवर्धन के प्रसार के लिए ईसीआरआईसीसी परियोजना, ओडिशा के साथ सहयोग कर रहा है। आरजीसीए के विषय विशेषज्ञों ने ओडिशा के चार जिलों, गंजम, पुरी, बालासोर और केंद्रपाड़ा का दौरा किया और संभाव्यता अध्ययन किया। इस सहयोग के तहत, आरजीसीए ने ओडिशा के किसानों को कुल 86,932 क्रैबलेट की आपूर्ति की।

महाराष्ट्र में, मैंग्रोव मडक्रैब पर आयोजित व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 अधिकारियों ने एमपीईडीए-आरजीसीए हेचरी एवं प्रदर्शन फार्म सुविधा में भाग लिया।

ईसीआरआईसीसी, ओडिशा और महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए चर्चा प्रगति पर है।

10.2 मछली गुणवत्ता प्रबंधन और सतत मत्स्य पालन के लिए नेटवर्क (नेटफिश)

नेटफिश का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन से संबंधित विषयों, विशेष रूप से गुणवत्ता प्रबंधन, संरक्षण और सतत मछली पकड़ने की पद्धतियों पर मछुआरा समुदायों को सशक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर की विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वर्ष 2024-25 के दौरान एमपीईडीए-नेटफिश द्वारा कुल 4801 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 54572 लाभार्थी लाभान्वित हुए (तालिका 10.3 देखें)।

तालिका 10.3: 2024-25 के दौरान आयोजित विस्तार गतिविधियों की कुल संख्या

क्रसं.	कार्यक्रम का प्रकार	कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
क	सामान्य अनुदान सहायता निधि कार्यक्रम		
1	बंदरगाह आधारित कार्यक्रम	485	9436
2	सूखी मछली कार्यक्रम	43	885
3	पूर्व-प्रसंस्करण केंद्र कार्यक्रम	85	2328
4	स्वच्छता सफाई	12	1304
5	एससीओ द्वारा आयोजित हितधारक बैठकें	63	357
6	विश्व महासागर दिवस कार्यक्रम	1	100
7	एक्सपोज़र विज़िट	2	40





The practical training session at mud crab culture pond

d. Collaboration with Enhancing Climate Resilience of India’s Coastal Communities (ECRICC)

ECRICC is a transformative initiative aimed at addressing the growing vulnerabilities of India’s coastal regions to climate change. Spanning 949 villages across seven key landscapes in four districts of Odisha, the program is focused on enhancing adaptive capacity, restoring vital ecosystems, and strengthening community resilience. At its core, ECRICC promotes sustainable management of coastal ecosystem, community-led adaptation, and innovative climate-resilient livelihood solutions. Through strong partnerships, capacity building, and inclusive engagement, the initiative works to safeguard coastal livelihoods and ecosystems against the mounting threats of climate change.

MPEDA-RGCA is collaborating with ECRICC Project, Odisha for the dissemination of Mangrove Mud crab (*Scylla serrata*) culture. Subject experts from RGCA visited 4 districts in Odisha namely, Ganjam, Puri, Balasore and Kendrapada and conducted feasibility study. As part of the collaboration, RGCA supplied a total of 86,932 nos of crablets to farmers in Odisha.

In Maharashtra, hands on Mangrove Mud crab training programme was given to 20 officials at MPEDA-RGCA hatchery & Demonstration farm facility.

Discussion with ECRICC, Odisha and Maharashtra are in progressing for signing MOU.

10.2. The Network For Fish Quality Management & Sustainable Fishing (NETFISH)

NETFISH focuses on grass - root level extension activities to empower fishing communities on fishery-related topics, specifically fish quality management, conservation, and sustainable fishing practices. Following 4801 programmes benefiting 54572 beneficiaries (Table 10.3) were conducted by MPEDA-NETFISH during the year 2024-25.

Table 10.3: Total No: of extension activities conducted during 2024-25


No.	Type of Program	No of programs	No of Beneficiaries
A	GENERAL GRANT-IN-AID FUND PROGRAMS		
1	Harbour based program	485	9436
2	Dry fish program	43	885
3	Pre-processing Centre program	85	2328
4	Swachhata clean-ups	12	1304
5	Stakeholder Meetings organized by SCOs	63	357
6	World Oceans Day program	1	100
7	Exposure visit	2	40





एमपीईडीए वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

ख	नेटफिश अ.ज./अ.ज.ज. फंड कार्यक्रम		
8	अ.ज. मछुआरों के लिए बंदरगाह आधारित कार्यक्रम	165	4929
9	अ.ज.ज. फिशर्स के लिए बंदरगाह आधारित कार्यक्रम	11	307
10	इनपुट वितरण के लिए सिफ्ट के साथ संयुक्त कार्यक्रम	1	165
ग	एमपीईडीए आरडी/एसआरडी अ.ज./अ.ज.ज. फंड कार्यक्रम		
11	अ.ज. मछुआरों के लिए बंदरगाह आधारित कार्यक्रम	11	315
12	अ.ज.ज. फिशर्स के लिए बंदरगाह आधारित कार्यक्रम	4	135
13	अ.ज./अ.ज.ज. समुद्री खाद्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण	8	237
घ	टेड फंड कार्यक्रम		
14	हार्बर आधारित टेड जागरूकता कार्यक्रम	256	8351
15	टेड कार्यशाला	11	1307
16	टेड ऑन-बोर्ड परीक्षण	29	904
ङ	बाह्य वित्त पोषित कार्यक्रम		
17	समुद्री खाद्य इकाई प्रशिक्षण कार्यक्रम	44	1459
18	पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम	72	2495
19	मुंबई बंदरगाह सोसाइटी द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम	5	109
20	समुद्री स्तनधारी परियोजना-समुद्री पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण	21	368
21	अरुणोदय ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण	1	40
च	अन्य गतिविधियों		
22	एचडीसी के माध्यम से जागरूकता	3087	18390
23	एचडीसी की बैठक / प्रशिक्षण / मूल्यांकन	85	-
24	दूसरों द्वारा आयोजित बैठकों/कक्षाओं/गतिविधियों में भागीदारी	169	-
25	अधिकारियों के दौरे का समन्वय	8	-
26	सिफनेट के साथ सहयोग	10	653
27	सजावटी मछली स्वास्थ्य प्रमाणन	72	-
28	एमपीईडीए समुद्री खाद्य मूल्य वर्धन कार्यक्रम में प्रशिक्षक	36	1707
कुल योग		4797	56321



चित्र 10.2: 2024-25 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की राज्य/ क्षेत्रवार संख्या





B NETFISH SC/ST FUND PROGRAMS			
8	Harbour based program for SC Fishers	165	4929
9	Harbour based program for ST Fishers	11	307
10	Joint program with CIFT for input distribution	1	165
C MPEDA RD/SRD SC/ST FUND PROGRAMS			
11	Harbour based program for SC Fishers	11	315
12	Harbour based program for ST Fishers	4	135
13	SC/ST Seafood worker's training	8	237
D TED FUND PROGRAM			
14	Harbour based TED awareness program	256	8351
15	TED Workshop	11	1307
16	TED On-board Trial	29	904
E EXTERNAL FUNDED PROGRAMS			
17	Seafood Unit training program	44	1459
18	Paradeep Port Authority funded program	72	2495
19	Munambam Harbour Society funded program	5	109
20	Marine Mammal Project-Training to Marine observer	21	326
21	Value addition training sponsored by Arunoday Trust	1	40
F OTHER ACTIVITIES			
22	Awareness through HDCs	3091	18390
23	Meeting / Training / Evaluation of HDCs	85	-
24	Participation in meetings/ classes/ activities organized by others	169	-
25	Coordination of visit of officials	8	-
26	Collaboration with CIFNET	10	653
27	Ornamental fish Health Certification	72	-
28	Trainer in MPEDA Seafood Value addition program	36	-
GRAND TOTAL		4801	54572




Figure 10.2: State/Region wise number of programs conducted during 2024-25



एक्सपोजर विज़िट

1. उमरगाम, गुजरात के सूखी मछली प्रसंस्करणकर्ताओं ने स्वच्छ मछली सुखाने, पैकेजिंग और बाजार तक पहुंच की उन्नत तकनीकों के बारे में जानने के लिए सीआईएफटी, एनआईपीएचएटीटी, एमपीईडीए, नेटफिश, क्राफ्ट वर्क सोलर प्लांट और कोच्चि, कोल्लम और अलपुझा में सीआईएफटी सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा विकसित विभिन्न सूखी मछली इकाइयों और सूखी मछली मॉडलों का दौरा किया।
2. पुडुचेरी के 30 नाव मालिकों ने केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के मछली पकड़ने के बंदरगाहों और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का दौरा किया और केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में स्थानीय मछुआरों, हितधारकों और खरीदारों के साथ बैठकें आयोजित की गईं, ताकि वे मछली पकड़ने की विधियों, मछली के संभालने की प्रक्रियाओं, सरकारी सब्सिडी योजनाओं और अपनी कैच को सीधे खरीदारों को बेचने की संभावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।



तमिलनाडु में बंदरगाह आधारित जागरूकता कार्यक्रम

अन्य वित्त पोषित कार्यक्रम

1. **पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम:** नेटफिश ने ओडिशा के तटीय राज्यों में मछुआरों के लिए मछली की गुणवत्ता, ज़िम्मेदारी युक्त मछली पकड़ना और चिरस्थायी प्रबंधन पर 72 क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पारादीप पोर्ट प्राधिकरण से मिले सीएसआर निधि का इस्तेमाल किया गया। पिछले साल हमें पीपीए से 10 लाख रुपये मिले थे, जबकि इस साल उन्होंने अपने सीएसआर निधि से 28 लाख रुपये मंजूर किए हैं। इन कार्यक्रमों से कुल 2495 मछुआरों को फायदा हुआ है।
2. **सिफनेट के साथ सहयोग:** समन्वयकारी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सिफनेट के साथ हुए समझौता ज्ञापन को अतिरिक्त 2 साल के लिए पुनः जारी किया गया। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में 10 कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 653 मछुआरों को फायदा हुआ। इन कार्यक्रम में 'जान बचाने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम' और 'समुद्री सुरक्षा, नौ संचालन, नाव इंजन की मरम्मत और इलेक्ट्रॉनिक्स पर जागरूकता कार्यक्रम' शामिल थे।
3. **एमएफएचएमएस प्रायोजित कार्यक्रम:** नेटफिश को मुंबई मत्स्य पालन बंदरगाह पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए तथा बंदरगाह में काम करने वालों के लिए ड्रेस कोड को बढ़ावा देने के लिए मुंबई मत्स्य पालन बंदरगाह प्रबंधन सोसाइटी की तरफ से 2 लाख रुपये प्राप्त हुए। इस सिलसिले में, नेटफिश ने मछुआरों के लिए 5 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और बंदरगाह के 109 कर्मचारियों ने ड्रेस कोड (ट्रैक पैट और टी-शर्ट) अपनाया है।



Exposure visit

1. Dry fish processors from Umargam, Gujarat visited CIFT, NIPHATT, MPEDA, NETFISH, Kraft work solar plant and various dry fish units and dry fish models developed by CIFT empanelled agencies at Kochi, Kollam & Alappuzha, to learn about advanced techniques in hygienic fish drying, packaging, and market access.
2. 30 Boat owners from Puducherry visited fishing harbours and seafood processing plants across Kerala, Karnataka, Goa and Maharashtra and arranged meetings with local fishers, stakeholders and buyers in Kerala, Karnataka, Goa and Maharashtra to learn about fishing methods, fish handling practices, govt. subsidy schemes and the possibility of selling their catch directly to the buyers.



Harbour based awareness program in Tamilnadu

Other funded programmes

1. **Paradeep Port Authority sponsored programs:** NETFISH had organized 72 nos. of capacity building programs on fish quality, responsible fishing and sustainable management for fisher folks in the coastal states of Odisha, utilizing the CSR fund received from Paradeep Port Authority. Last year we received 10 lakh from PPA whereas this year they have sanctioned ₹ 28 lakh from their CSR fund. A total of 2495 fishers were benefitted by these programs.
2. **Collaboration with CIFNET:** The MOU with CIFNET was renewed for additional 2 years for conducting collaborative programmes. 10 skill development programs were held in West Bengal, Karnataka, Goa, Maharashtra, Gujarat and Kerala benefiting 653 fishers. The programs included a 'skill development training program on life saving and electronic equipment' and 'awareness program on sea safety, navigation, boat engine repairing and electronics'.
3. **MFHMS sponsored programs:** NETFISH received ₹ 2 lakh from Munambam Fishing Harbour Management Society for conducting capacity building programs at Munambam FH and to promote dress code to workers in the harbour. In this regard, NETFISH had conducted 5 awareness programs for the fishers and 109 workers in the harbour have adopted the dress code (Track pants and T-shirt).





- मूल्य वर्धित समुद्री खाद्य प्रशिक्षण कार्यक्रम:** उत्तरा कन्नड़ ज़िले के सिरसी में 40 नए खाद्य उद्यमियों के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों तैयार करने का एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कर्नाटक के अरुणोदय ट्रस्ट के साथ मिलकर नेटफिश को 5000/- रुपये का इंस्टीट्यूशन चार्ज लेकर आयोजित किया गया था।
- समुद्री स्तनधारी जीव परियोजना:** पीएमएमएसवाई योजना के तहत वित्तीय विभाग द्वारा मंजूर किए गए 'भारत में समुद्री स्तनधारियों के स्टॉक असेसमेंट' नाम के परियोजना के हिस्से के तौर पर, नेटफिश ने समुद्री स्तनधारियों/ कछुओं के बाय-कैच को समझने के लिए 8853 मत्स्य का सर्वे किया। मरीन ऑब्ज़र्वर प्रोग्राम के तहत, मिले डेटा में व्हेल, डॉल्फिन और समुद्री कछुओं से जुड़ी 30 साइटिंग्स और 47 फिशरी इंटरैक्शन शामिल थे।
- हितधारकों के लिए जागरूकता बैठक:** हाइजीनिक मछली हैंडलिंग और संरक्षण, पोस्ट-हार्वैस्ट में होने वाले नुकसान, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को खत्म करने, समुद्री स्तनधारियों और कछुओं की सुरक्षा, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वित्तीय सहायता योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि पर 63 हितधारकों के लिए जागरूकता बैठकों का आयोजन किया गया।
- बन्दरगाह डेटा संचयन:** 82 चुने हुए मत्स्य पालन बन्दरगाह/ लैंडिंग केंद्र से रियल-टाइम डेटा इकट्ठा किया गया। 35 लैंडिंग स्थान से प्रजाति के हिसाब से मछली के दर का डेटा एनएफडीबी को हर हफ्ते दिया गया।
- एचडीसी के जरिए जागरूकता:** बंदरगाहों पर मछुआरों और मछली हैंडल करने वाले मज़दूरों को संबंधित बंदरगाहों पर हार्बर डेटा कलेक्टर्स के जरिए नियमित तौर पर जागरूकता दी गई, जिसके लिए 3087 कार्यक्रम आयोजित किए गए। समुद्री स्तनधारियों और समुद्री कछुओं की सुरक्षा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को खत्म करने, मछली को हाइजीनिक तरीके से संभालने, पर्सनल हाइजीन और मछली पालन से जुड़ी खबरों के बारे में जागरूकता संबंधी संदेशों को बंदरगाहों पर बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए हितधारकों तक पहुंचाए गए।
- एमपीईडीए-नेटफिश की पहल पर, एनजीओ प्लान@र्थ के जरिए और मुनंबम मत्स्य पालन बन्दरगाह प्रबंधन सोसाइटी (एमएफएचएमएस) और हितधारक संघ के साथ मिलकर मुनंबम मत्स्य पालन बन्दरगाह में शुरू किया गया प्लास्टिक कलेक्शन कार्यक्रम जिसका नाम डीआरओपी (ड्राइव टू रिकवर ओशन प्लास्टिक) है, सफलतापूर्वक चल रहा है। 2023 में परियोजना शुरू होने के बाद से अब तक लगभग 30916 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया गया है, जिसमें 602 मछली पकड़ने वाली नावों की सक्रीय भागीदारी से समुद्र से निकाला गया 17761 किलोग्राम और बन्दरगाह परिसर से 13155 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा शामिल है। इस कचरे को श्रेडिंग और रीसाइक्लिंग के लिए भेजा गया।**
- नेटफिश एससीओ ने एमपीईडीए के क्षेत्रीय प्रभागों/ उप क्षेत्रीय प्रभागों द्वारा आयोजित 36 समुद्री खाद्य मूल्य वर्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के तौर पर काम किया।**
- ऑनर्नमेंटल मछली के स्वास्थ्य का प्रमाणन:** इस अवधि के दौरान नेटफिश राज्य समन्वयकों द्वारा निर्यात के लिए भेजी जाने वाली ऑनर्नमेंटल मछलियों की 72 खेपों का निरीक्षण किया और उन्हें प्रमाणित किया।

नेटफिश हस्तक्षेपों के प्रमुख प्रभाव

- ❖ मछलियों को संभालने और संरक्षित करने की उन्नत तरीकों के प्रचार-प्रसार से इंसुलेटेड बॉक्स, प्री-कूलिंग, उचित बर्फ बिछाने और स्वच्छ उपकरणों का उपयोग बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप हार्वैस्ट के बाद होने वाले नुकसान में कमी आई है, गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा मछुआरों की आय में वृद्धि हुई है।
- ❖ प्रसंस्करण इकाइयों में बेहतर स्वच्छता और सुखाने की स्वच्छ तरीकों को अपनाने से उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
- ❖ संरक्षण प्रयासों के कारण टीईडी को अधिक स्वीकार्यता मिली है, किशोर मछलियों को छोड़ा गया है, मछली पकड़ने की जिम्मेदार प्रथाओं को अपनाया गया है, स्वेच्छा से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है, तथा टिकाऊ मछली पकड़ने के समर्थन के लिए नीति में संशोधन किया गया है।
- ❖ बंदरगाह की नियमित सफाई, उचित अपशिष्ट निपटान, तथा मछली पकड़ने की यात्राओं के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक कचरे के संग्रहण और सुरक्षित निपटान को प्रोत्साहन मिला है।

4. **Value Added Seafood Training program:** One day Training Programme on preparation of Value-Added products conducted for 40 new food entrepreneurs at Sirsi, Uttara Kannada district. The program was arranged in association with Arunodhay Trust, Karnataka by collecting an institution charge of ₹ 5000/- to NETFISH.
5. **Marine Mammal Project:** As part of the project entitled 'Marine Mammal Stock Assessment in India' sanctioned by DoF under the PMMSY scheme, NETFISH conducted 8853 fishery surveys to understand on the by-catch of marine mammals/turtles. Under the Marine Observer program, obtained data comprised of 30 sightings and 47 fishery interactions involving whales, dolphins and sea turtles.
6. **Stakeholders' awareness meetings:** Conducted 63 stakeholders awareness meetings on Hygienic fish handling and conservation, post-harvest loss, eradication of single use plastic, Protection of marine mammals & turtles, SC/ST financial assistance schemes & training programmes, etc.
7. **Harbour Data Collection:** Carried out real-time data collection from 82 selected fishing harbour/landing centres. Data on species-wise fish rate from 35 landing sites was provided to NFDB on weekly basis.
8. **Awareness through HDCs:** The fishers and fish handling workers at harbours were given regular awareness through Harbour Data Collectors at the respective harbours, by conducting 3091 nos. of programs. Awareness messages on protection of marine mammals and sea turtles, eradication of single use plastic, hygienic handling of fish, personal hygiene & fisheries related news etc. were disseminated among stakeholders through WhatsApp groups formed at harbours.
9. The plastic collection program named **DROP (Drive to Recover Ocean Plastic)** implemented at Munambam Fishing Harbour by the initiation of MPEDA-NETFISH, through the NGO Plan@Earth and in association with Munambam Fishing Harbour Management Society (MFHMS) and stakeholder's associations is running successfully. Since the inauguration of the project in 2023 about 30916 kg of plastic wastes, including 17761 kg recovered from the sea with the active participation of 602 fishing vessels and 13155 kg from harbour premises, were collected and taken for shredding and recycling.
10. NETFISH SCOs functioned as trained trainers in 36 nos. of Seafood Value Addition Training programs organized by MPEDA RD/SRDs.
11. **Ornamental Fish Health Certification:** 72 consignments of ornamental fishes meant for export were inspected and certified by the NETFISH State Coordinators during the period.

Key impacts of NETFISH Interventions

- ❖ Promotion of improved fish handling and preservation methods has led to increased use of insulated boxes, pre-cooling, proper icing and hygienic tools resulting in reduced post-harvest losses, improved quality and better income for fishers.
- ❖ Enhanced sanitation in processing units and adoption of hygienic drying methods has improved product quality.
- ❖ Conservation efforts have led to greater acceptance of TEDs, release of juvenile fish, adoption of responsible fishing practices, voluntary fishing bans and amendments in policy to support sustainable fishing.
- ❖ Promotion of cleanliness and waste management has encouraged regular harbour cleaning, proper waste disposal and the collection and safe disposal of plastic waste generated during fishing trips.



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25



एमपीईडीए के अध्यक्ष गुजरात के सूखी मछली प्रसंस्करणकर्ताओं के साथ

10.3. राष्ट्रीय सतत जलकृषि केंद्र (नाक्सा)

राष्ट्रीय सतत जलकृषि केंद्र (नाक्सा), एमपीईडीए के अंतर्गत एक संस्था है, जो देश के छोटे और सीमांत जल किसानों के बीच मिलकर काम करती है। नाक्सा का उद्देश्य जलकृषि किसानों को टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाते हैं, जिससे वे उच्च गुणवत्ता वाले और सुरक्षित जलीय उत्पाद को तैयार कर सकें।

नाक्सा के मुख्य उद्देश्य हैं:

- ❖ छोटे और सीमांत किसानों को समूहों में संगठित करना।
- ❖ सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से जलकृषि की स्थिरता में सुधार के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- ❖ छोटे पैमाने के जलकृषि किसानों को सशक्त बनाना और उनकी क्षमता का निर्माण करना।
- ❖ छोटे पैमाने के जलकृषि किसानों को बेहतर सेवा प्रावधान की सुविधा प्रदान करना।
- ❖ अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए किसानों को बाजारों से जोड़ना।
- ❖ जलकृषि उत्पादकता और लाभ में वृद्धि लाने हेतु बेहतर प्रबंधन प्रथाओं का संवर्धन द्वारा हितधारकों के बीच बातचीत की सुविधा उत्पन्न करना।

10.3.1. क्लस्टर-आधारित सोसाइटी

एमपीईडीए-नाक्सा ने भारत के विभिन्न तटीय राज्यों में 139 क्लस्टर-आधारित समितियों का गठन किया। इन प्रयासों से 1,498 किसानों को सहायता मिली, 3,124 तालाबों का निर्माण हुआ और 1,334.7 हेक्टेयर जल विस्तार क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) को कवर किया गया।

10.3.2. सहकारी सोसाइटीयों का संगठन एवं सहकारी सोसाइटीयों का पंजीकरण

नाक्सा ने आंध्र प्रदेश में 4 राज्य सहकारी सोसाइटीयों को सहायता प्रदान की, जिससे 37.16 हेक्टेयर जल विस्तार क्षेत्र वाले 97 तालाबों के 50 किसानों को लाभ हुआ। इसी अवधि के दौरान, तमिलनाडु और केरल में 3 सोसाइटीयाँ पंजीकृत की गईं, जिनसे 189.61 हेक्टेयर में फैले 242 तालाबों का प्रबंधन करने वाले 85 किसानों को सहायता मिली।

10.3.3. सोसाइटीयों को सीएए पंजीकरण प्राप्त करने में दी गई सहायता

नाक्सा ने सोसाइटी से जुड़े किसानों को सीएए पंजीकरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। साथ में 368 किसानों को रीनीवल की सुविधा भी मुहैया कराई और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा और गुजरात के 29 नए आवेदनों के लिए भी सहायता प्रदान की।





Chairman MPEDA with the dry fish processors from Gujarat

10.3. The National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA)

The National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA) is a society under MPEDA, which works closely among the small and marginal aqua farmers of the country. NaCSA aims to enable aquaculture farmers to adopt sustainable and environment friendly practices, producing high-quality and safe aquatic products.

The main objectives of NaCSA are to:

- ❖ Organize small and marginal farmers into clusters.
- ❖ Promote scientific management to improve aquaculture sustainability through participatory approach.
- ❖ Empower and build capacity of small-scale aquaculture farmers.
- ❖ Facilitate improved service provision to small scale aquaculture farmers.
- ❖ Connect farmers to markets to receive better prices for good quality products.
- ❖ Facilitate interaction among stakeholders by promoting better management practices to improve aquaculture productivity and profits.

10.3.1. Cluster-Based Societies

MPEDA-NaCSA organized 139 cluster-based societies across various coastal states in India. These efforts supported 1,498 farmers, encompassing 3,124 ponds and covering a Water Spread Area (WSA) of 1,334.7 hectares.

10.3.2. Organizing cooperative societies and registration of cooperative societies

NaCSA supported 4 State Cooperative Societies in Andhra Pradesh, benefiting 50 farmers across 97 ponds with a Water Spread Area of 37.16 hectares. During the same period, 3 societies were registered in Tamil Nadu and Kerala, supporting 85 farmers managing 242 ponds over 189.61 hectares.

10.3.3. Assistance offered to the societies for getting CAA Registration

NaCSA assisted society farmers in obtaining CAA registration, facilitating renewals for 368 farmers and supporting 29 new applications across Andhra Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu, Odisha, and Gujarat.





10.3.4 एमपीईडीए फार्म नामांकन के लिए क्लस्टरों को सहायता

नाकसा ने तटीय राज्यों के 433 किसानों को एमपीईडीए फार्म नामांकन प्राप्त करने में सहायता की, जिससे उन्हें विनियमित और टिकाऊ जलकृषि प्रथाओं में एकीकरण की सुविधा मिली।

क्र सं	राज्य	किसानों की संख्या	डब्ल्यूएसए (है.)	तालाबों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	129	129.48	185
2	गुजरात	15	40.10	78
3	ओडिशा	175	101.26	272
4	तमिलनाडु	56	150.12	291
5	पश्चिम बंगाल	58	30.34	100
कुल योग		433	451.30	926

10.3.5. सामान्य, एंटीबायोटिक और बीएमपी जागरूकता

नाकसा ने बेहतर प्रबंधन पद्धतियों (बीएमपी) को बढ़ावा देने, फसल नियोजन में सहयोग देने और श्रिम्प पालन में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गाँव और मंडल/ब्लॉक/तालुक स्तरों पर 1,848 बैठकें आयोजित कीं। इन सत्रों में तटीय राज्यों के 19,170 किसानों ने भाग लिया, जिससे चिरस्थायी जलकृषि के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता उजागर हुई।

10.3.6. नाकसा क्लस्टरों के बीच शफरी प्रमाणन को बढ़ावा देना

नाकसा ने 100.09 हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) को कवर करते हुए 94 किसानों को उनके खेतों को शफरी प्रमाणन कार्यक्रम के तहत पंजीकृत करने में सहायता की, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना था।

10.3.7. बीएमपी पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जलकृषकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए गए और जलकृषि में विविधीकरण

नाकसा ने बेहतर प्रबंधन पद्धतियों (बीएमपी) पर 5-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जलीय किसानों के बीच सतत और विविध जलकृषि को बढ़ावा देना था। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुल 41 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनसे 820 अनुसूचित जाति (अ.ज.) के किसानों को लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजाति (अ.ज.ज.) के किसानों के लिए 25 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और असम के 504 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उत्तर पूर्व क्षेत्र में, एनईआरसीओआरएमपी, शिलांग के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और असम राज्य शामिल थे।

10.3.8. नाकसा एक्वा वन केंद्र (एओसी)

आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में नाकसा एक्वा वन केंद्रों (एओसी) ने श्रिम्प किसानों की सहायता के लिए व्यापक नैदानिक और विश्लेषणात्मक सेवाएँ प्रदान कीं। इन केंद्रों ने 11 मापदंडों को शामिल करते हुए 6,981 सामान्य जल नमूना परीक्षण, 6,545 व्यक्तिगत जल मापदंडों का विश्लेषण, 4,381 सूक्ष्मजीवविज्ञानी आकलन और 271 मृदा परीक्षण किए। इसके अलावा, श्रिम्प नमूनों के 20 भौतिक अवलोकन किए गए, 488 नमूनों की रोगों के लिए जाँच की गई और 109 किसानों का पंजीकरण किया गया।

10.3.9. सोसाइटीयों के किसानों को तकनीकी सहायता

नाकसा, जलकृषि समितियों के किसानों को जल गुणवत्ता निगरानी, चारा प्रबंधन और रोग चेतावनियों सहित निरंतर तकनीकी सहायता प्रदान करके बेहतर प्रबंधन पद्धतियों (बीएमपी) को अपनाने को बढ़ावा देता है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान, 232 सोसाइटीयों के 3,087 किसानों ने 14,315 मीट्रिक टन श्रिम्प का उत्पादन किया, जबकि शीत ऋतु में, 250 सोसाइटीयों के 3,306 किसानों ने 18,982.8 मीट्रिक टन श्रिम्प का उत्पादन प्राप्त किया।

10.3.10. नाकसा सोसायटियों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों ने शफरी प्रमाणित हैचरी से बीज प्राप्त किया:

एंटीबायोटिक-मुक्त श्रिम्प उत्पादन को बढ़ावा देने वाले शफरी प्रमाणन को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) ने एक सब्सिडी योजना शुरू की है। इस पहल के तहत, नाकसा से संबद्ध अनुसूचित



10.3.4. Assistance to the clusters for MPEDA farm enrolment

NaCSA assisted 433 farmers across the coastal states in obtaining MPEDA farm enrolment, facilitating their integration into regulated and sustainable aquaculture practices.

SI No	State	No of Farmers	WSA (Ha)	No. of Ponds
1	Andhra Pradesh	129	129.48	185
2	Gujarat	15	40.10	78
3	Odisha	175	101.26	272
4	Tamil Nadu	56	150.12	291
5	West Bengal	58	30.34	100
Grand Total		433	451.30	926

10.3.5. General, Antibiotic & BMP awareness

NaCSA organized 1,848 meetings at village and Mandal/Block/Taluk levels to promote Better Management Practices (BMPs), support crop planning, and raise awareness about banned antibiotic misuse in shrimp farming. These sessions engaged 19,170 farmers from coastal states, highlighting strong commitment to sustainable aquaculture.

10.3.6. Promotion of SHAPHARI Certification among NaCSA clusters

NaCSA assisted 94 farmers, covering a Water Spread Area (WSA) of 100.09 hectares, in registering their farms under the SHAPHARI certification program, aimed at enhancing the food safety of farmed shrimp products.

10.3.7. Training programmes imparted to SC/ST aquafarmers on BMPs & diversification in aquaculture

NaCSA organized a series of 5-day training programmes on Better Management Practices (BMPs) aimed at promoting sustainable and diversified aquaculture among SC/ST aqua farmers. A total of 41 training sessions were conducted across Andhra Pradesh, Odisha, and West Bengal, benefiting 820 Scheduled Caste (SC) farmers. Additionally, 25 training sessions were held for Scheduled Tribe (ST) farmers, reaching 504 participants across Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, and Assam. In the North Eastern region, the training programmes were conducted in collaboration with NERCORMP, Shillong, covering the states of Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, and Assam.

10.3.8. NaCSA Aqua One Centers (AOCs)

NaCSA Aqua One Centres (AOCs) in Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, and Karnataka provided extensive diagnostic and analytical services to support shrimp farmers. The centres conducted 6,981 general water sample tests covering 11 parameters, 6,545 individual water parameter analyses, 4,381 microbiological assessments, and 271 soil tests. In addition, 20 physical observations of shrimp samples were carried out, 488 samples were screened for diseases, and 109 farmers were registered.

10.3.9. Technical assistance to society farmers

NaCSA promotes the adoption of Better Management Practices (BMPs) by providing continuous technical support to aquaculture society farmers, including water quality monitoring, feed management, and disease alerts. During the summer season, 3,087 farmers from 232 societies produced 14,315 MT of shrimp, while in the winter season, 3,306 farmers from 250 societies achieved 18,982.8 MT of shrimp.

10.3.10. NaCSA societies SC/ST Farmers procured seed from SHAPHARI Certified hatcheries

To promote the adoption of SHAPHARI certification, which advocates for antibiotic-free shrimp production, the Marine Products Export Development Authority (MPEDA) has introduced a subsidy scheme. This initiative





एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

जाति/जनजाति समितियों द्वारा शफरी-प्रमाणित हैचरी से श्रिम्प बीज (एल.वन्नामेई और पी. मोनोडॉन) की खरीद पर 50% सब्सिडी दी जाती है। इस पहल के तहत, अनुसूचित जाति (एससी) नाक्सा समितियों के 15 किसानों ने एमपीईडीए-प्रमाणित शफरी हैचरी से श्रिम्प बीज खरीदे। इन किसानों को सामूहिक रूप से ₹ 2,42,985 की सब्सिडी मिली, जिससे उन्हें ज़िम्मेदार और टिकाऊ जलकृषि पद्धतियों की ओर बढ़ने में मदद मिली।



जलकृषि में बीएमपी और विविधीकरण पर अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण कार्यक्रम

10.3.11. सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ): एमपीईडीए-नाक्सा द्वारा शुरू की गई सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूह के किसानों के बीच सतत जलकृषि विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत, पाँच समितियों/समूहों की पहचान की गई है और उन्हें ₹10 लाख की एक चक्रीय निधि प्रदान की गई है, जिसमें प्रत्येक समिति को ₹ 2 लाख मिलेंगे। इस निधि का उद्देश्य इन समुदायों में सतत जलकृषि पद्धतियों को अपनाने में सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना है।

10.3.12. अन्य गतिविधियाँ एवं पहल

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) अभियान:

अर्थात् आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात और ओडिशा में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) पर 19 जागरूकता अभियान चलाए, जिनमें 1,977 श्रिम्प किसान शामिल हुए। इन अभियानों में निर्यात पर एएमआर के प्रभाव, बेहतर प्रबंधन पद्धतियों (बीएमपी) और एंटीबायोटिक अवशेषों के जोखिमों पर विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्र आयोजित किए गए, जिनमें किसानों को बीएमपी अपनाने और स्थायी जलकृषि तथा जन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एंटीबायोटिक के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

मत्स्य पालन के छात्रों को व्यावहारिक प्रयोगशाला प्रशिक्षण:

एमवीकेआर फिशरीज पॉलिटेक्निक कॉलेज के 18 मत्स्य पालन छात्रों ने 14 फ़रवरी, 2025 को मछलीपट्टनम स्थित एमपीईडीए-नाक्सा एओसी में प्रयोगशाला प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस सत्र में एओसी के महत्व और जलीय किसानों के लिए सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

फसल अद्यतन

नाक्सा सोसाइटी के किसानों ने सक्रिय रूप से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों फसलों की खेती की, मुख्य रूप से एल. वन्नामेई और पी. मोनोडॉन श्रिम्प पर ध्यान केंद्रित किया, और केकड़े की खेती में भी कुछ विविधता लाई। **ग्रीष्मकालीन फसल** के दौरान, 232 सोसाइटियों ने 666.78 मिलियन टन का स्टॉक किया। एल. वन्नामेई के बीज 2683.98 हेक्टेयर के 5691 तालाबों में बोए गए। कुल श्रिम्प उत्पादन 14,315.58 मीट्रिक टन था। **सर्दियों की फसल** के लिए, 250 समितियों ने 1099.43 मिलियन का भंडारण किया। एल. वन्नामेई के बीज 3596.89 हेक्टेयर में बोए गए, जिससे 18982.82 मीट्रिक टन श्रिम्प की उपज प्राप्त हुई।

इसके अतिरिक्त, पी. मोनोडॉन के लिए, ग्रीष्मकालीन फसल में 21 समितियों में 16.55 मिलियन बीज भंडारित किए गए, जिससे 582.199 मीट्रिक टन श्रिम्प उत्पादन हुआ। शीतकालीन फसल में, 32 समितियों ने 1365 तालाबों का उपयोग किया और 3758.18 मीट्रिक टन श्रिम्प उत्पादन किया। प्रजाति विविधीकरण के एक भाग के रूप में, ओडिशा के गंजम जिले में 14 समिति के किसानों ने 22 तालाबों में 32650 क्रेबलेट का भंडारण किया और 9.85 मिलियन श्रिम्प उत्पादन किया।



offers a 50% subsidy on the purchase of shrimp seed (*L. vannamei* and *P. monodon*) from SHAPHARI-certified hatcheries by SC/ST societies affiliated with NaCSA. As part of this initiative, 15 farmers from Scheduled Caste (SC) NaCSA societies procured shrimp seed from MPEDA-certified SHAPHARI hatcheries. These farmers collectively received a subsidy amounting to ₹ 2,42,985, supporting their transition toward responsible and sustainable aquaculture practices.



ST Training programme on BMPs and Diversification in Aquaculture

10.3.11. Community Investment Fund (CIF): The Community Investment Fund (CIF) scheme initiated by MPEDA–NaCSA aims to promote sustainable aquaculture development among SC/ST cluster farmers. Under this initiative, five societies/clusters have been identified and provided with a revolving fund of ₹10 lakhs, with each society receiving ₹ 2 lakhs, to support and encourage the adoption of sustainable aquaculture practices within these communities.

10.3.12. Other activities & initiatives

Antimicrobial Resistance (AMR) campaigns:

NaCSA conducted 19 awareness campaigns on Antimicrobial Resistance (AMR) across coastal belt i.e, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Gujarat, and Odisha, engaging 1,977 shrimp farmers. The campaigns featured expert-led sessions on AMR’s impact on exports, Better Management Practices (BMPs), and antibiotic residue risks, encouraging farmers to adopt BMPs and reduce antibiotic use for sustainable aquaculture and public health protection.

Hands-on lab training for fisheries students:

18 fisheries students from Sri M.V.K.R Fisheries Polytechnic College received hands-on lab training at the MPEDA–NaCSA AOCs in Machilipatnam on February 14, 2025. The session focused on the AOC’s importance and services for aqua farmers.

Crop update

NaCSA Society farmers actively cultivated both summer and winter crops, primarily focusing on *L. vannamei* and *P. monodon* shrimp, with some diversification into crab farming. During the **summer crop**, 232 societies stocked with 666.78 million *L. vannamei* seeds in 5691 ponds across 2683.98 Ha. The total shrimp harvest was 14,315.58 MT. For the **winter crop**, 250 societies stocked 1099.43 million *L. vannamei* seeds in 3596.89 Ha, yielding a harvest of 18982.82 MT of shrimp.

Additionally, for *P. monodon*, in summer crop 16.55 million seeds were stocked in **21** societies, producing **582.199** MT. In the winter crop, **32** societies utilized 1365 ponds and harvested **3758.18** MT of shrimp. As part of species diversification, 14 Society farmers in Ganjam District of Odisha stocked 32650 crablets in 22 ponds and harvested 9.85 MT.





एमपीईडीए की राज्यवार गतिविधियाँ

पश्चिम बंगाल और असम

क्षे.प्र. कोलकाता

क्षेत्रीय प्रमुख: धिरित एक्का, उप निदेशक

पता: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

क्षेत्रीय प्रभाग, 5वीं मंजिल, टी बोर्ड बिल्डिंग, 14, बीटीएम सरणी, (ब्रिबोर्न रोड) कोलकाता

उ.क्षे.प्र. गुवाहाटी

पता: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,

उप क्षेत्रीय प्रभाग, द्वार संख्या 1, भूतल, नवग्रह रोड,

सिलपुखुरी, गुवाहाटी - 781 003



पंजीकरण

वर्ग	पंजीकरण 01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान किया गया पंजीकरण
निर्यातक	194	18
मत्स्य यान	463	0
प्रसंस्करण प्लांट	45	1
भंडारण परिसर	71	3
पीलिंग शेड	43	1
बर्फ प्लांट	2	0
ताज़ा/शीतित हैंडलिंग केंद्र	13	1
जीवित मछली हैंडलिंग केंद्र	19	0
सूखी/नमकीन मछली हैंडलिंग केंद्र	19	1
अन्य खाद्य हैंडलिंग केंद्र	0	0
अन्य गैर-खाद्य हैंडलिंग केंद्र	3	0
परिवहन	4	0

पश्चिम बंगाल का निर्यात प्रदर्शन

निर्यात विवरण	2024-25
मात्रा मीट्रिक टन में	114529.00
मूल्य ₹ करोड़ में	4321.07
मिलियन अमेरिकी डॉलर	517.30
इकाई मूल्य (अमेरिकी डॉलर/किग्रा)	4.52



STATE WISE ACTIVITIES OF MPEDA

WEST BENGAL & ASSAM

RD KOLKATA

Regional Head: Dhirit Ekka, Deputy Director

Address: The Marine Products Export Development Authority
Regional Division, 5th Floor, Tea Board Building, 14, BTM Sarani,
(Brabourne Road) Kolkata

SRD GUWAHATI

Address : The Marine Products Export Development Authority,
Sub Regional Division, Door No., 1, Ground Floor, Nabagraha
Road, Silpukhuri, Guwahati – 781 003



Registration

Category	Registration as on 01.04.2024	Registration done during the year
Exporter	194	18
Fishing Vessel	463	0
Processing Plants	45	1
Storage Premises	71	3
Peeling Sheds	43	1
Ice Plants	2	0
Fresh/Chilled Handling Centre	13	1
Live Fish Handling Centre	19	0
Dried/Salted Fish Handling Centre	19	1
Other Edible Handling Centre	0	0
Other Non-Edible Handling Centre	3	0
Conveyance	4	0

Export performance of West Bengal

Export Details	2024-25
Quantity in MT	114529.00
Value in ₹ Crore	4321.07
US\$ Million	517.30
Unit Value (US\$/Kg)	4.52



एक्वाकल्चर

पी. मोनोजॉन, एल. वन्नामेई, अन्य श्रिम्प और स्कैम्पी के पालन हेतु जलकृषि उत्पादन और उपयोग किए जानेवाले क्षेत्र

विशिष्ट	पी. मोनोजॉन	एल. वन्नामेई	अन्य श्रिम्प (पी.इंडिकस)	स्कैम्पी
एयूसी	51,650	4,997	-	8,720
ईपी	23,110	29,894	-	5,130
उत्पादकता (मीट्रिक टन/ हेक्टेयर/फसल)	0.45	6.0	-	-

2024-25 के दौरान नई निर्यात योग्य प्रजातियों का कल्चर उत्पादन

मडू क्रेब		सीबास		तिलापिया		पेंगेशियस	
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	मात्रा (मीट्रिक टन)						
1500	225	555	216	337	87	310	44

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता - 2024-25 के दौरान (पश्चिम बंगाल)

भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये में)
2	343.3

ओडिशा

क्षे.प्र. भुवनेश्वर

क्षेत्रीय प्रमुख : अर्चिमन लाहिडी, उप निदेशक

पता: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,

क्षेत्रीय प्रभाग द्वितीय तल, रप्तानी भवन, आईआरसी गांव नयापल्ली,

भुवनेश्वर - 751 015, उड़ीसा।



पंजीकरण

वर्ग	पंजीकरण 01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान किया गया पंजीकरण
निर्यातक	61	4
मत्स्य यान	551	0
प्रसंस्करण प्लांट	40	3
भंडारण परिसर	44	3
पीलिंग शेड	38	4



Aquaculture

Aquaculture production and area utilized for culture of *P. monodon*, *L. vannamei*, other shrimp and Scampi in West Bengal

Particular	<i>P. monodon</i>	<i>L. vannamei</i>	Other Shrimp (<i>P.indicus</i>)	Scampi
AUC	51,650	4,997	-	8,720
EP	23,110	29,894	-	5,130
Productivity (MT/ Ha/Crop)	*0.45	6.0	-	-

* Including 23110 MT production from 51650 Ha traditional farms / Bheries of West Bengal

Culture production of new exportable species during 2024-25

Mud Crab		Seabass		Tilapia		Pangasius	
Area (Ha)	Qty (MT)						
1500	225	555	216	337	87	310	44

Financial Assistance for infrastructure development-during 2024-25 (West Bengal)

Physical	Financial (Rs in Lakh)
2	343.3

ODISHA

RD BHUBANESWAR

Regional Head: Archiman Lahiri, Deputy Director

Address : The Marine Products Export Development Authority,
Regional Division 2nd Floor, Raptani Bhavan, IRC Village Nayappalli,
Bhubaneswar – 751 015, Odisha.



Registration

Category	Registration as on 01.04.2024	Registration done during the year
Exporter	61	4
Fishing Vessel	551	0
Processing Plants	40	3
Storage Premises	44	3
Peeling Sheds	38	4



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

बर्फ के प्लांट	4	0
ताज़ा/शीतित हैंडलिंग केंद्र	2	0
जीवित मछली हैंडलिंग केंद्र	1	0
सूखी/नमकीन मछली हैंडलिंग केंद्र	1	0
अन्य खाद्य हैंडलिंग केंद्र	0	0
अन्य गैर-खाद्य हैंडलिंग केंद्र	2	0
परिवहन	33	0

ओडिशा का निर्यात प्रदर्शन

निर्यात विवरण	2024-25
मात्रा मीट्रिक टन में	92169.00
मूल्य ₹ करोड़ में	4668.01
मिलियन अमेरिकी डॉलर	558.04
इकाई मूल्य (अमेरिकी डॉलर/किग्रा)	6.05

जलकृषि

पी. मोनोडोन, एल. वन्रामेई, अन्य श्रिम्प और स्कैम्पी के पालन के लिए उपयोग किए जानेवाले जलकृषि उत्पादन और क्षेत्र

ब्योरा	पी. मोनोडॉन	एल. वन्रामेई	अन्य श्रिम्प (पी.इंडिकस)	स्कैम्पी
एयूसी	44	7,339	-	*1035.44
ईपी	76	46,940	-	582
उत्पादकता (मीट्रिक टन/हेक्टेयर/फसल)	1.72	6.4		

* जलाशय क्षेत्र

2024-25 के दौरान नई निर्यात योग्य प्रजातियों का कल्चर उत्पादन

मड़ क्रेब		सीबास		तिलापिया		पेंगेशियस	
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	मात्रा (मीट्रिक टन)						
173	106	83	64	147	111	120	710

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता - 2024-25 के दौरान

भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये में)
1	67.5



Ice Plants	4	0
Fresh/Chilled Handling Centre	2	0
Live Fish Handling Centre	1	0
Dried/Salted Fish Handling Centre	1	0
Other Edible Handling Centre	0	0
Other Non-Edible Handling Centre	2	0
Conveyance	33	0

Export performance of Odisha

Export Details	2024-25
Quantity in MT	92169.00
Value in ₹ Crore	4668.01
US\$ Million	558.04
Unit Value (US\$/Kg)	6.05

Aquaculture

Aquaculture production and area utilized for culture of *P. monodon*, *L. vannamei*, other shrimp and Scampi in Odisha

Particular	<i>P. monodon</i>	<i>L. vannamei</i>	Other Shrimp (<i>P.indicus</i>)	Scampi
AUC	44	7,339	-	*1035.44
EP	76	46,940	-	582
Productivity (MT/Ha/Crop)	1.72	6.4		

* Reservoir Area

Culture production of new exportable species during 2024-25

Mud Crab		Seabass		Tilapia		Pangasius	
Area (Ha)	Qty (MT)						
173	106	83	64	147	111	120	710

Financial Assistance for infrastructure development-during 2024-25

Physical	Financial (Rs in Lakh)
1	67.5



आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

क्षे.प्र. विजयवाड़ा
क्षेत्रीय प्रमुख: विजयकुमार सी यारागल, संयुक्त निदेशक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय प्रभाग, पता : द्वितीय तल, 33-25-35, बेल्लापु सोभनद्री स्ट्रीट, सूर्या राव पेट, विजयवाड़ा - 520 002, आंध्र प्रदेश
उ.क्षे.प्र. विशाखापत्तनम
क्षेत्रीय प्रमुख: प्रसाद नाइक रामावत, सहायक निदेशक पता: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, उप क्षेत्रीय प्रभाग, द्वार संख्या 9-24-3, फ्लैट संख्या 101 और 104, सीबीएम कंपाउंड, टिम्पनी स्कूल के सामने, मुख्य द्वार, रामा टॉकीज रोड, विशाखापत्तनम - 530 003, आंध्र प्रदेश।
उ.क्षे.प्र. भीमावरम
क्षेत्रीय प्रमुख: डॉ. मनोजकुमार टीजी, उप निदेशक पता: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, उप क्षेत्रीय प्रभाग, 02-01-05, द्वितीय तल, जीआरके कॉम्प्लेक्स, बीपीसीएल बंक के सामने, जे. पी. रोड, भीमावरम - 534 202 आंध्र प्रदेश
उ.क्षे.प्र. काकीनाडा
क्षेत्रीय प्रमुख: राजकुमार एस नाइक, उप निदेशक पता: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, उप क्षेत्रीय प्रभाग, द्वार संख्या 70-1ए-6/1, प्रथम तल, वासीरेड्डी वारी स्ट्रीट, नगर निगम हाई स्कूल के पीछे, रामनय्यापेटा, काकीनाडा-533005, काकीनाडा जिला, आंध्र प्रदेश।



पंजीकरण

वर्ग	पंजीकरण 01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान किया गया पंजीकरण
निर्यातक	212	30
मत्स्यन यान	869	0
प्रसंस्करण प्लांट	109	10
भंडारण परिसर	146	11
पीलिंग शेड	118	13
बर्फ के प्लांट	7	0
ताज़ा/शीतित हैंडलिंग केंद्र	7	0
जीवित मछली हैंडलिंग केंद्र	2	0
सूखी/नमकीन मछली हैंडलिंग केंद्र	17	1
अन्य खाद्य हैंडलिंग केंद्र	0	0
अन्य गैर-खाद्य हैंडलिंग केंद्र	11	6
परिवहन	47	1



ANDHRA PRADESH & TELANGANA

RD VIJAYAWADA

Regional Head: Vijaykumar C Yaragal, Joint Director

Address: The Marine Products Export Development Authority,
Regional Division 2nd Floor, 33-25-35, Bellapu Sobhanadri
Street, Surya Rao Pet, Vijayawada – 520 002,
Andhra Pradesh

SRD VISAKHAPATNAM

Regional Head: Prasad Naik Ramavath, Assistant Director

Address: The Marine Products Export Development Authority,
Sub Regional Division, Door No.9-24-3, Flat No.101 & 104, CBM
Compound Opp. Timpany School Main Gate Rama Talkies Road,
Visakhapatnam – 530 003,
Andhra Pradesh.

SRD BHIMAVARAM

Regional Head: Dr Manojkumar T G, Deputy Director

Address: The Marine Products Export Development Authority, Sub
Regional Division, 02-01-05, 2nd Floor, GRK Complex Opposite to
BPCL Bunk, J.P.Road, Bhimavaram – 534 202
Andhra Pradesh

SRD KAKINADA

Regional Head: Rajakumar S Naik, Deputy Director

Address: The Marine Products Export Development Authority, Sub
Regional Division, Door No. 70-1A-6/1, 1st Floor, Vasireddy Vari
Street, Beside Municipal Corporation High School, Ramanayyapeta,
Kakinada-533005, Kakinada Dt.,
Andhra Pradesh.



Registration

Category	Registration as on 01.04.2024	Registration done during the year
Exporter	212	30
Fishing Vessel	869	0
Processing Plants	109	10
Storage Premises	146	11
Peeling Sheds	118	13
Ice Plants	7	0
Fresh/Chilled Handling Centre	7	0
Live Fish Handling Centre	2	0
Dried/Salted Fish Handling Centre	17	1
Other Edible Handling Centre	0	0
Other Non-Edible Handling Centre	11	6
Conveyance	47	1



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का निर्यात प्रदर्शन

निर्यात विवरण	2024-25	
	आंध्र प्रदेश	तेलंगाना
मात्रा मीट्रिक टन में	366182	11772
मूल्य ₹ करोड़ में	21245.90	615.42
मिलियन अमेरिकी डॉलर	2536.77	73.44
इकाई मूल्य (अमेरिकी डॉलर/किग्रा)	6.93	6.24

जलकृषि

आंध्र प्रदेश में पी. मोनोडॉन, एल. वन्नामेई, अन्य श्रिम्प और स्कैम्पी के पालन के लिए उपयोग किए जानेवाले जलकृषि उत्पादन और क्षेत्र

ब्योरा	पी. मोनोडॉन	एल. वन्नामेई	अन्य श्रिम्प (पी.इंडिकस)	स्कैम्पी
एयूसी	1,050	1,08,986	-	*71
ईपी	9,724	10,53,500	-	66
उत्पादकता (मीट्रिक टन/हेक्टेयर/फसल)	**4.63	**4.8		

* जलाशय क्षेत्र ** प्रति फसल उत्पादकता के लिए गणना की गई

पी. मोनोडॉन, एल. वन्नामेई, अन्य श्रिम्प और स्कैम्पी के पालन के लिए उपयोग किया जाने वाला जलकृषि उत्पादन और क्षेत्र

ब्योरा	पी. मोनोडॉन	एल. वन्नामेई	अन्य श्रिम्प (पी.इंडिकस)	स्कैम्पी
एयूसी	0	19	-	*27000
ईपी	0	66	-	14,514
उत्पादकता (मीट्रिक टन/हेक्टेयर/फसल)	0	3.5		

* जलाशय क्षेत्र

2024-25 के दौरान नई निर्यात योग्य प्रजातियों का संवर्धन उत्पादन

मड़ क्रैब		सीबास		तिलापिया		पेंगेशियस	
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	मात्रा (मीट्रिक टन)						
845	2123	2341	15338	1	3	27014	262504

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता - 2024-25 के दौरान

भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये में)
4	1,036.79

Export performance of Andhra Pradesh & Telangana

Export Details	2024-25	
	Andhra Pradesh	Telangana
Quantity in MT	366182	11772
Value in ₹ Crore	21245.90	615.42
US\$ Million	2536.77	73.44
Unit Value (US\$/Kg)	6.93	6.24

Aquaculture

Aquaculture production and area utilized for culture of *P. monodon*, *L. vannamei*, other shrimp and Scampi in Andhra Pradesh

Particular	<i>P. monodon</i>	<i>L. vannamei</i>	Other Shrimp (<i>P.indicus</i>)	Scampi
AUC	1,050	1,08,986	-	*71
EP	9,724	10,53,500	-	66
Productivity (MT/Ha/Crop)	**4.63	**4.8		

* Reservoir Area ** Calculated for per crop productivity

Aquaculture production and area utilized for culture of *P. monodon*, *L. vannamei*, other shrimp and Scampi in Telangana

Particular	<i>P. monodon</i>	<i>L. vannamei</i>	Other Shrimp (<i>P.indicus</i>)	Scampi
AUC	0	19	-	*27000
EP	0	66	-	14,514
Productivity (MT/Ha/Crop)	0	3.5		

* Reservoir Area

Culture production of new exportable species during 2024-25 Andhra Pradesh

Mud Crab		Seabass		Tilapia		Pangasius	
Area (Ha)	Qty (MT)						
845	2123	2341	15338	1	3	27014	262504

Financial Assistance for Infrastructure Development during 2024-25

Physical	Financial (Rs in Lakh)
4	1,036.79



तमिलनाडु

क्षे.प्र. चेन्नई

क्षेत्रीय प्रमुख: ए. जयबल, संयुक्त निदेशक

पता: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

क्षेत्रीय प्रभाग, संख्या 167, प्रथम तल, इंटरप्रिटेेशन बिल्डिंग टीएनएफडीसी, ईकोपार्क पूनमल्ली, हाई रोड, चेटपेट, किलपोक चेन्नई - 600 010

तमिलनाडु

उ.क्षे.प्र. नागपट्टिनम

क्षेत्रीय प्रमुख : तंबाडा नरेश विष्णु, उप निदेशक

पता: एसआरडी, नागपट्टिनम, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, उप क्षेत्रीय प्रभाग, नंबर 1, कुक्स रोड, नागपट्टिनम - 611 001, तमिलनाडु।

उ.क्षे.प्र. तूतीकोरिन

क्षेत्रीय प्रमुख: हकीम वी.आई., उप निदेशक

पता: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, उप क्षेत्रीय प्रभाग, संख्या 82, न्यू कॉलोनी, तूतीकोरिन, तमिल नाडु - 628 003.



पंजीकरण

वर्ग	पंजीकरण 01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान किया गया पंजीकरण
निर्यातक	210	18
मत्स्य यान	3590	0
प्रसंस्करण प्लांट	57	2
भंडारण परिसर	81	2
पीलिंग शेड	51	2
बर्फ के प्लांट	5	0
ताज़ा/शीतित हैंडलिंग केंद्र	23	0
जीवित मछली हैंडलिंग केंद्र	23	0
सूखी/नमकीन मछली हैंडलिंग केंद्र	22	1
अन्य खाद्य हैंडलिंग केंद्र	4	0
अन्य गैर-खाद्य हैंडलिंग केंद्र	8	6
परिवहन	2	0

तमिलनाडु का निर्यात प्रदर्शन

निर्यात विवरण	2024-25
मात्रा मीट्रिक टन में	130315
मूल्य ₹ करोड़ में	7034.59
मिलियन अमेरिकी डॉलर	840.11
इकाई मूल्य (अमेरिकी डॉलर/किग्रा)	6.45



TAMIL NADU

RD CHENNAI

Regional Head: A. Jeyabal, Deputy Director

Address: The Marine Products Export Development Authority
Regional Division No.167, First Floor, Interpretation Building TNFDC,
ECOPARK Poonamallee High Road, Chetpet, Kilpauk Chennai – 600
010
TAMIL NADU

SRD NAGAPATTINAM

Regional Head: Tambada Naresh Vishnu, Deputy Director

Address: The Marine Products Export Development Authority, Sub
Regional Division, No.1, Cooks Road, Nagappattinam – 611 001,
Tamil Nadu.

SRD TUTICORIN

Regional Head: Hakkim V. I., Deputy Director

Address: The marine products export development authority,
Sub Regional Division no.82, New colony, Tuticorin,
Tamil Nadu- 628 003.



Registration

Category	Registration as on 01.04.2024	Registration done during the year
Exporter	210	18
Fishing Vessel	3590	0
Processing Plants	57	2
Storage Premises	81	2
Peeling Sheds	51	2
Ice Plants	5	0
Fresh/Chilled Handling Centre	23	0
Live Fish Handling Centre	23	0
Dried/Salted Fish Handling Centre	22	1
Other Edible Handling Centre	4	0
Other Non-Edible Handling Centre	8	6
Conveyance	2	0

Export performance of Tamil Nadu

Export Details	2024-25
Quantity in MT	130315
Value in ₹ Crore	7034.59
US\$ Million	840.11
Unit Value (US\$/Kg)	6.45



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

जलकृषि

तमिलनाडु में पी. मोनोडॉन, एल. वन्नामेई, अन्य श्रिम्प और स्कैम्पी के पालन के लिए उपयोग किया जाने वाला जलकृषि उत्पादन और क्षेत्र

ब्योरा	पी. मोनोडॉन	एल. वन्नामेई	अन्य श्रिम्प (पी.इंडिकस)	स्कैम्पी
एयूसी	133	9,065	-	0
ईपी	449	40,690	-	0
उत्पादकता (मीट्रिक टन/हेक्टेयर/फसल)	3.38	4.5		

2024-25 के दौरान नई निर्यात योग्य प्रजातियों का संवर्धन उत्पादन

मड क्रेब		सीबास		तिलापिया		पेंगेशियस	
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	मात्रा (मीट्रिक टन)						
13	7	267	635	1067	2492	68	146

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता - 2024-25 के दौरान

भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये में)
3	695.77

केरल

क्षे.प्र. कोच्चि

क्षेत्रीय प्रमुख: जॉनसन डी'क्रूज़, उप निदेशक

पता: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

क्षेत्रीय प्रभाग एमपीईडीए हाउस, चौथी मंजिल, पनमपिल्ली एवेन्यू, पनमपिल्ली नगर, पीओ, कोच्चि - 682 036, केरल।



पंजीकरण

वर्ग	पंजीकरण 01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान किया गया पंजीकरण
निर्यातक	212	13
मत्स्य यान	28	0
प्रसंस्करण प्लांट	117	1
भंडारण परिसर	161	3
पीलिंग शेड	130	1
बर्फ के प्लांट	12	1

Aquaculture

Aquaculture production and area utilized for culture of *P. monodon*, *L. vannamei*, other shrimp and Scampi in Tamil Nadu & Puducherry.

Particular	<i>P. monodon</i>	<i>L. vannamei</i>	Other Shrimp (<i>P.indicus</i>)	Scampi
AUC	133	9,065	-	0
EP	449	40,690	-	0
Productivity (MT/Ha/Crop)	3.38	4.5		

Culture production of new exportable species during 2024-25

Mud Crab		Seabass		Tilapia		Pangasius	
Area (Ha)	Qty (MT)						
13	7	267	635	1067	2492	68	146

Financial Assistance for Infrastructure Development during 2024-25

Physical	Financial (Rs in Lakh)
3	695.77

KERALA

RD KOCHI

Regional Head: Johnson D'cruz, Deputy Director

Address: The Marine Products Export Development Authority
Regional Division MPEDA House, 4th Floor, Panampilly Avenue,
Panampilly Nagar P.O, Kochi – 682 036, KERALA.



Registration

Category	Registration as on 01.04.2024	Registration done during the year
Exporter	212	13
Fishing Vessel	28	0
Processing Plants	117	1
Storage Premises	161	3
Peeling Sheds	130	1
Ice Plants	12	1



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

ताज़ा/शीतित हैंडलिंग केंद्र	7	0
जीवित मछली हैंडलिंग केंद्र	2	1
सूखी/नमकीन मछली हैंडलिंग केंद्र	7	0
अन्य खाद्य हैंडलिंग केंद्र	0	0
अन्य गैर-खाद्य हैंडलिंग केंद्र	1	1
परिवहन	24	2

केरल का निर्यात प्रदर्शन

निर्यात विवरण	2024-25
मात्रा मीट्रिक टन में	179660
मूल्य ₹ करोड़ में	6941.36
मिलियन अमेरिकी डॉलर	829.42
इकाई मूल्य (अमेरिकी डॉलर/किग्रा)	4.62

जलकृषि

पी. मोनोडोन, एल. वन्नामेई, अन्य श्रिम्प और स्कैम्पी के पालन के लिए उपयोग किया जाने वाला जलकृषि उत्पादन और क्षेत्र

ब्योरा	पी. मोनोडॉन	एल. वन्नामेई	अन्य श्रिम्प (पी.इंडिकस)	स्कैम्पी
एयूसी	3,037	255	0	0
ईपी	1,050	725	722	0
उत्पादकता (मीट्रिक टन/ हेक्टेयर/फसल)	0.35	2.8		

2024-25 के दौरान नई निर्यात योग्य प्रजातियों का कल्चर उत्पादन

मड़ क्रेब		सीबास		तिलापिया		पैंगेशियस	
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	मात्रा (मीट्रिक टन)						
123	20	1	104	387	349	228	207

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता - 2024-25 के दौरान

भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये में)
3	311.81

Fresh/Chilled Handling Centre	7	0
Live Fish Handling Centre	2	1
Dried/Salted Fish Handling Centre	7	0
Other Edible Handling Centre	0	0
Other Non-Edible Handling Centre	1	1
Conveyance	24	2

Export performance of Kerala

Export Details	2024-25
Quantity in MT	179660
Value in ₹ Crore	6941.36
US\$ Million	829.42
Unit Value (US\$/Kg)	4.62

Aquaculture

Aquaculture production and area utilized for culture of *P. monodon*, *L. vannamei*, other shrimp and Scampi in Kerala

Particular	<i>P. monodon</i>	<i>L. vannamei</i>	Other Shrimp (<i>P.indicus</i>)	Scampi
AUC	3,037	255	0	0
EP	1,050	725	722	0
Productivity (MT/Ha/Crop)	0.35	2.8		

Culture production of new exportable species during 2024-25

Mud Crab		Seabass		Tilapia		Pangasius	
Area (Ha)	Qty (MT)						
123	20	1	104	387	349	228	207

Financial Assistance for infrastructure development-during 2024-25

Physical	Financial (Rs in Lakh)
3	311.81



कर्नाटक और गोवा

क्षे.प्र. मैंगलोर

क्षेत्रीय प्रमुख: डॉ. अनसार अली ए., उप निदेशक
 पता: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,
 क्षेत्रीय प्रभाग, प्रथम तल, श्री विनायक कृपा बिल्डिंग,
 आनंद शेड्डी सर्कल, अट्टावर कट्टे, मैंगलोर - 575 001, कर्नाटक।



पंजीकरण

वर्ग	पंजीकरण 01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान किया गया पंजीकरण
निर्यातक	71	4
मत्स्य यान	839	0
प्रसंस्करण प्लांट	68	1
भंडारण परिसर	78	1
पीलिंग शेड	43	1
बर्फ के प्लांट	1	0
ताज़ा/शीतित हैंडलिंग केंद्र	1	0
जीवित मछली हैंडलिंग केंद्र	0	0
सूखी/नमकीन मछली हैंडलिंग केंद्र	1	0
अन्य खाद्य हैंडलिंग केंद्र	0	1
अन्य गैर-खाद्य हैंडलिंग केंद्र	0	0
परिवहन	2	0

कर्नाटक और गोवा का निर्यात प्रदर्शन

निर्यात विवरण	2024-25	
	कर्नाटक	गोवा
मात्रा मीट्रिक टन में	242143	45469
मूल्य ₹ करोड़ में	3440.57	788.81
मिलियन अमेरिकी डॉलर	410.77	94.33
इकाई मूल्य (अमेरिकी डॉलर/किग्रा)	1.70	2.07



KARNATAKA & GOA

RD MANGALORE

Regional Head: Dr. Ansar Ali A., Deputy Director

Address: The Marine Products Export Development Authority,
Regional Division, 1st Floor, Sri Vinayak Krupa Building, Anand Shetty
Circle, Attavar Katte, Mangalore - 575 001, Karnataka.



Registration

Category	Registration as on 1.04.2024	Registration done during the year
Exporter	71	4
Fishing Vessel	839	0
Processing Plants	68	1
Storage Premises	78	1
Peeling Sheds	43	1
Ice Plants	1	0
Fresh/Chilled Handling Centre	1	0
Live Fish Handling Centre	0	0
Dried/Salted Fish Handling Centre	1	0
Other Edible Handling Centre	0	1
Other Non-Edible Handling Centre	0	0
Conveyance	2	0

Export performance of Karnataka & Goa

Export Details	2024-25	
	Karnataka	Goa
Quantity in MT	242143	45469
Value in ₹ Crore	3440.57	788.81
US\$ Million	410.77	94.33
Unit Value (US\$/Kg)	1.70	2.07



एमपीडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

जलकृषि

कर्नाटक और गोवा में पी. मोनोडोन, एल. वन्नामेई, अन्य श्रिम्प और स्कैम्पी के पालन के लिए उपयोग किए जानेवाले जलकृषि उत्पादन और क्षेत्र

ब्योरा	पी. मोनोडॉन	एल. वन्नामेई	अन्य श्रिम्प (पी.इंडिकस)	स्कैम्पी
एयूसी	2,200	1,044	-	0
ईपी	355	2,385	-	0
उत्पादकता (मीट्रिक टन/ हेक्टेयर/फसल)	0.16	2.3		

2024-25 के दौरान नई निर्यात योग्य प्रजातियों का राज्यवार कल्चर उत्पादन

मड़ क्रेब		सीबास		तिलापिया		पेंगेशियस	
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	मात्रा (मीट्रिक टन)						
0	0	55	59	1	4	0	0

महाराष्ट्र

क्षे.प्र. मुंबई

क्षेत्रीय प्रमुख: डॉ. टी आर जिविनकुमार, उप निदेशक
पता: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय प्रभाग,
103 साई आर्केड, प्रथम तल, लाइन अली, पनवेल
एसटी बस स्टैंड के पास, पनवेल, पनवेल तालुका,
जिला रायगढ़। महाराष्ट्र-410206



पंजीकरण

वर्ग	पंजीकरण 01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान किया गया पंजीकरण
निर्यातक	155	14
मत्स्य यान	283	0
प्रसंस्करण प्लांट	61	1
भंडारण परिसर	68	2
पीलिंग शेड	55	2
बर्फ के प्लांट	3	0
ताज़ा/शीतित हैंडलिंग केंद्र	5	0
जीवित मछली हैंडलिंग केंद्र	4	1
सूखी/नमकीन मछली हैंडलिंग केंद्र	28	2
अन्य खाद्य हैंडलिंग केंद्र	0	0
अन्य गैर-खाद्य हैंडलिंग केंद्र	2	1
परिवहन	7	0

Aquaculture

Aquaculture production and area utilized for culture of *P. monodon*, *L. vannamei*, other shrimp and Scampi in Karnataka & Goa

Particular	<i>P. monodon</i>	<i>L. vannamei</i>	Other Shrimp (<i>P.indicus</i>)	Scampi
AUC	2,200	1,044	-	0
EP	355	2,385	-	0
Productivity (MT/Ha/Crop)	0.16	2.3		

State-wise culture production of new exportable species during 2024-25

Mud Crab		Seabass		Tilapia		Pangasius	
Area (Ha)	Qty (MT)						
0	0	55	59	1	4	0	0

MAHARASHTRA

RD MUMBAI

Regional Head: Dr. T. R. Gibinkumar, Deputy Director

Address: The Marine Products Export Development Authority,
Regional Division, 103 Sai Arcade, First Floor, Line Ali, Near Panvel ST
bus stand, Panvel Panvel Taluka, Dist Raigad. Maharashtra-410206



Registration

Category	Registration as on 01.04.2024	Registration done during the year
Exporter	155	14
Fishing Vessel	283	0
Processing Plants	61	1
Storage Premises	68	2
Peeling Sheds	55	2
Ice Plants	3	0
Fresh/Chilled Handling Centre	5	0
Live Fish Handling Centre	4	1
Dried/Salted Fish Handling Centre	28	2
Other Edible Handling Centre	0	0
Other Non-Edible Handling Centre	2	1
Conveyance	7	0



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

महाराष्ट्र का निर्यात प्रदर्शन

निर्यात विवरण	2024-25
मात्रा मीट्रिक टन में	227866
मूल्य ₹ करोड़ में	7343.38
मिलियन अमेरिकी डॉलर	876.41
इकाई मूल्य (अमेरिकी डॉलर/किग्रा)	3.85

जलकृषि

पी. मोनोडॉन, एल. वन्रामेई, अन्य श्रिम्प और स्कैम्पी के पालन के लिए उपयोग किए जानेवाले जलकृषि उत्पादन और क्षेत्र

ब्योरा	पी. मोनोडॉन	एल. वन्रामेई	अन्य श्रिम्प (पी.इंडिकस)	स्कैम्पी
एयूसी	172	706	-	*940
ईपी	278	1,340	-	251
उत्पादकता (मीट्रिक टन/ हेक्टेयर/फसल)	1.62	1.9		

* जलाशय क्षेत्र

2024-25 के दौरान नई निर्यात योग्य प्रजातियों का राज्यवार संवर्धन उत्पादन

मड़ क्रेब		सीबास		तिलापिया		पेंगेशियस	
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	मात्रा (मीट्रिक टन)						
0	207	0	103	0	1369	240	1145

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता - 2024-25 के दौरान

भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये में)
2	340.9

गुजरात

क्षे.प्र. वेरावल

क्षेत्रीय प्रमुख: वाणिया किशोरकुमार, सहायक निदेशक
पता: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,
क्षेत्रीय प्रभाग, कावेरी बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, एसबीआई
80 फीट रोड के ऊपर, वेरावल - 362 266, गुजरात।

उ.क्षे.प्र. पोरबंदर

क्षेत्रीय प्रमुख: श्रीमाली विनोद कुमार, उप निदेशक
पता: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,
उप क्षेत्रीय प्रभाग, प्रथम तल, शांति कॉम्प्लेक्स 3, वाडी प्लॉट,
टैकॉन कॉम्प्लेक्स के सामने, पोरबंदर - 360 575, गुजरात।

उ.क्षे.प्र. वलसाड

क्षेत्रीय प्रमुख: रजाक अली, उप निदेशक
पता: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,
उप क्षेत्रीय प्रभाग, एकता बिल्डिंग नंबर 1, तीसरी मंजिल,
एचडीएफसी बैंक के ऊपर, तिथल रोड, वलसाड - 396 001, गुजरात।





Export performance of Maharashtra

Export Details	2024-25
Quantity in MT	227866.00
Value in ₹ Crore	7343.38
US\$ Million	876.41
Unit Value (US\$/Kg)	3.85

Aquaculture

Aquaculture production and area utilized for culture of *P. monodon*, *L. vannamei*, other shrimp and Scampi in Maharashtra

Particular	<i>P. monodon</i>	<i>L. vannamei</i>	Other Shrimp (<i>P.indicus</i>)	Scampi
AUC	172	706	-	*940
EP	278	1,340	-	251
Productivity (MT/Ha/Crop)	1.62	1.9		

* Reservoir Area

State-wise culture production of new exportable species during 2024-25

Mud Crab		Seabass		Tilapia		Pangasius	
Area (Ha)	Qty (MT)						
0	207	0	103	0	1369	240	1145

Financial Assistance for infrastructure development-during 2024-25

Physical	Financial (Rs in Lakh)
2	340.90

GUJARAT

RD VERAVAL

Regional Head: Vaniya Kishorkumar, Assistant Director
Address: The Marine Products Export Development Authority, Regional Division, Kaveri Building, 3rd Floor, Above SBI 80 Feet Road, Veraval - 362 266, Gujarat.

SRD PORBANDAR

Regional Head: Shrimali Vinod Kumar, Deputy Director
Address: The Marine Products Export Development Authority, Sub Regional Division, 1st Floor, SHANTI Complex 3, Wadi Plot, Opp: TACON Complex Porbandar - 360 575, Gujarat.

SRD VALSAD

Regional Head: Razak Ali, Deputy Director
Address: The Marine Products Export Development Authority, Sub Regional Division, Ekta Building No.1, 3rd Floor, Above HDFC Bank, Tithal Road, Valsad – 396 001, Gujarat.





एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

पंजीकरण

वर्ग	पंजीकरण 01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान किया गया पंजीकरण
निर्यातक	193	14
मत्स्य यान	1521	0
प्रसंस्करण प्लांट	128	2
भंडारण परिसर	148	6
पीलिंग शेड	117	2
बर्फ के प्लांट	16	0
ताज़ा/शीतित हैंडलिंग केंद्र	3	0
जीवित मछली हैंडलिंग केंद्र	0	0
सूखी/नमकीन मछली हैंडलिंग केंद्र	14	2
अन्य खाद्य हैंडलिंग केंद्र	0	1
अन्य गैर-खाद्य हैंडलिंग केंद्र	2	0
परिवहन	27	0

गुजरात का निर्यात प्रदर्शन

निर्यात विवरण	2024-25
मात्रा मीट्रिक टन में	282158
मूल्य ₹ करोड़ में	5889.29
मिलियन अमेरिकी डॉलर	702.75
इकाई मूल्य (अमेरिकी डॉलर/किग्रा)	2.49

जलकृषि

पी. मोनोडॉन, एल. वन्नामेई, अन्य श्रिम्प और स्कैम्पी के पालन के लिए उपयोग किया जाने वाला जलकृषि उत्पादन और क्षेत्र

ब्योरा	पी. मोनोडॉन	एल. वन्नामेई	अन्य श्रिम्प (पी.इंडिकस)	स्कैम्पी
एयूसी	7,486	1,942	-	*0
ईपी	31,997	10,726	-	488
उत्पादकता (मीट्रिक टन/ हेक्टेयर/फसल)	4.27	5.5		

* जलाशय क्षेत्र

2024-25 के दौरान नई निर्यात योग्य प्रजातियों का राज्यवार कल्चर उत्पादन

मड़ क्रेब		सीबास		तिलापिया		पेंगेशियस	
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	मात्रा (मीट्रिक टन)						
0	0	0	0	0	0	63	446



Registration

Category	Registration as on 01.04.2024	Registration done during the year
Exporter	193	14
Fishing Vessel	1521	0
Processing Plants	128	2
Storage Premises	148	6
Peeling Sheds	117	2
Ice Plants	16	0
Fresh/Chilled Handling Centre	3	0
Live Fish Handling Centre	0	0
Dried/Salted Fish Handling Centre	14	2
Other Edible Handling Centre	0	1
Other Non-Edible Handling Centre	2	0
Conveyance	27	0

Export performance of Gujarat

Export Details	2024-25
Quantity in MT	282158
Value in ₹ Crore	5889.29
US\$ Million	702.75
Unit Value (US\$/Kg)	2.49

Aquaculture

Aquaculture production and area utilized for culture of *P. monodon*, *L. vannamei*, other shrimp and Scampi in Gujarat

Particular	<i>P. monodon</i>	<i>L. vannamei</i>	Other Shrimp (<i>Pindicus</i>)	Scampi
AUC	7,486	1,942	-	*0
EP	31,997	10,726	-	488
Productivity (MT/Ha/Crop)	4.27	5.5		

* Reservoir Area

State-wise culture production of new exportable species during 2024-25

Mud Crab		Seabass		Tilapia		Pangasius	
Area (Ha)	Qty (MT)						
0	0	0	0	0	0	63	446



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

नई दिल्ली

टीपीओ नई दिल्ली

क्षेत्रीय प्रमुख: राकेश थॉमस कुरियन, उप निदेशक
पता: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,
व्यापार संवर्धन कार्यालय, 8/11, (प्रथम तल), सुभाष नगर,
नई दिल्ली - 110027



पंजीकरण

वर्ग	पंजीकरण 01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान किया गया पंजीकरण
निर्यातक	16	2
मत्स्य यान	0	0
प्रसंस्करण प्लांट	0	0
भंडारण परिसर	1	0
पीलिंग शेड	0	0
बर्फ के प्लांट	0	0
ताज़ा/शीतित हैंडलिंग केंद्र	0	0
जीवित मछली हैंडलिंग केंद्र	0	0
सूखी/नमकीन मछली हैंडलिंग केंद्र	1	0
अन्य खाद्य हैंडलिंग केंद्र	0	0
अन्य गैर-खाद्य हैंडलिंग केंद्र	1	0
परिवहन	0	0

नई दिल्ली का निर्यात प्रदर्शन

निर्यात विवरण	2024-25
मात्रा मीट्रिक टन में	609
मूल्य ₹ करोड़ में	40.52
मिलियन अमेरिकी डॉलर	4.88
इकाई मूल्य (अमेरिकी डॉलर/किग्रा)	8.01

अन्य

राज्य/कें शा प्र	मात्रा टन	मूल्य रु. (करोड़)	मूल्य रु. मिलियन)	यूनिट का मूल्य
दमन व दियु	3577	49.32	5.90	1.65
उत्तर प्रदेश	799	9.92	1.19	1.49
असम	297	8.90	1.06	3.56
अंदमान व निकोबर द्वीप समूह	406	7.54	0.90	2.21
झारखंड	106	3.00	0.36	3.36
त्रिपुरा	113	0.85	0.10	0.89



NEW DELHI

TPO NEW DELHI

Regional Head: Rakesh Thomas Kurian, Assistant Director
Address: The Marine Products Export Development Authority,
Trade Promotion Office 8/11, (1st Floor,), Subhash Nagar,
New Delhi – 110 027



Registration

Category	Registration as on 01.04.2024	Registration done during the year
Exporter	16	2
Fishing Vessel	0	0
Processing Plants	0	0
Storage Premises	1	0
Peeling Sheds	0	0
Ice Plants	0	0
Fresh/Chilled Handling Centre	0	0
Live Fish Handling Centre	0	0
Dried/Salted Fish Handling Centre	1	0
Other Edible Handling Centre	0	0
Other Non-Edible Handling Centre	1	0
Conveyance	0	0

Export performance of New Delhi

Export Details	2024-25
Quantity in MT	609
Value in ₹ Crore	40.52
US\$ Million	4.88
Unit Value (US\$/Kg)	8.01

Exports from other States / UT

State / UT	Quantity Tons	Value Rs. (Crore)	Value US\$ (Million)	Unit Value
Daman & Diu	3577	49.32	5.90	1.65
Uttar Pradesh	799	9.92	1.19	1.49
Assam	297	8.90	1.06	3.56
Andaman & Nicobar Islands	406	7.54	0.90	2.21
Jharkhand	106	3.00	0.36	3.36
Tripura	113	0.85	0.10	0.89



11. बजट और व्यय के साथ वार्षिक कार्य योजना

योजना कार्यान्वयन की प्रगति:

विकासात्मक/प्रचार संबंधी गतिविधियां छह प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत की गईं, जैसे (ए) बाजार संवर्धन (बी) निर्यात के लिए मूल्य संवर्धन (सी) मत्स्य पालन और जलकृषि सुधार (डी) गुणवत्ता आश्वासन (ई) स्थापना और कार्यालय अवसंरचना (नेट) और (एफ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर क्षेत्र का कल्याण, जैसा कि 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए ईएफसी में अनुमोदित किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत बजट (संशोधित) ₹108.85 करोड़ था (अर्थात, योजना व्यय हेतु 'सब्सिडी' शीर्षक के अंतर्गत ₹62.50 करोड़, 'वेतन/सामान्य अनुदान' शीर्षक के अंतर्गत ₹45.00 करोड़ और 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' एवं 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' शीर्षक के अंतर्गत ₹1.35 करोड़) और यह राशि मंत्रालय से प्राप्त हुई और उसका पूर्ण उपयोग किया गया। स्थापना व्यय (योजना कोड 15) आईईबीआर का शुद्ध है। विभिन्न योजना घटकों को आबंटित प्लान बजट निम्नलिखित है:-

तालिका 11.1 : विभिन्न योजना घटकों को आवंटित योजना बजट

(₹ करोड़ में)

योजना कोड	योजना का नाम	राशि
11	बाजार संवर्धन	18.43
12	निर्यात के लिए मूल्य वर्धन	28.31
13	मत्स्य पालन और जलकृषि सुधार	8.31
14	गुणवत्ता आश्वासन	7.45
15	स्थापना एवं कार्यालय अवसंरचना (नेट)	45.00
16	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र का कल्याण	1.35
	कुल	108.85

आईईबीआर भी सृजित किया गया और इसका उपयोग/स्थापना संबंधी व्यय के लिए आबंटन किया गया। इसके अलावा ₹ 30.22 करोड़ का

वर्ष 2024-25 के लिए बजट एवं व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी धनराशि	एमपीईडीए द्वारा व्यय	वर्ष के अंत में अप्रयुक्त निधि (संचयी)
2024-25	108.85	108.85	108.85	-

12. राजभाषा कार्यान्वयन

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी अनुदेशों एवं आदेशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा प्राधिकरण में संघ के राजकीय प्रयोजनों हेतु हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1982 में राजभाषा अनुभाग की स्थापना की गई थी। तब से यह अनुभाग एमपीईडीए में संघ के राजकीय प्रयोजनों हेतु हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है।

एमपीईडीए को 'ग' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (तृतीय पुरस्कार) से सम्मानित किया गया है। श्री के.एस. प्रदीप, भारतीय विदेश सेवा, सचिव, एमपीईडीए ने 14 सितंबर, 2024 को हिंदी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, सांसद, राज्यसभा से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रहण किया।



11. ANNUAL PLAN WITH BUDGET AND EXPENDITURE

Progress of plan scheme Implementation:

The developmental/promotional activities were carried out under six major heads viz., (A)Market Promotion (B) Value Addition for Exports (C)Fisheries & Aquaculture Improvement (D)Quality Assurance (E)Establishment & Office Infrastructure (Net) and (F)Welfare of SC/ST and North Eastern Region as approved in EFC for the period 2021-22 to 2025-26.

Budget (RE) approved for the FY 2024-25 was ₹ 108.85 Crore (i.e., ₹ 62.50 Crore under the head ‘Subsidies’ for scheme expenditure, ₹ 45.00 Crore under head ‘Grants-in-aid Salary/General’ & ₹ 1.35 Crore under head ‘Special Component Plan for Scheduled Castes’ & Tribal Area Sub Plan’) and same was received from the Ministry and fully utilized. Establishment expenses(scheme code 15) is net of IEBR.

The plan budget allocated to various scheme components is as follows: -

Table 11.1: Plan budget allocated to various scheme components

(₹ in Crore)

Scheme Code	Name of the Scheme	Amount
11	Market Promotion	18.43
12	Value Addition for Exports	28.31
13	Fisheries & Aquaculture Improvement	8.31
14	Quality Assurance	7.45
15	Establishment & Office Infrastructure (Net)	45.00
16	Welfare of SC/ST & North Eastern Region	1.35
TOTAL		108.85

Also generated an IEBR of ₹ 30.22 Crore and the same was utilized / allocated for establishment related expenses.

Budget & Expenditure for the year 2024-25

(₹ in Crore)

Year	Budget Provision	Funds released by the MoCI	Expenditure by the MPEDA	Unutilized funds (Cumulative) at the end of the year
2024-25	108.85	108.85	108.85	-

12. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

With a view to ensuring the effective implementation of the instructions and orders issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and to promote the use of Hindi for the official purposes of the Union in the Authority, the Official Language Section was set up in the year 1982. Since then, the section has been making efforts to accelerate the progressive use of Hindi for official purposes of the Union in MPEDA.

MPEDA has been awarded Rajbhasha Kirti Puraskar (Third Prize) for the year 2023-24 for the best implementation of Official Language Policy amongst the Central government offices located in Region “C”. Shri, K.S. Pradeep, IFS, Secretary, MPEDA received the prestigious award from Dr. Sudhanshu Trivedi, MP, Rajya Sabha in a grand ceremony held on Hindi Diwas on 14th September 2024, at New Delhi.



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25



श्री के.एस. प्रदीप, आईएफएस, सचिव, एमपीईडीए, डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, सांसद, राज्य सभा से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार लेते हुए

कोच्चि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य संगठनों के बीच एमपीईडीए को राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन और वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका के लिए राजभाषा रोलिंग ट्रॉफी (द्वितीय पुरस्कार) से सम्मानित किया गया है। दिनांक 23.10.2024 को कोच्चि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की केंद्रीय राजस्व भवन, कोच्चि में आयोजित बैठक में डॉ. षस्सी एस, उप निदेशक, एमपीईडीए श्रीमती प्रीति गर्ग, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त से रोलिंग ट्रॉफी प्राप्त की और एमपीईडीए के राजभाषा अनुभाग के अधिकारियों ने डॉ. शंकर प्रसाद के, आईआरएस, आयुक्त आयकर, केरल से प्रमाण पत्र प्राप्त किया।



डॉ. षस्सी एस, उप निदेशक, एमपीईडीए श्रीमती प्रीति गर्ग, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल से राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन और सर्वश्रेष्ठ विभागीय पत्रिका के लिए रॉलिंग ट्रॉफी प्राप्त करते हुए।

नियमित पहलों में एमपीईडीए-मुख्यालय और क्षेत्रीय प्रभागों में त्रैमासिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, हिंदी कार्यशालाएँ और हिंदी दक्षता बढ़ाने के लिए राजभाषा सेमिनार शामिल हैं। मुख्यालय के 21 अनुभागों और 22 क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजभाषा निरीक्षण किए गए। कर्मचारियों को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक जन्मदिन कार्ड जारी किए गए और चार कर्मचारियों ने प्रोत्साहन राशि के साथ हिंदी पारंगत प्रशिक्षण पूरा किया, जबकि एक ने हिंदी टंकण प्रशिक्षण पूरा किया।





Shri, K.S. Pradeep, IFS, Secretary, MPEDA receiving the Rajbhasha Kirti Puraskar from Dr. Sudhanshu Trivedi, MP, Rajya Sabha

MPEDA has been awarded Rajbhasha Rolling Trophy (Second Prize) for the best implementation of Official Language Policy and best House magazine for the year 2022-23 amongst the member organizations of Kochi Town Official Language Implementation Committee. Dr Shassi S, Deputy Director, MPEDA received the Rolling Trophies from Smt. Preeti Garg, Principal Chief Commissioner Income Tax, Kerala and officials of OL Section, MPEDA received the certificate from Dr Shankar Prasad K, IRS, Commissioner Income Tax in the meeting of Kochi TOLIC held on 23.10.2024 at Central Revenue Building, Kochi.



Dr Shassi S, Deputy Director, MPEDA receiving the Rolling Trophies for the best implementation of Official Language Policy and best House magazine from Smt Preeti Garg, Principal Chief Commissioner, Income Tax, Kerala.

Regular initiatives include quarterly Official Language Implementation Committee meetings across MPEDA-HO and Regional Divisions, Hindi workshops, and OL seminars to enhance Hindi proficiency. OL inspections were conducted for 21 sections at HO and 22 field offices through VC. Electronic birthday cards in Hindi were issued to staff, and four employees completed Hindi Parangat training with incentives, while one completed Hindi Typing Training.





एमपीईडीए वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

19 दिसंबर 2024 को एमपीईडीए के अध्यक्ष श्री डी.वी. स्वामी भाप्रसे की अध्यक्षता में राजभाषा समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। हिंदी पखवाड़ा समारोह 2024 के दौरान आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। सर्वोच्च व्यक्तिगत अंक प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ लिपिक सुश्री सरिता एम.एम. को राजभाषा ट्रॉफी प्रदान की गई और मुख्यालय के सभी अनुभागों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग को राजभाषा ट्रॉफी प्रदान की गई।

राजभाषा के प्रभावी और सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए मुख्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और अनुभागों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय राजभाषा ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। यह ट्रॉफी श्री डी.वी. स्वामी, भाप्रसे, अध्यक्ष, एमपीईडीए से मलयाडूर, एर्नाकुलम में आयोजित 'चिंतन शिविर' परामर्श कार्यशाला के दौरान प्राप्त की गई।

एमपीईडीए ने कोच्चि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में 13.01.2025 से 24.01.2025 तक संयुक्त राजभाषा समारोह, 2024-25 में भाग लिया। एमपीईडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में आयोजित भाग लिया और सुश्री सरिता एम.एम., वरिष्ठ लिपिक ने एमपीईडीए के लिए हिंदी गीत में पुरस्कार जीता।



डॉ. राम मोहन एम. के., संयुक्त निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण) मुख्यालय के सभी अनुभागों में सर्वोच्च अंक प्राप्त क्यूसी अनुभाग के लिए राजभाषा ट्रॉफी प्राप्त करते हैं।



क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा के प्रभावी एवं सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारी

संघ की राजभाषा को लोकप्रिय बनाने के विशेष प्रयास के रूप में, मासिक समाचार पत्र 'एमपीईडीए न्यूज़लेटर' हिंदी में प्रकाशित किया जा रहा है। साथ ही, मासिक समुद्री खाद्य बाज़ार रिपोर्ट 'प्राइम' भी हिंदी में प्रकाशित की जा रही है।

13. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अन्य गतिविधियाँ

13.1. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुरूप, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024, 16 अगस्त से 15 नवंबर 2024 तक तीन महीने के अभियान के साथ मनाया गया। इस दौरान, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक मनाया गया, जिसका विषय था, "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"। इस पहल को बढ़ावा देने के लिए, इस विषय को दर्शाने वाले बैनर मुख्यालय के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए, जिससे सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता को बल मिला।

श्री डी.वी. स्वामी भाप्रसे, अध्यक्ष, एमपीईडीए ने 28.10.2024 को प्रातः 11:00 बजे एमपीईडीए के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। एमपीईडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों ने www.cvc.gov.in वेबसाइट पर जाकर सत्यनिष्ठा की शपथ ली। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत, सतर्कता जागरूकता सप्ताह की विषय पर नारा लेखन प्रतियोगिता और निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी की।





Rajbhasha Samagam program was organized on 19th December 2024 under the Chairmanship of Shri D V Swamy IAS, Chairman, MPEDA and all officers and staff members were present in the programme. The prizes were given to the winners of Hindi competitions organized during Hindi Fortnight Celebrations 2024. Rajbhasha Trophy was awarded to Ms. Saritha M.M, Senior Clerk, for attaining highest individual points and Rajbhasha Trophy was awarded to the Quality Control Section for getting highest points among all sections of HO.

The field offices and sections of HO were awarded with first, second and third Rajbhasha Trophy for the effective and best implementation of the official language and it was received from Shri D V Swamy IAS, Chairman, MPEDA during “Chintan Shivir” consultative workshop held at Malayattoor, Ernakulam.

MPEDA participated in the Joint Official Language Celebration, 2024-25 under the auspices of the Kochi Town Official Language Implementation Committee from 13.01.2025 to 24.01.2025. Officers and employees of MPEDA participated in various competitions and won prize in Hindi Song for MPEDA.



Dr. Ram Mohan M K, JD(QC) receiving Rajbhasha Trophy for QC Section for getting highest points among all sections of HO



Officers receiving award for the effective and best implementation of the official language at field level

As a special effort to popularize official language of the Union, monthly newsletter “MPEDA NEWSLETTER” is being published in HINDI. Also, Monthly seafood market report “PRIME” is being published in HINDI.

13. Other Activities During FY 2024-25

13.1. Vigilance Awareness Week 2024

In line with the instructions from the Central Vigilance Commission (CVC), the Vigilance Awareness Week 2024 was observed with a precursor -3 month campaign period from 16th August to 15th November 2024. During this period, the Vigilance Awareness Week itself took place from 28th October to 3rd November 2024, with the theme, “**Culture of Integrity for Nation’s Prosperity**” (“**Satyanishta Kee Sanskrithi Se Raashtr Kee Samridhi**”). To promote this initiative, banners indicating the theme were prominently displayed at the Head Office as well as across all field offices, reinforcing the commitment to integrity and ethical practices.

Shri D.V. Swamy, IAS, Chairman, MPEDA administered the Integrity Pledge to all officers and staff of MPEDA on 28.10.2024, at 11:00 AM. MPEDA officials and staff took the Integrity Pledge by visiting the website www.cvc.gov.in. As part of the Vigilance Awareness Week, a slogan writing competition and an essay writing competition on the theme of vigilance awareness week were held, with active participation from officials.





श्री डी वी स्वामी भाप्रसे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के दौरान शपथ दिलाते हुए, ईमानदारी और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रेरित करते हुए

अध्यक्ष द्वारा दिलाई गई शपथ लेते हुए अधिकारी, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें नैतिकता और शासन, आचरण नियम, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा, और खरीद पर जागरूकता सत्र शामिल थे। एमपीईडीए के सभी अधिकारियों के लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में 24.02.2025 से 25.02.2025 तक “अनुशासनात्मक कार्यवाही” पर दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।

13.2 स्वच्छता कार्य योजना 2024-25

एमपीईडीए ने 2024-25 के लिए अपनी कार्ययोजना वाणिज्य विभाग को सौंप दी है। शुरु की गई प्रमुख पहलों में निम्नलिखित हैं:

1. नेटफिश के सहयोग से देश भर में 11 बंदरगाह /लैंडिंग सेंटर /तटीय सफाई कार्यक्रमों का आयोजन।
 2. प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्यालय में पूर्णतः स्वचालित जैविक अपशिष्ट खाद मशीन की खरीद और स्थापना।
- ये पहल एमपीईडीए की स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं।

13.3 विश्व रक्तदाता दिवस 2024

दिनांक 14 जून, 2024 को प्रतिज्ञा-ग्रहण समारोह के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया। एमपीईडीए के अध्यक्ष, श्री डी वी स्वामी भाप्रसे ने शपथ पढ़कर समारोह का नेतृत्व किया।

13.4 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024

एमपीईडीए और उसके इकाई कार्यालयों एवं समितियों ने 21 जून, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्यालय, कोच्चि में श्री डी.वी. स्वामी, भाप्रसे, अध्यक्ष और एमपीईडीए के सभी अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही। एर्नाकुलम के सरकारी सामान्य अस्पताल के योग चिकित्सक, श्री राजीव पी. नायर ने योग के महत्व, उसकी व्युत्पत्ति और लाभों पर प्रकाश डालते हुए एक व्याख्यान दिया, जिसके बाद एक व्यावहारिक योग सत्र का आयोजन किया गया।

13.5 हर घर तिरंगा अभियान

एमपीईडीए और उसके कार्यालयों, जिनमें सोसाइटियाँ भी शामिल हैं, ने हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अवसर पर, सभी कर्मचारियों, अनुबंध कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए गए। उन्हें 15 अगस्त, 2024 को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा मिले।





Shri D V Swamy IAS administering the pledge during Vigilance Awareness Week 2024, inspiring a commitment to integrity and transparency



Officials taking the pledge administered by the Chairman, reinforcing commitment to transparency and integrity

In accordance with CVC guidelines, several capacity-building programs were organized, including awareness sessions on Ethics & Governance, Conduct Rules, Cyber Hygiene & Security, and Procurement. Two-day training session on “Disciplinary Proceedings” was organized from 24.02.2025 to 25.02.2025 for all officials of MPEDA at both the Head Office and Field Offices.

13.2. Swachhata Action Plan 2024-25

MPEDA submitted its Action Plan for 2024-25 to the Department of Commerce. Key initiatives undertaken include:

1. Organizing 11 harbour/landing centre/coastal clean-up programmes across the country in association with NETFISH.
2. Procuring and installing a Fully Automatic Organic Waste Composting Machine at the Head Office for effective waste management.

The initiatives align with MPEDA's commitment to sustainability and environmental conservation.

13.3. World Blood Donor Day 2024

MPEDA observed World Blood Donor Day on 14th June, 2024, with a pledge-taking ceremony. Shri D. V. Swamy, IAS, Chairman of MPEDA, led the ceremony by reading out the pledge.

13.4. International Day of Yoga 2024

MPEDA and its unit offices and societies celebrated the International Day of Yoga on June 21, 2024. The event was marked by active participation from Shri D. V. Swamy, IAS, Chairman and all MPEDA officials at HO Kochi. Shri Rajiv P.Nair, Yoga Therapist, Government General Hospital, Ernakulam, delivered a lecture on highlighting the importance of yoga, its etymology, and benefits followed by a practical yoga session.

13.5. Har Ghar Tiranga Campaign

MPEDA and its offices, including societies, actively participated in the Har Ghar Tiranga campaign. To commemorate the occasion, national flags were distributed to all employees, contract staff and trainees. They were encouraged to hoist the national flag at their homes on 15th August, 2024, fostering patriotism and national pride.





एमपीईडीए वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

13.6 स्वतंत्रता दिवस समारोह

एमपीईडीए ने 15 अगस्त, 2024 को स्वतंत्रता दिवस मनाया। अध्यक्ष श्री डीवी स्वामी, भाप्रसे ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस कार्यक्रम में कर्मचारी, अनुबंध कर्मचारी, प्रशिक्षु, उनके परिवार के सदस्य, पेंशनभोगी और अन्य लोग शामिल हुए। एमपीईडीए कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसने स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक रचनात्मक स्पर्श जोड़ा।



अध्यक्ष श्री डी. वी. स्वामी भाप्रसे राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए



एमपीईडीए अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों के लिए 15 अगस्त 2024 को चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की

13.7 एमपीईडीए दिवस समारोह 2024

एमपीईडीए ने 24 अगस्त, 2024 को अपना 52वां वार्षिक दिवस मनाया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. के. एन.राघवन, भारासे, सेवानिवृत्त महानिदेशक, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) और एमपीईडीए के पूर्व अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर और उद्घाटन भाषण दिया।

श्री डी. वी. स्वामी, भाप्रसे, अध्यक्ष एमपीईडीए ने समारोह की अध्यक्षता की, जिसने संगठन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अधिकारियों और उनके परिवारों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को और भी जीवंत बना दिया।





13.6. Independence Day Celebrations

MPEDA celebrated Independence Day on August 15, 2024. Chairman Shri D. V. Swamy, IAS, hoisted the national flag, marking the occasion. The event was attended by employees, contract staff, trainees, their family members, pensioners, and others. A painting competition was also organized for MPEDA employees and their families, adding a creative touch to the Independence Day celebrations.



Chairman Shri D. V. Swamy, IAS, hoisting the National flag and addressing the gathering



Painting competition held on 15th August 2024 for the children of MPEDA officials and staff

13.7. MPEDA Day Celebration 2024

MPEDA celebrated its 52nd Annual Day on August 24, 2024. The event was inaugurated by Dr. K. N. Raghavan, IRS, Retired Director General, National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN) and former Chairman MPEDA, who lit the lamp and delivered the inaugural address.

Shri D. V. Swamy, IAS, Chairman, MPEDA presided over the ceremony, marking a significant milestone in the organization's journey. The celebration was made more vibrant with cultural programs presented by officials and their families.





एमपीडीए वार्षिक रिपोर्ट 2024-25



एमपीडीए दिवस समारोह 2024 का उद्घाटन

13.8 स्वच्छता ही सेवा 2024

14 सितंबर, 2024 से 2 अक्टूबर, 2024 तक स्वच्छता ही सेवा 2024 मनाया। निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल थीं:

1. एमपीडीए मुख्यालय और सभी इकाई कार्यालयों में शपथ ग्रहण समारोह।
2. कार्यालय परिसर में स्वच्छता ही सेवा 2024 स्टैंडीज़ की स्थापना।
3. 27 सितंबर, 2024 को पुथुवाइप समुद्र तट, एलमकुन्नापुझा पंचायत, एर्नाकुलम में समुद्र तट सफाई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें विभिन्न संगठनों के लगभग 120 अधिकारी शामिल हुए।
4. मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए कार्यालय परिसर का धूमन (फ्यूमिगेशन)।

इन पहलों ने स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति एमपीडीए की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।



पुथुवाइप बीच, एलमकुन्नापुझा पंचायत, एर्नाकुलम में समुद्र तट सफाई कार्यक्रम

13.9 माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का एमपीडीए दौरा

श्री जॉर्ज कुरियन, माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने 10 अक्टूबर, 2024 को एमपीडीए का दौरा किया। एमपीडीए के स्वर्ण जयंती हॉल में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एमपीडीए के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

13.10 राष्ट्रीय एकता दिवस

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर, 2024 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना था।





Inauguration of MPEDA Day celebrations 2024

13.8. Swachhata Hi Seva 2024

MPEDA observed Swachhata Hi Seva 2024 from September 14, 2024, to October 2, 2024. Key activities included:

1. Pledge-taking ceremonies at MPEDA headquarters and all unit offices.
2. Installation of Swachhata Hi Seva 2024 standees in office premises.
3. A beach cleaning program at Puthuvype Beach, Elamkunnapuzha Panchayat, Ernakulam, on September 27, 2024, involving around 120 officials from various organizations.
4. Fumigation of office premises to prevent mosquito-borne diseases.

These initiatives underscored MPEDA's commitment to cleanliness and public health.



Beach cleaning program at Puthuvype Beach, Elamkunnapuzha Panchayat, Ernakulam

13.9. Visit of Hon'ble Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying & Minority Affairs to MPEDA

Shri George Kurian, Hon'ble Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying & Minority Affairs, visited MPEDA on 10th October 2024. A meeting was held at the Golden Jubilee Hall of MPEDA, attended by all senior officers of MPEDA.

13.10. Rashtriya Ekta Diwas (National Unity Day)

Rashtriya Ekta Diwas was observed on 31st October 2024, to commemorate the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, promoting national unity and integrity.





13.11 स्वच्छता पखवाड़ा 2024

एमपीईडीए ने 1 नवंबर से 15 नवंबर, 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 1 नवंबर 2024 को श्री के.एस. प्रदीप आईएफएस, सचिव ने किया।

मुख्य गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

1. एमपीईडीए अधिकारियों द्वारा स्वच्छता शपथ ग्रहण (ऑनलाइन और ऑफलाइन)
2. देश भर में जागरूकता अभियान और बंदरगाह सफाई अभियान
3. 5 नवंबर 2024 को स्वच्छता दौड़, जिसका शुभारंभ डॉ. एम. कार्तिकेयन, निदेशक द्वारा किया गया
4. चित्रकला प्रतियोगिता

इस पहल ने विभिन्न कार्यक्रमों और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वच्छता और सफाई के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया।

13.12 सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह

एमपीईडीए ने 19 से 25 नवंबर, 2024 तक सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह मनाया, जिसमें अपने अधिकारियों और हितधारकों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया गया।

13.13 संविधान दिवस समारोह

एमपीईडीए ने 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस मनाया, जो 1949 में भारतीय संविधान को अपनाने का प्रतीक है। मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं:

1. एमपीईडीए के निदेशक द्वारा स्वर्ण जयंती हॉल में संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया।
2. इकाई कार्यालयों, प्रयोगशालाओं और सोसायटियों के अधिकारियों ने हाइड्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया।
3. राज्यसभा टीवी द्वारा समानता, न्याय और समावेशिता के संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली लघु फिल्म 'संविधान' का प्रदर्शन।

13.14 सशस्त्र सेना झंडा दिवस

भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और समर्थन प्रदर्शित करने के लिए 7 दिसंबर, 2024 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया।

13.15 गणतंत्र दिवस समारोह

एमपीईडीए ने 26 जनवरी, 2024 को भारत का 76वाँ गणतंत्र दिवस मनाया। एमपीईडीए के अध्यक्ष श्री डी.वी. स्वामी भाप्रसे ने सुबह 9 बजे मुख्यालय प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह में अधिकारीगण और उनके परिवारजन उपस्थित रहे।

13.16 फिट इंडिया मिशन और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

एमपीईडीए ने फिट इंडिया मिशन और 8 मार्च, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 3-9 मार्च, 2025 तक योग सत्र का आयोजन किया। योग प्रशिक्षक श्री एल बी मुकुंद कुमार ने सैद्धांतिक और व्यावहारिक सत्र संचालित किए। एमपीईडीए के सचिव श्री अनिल कुमार पी ने कर्मचारियों के बीच स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

13.17 भाप्रसे अधिकारी प्रशिक्षुओं का दौरा

13 जनवरी 2025 को, एमपीईडीए ने अपने शीतकालीन अध्ययन दौरे के तहत 2024 बैच के 18 भाप्रसे अधिकारी प्रशिक्षुओं की मेज़बानी की। इस अवसर पर कोच्चि स्थित विभिन्न संगठनों और एमपीईडीए के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई।

13.18 आईआईएफटी छात्रों का दौरा

23 जनवरी, 2025 को एमपीईडीए ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के 50 छात्रों के दौरे का आयोजन किया। उसी दिन एमपीईडीए प्रशिक्षण हॉल में एक बैठक भी आयोजित की गई।



13.11. Swachhata Pakhwada 2024

MPEDA celebrated Swachhata Pakhwada from 1st November to 15th November 2024. The program was inaugurated by Shri K S Pradeep, IFS, Secretary, on 1st November 2024.

Key activities included:

1. Swachhata pledge-taking by MPEDA officials (online and offline)
2. Awareness campaigns and harbour clean-up drives across the country
3. Swachhata Run on 5th November 2024, flagged off by Dr. M Karthikeyan, Director
4. Painting competition

The initiative promoted cleanliness and hygiene awareness through various programs and social media outreach.

13.12. Communal Harmony Campaign Week

MPEDA observed the Communal Harmony Campaign Week from 19th to 25th November 2024, promoting awareness about communal harmony and national integration among its officials and stakeholders.

13.13. Constitution Day Celebration

MPEDA celebrated Constitution Day on 26th November 2024, marking the adoption of the Indian Constitution in 1949. Key highlights included:

1. Director, MPEDA, reading out the Preamble to the Constitution at the Golden Jubilee Hall.
2. Officials from unit offices, laboratories, and societies participated through hybrid mode.
3. Screening of the short film "SAMVIDHAN" by Rajya Sabha TV, promoting constitutional values of equality, justice, and inclusivity.

13.14. Armed Forces Flag Day

MPEDA observed Armed Forces Flag Day on December 7, 2024, to honour and show support for the Indian Armed Forces.

13.15. Republic Day Celebration

MPEDA celebrated India's 76th Republic Day on January 26, 2024. Shri D V Swamy IAS, Chairman, MPEDA hoisted the National Flag at 9.00 am in the courtyard of the Head Office. Officials and their families attended the functions.

13.16. Fit India Mission and International Women's Day Celebration

MPEDA organized a Yoga Session from March 3-9, 2025, aligning with the Fit India Mission and International Women's Day on March 8, 2025. Shri L. B. Nandakumar, Yoga Trainer, conducted theory and practical sessions. Shri Anil Kumar P, Secretary, MPEDA, inaugurated the event, promoting wellness among employees.

13.17. Visit of IAS Officer Trainees

On 13th January 2025, MPEDA organized the visit of 18 IAS officer trainees (2024 batch) as part of their Winter Study Tour. A meeting was organized, bringing together senior officers from various Kochi-based organizations and MPEDA.

13.18. Visit of IIFT Students

On 23rd January, 2025 MPEDA organized the visit of 50 students from the Indian Institute of Foreign Trade (IIFT). A meeting was also arranged on the same day at the MPEDA Training Hall.





13.19 माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल का दौरा

एमपीईडीए ने 21.02.2025 को एमपीईडीए के गोल्डन जूबली हॉल में अपनी गतिविधियों की समीक्षा के लिए माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल का कोच्चि दौरा आयोजित किया। इस दौरान एमपीईडीए अधिकारियों, समुद्री खाद्य निर्यातकों, कृषि एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के हितधारकों, और अन्य के साथ एक समीक्षा बैठक शामिल थी। एमपीईडीए ने मसाला बोर्ड और रबर बोर्ड के लिए भी समीक्षा बैठकें आयोजित कीं, जिनमें माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। एमपीईडीए ने सभी बैठकों के लिए आतिथ्य व्यवस्था का ध्यान रखा।



माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल एमपीईडीए की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए



समीक्षा बैठक का दृश्य



श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, एमपीईडीए अधिकारी

13.20 विभाग पदोन्नति परीक्षा के लिए प्रशिक्षण

एमपीईडीए ने 24 मार्च, 2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को तैयार करने हेतु 3 महीने का निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ज्ञान को बढ़ाना और उच्च पदों पर पदोन्नति को सुगम बनाना था।

14. एमपीईडीए पुस्तकालय

समुद्री खाद्य पर सूचना प्राप्त करने, उसे संरक्षित करने और प्रसारित करने के अपने मिशन के अनुरूप पुस्तकालय और सूचना केंद्र में संसाधनों का एक समृद्ध संग्रह है, एमपीईडीए के प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों, विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों, महाविद्यालयों के छात्रों और समुद्री भोजन उद्योग के उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

इस अवधि के दौरान एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर - लिबसोफ्ट को संस्करण 4.2 में अपग्रेड किया गया है। पत्रिकाओं और पुस्तकों को सूचीबद्ध और बारकोड किया गया है, और अब वे ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (ओपेक) के माध्यम से उपलब्ध हैं। पत्रिकाएँ सदस्यता, उपहार और विनिमय के माध्यम से प्राप्त और अनुक्रमित की जाती हैं। अंग्रेजी और मलयालम के समाचार पत्रों के साथ-साथ 578 समाचार पत्रों की कटिंग ईमेल के माध्यम से वितरित की गईं। हमारे प्रसार से प्राप्त समाचार एमपीईडीए न्यूज़लेटर में प्रकाशित हुए। इस अवधि के दौरान लगभग सभी एमपीईडीए अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुस्तकालय सुविधाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। 2024-2025 के दौरान आवश्यकतानुसार अनुभागों और अधिकारियों को सेवा नियम पुस्तिकाएँ वितरित की गईं।

समुद्री खाद्य और संबंधित विषयों पर लगभग 578 समाचार पत्रों की कतरनें और ऑनलाइन समाचार एमपीईडीए के संबंधित अनुभागों, अधिकारियों और क्षेत्रीय प्रभागों को वितरित किए गए। पुस्तकालय का प्राथमिक उद्देश्य एमपीईडीए के कर्मचारियों, अधिकारियों और विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संबंधित समुद्री खाद्य संस्थानों के बाहरी उपयोगकर्ताओं को संसाधन और सेवाएँ प्रदान करना है, जिससे सूचना संबंधी आवश्यकताओं, व्यक्तिगत विकास और अनुसंधान में सहायता मिलती है।





13.19. Visit of Shri Piyush Goyal Hon'ble Commerce & Industry Minister

MPEDA organized the visit of Shri Piyush Goyal, Hon'ble Commerce & Industry Minister to Kochi to review the activities of MPEDA on 21.02.2025 at the Golden Jubilee Hall of MPEDA. The visit included a review meeting with MPEDA officers, seafood exporters, stakeholders from farming and capture fisheries sectors, and others. MPEDA also arranged review meetings for the Spices Board and Rubber Board, with Shri Piyush Goyal, Hon'ble Commerce & Industry Minister, in attendance. MPEDA took care of hospitality arrangements for all the meetings.



Shri Piyush Goyal, Hon'ble Commerce & Industry Minister reviewing the activities of MPEDA



View from review meeting



Shri Piyush Goyal, Hon'ble Commerce & Industry Minister with MPEDA officials

13.20. Training for Department Promotion Test

MPEDA organized a 3-month continuous training program to prepare candidates for the Department Promotion Test held on March 24, 2025. The program aimed to enhance knowledge and facilitate promotions to higher positions.

14. MPEDA Library

The Library and Information Centre in keeping with its mission to acquire, preserve and disseminate information on seafood holds a rich collection of resources caters to the need of administrative and technical staff of MPEDA, research scholars from universities, students from colleges and entrepreneurs from the seafood industry.

Integrated Library Management Software - LIBSOFT has been upgraded to Version 4.2 during the period. Magazines and books have been cataloged and barcoded and are now accessible through the Online Public Access Catalog (OPAC). Journals are received and indexed through subscription, gift, and exchange, alongside newspapers in English and Malayalam. 578 Newspaper cuttings disseminated through e-mail. News items from our dissemination were featured in the MPEDA Newsletter. Almost all MPEDA officials and staff effectively utilized the library facilities during this period. Service rule books were distributed to sections and officials as required during 2024-2025.

Nearly 578 newspaper clippings and online news items on seafood and related subjects were disseminated to concerned sections, officers, and regional divisions of MPEDA. The library's primary purpose is to provide resources and services to MPEDA staff, officers, and external users from universities, colleges, and related seafood institutions, supporting information needs, personal development, and research.





एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

आभार

समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग द्वारा रिकॉर्ड निर्यात हासिल करने के लिए किए गए ईमानदार प्रयासों की सराहना की जाती है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग और राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), आईसीएआर संस्थान (सीआईएफटी/सीएमएफआरआई सीआईबीए/एनबीएफजीआर/सीआईएफई/निफफेट), राष्ट्रीय मत्स्य पालन पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान (निफफेट), भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफएसआई) और केंद्रीय मत्स्य पालन नौवहन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), डीजी शिपिंग, तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (सीएए), महासागर विकास विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग आदि ने भी व्यापार को विकसित करने और समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्राप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। विभिन्न महत्वपूर्ण विदेशी बाजारों में भारतीय मिशनों ने समुद्री खाद्य के निर्यात विपणन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में अपना सहयोग दिया है और उन बाजारों में हमारे निर्यात को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राधिकरण इन सभी संगठनों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता है। प्राधिकरण समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग और व्यापार जगत के लोगों और प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा दिए गए समर्थन और सहयोग के लिए भी ऋणी है। प्रभागों और उप-क्षेत्रीय प्रभागों, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं, सोसायटियों और विदेशों में तथा दिल्ली में व्यापार संवर्धन एमपीईडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों की समर्पित सेवाओं के लिए मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों ने समग्र कार्यप्रणाली और निष्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और प्राधिकरण उनके योगदान की सराहना करना चाहता है।





ACKNOWLEDGEMENT

The sincere efforts taken by the seafood export industry to achieve the record exports is acknowledged. The active cooperation of all the Central Ministries, the Niti Ayog and the State Governments is gratefully acknowledged. The Export Inspection Council of India (EIC), the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Department of Fisheries Govt. of India, Ministry of Food Processing Industries, Government of India (MoFPI), the ICAR Institutes (CIFT/ CMFRI CIBA /NBFGR/CIFE/NIFPHATT) The National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training (NIFPHATT) the Fishery Survey of India (FSI) and the Central Institute of Fisheries Nautical & Engineering Training (CIFNET), DG Shipping, Coastal Aquaculture authority (CAA) Department of Ocean Development, Department of Bio-Technology, etc. have also played an active role in developing the trade and achieving the export of marine products. Indian Missions in different important overseas markets have extended their cooperation in solving various problems relating to the export marketing of seafood and played an important role in boosting our exports to those markets. The Authority also wishes to place on record its gratitude to all these organizations. The Authority is also deeply indebted to the support and cooperation extended by the seafood export industry and trade players and the members of the Authority. The dedicated services of the officers and staff of MPEDA at its Head Quarters, Regional Divisions and Sub Regional Divisions, Quality Control Laboratories, Societies and the Trade Promotion Offices overseas and at Delhi have contributed significantly to the overall functioning and performance, and the Authority wishes to acknowledge their contribution with appreciation.





एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

परिशिष्ट I

प्राधिकरण के सदस्य

<p>1. श्री डी.वी. स्वामी भाप्रसे अध्यक्ष, एमपीईडीए एमपीईडीए हाउस, पनंपिल्लि नगर, कोचीन-682036 Email ID : chairman@mpeda.gov.in</p>	<p>2. श्री एलेक्स नैनन उपाध्यक्ष, मेसर्स बेबी मरीन इंटरनेशनल, थोप्पुमपडी, कोच्चि, केरल - 682 005 Email ID : alex@babymarinegroup.com</p>
<p>3. डॉ. एम. कार्तिकेयन निदेशक, एमपीईडीए एमपीईडीए हाउस, पनंपिल्लि नगर कोचीन-682036 Email ID : karthikeyan@mpeda.gov.in</p>	<p>4. श्री हेबी ईडन, माननीय संसद सदस्य (लोकसभा), कोच्चि, केरल 682018 Email ID : hibieden@gmail.com</p>
<p>5. श्री बालेश्वरी वल्लभनेनी, माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) बंगलौ नं.6, तीन मूर्ती लाइन, नई दिल्ली, एनसीटी दिल्ली 110001 Email ID : balashowry18@gmail.com v.balashowry@sansad.nic.in</p>	<p>6. श्री मानस रंजन मंगराज माननीय संसद सदस्य (राज्यसभा) विला 15, ट्राइडेंट गैलेक्सी, कलिंगनगर, घटिकिया, भुवनेश्वर - 751029 Email ID : Manasmangaraj.mp@sansad.nic.in</p>
<p>7. सुश्री नीतू कुमारी प्रसाद भाप्रसे संयुक्त सचिव (मत्स्य पालन) मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली - 110 001 Email ID : jsfy@nic.in</p>	<p>8. डॉ. सी. वनलालरामसांगा आर्थिक सलाहकार वाणिज्य विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कमरा नंबर 325 वाणिज्य भवन नई दिल्ली - 110011 Email ID : vanlal@nic.in</p>
<p>9. श्री प्रवीण कुमार आईईएस निदेशक ईपी (एमपी) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कमरा नंबर 330, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली - 110011. Email ID : Praveen.kumar2007@nic.in</p>	<p>10. श्री प्रीत पाल सिंह आईएफएस संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कमरा नं: 31, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 049 Email ID : preetpal.singh@nic.in</p>
<p>11. श्री श्याम जगन्नाथन, भाप्रसे उप महा निदेशक, शिपिंग महानिदेशालय Email ID : dg-dgs@gov.in</p>	<p>12. श्री रमा शंकर नाइक भाप्रसे मत्स्य पालन आयुक्त, आंध्र प्रदेश Email ID : ramasankar97@gmail.com comfishap@gmail.com</p>
<p>13. श्री संदीप कुमार भाप्रसे सचिव (मत्स्य पालन) मत्स्य पालन विभाग गुजरात सरकार, Email ID : seccpd@gujarat.gov.in</p>	<p>14. श्री के.एस. श्रीनिवास भाप्रसे प्रधान सचिव मत्स्य पालन विभाग, केरल सरकार विकास भवन, तिरुवनंतपुरम-695 014 Email ID : jsfy@nic.in</p>
<p>15. डॉ. रामास्वामी भाप्रसे सचिव (मत्स्य पालन) महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई - 400032 Email ID : psec.adf@maharashtra.gov.in</p>	<p>16. डॉ. अजय नागभूषण एम एन भाप्रसे सरकार के सचिव कर्नाटक सरकार Email ID : prs-dpar@karnataka.gov.in</p>

Authority Members

<p>1. Shri D. V. Swamy, IAS Chairman, MPEDA MPEDA House, Panampilly Nagar Cochin-682036 Email ID : chairman@mpeda.gov.in</p>	<p>2. Shri. Alex Ninan Vice Chairman, M/s. Baby Marine International, Thoppumpady, Kochi Kerala – 682 005, Kerala Email ID : alex@babymarinegroup.com</p>
<p>3. Dr. M. Karthikeyan Director, MPEDA MPEDA House, Panampilly Nagar Cochin-682036 Email ID : karthikeyan@mpeda.gov.in</p>	<p>4. Shri Hibi Eden, Hon'ble Member of Parliament (Lok sabha), Kochi, Kerala 682018 Email ID : hibieden@gmail.com</p>
<p>5. Shri Balasowry Vallabhaneni, Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha) Bungalow No. 6, Teen Murti Lane New Delhi NCT Delhi 110001 Email ID : balashowry18@gmail.com, v.balashowry@sansad.nic.in</p>	<p>6. Shri. Manas Ranjan Mangaraj Hon'ble Member of Parliament (Rajya Sabha) Villa # 15, Trident Galaxy, Kalinganagar, Ghatikia, Bhubaneswar – 751029 Email ID : Manasmangaraj.mp@sansad.nic.in</p>
<p>7. Ms. Neetu Kumari Prasad, IAS Joint Secretary (Fisheries) Dept. of Fisheries Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, New Delhi - 110 001 Email ID : jsfy@nic.in</p>	<p>8. Dr. C. Vanlalramsanga Economic Adviser Department of Commerce Ministry of Commerce & Industry Room No. 325 Vanijya Bhawan New Delhi - 110 011. Email ID : vanlal@nic.in</p>
<p>9. Shri Praveen Kumar, IES Director EP (MP) Department of Commerce Ministry of Commerce & Industry Room No. 330, Vanijya Bhawan New Delhi - 110 011. Email ID : Praveen.kumar2007@nic.in</p>	<p>10. Shri Preet Pal Singh, IFS Joint Secretary Ministry of Food Processing Industries Room No: 31, Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg, New Delhi - 110 049 Email ID : preetpal.singh@nic.in</p>
<p>11. Shri Shyam Jagannathan, IAS Deputy Director General Directorate General of Shipping Email ID : dg-dgs@gov.in</p>	<p>12. Shri Rama Shankar Naik, IAS Commissioner of Fisheries Andhra Pradesh, Email ID : ramasankar97@gmail.com, comfishap@gmail.com</p>
<p>13. Shri Sandeep Kumar, IAS Secretary (Fisheries) Dept. of Fisheries Govt of Gujarat, Email ID : seccpd@gujarat.gov.in</p>	<p>14. Shri KS Srinivas, IAS Principal Secretary Dept. of Fisheries, Govt of Kerala Vikas Bhavan, Thiruvananthapuram – 695033 Email ID : jsfy@nic.in</p>
<p>15. Dr Ramaswami , IAS Secretary (Fisheries) Govt of Maharashtra Maharashtra State, Mantralay, Mumbai-400032 Email ID : psec.adf@maharashtra.gov.in</p>	<p>16. Dr Ajay Nagabhusan M N, IAS Secretary to Government Govt of Karnataka Email ID : prs-dpar@karnataka.gov.in</p>



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

17. श्री. सुरेश कुमार वशिष्ठ भाप्रसे

प्रमुख सचिव (मत्स्य पालन)
ओडिशा सरकार, प्रथम तल, लाल भवन,
ओडिशा सचिवालय, सचिवालय मार्ग, भुवनेश्वर
ओडिशा - 751 001

Email ID : fardsec.od@nic.in

19. श्रीमती रश्मि सेन भाप्रसे

अतिरिक्त मुख्य सचिव, मत्स्य विभाग, बेनफिश टॉवर
(8वीं मंजिल), 31 जीएन ब्लॉक, सेक्टर-V, साल्ट लेक,
कोलकाता -700091, पश्चिम बंगाल

Email ID : prsecy.fisheries@gmail.com

21. श्री अर्जुन दीपक गद्रे

मेसर्स गद्रे मरीन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
प्लॉट नंबर डीपी-1, एमआईडीसी, मिर्जोले ब्लॉक,
रत्नागिरी, महाराष्ट्र - 415 639

Email ID : arjun.gadre@gadremarine.com

23. श्री जगदीश फोफंडी

दीपमाला सीफूड्स, फ़िडिया प्लॉट, वेरावल
गुजरात - 362267

Email ID : jagdish_fofandi@hotmail.com

25. श्री चेरियान कुरियन

प्रबंध निदेशक
मेसर्स एचआईसी-एबीएफ स्पेशल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
प्रोजेक्ट कॉलोनी रोड, औद्योगिक विकास क्षेत्र,
अरूर, कोच्चि - 688 534

Email ID : hic-abf@hic-abf.com

27. डॉ. जॉर्ज नैनन

निदेशक, केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान,
सिफ्ट जंक्शन, विलिंगडन द्वीप,
मत्स्यपुरी डाकघर, कोच्चि - 682 029

Email ID : Director.cift@icar.gov.in,

29. डॉ. बिजय कुमार बेहरा

एआरएस मुख्य कार्यकारी
राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड,
फिश बिल्डिंग, स्तंभ संख्या 235, पीवीएनआर एक्सप्रेसवे,
एसवीपीएनपीए पोस्ट, हैदराबाद - 500 052

Email ID : cenfdb@gmail.com

18. श्रीमती आर गजलक्ष्मी भाप्रसे

मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण आयुक्त, तमिलनाडु
सरकार पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए एकीकृत
कार्यालय परिसर, फणेपेट,
नंदनम चेन्नई-600 035

Email ID : tnfisheries@nic.in

20. डॉ. डी. मणिकंदन भाप्रसे

सचिव (मत्स्य पालन)
पॉडिच्चेरी सरकार,
पुदच्चेरी -605001

Email ID : secyfy@py.gov.in

22. श्री राजर्षि बानर्जी

प्रबंध निदेशक
मेसर्स रज़बान सीफूड्स प्राइवेट लिमिटेड
770, कालिकापुर, कोलकाता - 700 099

Email ID : razban.seafood@gmail.com

24. श्री आदित्य दाश

प्रबंध निदेशक,
मेसर्स रैम्स असॉर्टेड कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड
ए/54-1 एवं ए/55-1 दीनालिपि भवन
बारामुंडा, भुवनेश्वर - 751003

Email ID : md@racsl.com

26. श्री वी. बालसुब्रमण्यम

महासचिव,
भारतीय श्रिम्प किसान संघ.
फ्लैट नंबर 701, ब्लॉक 7, सनसिटी अपार्टमेंट्स,
इब्लूर, बेंगलूर 560 102

Email ID : prawnfarmersindia@gmail.com

28. डॉ. उत्तम के. सरकार

निदेशक,
आईसीएआर-राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो,
कैनाल रिग रोड, पी.ओ., दिलकुशा
लखनऊ - 226 002

Email ID : director.nbfgr@icar.gov.in,

30. डॉ. सी एन रविशंकर

निदेशक (सेवानिवृत्त), सीआईएफई आईसीएआर-केंद्रीय
मत्स्य शिक्षा संस्थान,
पंच मार्ग, ऑफ यारी रोड, वर्सावा,
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई 400 061

Email ID : cnrs2000@gmail.com

<p>17. Shri. Suresh Kumar Vashishth, IAS Principal Secretary (Fisheries) Government of Odisha, 1st floor, Red Building, Odish Secretariat, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar, Odisha 751001 Email ID : fardsec.od@nic.in</p>	<p>18. Smt R Gajalakshmi, IAS Commissioner of Fisheries and Fisherman welfare, Govt of Tamilnadu Integrated office complex for Animal Husbandry and Fisheries, Fanepet, Nandanam Chennai-600 035 Email ID : tnfisheries@nic.in</p>
<p>19. Smt. Rashmi Sen, IAS Additional Chief Secretary, Fisheries Department, BENFISH Tower (8th Floor), 31 GN Block, Sector -V, Salt Lake, Kolkata -700091, West Bengal Email ID : prsecy.fisheries@gmail.com</p>	<p>20. Dr D Manikandan, IAS Secretary (Fisheries) Govt of Pondicherry , Puducherry – 605001 Email ID : secyf@py.gov.in</p>
<p>21. Shri. Arjun Deepak Gadre M/s. Gadre Marine Export Pvt. Ltd. Plot No. DP-1, MIDC, Mirjole Block, Ratnagiri, Maharashtra – 415 639 Email ID : arjun.gadre@gadremarine.com</p>	<p>22. Shri. Rajarshi Banerji Managing Director M/s. Razban Seafoods Pvt. Ltd. 770, Kalikapore, Kolkata – 700 099 Email ID : razban.seafood@gmail.com</p>
<p>23. Shri. Jagdish Fofandi Deepmala Seafoods , Phidiya Plot, Veraval Gujarat-362267 Email ID : jagdish_fofandi@hotmail.com</p>	<p>24. Shri. Aditya Dash Managing Director, M/s. Rams Assorted Cold Storage Ltd. A/54-1 & A/55-1, Dinalipi Bhavan Baramunda, Bhubaneswar – 751003 Email ID : md@racsl.com</p>
<p>25. Shri Cherian Kurian Managing Director M/s. HIC-ABF Special Foods Pvt. Ltd. Project Colony Road, Industrial Development Area, Aroor, Kochi – 688 534 Email ID : Cherian_kurian@hic-abf.com</p>	<p>26. Shri. V. Balasubramaniam General Secretary, Prawn Farmers Federation of India. Flat No. 701, Block 7, Suncity Apartments, Iblur, Bangalore 560 102 Email ID : prawnfarmersindia@gmail.com</p>
<p>27. Dr. George Ninan Director, Central Institute of Fisheries Technology, CIFT Junction, Willingdon Island, Matsyapuri P.O, Kochi - 682 029 Email ID : Director.cift@icar.gov.in</p>	<p>28. Dr. Uttam K. Sarkar Director, ICAR- National Bureau of Fish Genetic Resources, Canal Ring Road, P. O, Dilkusha Lucknow – 226 002 Email ID : director.nbfg@icar.gov.in</p>
<p>29. Dr. Bijay Kumar Behera, ARS Chief Executive National Fisheries Development Board, “Fish Building”, Pillar No. 235, PVNR Expressway, SVPNPA Post, Hyderabad – 500 052 Email ID : cenfdb@gmail.com</p>	<p>30. Dr. C.N. Ravishankar Director (Retd.) CIFE ICAR- Central institute of fisheries education Panch Marg, Off yari Road, Versova Andheri west, Mumbai - 400061 Email ID : cnrs2000@gmail.com</p>



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

परिशिष्ट II

31.03.2025 तक मुख्यालय में अधिकारियों की सूची

क्रम सं.	अधिकारियों का नाम	पद का नाम
1.	दोड्डा वेंकट स्वामी भाप्रसे (ओडी:2001)	अध्यक्ष
2.	डॉ. एम के राम मोहन	निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं संयुक्त निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण)
3.	अनिल कुमार पी.	सचिव (अतिरिक्त प्रभार) एवं संयुक्त निदेशक (विपणन)
4.	डॉ. कंदन एस.	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
5.	एस. अशोक कुमार	उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)
6.	प्रेम देव के.वी.	उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)
7.	डॉ. श्रीनाथ पी जी	उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)
8.	डॉ. षस्सी एस.	उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)
9.	वी. विनोद	उप निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण)
10.	दीपा ई वी	मुख्य लेखा अधिकारी
11.	पी के विनु	उप निदेशक (प्रशासन)
12.	सुरेश कुमार वी.वी.	उप निदेशक (कार्मिक)
13.	एल्सम्मा इथैक	उप निदेशक (जलकृषि)
14.	नीनु पीटर	उप निदेशक (जलकृषि)
15.	डॉ. पी. जयगोपाल	उप निदेशक (जलकृषि)
16.	डॉ. के. गणेश	सहायक निदेशक (जलकृषि)
17.	अंजू	सहायक निदेशक (निर्यात संवर्धन)
18.	श्रीजीत पी टी	सहायक निदेशक (निर्यात संवर्धन)
19.	ए. शक्तिवेल	सहायक निदेशक (निर्यात संवर्धन)
20.	सुमा ए.	सहायक निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण)
21.	डॉ. ई.सी. अभिलाष	सहायक निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण)
22.	जन्मू राजू	लेखा अधिकारी
23.	उषा गोपालकृष्णन	अनुभाग अधिकारी
24.	वीणा के. पी.	वरिष्ठ लेखाकार
25.	रूपक एस.	तकनीकी अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण)
26.	विनीता के. वी.	तकनीकी अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण)
27.	डॉ. प्रदीप राज पी.	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक
28.	डॉ. बिजी के बी	तकनीकी अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण)
29.	बिबि वी सी	तकनीकी अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण)
30.	सबिता टी यू	तकनीकी अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण)

List of officers at Head Office as on 31.03.2025

Sl. No.	Name of Officials	Designation
1.	Dodda Venkata Swamy IAS (OD:2001)	Chairman
2.	Dr. M. K. Ram Mohan	Director (Additional charge) & Joint Director (QC)
3.	Anil Kumar P.	Secretary (Additional charge) & Joint Director (M)
4.	Dr. Kandan S.	Joint Director (Training)
5.	S. Asok Kumar	Deputy Director (EP)
6.	Prem Dev K. V.	Deputy Director (EP)
7.	Dr. Sreenath P. G.	Deputy Director (EP)
8.	Dr. Shassi S.	Deputy Director (EP)
9.	V. Vinod	Deputy Director(QC)
10.	Deepa E. V.	Chief Accounts Officer
11.	P. K. Vinu	Deputy Director (Admn)
12.	Suresh Kumar V. V.	Deputy Director (Pers)
13.	Elsamma Ithack	Deputy Director (Aqua)
14.	Neenu Peter	Deputy Director (Aqua)
15.	Dr. P. Jayagopal	Deputy Director (Aqua)
16.	Dr. K. Ganesh	Assistant Director (Aqua)
17.	Anju	Assistant Director (EP)
18.	Sreejith P. T.	Assistant Director (EP)
19.	A. Sakthivel	Assistant Director (EP)
20.	Suma A.	Assistant Director (QC)
21.	Dr. E. C. Abhilash	Assistant Director (QC)
22.	Jannu Raju	Accounts Officer
23.	Usha Gopalakrishnan	Section Officer
24.	Veena K. P.	Senior Accountant
25.	Roopak S.	Technical Officer (QC)
26.	Vinitha K. V.	Technical Officer (QC)
27.	Dr. Pradeep Raj P.	Senior Hindi Translator
28.	Dr. Biji K. B.	Technical Officer (QC)
29.	Bibi V. C.	Technical Officer (QC)
30.	Sabitha T. U.	Technical Officer (QC)



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

31.03.2025 तक बाहरी कार्यालयों के अधिकारी

क्र सं	अधिकारियों का नाम	पद का नाम
क्षेत्रीय प्रभाग, कोच्चि		
1.	जॉनसन डी'क्रूज़	उप निदेशक (जलकृषि)
2.	डॉ. वी. एन. बिजु	सहायक निदेशक (निर्यात संवर्धन)
3	प्रीता प्रदीप	तकनीकी अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण)
क्षेत्रीय प्रभाग, कोलकाता		
1	धीरित एक्का	उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)
2	डॉ. पाउ बियाक लुन	सहायक निदेशक (निर्यात संवर्धन)
क्षेत्रीय प्रभाग, भुवनेश्वर		
1	अर्चिमन लाहिड़ी	उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)
2	डॉ. गोपाल आनंद कांदिकटला	सहायक निदेशक (जलकृषि)
क्षेत्रीय प्रभाग, चेन्नई		
1	ए. जयबल	उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)
2	आई. शाजिना	सहायक निदेशक (जलकृषि)
क्षेत्रीय प्रभाग, मुंबई		
1	डॉ. टी आर जिबिन कुमार	उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)
2	सुब्राय पवार	सहायक निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण)
3	भूषण सुरेशचंद्र पाटिल	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)
क्षेत्रीय प्रभाग, विजयवाड़ा		
1	विजयकुमार सी यारागल	संयुक्त निदेशक (विकास/विपणन/क्षेका)
2	शिवराजन के.	उप निदेशक (जलकृषि)
3	सिबाशीष मोहंती	सहायक निदेशक (जलकृषि)
क्षेत्रीय प्रभाग, वेरावल		
1	वानिया किशोरकुमार वी.	सहायक निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण)
2	शेषेंद्र एम शिरोडकर	सहायक निदेशक (निर्यात संवर्धन)
क्षेत्रीय प्रभाग, मैंगलोर		
1	डॉ. अनसार अली ए.	उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)
2	एस सुब्रमण्यन	सहायक निदेशक (जलकृषि)
उप क्षेत्रीय प्रभाग, तूतीकोरिन		
1	हकीम वी आई	उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)
उप क्षेत्रीय प्रभाग, भीमावरम		
1	डॉ. मनोजकुमार टी जी	उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)
2	घनश्याम कमलाशंकर मेहता	सहायक निदेशक (निर्यात संवर्धन)

Officers of outstation offices as on 31.03.2025

Sl. No	Name of Officials	Designation
REGIONAL DIVISION, KOCHI		
1.	Johnson D'cruz	Deputy Director (Aqua)
2.	Dr.V. N. Biju	Assistant Director (EP)
3	Preetha Pradeep	Technical Officer (QC)
REGIONAL DIVISION, KOLKATA		
1	Dhirit Ekka	Deputy Director (EP)
2	Dr Pau Biak Lun	Assistant Director (EP)
REGIONAL DIVISION, BHUBANESWAR		
1	Archiman Lahiri	Deputy Director (EP)
2	Dr. Gopal Anand Kandikatla	Assistant Director (Aqua)
REGIONAL DIVISION, CHENNAI		
1	A. Jeyabal	Deputy Director (EP)
2	I. Shajina	Assistant Director (Aqua)
REGIONAL DIVISION, MUMBAI		
1	Dr. T R Gibin Kumar	Deputy Director (EP)
2	Subray Pavar	Assistant Director (QC)
3	Bhushan Sureshchandra Patil	Assistant Director (Stat)
REGIONAL DIVISION, VIJAYAWADA		
1	Vijaykumar C Yaragal	Joint Director, (DEV/MS/ROs)
2	Sivarajan K.	Deputy Director (Aqua)
3	Sibasish Mohanty	Assistant Director (Aqua)
REGIONAL DIVISION, VERAVAL		
1	Vaniya Kishorkumar V.	Assistant Director (QC)
2	Sheshendra M Shirodkar	Assistant Director (EP)
REGIONAL DIVISION, MANGALORE		
1	Dr. Ansar Ali A.	Deputy Director (EP)
2	S Subramaniyan	Assistant Director (Aqua)
SUB REGIONAL DIVISION, TUTICORIN		
1	Hakkim V. I.	Deputy Director (EP)
SUB REGIONAL DIVISION, BHIMAVARAM		
1	Dr Manojkumar T G	Deputy Director (EP)
2	Ghanshyam Kamalashankar Mehta	Assistant Director (EP)



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

उप क्षेत्रीय प्रभाग, पोरबंदर

1	श्रीमाली विनोद कुमार मोतीलाल	उप निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण)
2	महेता मुकेश जयंतिलाल	सहायक निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण)

उप क्षेत्रीय प्रभाग, नागपट्टनम

1	तांबडा नरेश विष्णु	उप निदेशक (जलकृषि)
2	अरिवुक्करसु के.	सहायक निदेशक (जलकृषि)

उप क्षेत्रीय प्रभाग, वलसाड

1.	रजाक अली	उप निदेशक (जलकृषि)
2.	जी. अलेक्जेंडर	सहायक निदेशक (जलकृषि)

उप क्षेत्रीय प्रभाग, विशाखापत्तनम

1	प्रसाद नाइक रामावथ	सहायक निदेशक (निर्यात संवर्धन)
---	--------------------	--------------------------------

उप क्षेत्रीय प्रभाग, काक्कीनाडा

1.	राजकुमार एस नाइक	उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)
----	------------------	-----------------------------

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, भीमावरम

1	ज्ञान सुधा प्रथिपति	तकनीकी अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण)
2	बोम्माना अरुणाश्री	तकनीकी अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण)

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, नेल्लोर

1	महेश जी.	उप निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण)
2	कोंडा अरुणा	तकनीकी अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण)
3	चिन्थलापुडी सुरेंद्र बाबू	तकनीकी अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण)
4	डॉ. बोलिगार्ला गोपी कल्याण कुमार	तकनीकी अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण)

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, भुवनेश्वर

1	टी ए अनीसा	सहायक निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण)
---	------------	----------------------------------

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, पोरबंदर

1	पी टी कुमारस्वामी	तकनीकी अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण)
---	-------------------	------------------------------------

व्यापार संवर्धन कार्यालय, नई दिल्ली

1	राकेश थॉमस कुरियन	सहायक निदेशक (निर्यात संवर्धन)
---	-------------------	--------------------------------

व्यापार संवर्धन कार्यालय, टोक्यो, जापान

	रिक्त	
--	-------	--

व्यापार संवर्धन कार्यालय, न्यूयॉर्क

	रिक्त	
--	-------	--

एमपीईडीए डेस्क कार्यालय, अंदमान

	रिक्त	
--	-------	--

SUB REGIONAL DIVISION, PORBANDAR

1	Shrimali Vinod Kumar Motilal	Deputy Director (QC)
2	Maheta Mukesh Jayantilal	Assistant Director (QC)

SUB REGIONAL DIVISION, NAGAPATTANAM

1	Tambada Naresh Vishnu	Deputy Director (Aqua)
2	Arivukkarasu K.	Assistant Director (Aqua)

SUB REGIONAL DIVISION, VALSAD

1.	Razak Ali	Deputy Director (Aqua)
2.	G. Alexander	Assistant Director (Aqua)

SUB REGIONAL DIVISION, VIZAG

1	Prasad Naik Ramavath	Assistant Director (EP)
---	----------------------	-------------------------

SUB REGIONAL DIVISION, KAKKINADA

1.	Rajakumar S Naik	Deputy Director (EP)
----	------------------	----------------------

QUALITY CONTROL LAB, BHIMAVARAM

1	Gnana Sudha Prathipati	Technical Officer (QC)
2	Bommana Arunasri	Technical Officer (QC)

QUALITY CONTROL LAB, NELLORE

1	Mahesh G.	Deputy Director (QC)
2	Konda Aruna	Technical Officer (QC)
3	Chinthalapudi Surendra Babu	Technical Officer (QC)
4	Dr. Boligarla Gopi Kalyan Kumar	Technical Officer (QC)

QUALITY CONTROL LAB, BHUBANESWAR

1	T A Aneesa	Assistant Director (QC)
---	------------	-------------------------

QUALITY CONTROL LAB, PORBANDAR

1	P. T. Kumaraswamy	Technical Officer (QC)
---	-------------------	------------------------

TRADE PROMOTION OFFICE, NEW DELHI

1	Rakesh Thomas Kurian	Assistant Director (EP)
---	----------------------	-------------------------

TRADE PROMOTION OFFICE, TOKYO, JAPAN

	VACANT	
--	--------	--

TRADE PROMOTION OFFICE, NEW YORK

	VACANT	
--	--------	--

MPEDA DESK OFFICE AT ANDAMAN

	VACANT	
--	--------	--



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

उप क्षेत्रीय प्रभाग, लक्षद्वीप (कवरत्ती)

1	जॉनसन डी'क्रूज़	उप निदेशक (जल कृषि) - अतिरिक्त प्रभार
---	-----------------	---------------------------------------

उप क्षेत्रीय प्रभाग, पोर्ट ब्लेयर

1	ए. जयबल	उप निदेशक - (निर्यात संवर्धन) - अतिरिक्त प्रभार
---	---------	---

31.03.2025 तक बाहरी कार्यालयों के अधिकारी

31.03.2025 तक अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों की सूची

1	डॉ. शाइन कुमार सी.एस.	उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)
2	राजेश अनंत डागरे	सहायक निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण)
3	डी. वेणुगोपाल	सहायक निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण)
4	डॉ. राहुल देबबर्मा	तकनीकी अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण)





SUB REGIONAL DIVISION, LAKSHADEEP(KAVARATHI)

1	Johnson D'cruz	Deputy Director (Aqua) – Additional Charge
---	----------------	---

SUB REGIONAL DIVISION, PORT BLAIR

1	A. Jeyabal	Deputy Director (EP)– Additional Charge
---	------------	--

Officers of outstation offices as on 31.03.2025

List of officers on deputation as on 31.03.2025 to other organizations

1	Dr. Shine Kumar C S	Deputy Director (EP)
2	Rajesh Anant Dagare	Assistant Director (QC)
3	D. Venugopal	Assistant Director (QC)
4	Dr. Rahul Debbarma	Technical Officer (QC)





एमपीईडीए
वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

वित्तीय विवरण 2024-25



समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

कोच्ची - 36





MPEDA
ANNUAL REPORT
2024-25



FINANCIAL STATEMENTS 2024-25



MPEDA

**THE MARINE PRODUCTS EXPORT
DEVELOPMENT AUTHORITY**

KOCHI - 36





अनुक्रमणिका

क्र सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	तुलन पत्र	174
2	आय-व्यय खाता	176
3	बैलेंस शीट के भाग स्वरूप अनुसूचियाँ (अनुसूची 1 से 11)	178-192
4	आय-व्यय खाते के भाग स्वरूप अनुसूचियाँ (अनुसूची 12 से 25)	194-208
5	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (अनुसूची 26 और 27)	210-214
6	लेखों से जुड़ी और उनका हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ	218-232
7	अनुसूची 1 से 24 का अनुलग्नक	234-264
8	प्राप्तियाँ और भुगतान खाता	266-268



INDEX

Sl.No.	DESCRIPTION	PAGE NO.
1	Balance Sheet	175
2	Income and Expenditure Account	177
3	Schedules Forming part of Balance Sheet (Schedule 1 to 11)	179-193
4	Schedules Forming part of Income and Expenditure Account (Schedules 12 to 25)	195-209
5	Significant Accounting Policies (Schedule 26 & 27)	211-215
6	Notes attached to and forming part of the Accounts	219-233
7	Annexure to Schedules – 1 to 24	235-265
8	Receipts and Payments Account	267-269



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि रु.में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2024-25	गत वर्ष 2023-24
समग्र पूंजी निधि और देयताएं			
समग्र/पूंजी निधि	1	631,648,360	611,412,912
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	172,393,288	170,952,171
चिह्नित/स्थाई निधियाँ	3	425,362,928	408,375,794
प्रतिभूत ऋण एवं उधार	4	-	-
अप्रतिभूत ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित उधार देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	3,235,833,312	3,197,630,466
कुल		4,465,237,888	4,388,371,343
परिसंपत्तियां			
स्थाई परिसंपत्तियां	8	367,368,685	300,792,629
निवेश -चिह्नित/स्थाई निधियों से	9	381,110,436	364,005,193
निवेश -अन्य	10	224,226,659	207,982,318
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	738,007,724	685,036,902
विविध व्यय (कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति व सेवांत लाभों के लिए प्रावधान-टिप्पणी 9)		2,754,524,384	2,830,554,301
(बट्टे खाते में न डाले गए या समायोजित मामलों में)			
कुल		4,465,237,888	4,388,371,343
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	26		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	27		

Deepa

दीपा. ई.वी.
मुख्य लेखा अधिकारी

Jibin Kumar

डॉ. टी.आर. जिबिनकुमार
सचिव

S. V. Swami

डी.वी. स्वामी भा प्र से
अध्यक्ष

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

(Amount in Rs.)

Particulars	Schedule	Current Year 2024-25	Previous Year 2023-24
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus/Capital Fund	1	631,648,360	611,412,912
Reserves And Surplus	2	172,393,288	170,952,171
Earmarked/Endowment Funds	3	425,362,928	408,375,794
Secured Loans And Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans And Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6		-
Current Liabilities And Provisions	7	3,235,833,312	3,197,630,466
TOTAL		4,465,237,888	4,388,371,343
ASSETS			
Fixed Assets	8	367,368,685	300,792,629
Investments - From Earmarked/Endowment Funds	9	381,110,436	364,005,193
Investments - Others	10	224,226,659	207,982,318
Current Assets, Loan, Advances Etc.	11	738,007,724	685,036,902
Miscellaneous Expenditure (Provision For Employees Retirement & Terminal Benefits - Note 9)		2,754,524,384	2,830,554,301
(In the extent not written off or adjusted)			
TOTAL		4,465,237,888	4,388,371,343
Significant Accounting Policies	26		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	27		


Deepa E.V.
Chief Accounts Officer


Dr. T.R. Gibinkumar
Secretary


D.V. Swamy IAS
Chairman



एमपीईडी

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार आय व व्यय लेखा

(राशि रु.में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2024-25	गत वर्ष 2023-24
आय			
बिक्री से आय/सेवाएं	12	-	-
अनुदान/सब्सिडी	13	1,074,408,405	1,017,703,716
शुल्क/अंशदान	14	274,567,555	191,802,285
निवेश से आय	15	-	-
रॉयल्टी/प्रकाशन आदि से आय	16	835,554	1,087,329
अर्जित ब्याज	17	23,219,018	17,431,436
अन्य आय	18	3,608,180	10,631,710
तैयार मालों के स्टॉक में हुई वृद्धि/(कमी) और प्रगति पर कार्य	19	-	-
कुल (क)		1,376,638,712	1,238,656,476
व्यय			
स्थापना व्यय	20	441,096,966	432,943,951
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	218,566,683	216,288,466
अनुदानों, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	517,546,665	429,061,766
ब्याज	23	-	-
अ.जा/अ.ज.जा कल्याण	24	12,600,000	23,000,000
ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पर व्यय (बीमांकिक मूल्यांकन)	25	146,910,184	93,075,405
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के तदनु रूप वर्षात का निवल जोड़)		34,718,939	39,809,211
कुल (ख)		1,371,439,436	1,234,178,799
व्यय से अधिक आय के रूप में शेष (क-ख)		5,199,276	4,477,677
पूर्वावधि समायोजन (नोट 24 देखें)		-	1,792,544
विशेष आरक्षित में अंतरित (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)		-	-
सामान्य आरक्षित से/को अंतरण		-	-
अधिशेष/(घाटे) के रूप में समग्र निधि/पूंजी निधि में लाया गया शेष		5,199,276	6,270,221
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	26		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियाँ	27		

Deepa

दीपा. ई.वी.
मुख्य लेखा अधिकारी

Jibin Kumar

डॉ. टी.आर. जिबिनकुमार
सचिव

Swami

डी.वी. स्वामी भा प्र से
अध्यक्ष

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025

(Amount in Rs.)

Particulars	Schedule	Current Year 2024-25	Previous Year 2023-24
INCOME			
Income from Sales/Services	12	-	-
Grants/Subsidies	13	1,074,408,405	1,017,703,716
Fees/Subscriptions	14	274,567,555	191,802,285
Income from Investments	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	835,554	1,087,329
Interest Earned	17	23,219,018	17,431,436
Other Income	18	3,608,180	10,631,710
Increased/(decrease) in stock of Finished goods and work-in-progress	19	-	-
TOTAL (A)		1,376,638,712	1,238,656,476
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	441,096,966	432,943,951
Other Administrative Expenses	21	218,566,683	216,288,466
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	517,546,665	429,061,766
Interest	23	-	-
SC/ST Welfare	24	12,600,000	23,000,000
Expenditure on Gratuity, Leave encashment & Superannuation (Actuarial Valuation)	25	146,910,184	93,075,405
Depreciation (Net Total at the year-end-corresponding to Schedule 8)		34,718,939	39,809,211
TOTAL (B)		1,371,439,436	1,234,178,799
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		5,199,276	4,477,677
Prior Period Adjustments (Refer Note 24)		-	1,792,544
Transfer to Special Reserve (Specify each)		-	-
Transfer to/ from General Reserve		-	-
Balance Being Surplus/(Deficit)Carried To Corpus/ Capital Fund		5,199,276	6,270,221
Significant Accounting Policies	26		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	27		

Deepa

Deepa E.V.
Chief Accounts Officer

Gibinkumar

Dr. T.R. Gibinkumar
Secretary

Swamy

D.V. Swamy IAS
Chairman



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर- लाभकारी संगठन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार तुलना- पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 1 - समग्र/पूँजी निधि:

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)		गत वर्ष (2023-24)	
वर्षारंभ में शेष राशि	611,412,912	611,412,912	575,595,157	575,595,157
जोड़ें: समग्र/पूँजी निधि में अंशदान (परिसंपत्तियों की खरीद) अनुसूची 8	15,036,172	15,036,172	29,547,534	29,547,534
जोड़ें: व्यय से अधिक आय	5,199,276	5,199,276	6,270,221	6,270,221
घटाएं : पूँजी निधि से पूँजी आरक्षित निधि में अंतरित निधि	-	-	-	-
वर्षांत में शेष	631,648,360	631,648,360	611,412,912	611,412,912

अनुसूची 2 - आरक्षित और अधिशेष

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)		गत वर्ष (2023-24)	
1. पूँजी आरक्षित:				
गत लेखे के अनुसार	170,952,171	170,952,171	164,982,852	164,982,852
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,441,117	1,441,117	5,969,319	5,969,319
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां				
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित:				
गत लेखे के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां				
3. विशेष आरक्षित:				
गत लेखे के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां				
4. सामान्य आरक्षित:				
गत लेखे के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां				
कुल	172,393,288	172,393,288	170,952,171	170,952,171

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)		Previous Year (2023-24)	
Balance as at the beginning of the year	611,412,912	611,412,912	575,595,157	575,595,157
Add: Contributions towards Corpus/ Capital Fund (Purchase of Asset- Schedule-8)	15,036,172	15,036,172	29,547,534	29,547,534
Add: Excess of Income over Expenditure	5,199,276	5,199,276	6,270,221	6,270,221
Less: Fund transferred from Capital Fund to Capital Reserve	-	-	-	-
BALANCE AS AT THE YEAR - END	631,648,360	631,648,360	611,412,912	611,412,912

SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS:

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)		Previous Year (2023-24)	
1. Capital Reserve:				
As per last Account	170,952,171	170,952,171	164,982,852	164,982,852
Addition during the year	1,441,117	1,441,117	5,969,319	5,969,319
Less: Deductions during the year				
2. Revaluation Reserve:				
As per last Account	-	-	-	-
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
3. Special Reserves:				
As per last Account	-	-	-	-
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
4. General Reserves:				
As per last Account	-	-	-	-
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
TOTAL	172,393,288	172,393,288	170,952,171	170,952,171



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर- लाभकारी संगठन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार तुलना- पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 3 - चिह्नित/स्थाई निधि

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)	गत वर्ष (2023-24)
क) अथशेष		
i) चिह्नित निधि(अनुबंध-1)	301,023,685	305,105,497
ii) आईआईएसएस निधि	107,352,107	107,912,229
ख) निधियों में परिवर्धन:		
i. दान/अनुदान	-	2,926,000
ii निवेशों से आय		
क) चिह्नित निधि (अनुबंध-1)	11,485,487	9,663,113
ख) आईआईएसएस निधि	10,363,189	2,366,955
iii. अन्य परिवर्धन		
क) चिह्नित निधि(अनुबंध-1)	38,820,569	18,854,601
ख) आईआईएसएस निधि	-	1,249,460
iv ब्याज और कानूनी खर्च -ईपीएस योजना	363,238,888	347,746,682
कुल (क + ख)	832,283,927	795,824,538
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय	-	-
i.पूँजी व्यय		
- स्थाई परिसंपत्तियाँ -आईआईएसएस निधि	104,335	
- अन्य		
कुल (i)	104,335	
ii. राजस्व व्यय		
वेतन, मज़दूरी और भत्ते आदि (अनुबंध-1)	6,415,188	522,045
प्रावधान/अन्य व्यय		
क) चिह्नित निधि (अनुबंध-1)		
अन्य व्यय /धनवापसी	37,161,939	35,003,481
ब्याज और कानूनी खर्च -ईपीएस योजना	363,238,888	347,746,682
ख) आईआईएसएस निधि	649	4,176,537
कुल (ii)	406,816,664	387,448,744
कुल (ग) = (i) + (ii)	406,920,999	387,448,744
चिह्नित निधियों का जमाशेष (अनुबंध-1)	307,752,614	301,023,685
आईआईएसएस निधि का जमाशेष	117,610,312	107,352,107
वर्षांत में निवल शेष (क + अख - ग)	425,362,928	408,375,794

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUND		(Amount in Rs.)	
Particulars	Current Year (2024-25)	Previous Year (2023-24)	
a) Opening balance			
i) Earmarked fund (Annexure-1)	301,023,685	305,105,497	
ii) IISS fund	107,352,107	107,912,229	
b) Additions to the Funds:			
i. Donations/grants	-	2,926,000	
ii Income from Investments			
a) Earmarked fund (Annexure-1)	11,485,487	9,663,113	
b) IISS Fund	10,363,189	2,366,955	
iii. Other additions			
a) Earmarked fund (Annexure-1)	38,820,569	18,854,601	
b) IISS Fund	-	1,249,460	
iv Interest and Legal Expenses - EPS Scheme	363,238,888	347,746,682	
TOTAL (a + b)	832,283,927	795,824,538	
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds	-	-	
i.Capital Expenditure			
- Fixed Assets - IISS fund	104,335		
- Others			
Total (i)	104,335		
ii. Revenue Expenditure			
Salaries, Wages and allowances etc. (Annexure-1)	6,415,188	522,045	
Provisions/Other expenses			
a) Earmarked fund (Annexure-1)			
Other expenses/refund	37,161,939	35,003,481	
Interest and Legal Expenses - EPS Scheme	363,238,888	347,746,682	
b) IISS Fund	649	4,176,537	
Total (ii)	406,816,664	387,448,744	
TOTAL (c) = (i) + (ii)	406,920,999	387,448,744	
Closing balance of earmarked fund (Annexure-1)	307,752,614	301,023,685	
Closing balance of IISS funds	117,610,312	107,352,107	
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a + b - c)	425,362,928	408,375,794	



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर- लाभकारी संगठन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार तुलना- पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार:

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)	गत वर्ष (2023-24)
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
क) सावधि ऋण		
4. बैंक:		
क) सावधि ऋण		
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
5. अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण		
6. ऋणपत्र एवं बंधपत्र		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल	-	-

अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण और उधार:

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)	गत वर्ष (2023-24)
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
क) सावधि ऋण		
ख) उपार्जित ब्याज एवं देय		
4. बैंक:		
क) सावधि ऋण		
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
5. अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण		
6. ऋणपत्र एवं बंधपत्र		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल	-	-

अनुसूची 6 - आस्थगित उधार देयताएं:

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)	गत वर्ष (2023-24)
क) पूँजी उपस्कर व अन्य परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियां		
ख) अन्य		
कुल	-	-

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS: (Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)		Previous Year (2023-24)	
1. Central Government				
2. State Government (Specify)				
3. Financial Institutions				
a) Term Loans				
4. Banks:				
a) Term Loans				
b) Other loans (specify)				
5. Other Institutions and Agencies				
6. Debentures and Bonds				
7. Others (Specify)				
TOTAL	-	-	-	-

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS: (Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)		Previous Year (2023-24)	
1. Central Government				
2. State Government (Specify)				
3. Financial Institutions				
a) Term Loans				
b) Interest accrued and due				
4. Banks:				
a) Term Loans				
b) Other loans (specify)				
5. Other Institutions and Agencies				
6. Debentures and Bonds				
7. Others (Specify)				
TOTAL	-	-	-	-

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES (Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)		Previous Year (2023-24)	
a) Acceptances secured by hypothecation of capital/other assets				
b) Others				
TOTAL	-	-	-	-



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर- लाभकारी संगठन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 7 - चालू देयताएँ एवं प्रावधानः

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)		गत वर्ष (2023-24)	
क. चालू देयताएँ				
1. स्वीकृतियाँ	-	-	-	-
2. विविध लेनदारः	-	-	-	-
क) माल के लिए				
ख) अन्य				
3. प्राप्त अग्रिम (अनुबंध-2)	16,627,559	16,627,559	14,448,968	14,448,968
4. उपार्जित ब्याज परंतु निम्न पर देय नहीं				
क) प्रतिभूत ऋण/उधार	-	-	-	-
ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार	-	-	-	-
5. सांविधिक देयताएं:				
क) अतिदेय				
ख) अन्य (अनुबंध-3)	6,115,997	6,115,997	6,504,744	6,504,744
6. अन्य चालू देयताएँ (अनुबंध-4)	90,406,820	90,406,820	102,826,423	102,826,423
7. अन्य (सीलैब बकाया के लिए प्रावधान)	-	-	32,604,686	32,604,686
कुल (क)	113,150,376	113,150,376	156,384,821	156,384,821
ख. प्रावधान				
1. उपदान	131,149,390	131,149,390	124,798,633	124,798,633
2. अधिवार्षिता/पेंशन	2,872,003,908	2,872,003,908	2,805,376,801	2,805,376,801
3. संचित अवकाश नकदीकरण	116,465,476	116,465,476	108,006,049	108,006,049
4. व्यापार वारन्टी/दावे	-	-	-	-
कुल (ख)	3,119,618,774	3,119,618,774	3,038,181,483	3,038,181,483
ग. चालू देयताएं एवं समुद्री खाद्य प्रदर्शनी	3,064,162	3,064,162	3,064,162	3,064,162
कुल (क + ख + ग)	3,235,833,312	3,235,833,312	3,197,630,466	3,197,630,466

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)		Previous Year (2023-24)	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances	-	-	-	-
2. Sundry Creditors:	-	-	-	-
a) For Goods				-
b) Others				-
3. Advances Received (Annexure-2)	16,627,559	16,627,559	14,448,968	14,448,968
4. Interest accrued but not due on:				-
a) Secured Loans/borrowings	-	-	-	-
b) Unsecured Loans/borrowings	-	-	-	-
5. Statutory Liabilities:				-
a) Overdue				-
b) Others (Annexure-3)	6,115,997	6,115,997	6,504,744	6,504,744
6. Other current Liabilities (Annexure-4)	90,406,820	90,406,820	102,826,423	102,826,423
7. Others - (Provision for Sealab Dues)	-	-	32,604,686	32,604,686
TOTAL (A)	113,150,376	113,150,376	156,384,821	156,384,821
B. PROVISIONS				
1. Gratuity	131,149,390	131,149,390	124,798,633	124,798,633
2. Superannuation/Pension	2,872,003,908	2,872,003,908	2,805,376,801	2,805,376,801
3. Accumulated Leave Encashment	116,465,476	116,465,476	108,006,049	108,006,049
4. Trade Warranties/Claims	-	-	-	-
TOTAL (B)	3,119,618,774	3,119,618,774	3,038,181,483	3,038,181,483
C. Current liabilities & Provision- Sea Food Shows	3,064,162	3,064,162	3,064,162	3,064,162
TOTAL (A + B + C)	3,235,833,312	3,235,833,312	3,197,630,466	3,197,630,466

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां:

समूह	विवरणी	कुल ब्लॉक			मूल्यहास			(राशि रु. में)			
		वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्षात में लागत/मूल्यांकन	दर	वर्षात में	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्षात तक कुल	चालू वर्षात में	गत वर्षात में
1	पुस्तकें	3,066,039	-	3,066,039	10	2,179,382	86,373	-	2,265,755	800,284	886,657
2	इमारते	65,092,872	-	65,092,872	5	28,707,955	1,819,247	-	30,527,202	34,565,670	36,384,917
3	कंप्यूटर/ सहायक सामग्री	39,537,155	1,126,638	38,259,252	60	35,840,767	1,654,621	2,326,750	35,168,638	3,090,614	3,696,388
4	फर्निचर एवं जुड़नार (चल)	33,559,319	695,448	33,487,827	10	19,039,329	1,482,651	639,171	19,882,809	13,605,018	14,519,990
5	हैचरी कॉम्प्लेक्स, वल्लारपाडम	88,827,868	-	88,827,868	5	26,692,260	3,106,781	-	29,799,041	59,028,827	62,135,608
6	हैचरी उपस्कर, वल्लारपाडम	8,221,645	-	8,221,645	25	5,616,187	651,394	-	6,267,581	1,954,064	2,605,458
7	प्रयोगशाला व फार्म उपस्कर	492,901,783	12,341,337	500,447,743	25	403,208,814	21,807,951	4,514,668	420,502,097	79,945,646	89,692,969
8	ज़मीन	2,513,238	-	2,513,238	0	-	-	-	-	2,513,238	2,513,238
8क	भुबनेश्वर में लीज़होल्ड जमीन	3,478,750	-	3,478,750	-	403,172	35,138	-	438,310	3,040,440	3,075,578
9	कार्यालय वाहन	11,125,816	-	11,125,816	25	7,406,110	732,490	-	8,138,600	2,987,216	3,719,706
10	अन्य परिसंपत्तियां	12,247,428	75,735	12,815,434	25	8,582,007	945,180	179,106	9,348,081	3,467,353	3,665,421
11	संयंत्र मशीनरी एवं सूखा मत्स्य भंडारण	1,085,246	-	1,085,246	10	1,030,984	-	-	1,030,984	54,262	54,262
12	कार्यालय उपस्कर	5,220,344	115,014	5,181,343	20	4,391,310	141,031	147,283	4,385,058	796,285	829,034
13	जुड़नार (अचल)	48,897,263	-	48,897,263	20	36,470,807	2,256,082	-	38,726,889	10,170,374	12,426,456
	कुल चालू वर्ष	815,774,766	15,036,172	822,500,336		579,569,084	34,718,939	7,806,978	606,481,045	216,019,291	236,205,682
	गत वर्ष	789,565,274	29,547,534	815,774,766		542,177,987	39,809,211	2,418,114	579,569,084	236,205,682	247,387,287

व्योरा	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
स्थाई परिसंपत्ति का निवल ब्लॉक	216,019,291	236,205,682
कार्य प्रगति पर	151,349,394	64,586,947
स्थाई परिसंपत्ति	367,368,685	300,792,629

(नोट 5(f) देखें)

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS

GROUP	DESCRIPTION	GROSS BLOCK			DEPRECIATION		On Deduction during the year	Total upto the year end	NET BLOCK	
		Cost/Valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/valuation as at the year-end	Rate			As at the beginning of the year	During the year
1	BOOKS	3,066,039	-	-	3,066,039	10	-	2,265,755	800,284	886,657
2	BUILDINGS	65,092,872	-	-	65,092,872	5	-	30,527,202	34,565,670	36,384,917
3	COMPUTERS/ PERIPHERALS	39,537,155	1,126,638	2,404,541	38,259,252	60	2,326,750	35,168,638	3,090,614	3,696,388
4	FURNITURE AND FIXTURES (MOVABLE)	33,559,319	695,448	766,940	33,487,827	10	639,171	19,882,809	13,605,018	14,519,990
5	HATCHERY COMPLEX VALARPADOM	88,827,868	-	-	88,827,868	5	-	29,799,041	59,028,827	62,135,608
6	HATCHERY EQUIPMENT VALLARPADOM	8,221,645	-	-	8,221,645	25	-	6,267,581	1,954,064	2,605,458
7	LAB AND FARM EQUIPMENTS	492,901,783	12,341,337	4,795,377	500,447,743	25	4,514,668	420,502,097	79,945,646	89,692,969
8	LAND	2,513,238	-	-	2,513,238	0	-	-	2,513,238	2,513,238
8A	LEASEHOLD LAND AT BHUBANESWAR	3,478,750	-	-	3,478,750	-	-	438,310	3,040,440	3,075,578
9	OFFICE VEHICLE	11,125,816	-	-	11,125,816	25	-	8,138,600	2,987,216	3,719,706
10	OTHER ASSETS	12,247,428	757,735	189,729	12,815,434	25	179,106	9,348,081	3,467,353	3,665,421
11	PLANT MACHINERY & DRY FISH STORAGE	1,085,246	-	-	1,085,246	10	-	1,030,984	54,262	54,262
12	OFFICE EQUIPMENTS	5,220,344	115,014	154,015	5,181,343	20	147,283	4,385,058	796,285	829,034
13	FIXTURES (IMMOVABLE)	48,897,263	-	-	48,897,263	20	-	38,726,889	10,170,374	12,426,456
	TOTAL Current Year	815,774,766	15,036,172	8,310,602	822,500,336		7,806,978	606,481,045	216,019,291	236,205,682
	Previous year	789,565,274	29,547,534	3,338,042	815,774,766		2,418,114	579,569,084	236,205,682	247,987,287

Particulars	Current Year (2024-25)	Previous Year (2023-24)
Net Block of Fixed Asset	216,019,291	236,205,682
Work in progress	151,349,394	64,586,947
Fixed Assets	367,368,685	300,792,629

(Refer Notes .5 (f))

(Amount in Rs.)



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर- लाभकारी संगठन)
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 9 - चिन्हित / स्थायी निधियों से निवेश:

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)	गत वर्ष (2023-24)
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर (अनुबंध-5) - ईपीएस	54,700,700	54,700,700
4. ऋणपत्र और बंध पत्र	-	-
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम (मिडकॉन)	25,000,000	25,000,000
6. निवेश - आईआई एसएस निधि	105,017,448	77,996,481
7. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए) (अनुबंध-6)	196,392,288	206,308,012
कुल	381,110,436	364,005,193

अनुसूची 10 - निवेश अन्य

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)	गत वर्ष (2023-24)
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋणपत्र और बंध पत्र	-	-
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. निवेश -पूंजीगत परिसंपत्ति	-	87,388,088
7. निवेश - बीमांकिक मूल्यांकन	224,226,659	120,594,230
कुल	224,226,659	207,982,318

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36**

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS (Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)	Previous Year (2023-24)
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares (Annexure-5) - EPS	54,700,700	54,700,700
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures (MIDCON)	25,000,000	25,000,000
6. Investment -IISS Fund	105,017,448	77,996,481
7. Others (to be specified) (Annexure-6)	196,392,288	206,308,012
TOTAL	381,110,436	364,005,193

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS (Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)	Previous Year (2023-24)
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Investments - Capital Asset	-	87,388,088
7. Investments - Actuarial valuation	224,226,659	120,594,230
TOTAL	224,226,659	207,982,318

**एमपीईडीए**वार्षिक रिपोर्ट
2024-25**वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर- लाभकारी संगठन)
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36****31.03.2025 की स्थिति के अनुसार तुलना- पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां****अनुसूची 10 - चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि :****(राशि रु.में)**

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)		गत वर्ष (2023-24)	
क. चालू परिसंपत्तियाँ:				
1. मालसूची:				
क. भंडार एवं स्पेअर (टिप्पणी-8)	12,961,086	12,961,086	8,801,278	8,801,278
ख. खुले औजार	-	-	-	-
ग. व्यापारगत माल				
तैयार माल	-	-	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-	-	-
कच्चा माल	-	-	-	-
2. विविध देनदार:				
क) छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण				-
ख) अन्य-संदिग्ध ऋण - सीलैब बकाया	32,604,686	32,604,686	32,604,686	32,604,686
3. हाथ में नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट अग्रदाय सहित) (अनुबंध-7)	80,773	80,773	85,132	85,132
4. बैंक शेष:				
क) अनुसूचित बैंकों में:				
- चालू खाते में (अनुबंध-8)	490,868,904	490,868,904	399,966,222	399,966,222
- जमा खातों पर - साख पत्र सहित	37,170,442	37,170,442	33,753,701	33,753,701
- बचत खाते में	-	-	-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में				
- चालू खाते में	-	-	-	-
- जमा खाते में	-	-	-	-
- बचत खाते में	-	-	-	-
5. डाकघर बचत खाता	-	-	-	-
कुल (क)	573,685,891	573,685,891	475,211,018	475,211,018

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

SCHEDULE 10 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)		Previous Year (2023-24)	
A. CURRENT ASSETS:				
1. Inventories:				
a) Stock and Spares (Note 8)	12,961,086	12,961,086	8,801,278	8,801,278
b) Loose Tools	-	-	-	-
c) Stock-in-trade				
Finished Goods	-	-	-	-
Work-in-progress	-	-	-	-
Raw Materials	-	-	-	-
2. Sundry Debtors:				
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months				
b) Others - Doubtful debts - Sealab Dues	32,604,686	32,604,686	32,604,686	32,604,686
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)(Annexure-7)	80,773	80,773	85,132	85,132
4. Bank Balances:				
a) With Scheduled Banks:				
- On Current Accounts (Annexure-8)	490,868,904	490,868,904	399,966,222	399,966,222
- On Deposit Accounts - Including Letter of Credits	37,170,442	37,170,442	33,753,701	33,753,701
- On Savings Accounts	-	-	-	-
b) With non-Scheduled Banks				
- On Current Accounts	-	-	-	-
- On Deposit Accounts	-	-	-	-
- On Savings Accounts	-	-	-	-
5. Post Office-Savings Accounts	-	-	-	-
TOTAL (A)	573,685,891	573,685,891	475,211,018	475,211,018



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर- लाभकारी संगठन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार तुलना- पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि...

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)		गत वर्ष (2023-24)	
ख. ऋण अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ:				
1. ऋण:				
क) कर्मचारी (अनुबंध-9)	1,657,982	1,657,982	178,306	178,306
ख) इस संगठन के समान कार्यकलापों/ उद्देश्यों में लगे अन्य संगठन	-	-	-	-
ग) अन्य (सेवा कर/जीएसटी)	62,290,705	62,290,705	65,553,426	65,553,426
घ) टीडीएस प्रतिदाय प्राप्य	2,770,534	2,770,534	2,035,698	2,035,698
2. नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अथवा प्राप्तव्य मूल्य हेतु निर्दिष्ट अग्रिम व अन्य राशि				-
क) पूँजी खाते पर	-	-	-	-
ख) पूर्वभुगतान	1,185,193	1,185,193	294,302	294,302
ग) प्राप्य ब्याज	14,137,570	14,137,570	8,145,140	8,145,140
घ) अन्य जमा(अनुबंध -10)	7,486,396	7,486,396	7,498,396	7,498,396
घ) अन्य-एनएसएसपीएएडी एनएफडीबी	4,103,641	4,103,641	-	-
ङ) अन्य अग्रिम (एमएसी योजना सहित)	51,840,527	51,840,527	72,512,963	72,512,963
3. उपार्जित आय:				-
क) चिह्नित / स्थाई निधियों से निवेशों पर				-
ख) निवेशो पर - अन्य	-	-	-	-
ग) ऋणों व अग्रिमों पर				-
घ) अन्य	-	-	-	-
(रु.....की वसूल न की गई बकाया आय सम्मिलित है)				-
4. प्राप्य दावे/प्राप्य लेखे	12,132,907	12,132,907	46,775,735	46,775,735
5. समुद्री खाद्य प्रदर्शनी/ऋणों एवं अग्रिम	6,716,379	6,716,379	6,831,918	6,831,918
कुल (ख)	164,321,833	164,321,833	209,825,883	209,825,883
कुल (क + ख)	738,007,724	738,007,724	685,036,902	685,036,902

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.(Contd.)

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)		Previous Year (2023-24)	
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1. Loans:				
a) Staff (Annexure-9)	1,657,982	1,657,982	178,306	178,306
b) Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity	-	-	-	-
c) Others (Service Tax/GST)	62,290,705	62,290,705	65,553,426	65,553,426
d) TDS refund receivable	2,770,534	2,770,534	2,035,698	2,035,698
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for				-
value to be received				-
a) On Capital Account	-	-	-	-
b) Prepayments	1,185,193	1,185,193	294,302	294,302
c) Interest Receivable	14,137,570	14,137,570	8,145,140	8,145,140
d) Other Deposits (Annexure-10)	7,486,396	7,486,396	7,498,396	7,498,396
e) Others (NSPAAD NFDB)	4,103,641	4,103,641	-	-
f) Advances others (Including MAC Project)	51,840,527	51,840,527	72,512,963	72,512,963
3. Income Accrued:				-
a) On Investments from Earmarked/ Endowment Funds				-
b) On Investments - Others	-	-	-	-
c) On Loans and Advances				-
d) Others	-	-	-	-
(includes income due unrealised Rs.....)				-
4. Claims Receivable/ Accounts Receivable	12,132,907	12,132,907	46,775,735	46,775,735
5. Loans & Advances Sea Food Shows	6,716,379	6,716,379	6,831,918	6,831,918
TOTAL (B)	164,321,833	164,321,833	209,825,883	209,825,883
TOTAL (A + B)	738,007,724	738,007,724	685,036,902	685,036,902



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर- लाभकारी संगठन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 12 - बिक्रियों/सेवाओं से आय

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)			गत वर्ष (2023-24)		
	योजना	अन्य	कुल	योजना	अन्य	कुल
1) बिक्रियों से आय						
क) तैयार माल की बिक्री						
ख) कच्चे माल की बिक्री						
ग) रद्दी माल की बिक्री (पुरानी मर्दों की बिक्री)		-	-			
घ) अन्य (मत्स्य/प्रॉन की बिक्री)						
2) सेवाओं से आय						
क) श्रम व प्रसंस्करण शुल्क						
ख) व्यावसायिक एवं परामर्श सेवाएं						
ग) अभिकरण कमीशन व दलाली						
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)						
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)						
कुल	-	-	-	-	-	-

अनुसूची 13 - अनुदान/सब्सिडी

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)			गत वर्ष (2023-24)		
	योजना	अन्य	कुल	योजना	अन्य	कुल
(अप्रत्यादेय अनुदान व प्राप्त सब्सिडी)						
1) केन्द्र सरकार (परिसंपत्ति खरीद को कम करके)	612,154,673	447,809,155	1,059,963,828	537,983,703	432,468,763	970,452,466
2) राज्य सरकार (रें)	-	-	-	-	-	-
3) सरकारी अभिकरण/ईआईसी	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय	-	-	-	-	-	-
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-	-	-	-	-
6) अनुदान-अ.जा/अ.ज.जा.कार्यक्रम	13,500,000	-	13,500,000	23,000,000	-	23,000,000
7) अन्य संस्थानों से अनुदान	944,577	-	944,577	4,251,250	-	4,251,250
कुल	626,599,250	447,809,155	1,074,408,405	585,234,953	432,468,763	1,017,703,716

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36**

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE
FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2025**

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES / SERVICES

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)			Previous Year (2023-24)		
	Schemes	Others	TOTAL	Schemes	Others	TOTAL
1) Income from Sales						
a) Sale of Finished Goods						
b) Sale of Raw Material						
c) Sale of Scraps (Sale of old items)		-	-			
d) Others (Sale of Fish/Prawn)						
2) Income from Services						
a) Labour and Processing Charges						
b) Professional/Consultancy Services						
c) Agency Commission and Brokerage						
d) Maintenance Services (Equipment/Property)						
e) Others (Specify)						
TOTAL	-	-	-	-	-	-

SCHEDULE 13- GRANTS/SUBSIDIES

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)			Previous Year (2023-24)		
	Schemes	Others	TOTAL	Schemes	Others	TOTAL
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)						
1) Central Government (less Asset purchase)	612,154,673	447,809,155	1,059,963,828	537,983,703	432,468,763	970,452,466
2) State Government(s)	-	-	-	-	-	-
3) Government Agencies/EIC	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000
4) Institutions/Welfare Bodies	-	-	-	-	-	-
5) International Organisations	-	-	-	-	-	-
6) Grants - SC/ST Programmes	13,500,000	-	13,500,000	23,000,000	-	23,000,000
7) Grants from Other Institutions	944,577	-	944,577	4,251,250	-	4,251,250
TOTAL	626,599,250	447,809,155	1,074,408,405	585,234,953	432,468,763	1,017,703,716



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 14 - शुल्क/अभिदान

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)			गत वर्ष (2023-24)		
	योजना	अन्य	कुल	योजना	अन्य	कुल
1) प्रवेश शुल्क						
2) वार्षिक शुल्क/ अभिदान - (अनुबंध 11)		759,000	759,000		955,000	955,000
3) प्रमाण पत्र शुल्क - (अनुबंध 12)		122,958,687	122,958,687		112,982,312	112,982,312
4) परीक्षण शुल्क - (अनुबंध 13)		46,944,530	46,944,530		46,098,262	46,098,262
5) प्रशिक्षण शुल्क - (अनुबंध 14)		3,667,924	3,667,924		5,462,633	5,462,633
6) अन्य शुल्क - (अनुबंध 15)		100,237,413	100,237,413		26,304,078	26,304,078
कुल		274,567,555	274,567,555		191,802,285	191,802,285

नोट: हर मद के लिए लेखा नीतियाँ बताई गई हैं

अनुसूची 15 - निवेश से प्राप्त आय

(राशि रु.में)

विवरण	चिह्नित निधि से निवेश		निवेश-अन्य	
	चालू वर्ष (2024-25)	गत वर्ष (2023-24)	चालू वर्ष (2024-25)	गत वर्ष (2023-24)
(निधि को अंतरण किए गए चिह्नित/ अक्षयनिधि से निवेश पर आय)				
1) ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूति पर				
ख) अन्य बंध पत्र/ डिबेंचर				
2) लाभांश				
क) शेयर पर				
ख) म्यूचुअल निधि प्रतिभूति				
3) किराया				
4) अन्य- निवेश से आय (अनुबंध 1)				
कुल				
चिह्नित/ अक्षयनिधि को अंतरण किया गया				

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE
FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2025

SCHEDULE 14 - FEES / SUBSCRIPTIONS

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)			Previous Year (2023-24)		
	Schemes	Others	TOTAL	Schemes	Others	TOTAL
1) Entrance Fees	-					
2) Annual Fees/Subscriptions - (Annexure-11)	-	759,000	759,000		955,000	955,000
3) Certification Fees - (Annexure-12)	-	122,958,687	122,958,687		112,982,312	112,982,312
4) Testing Fees - (Annexure-13)	-	46,944,530	46,944,530		46,098,262	46,098,262
5) Training Fees - (Annexure-14)	-	3,667,924	3,667,924		5,462,633	5,462,633
6) Other Fees - (Annexure-15)	-	100,237,413	100,237,413		26,304,078	26,304,078
TOTAL	-	274,567,555	274,567,555	-	191,802,285	191,802,285

Note: Accounting Policies towards each item are disclosed

SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS

(Amount in Rs.)

Particulars	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
	Current Year (2024-25)	Previous Year (2024-25)	Current Year (2024-25)	Previous Year (2024-25)
(Income on Investment from Earmarked / Endowment Funds transferred to Funds)				
1) Interest				
a) On Govt. Securities				
b) Other Bonds/Debentures				
2) Dividends:				
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3) Rents				
4) Others - Income from Investments (Annexure -1)				
TOTAL	-	-	-	-
TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	-	-	-	-



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)			गत वर्ष (2023-24)		
	योजना	अन्य	कुल	योजना	अन्य	कुल
1) रॉयल्टी से आय						
2) प्रकाशनों से आय (अनुबंध-16)	-	835,554	835,554	-	1,087,329	1,087,329
3) अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	-	835,554	835,554	-	1,087,329	1,087,329

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)			गत वर्ष (2023-24)		
	योजना	अन्य	कुल	योजना	अन्य	कुल
1) सावधि जमा पर:		23,115,425	23,115,425		17,289,136	17,289,136
क) अनुसूचित बैंकों में						
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में						
ग) संस्थाओं में						
घ) अन्य						
2) बचत खातों पर:						
क) अनुसूचित बैंकों में						
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में						
ग) डाकघर बचत खाते						
घ) अन्य						
3) ऋणों पर						
क) अधिकारी/कर्मचारी (अनुबंध-17)		103,593	103,593		142,300	142,300
ख) अन्य						
4) देनदारों व अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज (बिजली)						
कुल	-	23,219,018	23,219,018	-	17,431,436	17,431,436

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE
FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2025

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)			Previous Year (2023-24)		
	Schemes	Others	TOTAL	Schemes	Others	TOTAL
1) Income from Royalty						
2) Income from Publications(Annexure-16)	-	835,554	835,554	-	1,087,329	1,087,329
3) Others	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	835,554	835,554	-	1,087,329	1,087,329

SCHEDULE 17- INTEREST EARNED

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)			Previous Year (2023-24)		
	Schemes	Others	TOTAL	Schemes	Others	TOTAL
1) On Term Deposits		23,115,425	23,115,425		17,289,136	17,289,136
a) With Scheduled Banks						
b) With Non-Scheduled Banks						
c) With Institutions						
d) Others						
2) On Savings Accounts:						
a) With Scheduled Banks						
b) With Non-Scheduled Banks						
c) Post Office Savings Accounts						
d) Others						
3) On Loans						
a) Employees/ Staff(Annexure-17)		103,593	103,593		142,300	142,300
b) Others						
4) Interest on Debtors and Other Receivables (Electricity)						
TOTAL	-	23,219,018	23,219,018	-	17,431,436	17,431,436



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर- लाभकारी संगठन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची 18 - अन्य आय

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)			गत वर्ष (2023-24)		
	योजना	अन्य	कुल	योजना	अन्य	कुल
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ						
क) स्वामित्वाधीन परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ	-	(312,850)	(312,850)	-	44,148	44,148
2) प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन	-	-	-	-	-	-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
4) विविध आय (अनुबंध-18)	-	3,921,030	3,921,030	-	9,950,855	9,950,855
5) बोनस वसूली और बैंक गारंटी के नकदीकरण से आय	-	-	-	-	636,707	636,707
कुल	-	3,608,180	3,608,180	-	10,631,710	10,631,710

अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/ (कमी) और कार्य प्रगति पर

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)			गत वर्ष (2023-24)		
	योजना	अन्य	कुल	योजना	अन्य	कुल
क) अंतिम स्टॉक						
- तैयार माल						
- कार्य प्रगति पर						
ख) घटाएं: प्रारंभिक स्टॉक						
- तैयार माल						
- कार्य प्रगति पर						
निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख)	-	-	-	-	-	-

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE
FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2025

SCHEDULE 18-OTHER INCOME

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)			Previous Year (2023-24)		
	Schemes	Others	TOTAL	Schemes	Others	TOTAL
1) Profit on Sale/disposal of Assets						
a) Owned assets	-	-	-	-	-	-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	(312,850)	(312,850)	-	44,148	44,148
2) Export Incentives realized	-	-	-	-	-	-
3) Fees for Miscellaneous Services	-	-	-	-	-	-
4) Miscellaneous Income (Annexure-18)	-	3,921,030	3,921,030	-	9,950,855	9,950,855
5) Bonus Recovery and Income from Encashment of Bank Guarantee	-	-	-	-	636,707	636,707
TOTAL	-	3,608,180	3,608,180	-	10,631,710	10,631,710

SCHEDULE 19-INCREASE/ (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK- IN -PROGRESS

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)			Previous Year (2023-24)		
	Schemes	Others	TOTAL	Schemes	Others	TOTAL
a) Closing stock						
- Finished Goods						
- Work-in-progress						
b) Less: Opening Stock						
- Finished Goods						
- Work-in-progress						
NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)	-	-	-	-	-	-



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर- लाभकारी संगठन)
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए
आय और व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 20 - संस्थापना व्यय

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)			गत वर्ष (2023-24)		
	योजना	अन्य प्रशा. व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा. व्यय	कुल
क) वेतन व मज़दूरी	3,470,825	204,920,013	208,390,838	5,642,946	197,674,192	203,317,138
ख) भत्ते व बोनस	-	4,221,847	4,221,847	-	3,890,489	3,890,489
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-	-	-	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (डीसीपीएस अंशदान)	-	12,247,114	12,247,114	-	12,367,407	12,367,407
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	596,857	596,857	-	736,013	736,013
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व सेवांत लाभों पर व्यय	-	215,640,310	215,640,310	-	212,632,905	212,632,905
छ) सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
ज) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल	3,470,825	437,626,141	441,096,966	5,642,946	427,301,005	432,943,951

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE
FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2025

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)			Previous Year (2023-24)		
	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
a) Salaries and Wages	3,470,825	204,920,013	208,390,838	5,642,946	197,674,192	203,317,138
b) Allowances and Bonus	-	4,221,847	4,221,847	-	3,890,489	3,890,489
c) Contribution to Provident Fund	-	-	-	-	-	-
d) Contribution to Other Fund (DCPS Contribution)	-	12,247,114	12,247,114	-	12,367,407	12,367,407
e) Staff Welfare Expenses	-	596,857	596,857	-	736,013	736,013
f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal	-	215,640,310	215,640,310	-	212,632,905	212,632,905
g) Provision for Retirement Benefits	-	-	-	-	-	-
h) Others (specify)	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3,470,825	437,626,141	441,096,966	5,642,946	427,301,005	432,943,951



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)			गत वर्ष (2023-24)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
क) विद्युत एवं जल	1,636,174	10,018,243	11,654,417	1,381,454	9,284,924	10,666,378
ख) ए एम सी	2,954,457	1,242,100	4,196,557	3,786,903	1,846,704	5,633,608
ग) बीमा	-	129,348	129,348	178,740	113,403	292,143
घ) मरम्मत व अनुरक्षण	600,204	4,389,446	4,989,651	14,566	1,719,852	1,734,419
ङ) किराया, दर एवं कर	7,910,197	17,815,621	25,725,818	8,495,636	15,582,395	24,078,031
च) वाहन चालन व अनुरक्षण	-	1,244,051	1,244,051	-	1,944,132	1,944,132
छ) डाक, दूरभाष व संचार प्रभार एवं मुद्रण व लेखन	2,086,962	3,304,153	5,391,114	2,283,593	4,682,295	6,965,888
ज) यात्रा व वाहन व्यय	3,325,210	18,658,664	21,983,873	4,970,290	21,633,379	26,603,670
झ) सत्कार व्यय (मनोरंजन)	-	-	-	-	-	-
ञ) व्यावसायिक प्रभार (विधिक प्रभार)	605,500	3,817,618	4,423,118	130,000	1,080,517	1,210,517
ट) लेखा परीक्षक को पारिश्रमिक	-	451,379	451,379	-	702,504	702,504
ठ) विज्ञापन एवं प्रचार	-	680,784	680,784	-	552,451	552,451
ड) अन्य व्यय (अनुबंध-19)	66,788,976	70,907,595	137,696,571	72,291,071	63,613,654	135,904,725
कुल	85,907,680	132,659,003	218,566,683	93,532,254	122,756,212	216,288,466

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE
FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2025

SCHEDULE 21-OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)			Previous Year (2023-24)		
	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
a) Electricity and Water	1,636,174	10,018,243	11,654,417	1,381,454	9,284,924	10,666,378
b) AMC	2,954,457	1,242,100	4,196,557	3,786,903	1,846,704	5,633,608
c) Insurance	-	129,348	129,348	178,740	113,403	292,143
d) Repairs and maintenance	600,204	4,389,446	4,989,651	14,566	1,719,852	1,734,419
e) Rent, Rates and Taxes	7,910,197	17,815,621	25,725,818	8,495,636	15,582,395	24,078,031
f) Vehicles Running and Maintenance	-	1,244,051	1,244,051	-	1,944,132	1,944,132
g) Postage, Telephone and Communication Charges & Printing and Stationary	2,086,962	3,304,153	5,391,114	2,283,593	4,682,295	6,965,888
h) Travelling and Conveyance Expenses	3,325,210	18,658,664	21,983,873	4,970,290	21,633,379	26,603,670
i) Hospitality Expenses (Entertainment)	-	-	-	-	-	-
j) Professional Charges (Legal charges)	605,500	3,817,618	4,423,118	130,000	1,080,517	1,210,517
k) Auditor's Remuneration	-	451,379	451,379	-	702,504	702,504
l) Advertisement & Publicity	-	680,784	680,784	-	552,451	552,451
m) Other Expenses (Annexure-19)	66,788,976	70,907,595	137,696,571	72,291,071	63,613,654	135,904,725
TOTAL	85,907,680	132,659,003	218,566,683	93,532,254	122,756,212	216,288,466



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए
आय और व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 22 - अनुदानों, सब्सिडियों आदि पर व्यय (राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)			गत वर्ष (2023-24)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
क) संस्थाओं/संगठनों को प्रदत्त अनुदान (अनुबंध -20)	34,713,001	-	34,713,001	136,600,000	-	136,600,000
ख) वित्तीय सहायता (अनुबंध -21)	282,477,514	-	282,477,514	106,560,111	-	106,560,111
ग) अन्य (अनुबंध -22)	200,356,150	-	200,356,150	185,901,655	-	185,901,655
कुल	517,546,665	-	517,546,665	429,061,766	-	429,061,766

टिप्पणी : संगठनों के नाम, अनुदान/सब्सिडी की राशि सहित उनके कार्यकलापों का खुलासा किया जाए।

अनुसूची 23 - ब्याज (राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)			गत वर्ष (2023-24)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
'क) नियत ऋणों पर	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-	-	-	-	-
'ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36**

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE
FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2025**

SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)			Previous Year (2023-24)		
	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
a) Grants given to Institutions / Organisations (Annexure-20)	34,713,001	-	34,713,001	136,600,000	-	136,600,000
b) Financial Assistance (Annexure-21)	282,477,514	-	282,477,514	106,560,111	-	106,560,111
c) Others (Annexure-22)	200,356,150	-	200,356,150	185,901,655	-	185,901,655
TOTAL	517,546,665	-	517,546,665	429,061,766	-	429,061,766

Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed

SCHEDULE 23 - INTEREST

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)			Previous Year (2023-24)		
	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
a) On Fixed Loans				-	-	-
b) On other Loans (including Bank Charges)				-	-	-
c) Others (specify)				-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए
आय और व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 24 - अ.जा/अ.ज.जा. कल्याण

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)			गत वर्ष (2023-24)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
क) अ.जा/अ.ज.जा. कल्याण (अनुबंध -23)	12,600,000	-	12,600,000	23,000,000	-	23,000,000
कुल	12,600,000	-	12,600,000	23,000,000	-	23,000,000

अनुसूची 25 - ग्रेट्युटी, छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पर व्यय (बीमांकिक मूल्यांकन)

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)			गत वर्ष (2023-24)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
क) ग्रेट्युटी	-	6,350,757	6,350,757	-	5,118,305	5,118,305
ख) छुट्टी नकदीकरण	-	8,459,427	8,459,427	-	7,957,100	7,957,100
ग) सेवानिवृत्ति	-	132,100,000	132,100,000	-	80,000,000	80,000,000
कुल	-	146,910,184	146,910,184	-	93,075,405	93,075,405

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36**

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE
FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2025**

SCHEDULE 24 - SC/ST Welfare

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year (2024-25)			Previous Year (2023-24)		
	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
a) SC/ST Welfare (Annexure-23)	12,600,000	-	12,600,000	23,000,000	-	23,000,000
TOTAL	12,600,000	-	12,600,000	23,000,000	-	23,000,000

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 25 - Expenditure on Gratuity, Leave encashment & Superannuation (Actuarial Valuation)

Particulars	Current Year (2024-25)			Previous Year (2023-24)		
	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
a) Gratuity	-	6,350,757	6,350,757	-	5,118,305	5,118,305
b) Leave encashment	-	8,459,427	8,459,427	-	7,957,100	7,957,100
c) Superannuation	-	132,100,000	132,100,000	-	80,000,000	80,000,000
TOTAL	-	146,910,184	146,910,184	-	93,075,405	93,075,405



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर- लाभकारी संगठन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए खातों के भाग स्वरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची 26 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण परंपरा

प्राधिकरण वर्ष 2007-08 से आय व व्यय और तुलन पत्र तैयार करने में लेखाकरण के प्रोद्भवन आधार को अपनाता है। जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरण पूर्ववर्ती लागत परंपरा के आधार पर व लेखाकरण की प्रोद्भवन रीति पर तैयार किए जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी विभागीय आय को आईईबीआर के रूप में लिया जाता है।

2. वस्तु सूची का मूल्यांकन

कच्चे माल और स्टेशनरी का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। लागतों को एफआईएफओ आधार पर मापा जाता है। एमपीईडीए किसी भी निर्माण गतिविधि में संलग्न नहीं है इसलिए तैयार / अर्ध तैयार माल का स्टॉक नहीं है।

3. निवेश

3.1 'दीर्घकालिक निवेश' के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों की वहनीय लागत में अस्थाई को छोड़कर ह्यास का प्रावधान किया जाता है।

3.2 चालू के रूप में वर्गीकृत निवेश कम लागत व उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में होने वाली कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश के लिए अलग रूप से किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।

3.3 लागत में दलाली, अंतरण स्टाम्प आदि जैसे अर्जन व्यय शामिल हैं।

4. स्थाई परिसंपत्तियाँ

4.1 स्थाई परिसंपत्तियों का उल्लेख अर्जन की लागत पर किया जाता है जिसमें आवक मालभाड़ा, शुल्क, अर्जन से संबंधित आकस्मिक व प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं। निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं के संबंध में, संबंधित पूर्व प्रचालन व्यय (इसके पूर्ण होने से पहले विशिष्ट परियोजना के लिए लिए गए ऋणों का ब्याज सहित है) पूंजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का भाग बनते हैं। सभी संपत्तियाँ पात्र जीएसटी घटक को छोड़कर पूंजीकृत हैं।

4.2 अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से प्राप्त सरकारी अनुदानों को पूंजीकृत किया जाता है और संबंधित राशि को पूंजी आरक्षित खाते में रखा जाता है। ऐसी अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास लागू दरों के अनुसार लगाया जाएगा और इस तरह के पूंजी भंडार से समकक्ष राशि को कम किया जाना है।

5. मूल्यह्रास

5.1 'स्थायी परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा देयताओं के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होनेवाले लागत समायोजनों पर मूल्यह्रास को छोड़कर, मूल्यह्रास रिटन डाउन वैल्यू (डब्ल्यू डी वी) पर दिया गया है, जो संबंधित परिसंपत्तियों की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

5.2 'वर्ष के दौरान, स्थायी परिसंपत्तियों में हुई अभिवृद्धियों एवं कटौतियों के संबंध में, मूल्यह्रास पर आनुपातिक आधार पर विचार किया जाता है।

5.3 'मूल्यह्रास का प्रावधान परिसंपत्तियों की मूल लागत के 95 प्रतिशत तक डब्ल्यू डी वी आधार पर किया जाता है और उसके बाद आगे और कोई मूल्यह्रास किए बिना खाता मूल्य पर रखा जाता है।

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36**

**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2025**

SCHEDULE 26 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The Authority follows accrual basis of accounting in the preparation of Income and Expenditure and Balance Sheet from the year 2007-08. The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting. All departmental incomes received by the Authority are taken as IEBR.

2. INVENTORY VALUATION

Raw materials and stationery are valued at lower of cost and net realizable value. The costs are measured on FIFO Basis. MPEDA is not engaged in any manufacturing activity hence do not have closing stock of finished/semi finished goods.

3. INVESTMENTS

3.1 Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.

3.2 Investments classified as "Current" are carried at lower cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

3.3 Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps, etc.

4. FIXED ASSETS

4.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties, incidental & direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized. All assets are capitalised exclusive of eligible GST component.

4.2 Government grants received specifically for acquisition of Fixed Assets are capitalized and corresponding amount has been kept in Capital Reserve A/c. Depreciation on such Fixed assets will be charged as per applicable rates and equivalent amount is to be reduced from such Capital Reserve.

5. DEPRECIATION

5.1 Depreciation is provided on Written Down Value (WDV) method except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

5.2 In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.

5.3 Depreciation is provided on WDV basis upto 95% of the original cost of assets and thereafter retained at book value without any further depreciation.



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

6. विविध व्यय

इस मद के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों के प्रावधानों को शामिल किया जाता है।

7. राजस्व मान्यता

प्रमाणन, पंजीकरण, पत्रिका सदस्यता, स्टॉल किराया और अन्य सभी आय से प्राप्त शुल्क को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है और रसीद के आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। ये लेन-देन भुगतान प्राप्त होने पर दर्ज किए जाते हैं, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

8. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

8.1 परियोजनाओं की स्थापना की पूँजीकृत लागत के लिए अंशदान के रूप में दिए गए सरकारी अनुदान आरक्षित निधि के रूप में समझे जाते हैं।

8.2 अर्जित की गई विशिष्ट स्थाई परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान संबंधित परिसंपत्तियों की लागत से की गई कटौती के रूप में दर्शाए जाते हैं।

9. विदेशी मुद्रा में लेनदेन

9.1 विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लेनदेनों को लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर लेखाबद्ध किया जाता है।

9.2 चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों व चालू देयताओं को वर्षांत में प्रचलित अभिभावी विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा में देयता स्थाई परिसंपत्तियों से संबंधित होने की स्थिति में स्थाई परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में उसे राजस्व माना जाता है।

10. पट्टा

पट्टा किराए पट्टे की शर्तों के अनुसार व्यय किए जाते हैं।

11. सेवानिवृत्ति लाभ

11.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी के प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्जित की जाती है।

11.2 कर्मचारियों के लिए संचित अवकाश नकदीकरण लाभ का प्रावधान इस धारणा पर अर्जित और गणना किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

दीपा. ई.वी.
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. टी.आर. जिबिनकुमार
सचिव

डी.वी. स्वामी भा प्र से
अध्यक्ष



6. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Under this head provision for retirement and terminal benefits of retired employees are accounted.

7. REVENUE RECOGNITION

Fees received for certification, registration, magazine subscriptions, stall rentals and all other income are recognized as revenue and accounted on a receipt basis, exclusive of GST. These transactions are recorded upon receipt of payment, ensuring compliance with financial reporting standards and transparency in financial management.

8. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

8.1 "Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve."

8.2 "Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets."

9. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

9.1 Transactions denominated in Foreign Currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

9.2 Current Assets, Foreign Currency Loans and Current Liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/ loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

10. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

11. RETIREMENT BENEFITS

11.1 Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.

11.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

Deepa E.V.
Chief Accounts Officer

Dr. T.R. Gibinkumar
Secretary

D.V. Swamy IAS
Chairman





एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर- लाभकारी संगठन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि - 36

31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए खातों के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 27 - आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां

(राशि रु.में)

1. आकस्मिक देयताएं

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.1	संगठन के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है		
1.2	निम्नलिखित के संबंध में		
	- संगठन द्वारा /उसकी ओर से प्रदत्त बैंक गारंटी		
	- संगठन की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र		
	- बैंकों के साथ भुनाए गए बिल		
1.3	निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांगें		
	- आयकर		
	- बिक्री कर		
	- नगरपालिका कर		
1.4	आदेशों के निष्पादन न होने पर पक्षों द्वारा दावों के संबंध में, लेकिन इकाई द्वारा विरोध किया गया		

2. पूँजी प्रतिबद्धताएं

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों का अनुमानित मूल्य और जिनका प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल)		

3. पट्टा दायित्व

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	संयंत्र व मशीनरी हेतु की गई वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अन्तर्गत किराए के लिए भविष्य के दायित्व		

4. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के कम से कम बराबर राशि की वसूली पर होता है।

5. कराधान

- क) एमपीईडीए की आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (29ए) (ई) के तहत आयकर से मुक्त है और इसलिए आयकर का प्रावधान नहीं किया गया है।
- ख) एमपीईडीए ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नियमित आधार पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह और भुगतान किया है। जीएसटी रिटर्न जीएसटी कानूनों के अनुसार दाखिल किया गया है।
- ग) टीडीएस काट लिया गया है और केंद्र सरकार को भुगतान किया गया है और वित्तीय वर्ष के लिए टीडीएस रिटर्न भी नियमित रूप से दाखिल किया गया है।

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36**

**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2025**

SCHEDULE 27 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

(Amount in Rs.)

Particulars		Current Year	Previous Year
1.1	Claims against the Entity not acknowledged as debts		
1.2	In respect of		
	- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity		
	- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity		
	- Bills discounted with banks		
1.3	Disputed demands in respect of		
	- Income Tax		
	- Sales Tax		
	- Municipal Tax		
1.4	In respect of claims from parties on non execution of orders but contested by the entity		

2. CAPITAL COMMITMENTS

(Amount in Rs.)

Particulars		Current Year	Previous Year
	Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances)		

3. LEASE OBLIGATIONS

(Amount in Rs.)

Particulars		Current Year	Previous Year
	Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery		

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregated amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

- The income of MPEDA is exempted from Income Tax u/s 10(29A)(e) of the Income Tax Act,1961 and therefore, provision for Income Tax has not been made.
- MPEDA has collected and paid Goods & Service Tax (GST) during the financial year 2024-25 on regular basis. GST Returns are filed as per GST laws.
- TDS has been deducted and paid to the Central Govt. and TDS returns also filed regularly for the financial year.



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए खातों के
भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 27 - आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां

(राशि रु.में)

6. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
6.1 सी आई एफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य		
- तैयार माल की खरीदारी		
- कच्चा माल एवं संघटक (परिगमन सहित)		
- पूँजी माल		
- भंडार, पुर्जे व खपत योग्य वस्तुएं - मानक संदर्भ	शून्य	शून्य
6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय		
क) यात्रा (दैनिक भत्ता)	\$ 28562.94	\$ 27870
ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में धन प्रेषण और ब्याज भुगतान		
ग) अन्य व्यय:		
- व्यापार मेला खर्च	\$ 948610.45	\$ 1053345.41
6.3 अर्जन - एफ ओ बी आधार पर निर्यातों का मूल्य		
6.4 लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक:		
- कराधान मामले		
- प्रबंधन सेवाओं के लिए		
- प्रमाणन के लिए		
- अन्य		

7. जहाँ आवश्यक हुआ है, पूर्व वर्ष के तदनुरूपी संगत आँकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

8. अनुसूची 1 से 27 संलग्न है, और वे दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और उस तिथि को समाप्त आय-व्यय लेखे के अभिन्न अंग है।



दीपा. ई.वी.
मुख्य लेखा अधिकारी



डॉ. टी.आर. जिबिनकुमार
सचिव



डी.वी. स्वामी भा प्र से
अध्यक्ष

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36**

**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2025**

SCHEDULE 27 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS - Contd.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

(Amount in Rs.)

Particulars		Current Year	Previous Year
6.1	Value of Imports Calculated on C.I.F.Basis:		
	- Purchase of finished goods		
	- Raw Materials & Components (Including in transit)		
	- Capital Goods		
	- Stores, Spares and Consumables - Reference Standards	NIL	NIL
6.2	Expenditure in Foreign Currency		
	a) Travel(per diem allowance)	\$28562.94	\$27870
	b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Banks in Foreign Currency		
	c) Other expenditure:		
	- Trade Fair Expenses	\$948610.45	\$1053345.41
6.3	Earnings - Value of Exports on FOB basis		
6.4	Remuneration to auditors:		
	-For Taxation matters		
	- For Management services		
	- For Certification		
	- Others		

7. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary.
8. Schedule 1 to 27 are annexed, forming integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2025 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.



Deepa E.V.
Chief Accounts Officer



Dr. T.R. Gibinkumar
Secretary



D.V. Swamy IAS
Chairman



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

वर्ष 2024-25 को समाप्त वर्ष के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के लेखाओं के साथ संलग्न और उनके भागस्वरूप टिप्पणियां

1. पूंजी निधि

दिनांक 01.04.2024 को निधि शेष रु61,14,12,912/-था। निधि का श्रोत केंद्र सरकार से प्राप्त आबंटन था। वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अनुदान के रूप में उपयोग की गई निधि को विशिष्ट उपयोग के लिए निर्धारित निधि नहीं माना गया है क्योंकि यह किसी विशिष्ट संपत्ति के लिए नहीं है, बल्कि पूंजी प्रकृति की निधि है जिसका उपयोग एमपीईडीए के सामान्य कोष से परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किए गए ऐसे अनुदानों की राशि 1,50,36,172/- रुपये है और वर्ष के लिए व्यय पर आय की अधिकता 51,99,276/- रुपये है, जिसे पूंजीगत निधि में जोड़ा गया है और 31.03.2025 तक निधि की पूंजी 63,16,48,360/- रुपये है।

2. पूंजी आरक्षित

संगठन को उ.क्षे.प्र. भीमावरम में प्रयोगशाला कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए मंत्रालय से पूंजी अनुदान के रूप में 16.05 करोड़ रुपये मिले हैं। प्राप्त राशि को वर्ष 2021-22 के दौरान 16.05 करोड़ रुपये की पूंजी आरक्षित राशि के रूप में माना गया है। 31.03.2025 तक निधियों पर अर्जित ब्याज, जो 1,18,93,288/- रुपये है, को भी निधि में जोड़ा गया है। 31.03.2025 तक अंत शेष 17,23,93,288/- रुपये है। इसके अलावा कोई सामान्य रिजर्व सृजित / विनियोजित नहीं किया गया है।

3. चिह्नित निधि

वर्ष के दौरान निम्नलिखित निर्धारित निधियां मौजूद हैं:

क) आकस्मिक अवसंरचना निधि

यह निधि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 1998-1999 में प्राप्त हुई थी और इसका निवेश संयुक्त उद्यम कंपनी (मिडकॉन) के शेयरों में 2,50,00,000 रुपये में निवेश किया गया था।

ख) इक्विटी सहभागिता योजना

31.03.2025 तक निधि खाते में शेष राशि रु.12,61,32,932/- है, जिसमें शेयर मूल्य इक्विटी राशि के साथ-साथ ब्याज भी शामिल है। (शेयर मूल्य रु.5,47,00,700/- तथा निवेश रु.7,14,32,232/- है। शेयर का मूल्य लागत पर लिया गया है।

‘मध्यस्थता पंचाट और कानूनी और प्रशासनिक खर्चों के अनुसार निधि मूल्य में वृद्धि के लिए प्रावधान की गणना रु 41,79,39,588/- के रूप में की गई है। पिछले वर्षों में सीएजी ऑडिट की टिप्पणियों के अनुसार, शेयर मूल्य और मध्यस्थता पंचाट मूल्य और कानूनी खर्चों में रु 36,32,38,888/- (41,79,39,588 रुपये - 5,47,00,700 रुपये) का अंतर संदिग्ध ऋणों (अनुसूची 7) के लिए प्रावधान के रूप में और वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक लेखाओं में संदिग्ध ऋणों (अनुसूची 11) के रूप में प्रकट किया गया था।

एमपीईडीए ने फरवरी 1985 से मार्च 1998 के दौरान गभीर सागर मत्स्यन, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और जलकृषि के क्षेत्र में 33 कंपनियों के प्रमोटरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके निर्यात संवर्धन योजना के रूप में इक्विटी भागीदारी योजना (ईपीएस)शुरू की। वित्तीय सहयोग समझौते के खंड 6.2 के अनुसार, कंपनियों के प्रमोटरों के लिए एमपीईडीए द्वारा धारित शेयरों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख / एमपीईडीए द्वारा सहायता जारी करने की तारीख से 5 साल की समाप्ति पर पुनर्खरीद करना अनिवार्य है। इन सहायता प्राप्त कंपनियों की शेयर पूंजी में एमपीईडीए का योगदान प्रत्येक कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के अधिकतम 11% तक था और योजना में एमपीईडीए द्वारा निवेश की गई कुल राशि 627.24 लाख रुपये थी।

सहायता प्राप्त 33 कंपनियों में से, 22 कंपनियों के प्रमोटर वित्तीय सहयोग समझौते (एफसीए) में सहमति के अनुसार समय पर शेयरों को वापस खरीदने में विफल रहे। अतः, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की सलाह के आधार पर एकमुश्त निपटान और बड़े खाते में डालने का प्रस्ताव शुरू किया गया था। तदनुसार एमपीईडीए ने मंत्रालय को पत्र सं 3/07/2012/एआई-एचओ दिनांक 01.10.2012 के तहत

NOTES ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS OF THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY (MPEDA) FOR THE YEAR 2024-25

1. CAPITAL FUND

Balance of the fund as on 01.04.2024 was Rs. 61,14,12,912/-. The source of fund was the allocation received from Central Government. Fund utilized during the year as grants for acquisition of Fixed Assets has not been considered as Earmarked Funds for specific usage since it is not fund meant for any specific asset, but fund of capital nature used for acquisition of assets from general fund of MPEDA. Such Grants utilized for acquisition of Fixed Assets during th year 2024-25 an amount of Rs.1,50,36,172/- and Excess of Income over Expenditure for the year is Rs. 51,99,276/-is added to Capital Fund and the Fund Capital as on 31.03.2025 is Rs. 63,16,48,360/-.

2. CAPITAL RESERVES

The Organization has received Rs 16.05 crores as Capital Grants from the Ministry towards Construction of Lab Complex at SRD Bhimavaram. The amount received has been treated as capital reserve of Rs. 16.05 crores during the year 2021-22. Interest accrued on the funds upto 31.03.2025, amounting to Rs.1,18,93,288/- is also added to the fund. The closing balance as on 31.03.2025 is Rs.17,23,93,288 /-. There is no further, General reserve created/appropriated.

3. EARMARKED FUNDS

During the year the following Earmarked Funds are existing:

a) Critical Infrastructure fund

"The fund was received in 1998-1999 from MOCI as Grants-in-Aid and the same was invested in shares of the Joint Venture Company (MIDCON) for Rs.2,50,00,000/-"

b) Equity Participation Scheme

Balance in the fund account as on 31.03.2025 is Rs. 12,61,32,932/- which includes Share value equity amount as well as interest. (Share Value of Rs.5,47,00,700/- investment of Rs. 7,14,32,232/- The share value has been taken at cost.

"The provision for increase in fund value as per the arbitration awards and legal and administration expenses is calculated as Rs.41,79,39,588/-. As per the difference in share value & Arbitration award value and legal expenses of Rs. 36,32,38,888/- (Rs. 41,79,39,588 - Rs.5,47,00,700) was disclosed as provision for doubtful debts (schedule 7) and also as doubtful debts (schedule 11) in Annual Accounts for the year 2023-24 as per the comments of the C&AG Audit in the previous years."

MPEDA launched the Equity Participation Scheme (EPS) as an export promotion scheme, during February 1985 to March 1998 by extending financial assistance to the promoters of 33 companies in the field of Deep Sea Fishing, Seafood Processing and Aquaculture. As per the clause 6.2 of the Financial Collaboration Agreement (FCA), it is mandatory for promoters of the companies to repurchase the shares held by MPEDA on expiry of 5 years from the date of commencement of commercial production / the date of release of assistance by MPEDA. The contribution of MPEDA to the share capital of these assisted companies was up to a maximum of 11% of the paid up share capital of each company and the total amount invested by the MPEDA in the scheme was Rs. 627.24 Lakh.

Out of 33 companies assisted, the promoters of 22 companies failed to purchase back the shares in time as agreed in Financial Collaboration Agreement (FCA). Hence, the onetime settlement and the write off proposal were initiated based on the advice from the MoC&I. Accordingly MPEDA sent write



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

मंत्रालय को बड़े खाते में डालने के प्रस्ताव भेजे। एमपीईडीए ने मेसर्स लक्षद्वीप शिल्पी अक्वा लिमिटेड, कोच्चि को छोड़कर 21 कंपनियों के खिलाफ मामले शुरू किए तथा केरल, हैदराबाद, तेलंगाना, चेन्नई और मुंबई की विभिन्न अदालतों में फांसी के मामले प्रक्रियाधीन हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 20.07.2015 के पत्र के तहत सूचित किया कि चूंकि एकमुश्त निपटान का निर्णय वाणिज्य विभाग के दायरे में नहीं है, इसलिए इसे व्यय विभाग को भेजा गया है। वाणिज्य विभाग के निर्देशों के आधार पर एकमुश्त निपटान के लिए विस्तृत संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अपने पत्र 23.08.2022 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, आंध्रप्रदेश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया कि 'एमपीईडीए की ईपीएस योजना के तहत चूककर्ताओं के साथ एकमुश्त निपटान पर भालेराव समिति की सिफारिशों की वाणिज्य विभाग, भारत सरकार में गहन जांच की गई है और उसे स्वीकार नहीं किया गया है।

22 कंपनियों में से 2 कंपनियों मेसर्स ब्लू गोल्ड लिमिटेड तेलंगाना और मेसर्स कोलुथारा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड केरल ने बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया है और मेसर्स लक्षद्वीप शिल्पी अक्वा कल्चर लिमिटेड नामक एक कंपनी के मामले में मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मेसर्स किंग्स इंटरनेशनल लिमिटेड, कोल्लम ने निपटान के रूप में 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

ग) सामान्य भविष्य निधि

यह निधि कर्मचारियों के संचित अंशदान तथा उस पर ब्याज की द्योतक है। दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार निधि शेष 9,91,65,055/- था। अंशदान, ऋण वापसी के रूप में कुल योगदान 1,79,76,569/- था। वर्ष के लिए प्राप्त और उपार्जित ब्याज 40,24,078/- था। वर्ष के लिए कुल उपयोग 3,21,47,498/- था। दिनांक 31.03.2025 को निधि खाते में शेष राशि 8,90,18,204/-था।

घ) पाकिस्तानी कब्जे में पड़े मत्स्यनयानों के प्रतिस्थापन के लिए निधि (एमओए)

वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि के दौरान सॉफ्टलोन पैकेज के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु 7,50,00,000/- थी, जिसका पूर्ण उपयोग किया गया तथा 31.03.2025 तक शेष राशि रु 10,30,944/- है, जो उपरोक्त धनराशि पर प्राप्त ब्याज है।

ड) आईआईएसएस समुद्री खाद्य प्रदर्शनी तथा एक्वा एक्वेरियम इंडिया के लिए निधि

आईआईएसएस प्रदर्शनी

एमपीईडीए 1973 से द्विवार्षिक आधार पर भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी (आईआईएसएस) नामक समुद्री खाद्य प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। आईआईएसएस का आयोजन एमपीईडीए और एसईएआई के सदस्य शामिल समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आयोजन समिति द्वारा एक कोर समिति गठित की जाती है तथा वित्तीय पहलुओं सहित सभी निर्णय कोर समिति द्वारा लिए जाते हैं। प्रदर्शनियों की खाताओं का प्रबंधन कमेटी द्वारा किया जाता है और स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाता है। 31.03.2025 को आईआईएसएस प्रदर्शनी के निधि शेष को वित्तीय विवरणों में अलग से रु 11,76,10,312/-दिखाया गया है। सावधि जमा पर अर्जित ब्याज, जिसे पिछले वर्ष के लेखा-जोखा (रु.30,25,290/-) से हटा दिया गया था, अब आईआईएसएस निधि निवेश से चालू वर्ष की आय (रु.73,37,899/-) में शामिल कर लिया गया है। परिणामस्वरूप, कुल अर्जित ब्याज राशि रु.1,03,63,189/- हो गई (जैसा कि अनुसूची 3 में विस्तृत है)।

31/03/2025 तक आईआईएसएस निधि बकाया	राशि रु. में
31/03/2024 तक दिखाया गया आईआईएसएस प्रदर्शनी का निधि बकाया	107,352,107.00
घटाएँ: पूँजी व्यय	104,335.00
घटाएँ: वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान किया गया व्यय	649.00
जोड़ें: निवेश से आय	10,363,189.00
जमा पर ब्याज- रु. 1,03,63,189/-	
अन्य आय - शून्य	
31/03/2025 तक दिखाया गया आईआईएसएस प्रदर्शनी का निधि बकाया	117,610,312.00

off proposals to Ministry vide letter No. 3/07/2012/AI-HO dated 01.10.2012. MPEDA initiated cases against 21 companies except M/s. Lakshadweep Shilpi Aqua Ltd, Kochi and the execution cases are under process at various courts of Kerala, Hyderabad , Telengana, Chennai and Mumbai.

MoC&I vide letter 20.07.2015 informed that since the decision on one time settlement is not within the purview of Department of Commerce, it has been referred to the Department of Expenditure. Further, based on the instructions of Department of Commerce a detailed revised proposal for One Time Settlement is submitted.MOC&I vide letter 23.08.2022 conveyed for submission before Hon'ble High Court, Andhra Pradesh that ' recommendations of the Bhalerao Committee, on one time settlement with the defaulters under the EPS Scheme of MPEDA has been thoroughly examined in the Department of Commerce, Government of India and has not been accepted.

Out of the 22 companies, 2 companies M/s. Blue Gold Ltd Telangana & M/s. Koluthara Exports Ltd Kerala have settled dues fully and the arbitration proceedings are underway in the case of one company titled M/s Lakshadweep Shilpi Aqua Culture Ltd. During FY 2024-25 M/s Kings International Ltd Kollam paid Rs.1 crores as part of settlement.

c) GPF Fund

The fund represents the accumulated contribution by employees and interest thereon. The fund balance as on 01.04.2024 was Rs.9,91,65,055/-. The total contribution by way of subscription and loan repayment aggregated to Rs.1,79,76,569/-. Interest received/accrued for the year was Rs.40,24,078/-. Total utilization for the year was Rs.3,21,47,498/-. The balance in the fund account as on 31.03.2025 is Rs. 8,90,18,204/-.

d) Fund for Replacement of Fishing Vessels held in Captivity in Pakistan (MOA)

The fund received under Softloan Package received during the period FY 2009-10 to 2014-15 for an amount of Rs.7,50,00,000/- same was fully utilised and the balance as on 31.03.2025 is Rs. 10,30,944/- which is interest received on above funds.

e) Fund for IISS Seafood Show and Aqua Aquaria India

IISS Show

MPEDA is conducting a seafood show on Biennial basis since 1973 namely India International Seafood Show (IISS). The IISS is conducted by an organizing committee consisting of members from MPEDA and SEAI. A Core Committee is constituted by organizing committee and all the decisions including the financial aspects is decided by Core Committee. The Accounts of the shows are managed by Core Committee and is audited and certified by an independent Chartered Accountant. The fund balance of IISS show as on 31.03.2025 Rs.11,76,10,312/- is disclosed separately in the financial statements. The interest accrued on the Fixed Deposit, previously omitted from the prior year's accounting (Rs.30,25,290/-), has now been incorporated into the current year's income (Rs. 73,37,899/-) from the IISS fund investment. Consequently, the total accrued interest amounts to Rs. 1,03,63,189/- (as detailed in Schedule 3).

IISS Fund Balance as on 31/03/2025	Amount In Rs.
The fund balance of IISS show as on 31/03/2024	107,352,107.00
Less: Capital Expenditure	104,335.00
Less: Expenditure Incurred during the FY 24-25	649.00
Add: Income from Investments	10,363,189.00
Interest on deposits - Rs. 1,03,63,189/-	
Other Income - NIL	
The fund balance of IISS show as on 31/03/2025	117,610,312.00



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

एक्वा एक्वेरिया इंडिया

एमपीईडीए द्विवार्षिक आधार पर अक्वा एक्वेरिया इंडिया (एएआई) भी आयोजित कर रहा है। 31.03.2025 के अनुसार रु. 2,26,38,061/- अक्वा एक्वेरिया की निधि शेष को एमपीईडीए की निर्धारित निधि के रूप में दर्शाया गया है और अनुबंध 1 में इसका खुलासा किया गया है।

प्रदर्शनी का कोई अलग पैन/जीएसटीआईएन नहीं है। एएआई और आईआईएसएस दोनों से संबंधित आय एमपीईडीए के जीएसटी रिटर्न के माध्यम से फाइल किया जाता है और योग्य जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को समायोजित करने के बाद कर का भुगतान किया जाता है।

दोनों प्रदर्शनियों के निधि बकाया को एमपीईडीए के वार्षिक लेखों के तुलन पत्र में जोड़ा गया है। निधि शेष एवं अन्य चालू देयताओं को देयता एवं जमा के रूप में दिखाया गया है। प्रदर्शनी के बैंक बैलेंस और अन्य चालू परिसंपत्तियों को परिसंपत्ति के रूप में दिखाया गया है। शो की आय और व्यय को उद्दिष्ट निधि माना जाता है और प्रदर्शनी की आय/घाटे को निधि के साथ समायोजित किया जाता है।

च) अन्य निधि

i. यूएनसीटीएडी निधि

एमपीईडीए को 2006-2007 से 2010-11 की अवधि के दौरान यूएनसीटीएडी परियोजना 'भारत में व्यापार और वैश्वीकरण के लिए रणनीति और तैयारी' के तहत रु 86,00,000/- की निधि प्राप्त हुई। वर्ष 2010-11 के लिए इस परियोजना के तहत शेष राशि रु 1,34,045/- थी। 31.03.2025 तक निधि रु 1,65,371/- है। (उपार्जित ब्याज सहित)

ii. एमपीआरएनएल निधि

01.04.2024 को एमपीआरएनएल निधि रु 10,06,111/- थी। वर्ष के दौरान प्राप्त निधि रु 18,00,000/- रुपये थी और वर्ष 2024-25 के दौरान रु 17,48,732/- (प्रावधान सहित) का उपयोग किया गया। 31.03.2025 तक शेष निधि 10,57,379/- रुपये है। यह निधि राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी के लिए है और इसे आईसीएआर द्वारा जारी किया जाता है।

iii. एनएफडीबी निधि (एक्वा बीमा & एक्यूएफ़ का विस्तार)

एमपीईडीए को वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 'एनएफडीबी - जलीय संगरोध सुविधा का विस्तार' के तहत रु 5,00,00,000/- प्राप्त हुए, जिसका पूरा उपयोग स्वीकृत परियोजना के लिए किया गया और उपरोक्त निधि पर प्राप्त ब्याज 23,57,330/- रुपये वित्त वर्ष 2024-25 तक एनएफडीबी को वापस कर दिया गया है। 31.03.2025 तक निधि शेष राशि शून्य है।

iv. पीएमएनआरएफ़ - सॉफ्टलोन पैकेज के तहत निधि

एमपीईडीए को गुजरात राज्य के मछुआरों को सॉफ्टलोन पैकेज जारी करने के लिए 2017-18 से 2018-19 की अवधि के दौरान 4,02,00,000/- रुपये का फंड प्राप्त हुआ, जिसमें से 1,92,00,000/- रुपये जारी किए गए और शेष निधि 2,10,27,580/- रुपये (27,580/- रुपये के अर्जित ब्याज सहित) (35 मछुआरे) है। लाभार्थियों ने राज्य मत्स्य विभाग, गुजरात से नए पोत का पंजीकरण प्रमाण पत्र और मछली पकड़ने का लाइसेंस जमा नहीं किया था, जो कि डीओएफ, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार लाभार्थियों के बचत खाते में सॉफ्टलोन पैकेज राशि जारी करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज हैं, इसका इंतजार है। 31.03.2025 तक शेष राशि अर्जित ब्याज सहित 2,60,45,655/- रुपये है।

v. एनएफडीबी निधि (हैचरियों को सहायता)

'एमपीईडीए-आरजीसीए से तकनीकी जानकारी प्राप्त करके निजी/सरकारी उद्यमियों द्वारा विविध जलकृषि प्रजाति हैचरी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना। 01.04.2024 को निधि शेष 1,17,41,400/- रुपये था और 31.03.2025 को शेष 1,25,60,427/- रुपये (8,19,027/- रुपये के उपार्जित ब्याज सहित) है।

vi. पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण से नेटफिश के लिए प्राप्त धनराशि:

एमपीईडीए को ओडिशा में मछुआरों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए पारादीप

Aqua Aquaria India

MPEDA is also conducting Aqua Aquaria India (AAI) on Biennial basis. The Fund balance of Aqua Aquaria as on 31.03.2025 , Rs.2,26,38,061/- is shown as Earmarked Fund of MPEDA and is disclosed in Annexure 1.

The shows have no separate PAN/GSTIN. The Income pertaining to both AAI and IISS are filed through GST Returns of MPEDA and the tax is remitted after adjusting the eligible GST input tax credit.

The Fund balance of both shows are clubbed in the Annual Accounts of MPEDA in Balance sheet .The Fund balance & Other Current Liabilities is shown as Liability and Deposit. Bank balance & Other Current Assets of the shows are shown as Asset. The Income & Expenditure of shows are treated as Earmarked Fund and Income/Loss of shows are adjusted with Fund.

f) Other Funds

i. UNCTAD Fund

MPEDA received Fund of Rs.86,00,000/- under the UNCTAD project " Strategies and Preparedness for Trade and Globalisation in India" during the period 2006-2007 to 2010-11. Balance under this project for the year 2010-11 was Rs.1,34,045/-. The Fund as on 31.03.2025 is Rs.1,65,371/-. (Including accrued interest)

ii. MPRNL Fund

The MPRNL Fund as on 01.04.2024 was Rs.10,06,111/-. Fund received during the year was Rs.18,00,000/- and Rs.17,48,732/- (includes provision) was utilized during the year 2024-25. The balance Fund as on 31.03.2025 is Rs.10,57,379/-. The Fund is for monitoring the Pesticide Residues at National Level and it is released by ICAR.

iii. NFDB Fund (Aqua Insurance & Expansion of AQF)

MPEDA received Rs. 5,00,00,000/- under "NFDB- Expansion of Aquatic Quarantine Facility" during the FY 2018-19 which is fully utilised for the sanctioned project and interest received on above Funds Rs. 23,57,330/- upto FY 2024-25 is repaid back to NFDB. The Fund balance as on 31.03.2025 is Nil.

iv. PMNRF - Fund under Softloan Package

MPEDA received the Fund of Rs. 4,02,00,000/- during the period 2017-18 to 2018-19 for release of Softloan package to fishers of Gujarat state of which Rs.1,92,00,000/- was released and balance Fund is Rs.2,10,27,580/- (Including accrued interest of Rs. 27,580/-) (35 Fishers). The beneficiaries had not submitted the registration certificate and fishing license of the new vessel from State Fisheries Department, Gujarat which are mandatory documents for the release of Softloan Package amount to the saving account of the beneficiaries as per the direction from DOF, GOI same is awaited. The balance as on 31.03.2025 is Rs.2,60,45,655/- including interest accrued. No expenditure is incurred in current financial year.

v. NFDB Fund (Assistance to Hatcheries)

Scheme for providing the financial assistance for establishing Diversified Aquaculture Species Hatcheries by Private/Govt. entrepreneurs by availing technical know-how from MPEDA-RGCA. Fund balance as on 01.04.2024 was Rs. 1,17,41,400/- and Balance as on 31.03.2025 is Rs.1,25,60,427/- (including accrued interest of Rs.8,19,027/-).

vi. Fund received from Paradeep Port Authority For NETFISH

MPEDA received a Fund of Rs.26,20,000/- received from Paradeep Port Authority for conducting Skill



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

पोर्ट अथॉरिटी से एमपीईडीए-नेटफिश द्वारा 26,20,000/- रुपये की निधि प्राप्त हुई, जिसे नेटफिश को हस्तांतरित कर दिया गया है, 31.03.2025 तक अंत शेष शून्य है।

vii. खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

एमपीईडीए को चालू वित्त वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से एलिसा लैब बापटला के लिए रु 9,44,577 प्राप्त हुए। इसे अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान के अंतर्गत माना जाता है। चूंकि यह राशि इस उद्देश्य के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति के बनाम प्राप्त हुई है, इसलिए इसे अन्य अनुदान के अंतर्गत माना जाता है।

viii. निधि - एनएसपीएएडी - आईसीएआर परियोजना

वर्ष के दौरान, 'जलीय पशु रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम' के लिए आईसीएआर-एनबीएफसीआर से 63,24,000/- रुपये प्राप्त हुए। 46,66,456/- रुपये का व्यय हुए और 42,142/- रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। 31.03.2025 तक पीएफएमएस में सीएसएनए मोड के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन 41,03,641/- रुपये है।

4. चालू संपत्तियाँ

सीएंडएजी की लेखापरीक्षा सलाह के अनुसार, सीलैब से देय रु 3,26,04,686/- की बकाया राशि को चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत संदिग्ध ऋण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

5. स्थायी संपत्तियाँ

क) स्थाई परिसंपत्तियों के अर्जन को उनकी लागत के साथ-साथ अर्जन या निर्माण के लिए आकस्मिक या आनुषंगिक रूप में उपगत व्यय के साथ लेखा बहियों में रिकार्ड किया जाता है। मूल्यहास को रिटन डाउन वैल्यू (डब्ल्यू डी वी) पद्धति के अन्तर्गत लेखाओं में दर्जा किया जाता है। मूल्यहास का प्रावधान परिसंपत्तियों के अर्जन की तिथि से आनुपातिक रूप से किया गया है। संगठनों द्वारा मूल्यहास की दर नियत की जाती है तथा स्थाई परिसंपत्तियों के संभावित उपयोग/जीवनकाल के आधार पर डब्ल्यूडीवी के तहत प्रभावित की जाती है। सभी संपत्तियां उपयुक्त जीएसटी घटक को छोड़कर पूंजीकृत हैं।

ख) "भूमि (अनुसूची 8) में कौशल्यागंगा में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए ओडिशा सरकार के मत्स्य पालन विभाग से लीज होल्ड के आधार पर अधिग्रहित 50 सेंट भूमि शामिल है। इसके लिए दो किस्तों में रु 34,78,750/- का भुगतान किया गया। इस भूमि में आंध्र प्रदेश सरकार से अंबापुरम, नेल्लोर में ली गई 45 सेंट भूमि भी शामिल है। जून 2020 को डीपीआईआईटी से एक रुपए की राशि के लिए पनवेल में एमपीईडीए को नमक भूमि आवंटित की गई थी।

ग) एमपीईडीए की परिसंपत्तियों में "आरजीसीए-एमएसी द्वारा धारित परिसंपत्तियां शामिल हैं जो आरजीसीए और एमपीईडीए के बीच समझौते की शर्तों का अनुपालन करती हैं। एमपीईडीए आरजीसीए-एमएसी में बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के विकास के लिए निधि प्रदान करता है और खरीदी गई परिसंपत्तियां एमपीईडीए के नाम पर रखी जाती हैं।

ग) वर्ष के दौरान निपटान की गई पुरानी परिसंपत्तियों से रु1,90,774/-प्राप्त हुए। निपटान की तारीख के अनुसार निपटान की गई परिसंपत्तियों का बही मूल्य रु 5,03,624/- था। पुरानी परिसंपत्तियों की बिक्री पर रु3,12,850/- की हानि अनुसूची 18 में दिखाया गया है।

ड) अनुसूची-8 में दर्शाई गई अन्य परिसंपत्तियों में विशिष्ट परिसंपत्ति शीर्षों के अलावा अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिसमें ऑडियो-वीडियो सिस्टम, बैटरी और यूपीएस आदि की खरीद शामिल है।

च) भीमावरम में कार्यालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए हिसाब में ली गई रु. 15,13,49,394/- की परिसंपत्ति कार्य प्रगति पर है।

6. जमा-सामान्य

सामान्य जमा में 2,29,00,935/- रुपये की सामान्य जमा और 1,42,69,507/- रुपये का साख पत्र जमा (उपार्जित ब्याज सहित) शामिल है।

Development Training for fishers in Odisha by MPEDA-NETFISH same is transferred to NETFISH. Closing balance as on 31.03.2025 is Nil.

vii. Setting up of Food Testing Laboratory - MOFPI

MPEDA received Rs.9,44,577/- from MOFPI during the current financial year towards Elisa lab Bapatla, same is considered under the Grant received from Other Institutions. As the same is received against the reimbursement of Expenditure for the purpose, same is considered under the grant others.

viii. Funds - NSPAAD - ICAR Project

During the year Rs. 63,24,000/- was received from ICAR- NBFCR towards "National Surveillance Programme on Aquatic Animal Diseases". The expenditure of Rs. 46,66,456/- was incurred and the interest received were Rs.42,142/-. The available allocation under CSNA mode in PFMS as on 31.03.2025 is Rs. 41,03,641/-.

4. CURRENT ASSETS

The outstanding amount of Rs. 3,26,04,686/- due from Sealab has been reclassified as doubtful debts under current assets, as per the C&AG audit advice.

5. FIXED ASSETS

- a) Fixed Assets are recorded in the books of accounts at its cost of acquisition together with expenditure incurred incidental or ancillary to acquisition or construction. Depreciation has been charged in the Accounts under Written Down Value (WDV) method. Depreciation has been provided proportionately on assets from the date of its acquisition. Rate of depreciation is fixed by the organization and charged under WDV basis, based on the expected utilization/life time of the fixed assets. All assets are capitalised exclusive of eligible GST component.
- b) The Land (Schedule 8) includes 50 cents of land on lease hold basis acquired from Fisheries Department; Govt. of Odisha for setting up of QC Lab at Kausalyaganga. Rs 34,78,750/- was paid for the same in two installments. The land also includes 45 cents of land in Ambapuram, Nellore from Govt. of Andhra Pradesh on alienation. Salt land was allotted to MPEDA in Panvel for an amount of Rs.1/- from DPIIT on June 2020.
- c) Assets of MPEDA includes assets held by RGCA-MAC complying with the terms of agreement between RGCA and MPEDA. MPEDA provides Fund for development of Infrastructure facilities at RGCA-MAC and assets bought are held in the name of MPEDA.
- d) During the year old assets disposed off realized Rs.1,90,774/-. Book value of disposed assets as on the date of disposal was Rs. 5,03,624/- . The loss incurred on sale of old assets of Rs. 3,12,850/- is shown in Schedule 18 .
- e) Other Assets disclosed in the Schedule -8 includes the assets other than specific asset heads, it comprises of purchase of audio-video systems, batteries and UPS etc.
- f) The Assets Work in Progress of Rs. 15,13,49,394/- is the amount accounted for the construction of office complex at Bhimavaram.

6. DEPOSITS- GENERAL

Deposits General includes General deposits of Rs. 2,29,00,935/- and the deposit for Letter of credit of Rs. 1,42,69,507/- (with accrued interest).



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

7. दिनांक 31.03.2025 को चिह्नित/स्थाई निधि निवेश

निधियों का ब्यौरा तथा निवेश का पैटर्न नीचे संक्षेप में गया है:

क्रम सं.	निधि	राशि	निवेश	राशि		
1.	क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर निधि	निधि	250,000.00	संयुक्त उद्यम के शेयरों में निवेश	250,000.00	
2.	इक्विटी भागीदारी योजना	निधि	126,132,932.00	(1) इक्विटी शेयरों में निवेश	54,700,700.00	
				(2) सावधि जमा-एसबीआई	56,622,434.00	
				(3) चालू खाता-एसबीआई	14,809,798.00	
कुल			126,132,932.00	कुल	126,132,932.00	
3.	जीपीएफ	निधि	89,018,204.00	(1) सावधि जमा-यूनियन बैंक	75,735,141.00	
				देयता	(2) खजाना	682,802.00
					(3) एसबीआई के साथ एसबी खाता	18,725,869.00
कुल			95,143,812.00	कुल	95,143,812.00	
4.	भारतीय कृषि अनुसंधान निधि (एमपीआरएनएल)	निधि	1,057,379.00	एसबीआई में चालू खाता	1,057,379.00	
5.	मत्स्यन यानों के प्रतिस्थापन के लिए निधि	निधि	1,030,944.00	सावधि जमा-एसबीआई	1,030,944.00	
6.	यू एन सी टी ए डी	निधि	165,371.00	सावधि जमा-एसबीआई	165,371.00	
7.	आईआईएसएस प्रदर्शनी निधि	निधि	117,610,312.00	आईआईएसएस-सावधि जमा	105,017,448.00	
				देयता	आईआईएसएस-बैंक शेष	6,840,098.00
					अन्य चालू संपत्तियां/अग्रिम	6,671,572.00
कुल			118,529,118.00	कुल	118,529,118.00	
8.	एक्वा अक्वेरिया प्रदर्शनी निधि	निधि	22,638,061.00	एएआई सावधि जमा	24,232,315.00	
				देयता	एएआई बैंक	507,036.00
					अन्य चालू संपत्तियां/अग्रिम	44,066.00
कुल			24,783,417.00	कुल	24,783,417.00	
9.	पीएमएनआर निधि	निधि	26,045,655.00	एसबीआई में सावधि जमा	26,045,655.00	
10.	एनएफडीबी (हैचरी सहायता के लिए निधि)	निधि	12,560,427.00	एसबीआई में सावधि जमा	12,560,427.00	
11.	एनएसपीएएडी निधि - आईसीएआर परियोजना	निधि	4,103,641	बैंक शेष	4,103,641	

7. Earmarked/Endowment Fund Investments-as on 31.03.2025

Break up of Funds and the pattern of Investment is briefly stated below:

SI No	Fund		Amount	Investment	Amount		
1.	Critical infrastructure Fund	Fund	250,000.00	Invested in shares of joint venture	250,000.00		
2.	Equity Participation Scheme	Fund	126,132,932.00	(1) Invested in Equity Shares	54,700,700.00		
				(2) Fixed Deposit - SBI	56,622,434.00		
				(3) Current Account - SBI	14,809,798.00		
Total			126,132,932.00	Total	126,132,932.00		
3.	GPF	Fund	89,018,204.00	(1) Fixed Deposit - Union Bank	75,735,141.00		
				Liability	6,125,608.00	(2) Treasury	682,802.00
			(3) SB Account with SBI			18,725,869.00	
Total			95,143,812.00	Total	95,143,812.00		
4.	Indian Agriculture Research Fund (MPRNL)	Fund	1,057,379.00	Current Account at SBI	1,057,379.00		
5.	Fund for Replacement of Fishing Vessel	Fund	1,030,944.00	Fixed Deposit - SBI	1,030,944.00		
6.	UNCTAD	Fund	165,371.00	Fixed Deposit - SBI	165,371.00		
7.	IISS Show Fund	Fund	117,610,312.00	IISS - Fixed Deposit	105,017,448.00		
				Liability	918,806.00	IISS - Bank Balance	6,840,098.00
						Other current assets/Advances	6,671,572.00
Total			118,529,118.00	Total	118,529,118.00		
8.	Aqua aquaria Show Fund	Fund	22,638,061.00	AAI Fixed Deposit	24,232,315.00		
				Liability	2,145,356.00	AAI Bank	507,036.00
			Other current assets/Advances			44,066.00	
Total			24,783,417.00	Total	24,783,417.00		
9.	PMNR Fund	Fund	26,045,655.00	Fixed deposit at SBI	26,045,655.00		
10.	NFDB (Fund for Hatchery Assistance)	Fund	12,560,427.00	Fixed deposit at SBI	12,560,427.00		
11.	NSPAAD Fund-ICAR Project	Fund	4,103,641	Bank Balance	4,103,641		



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

8. दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार स्टॉक व स्पेयर्स का मूल्य रु 1,29,61,086 हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल है

i)	समूल्य प्रकाशन प्रपत्र, लेखन सामग्री एवं स्टैप का स्टॉक	रु. 33,12,957/-
ii)	रसायन का स्टॉक और सदंर्भ मानक	रु. 96,48,129/-
	(स्टॉक और स्पेयर्स का मूल्यांकन लागत पर किया गया है)	रु. 1,29,61,086/-

9. हर वर्ष एम पी ई डी ए उस वर्ष विशेष के लिए कर्मचारियों को पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का खर्च उठाने के लिए बजट प्रावधान करता है तथा व्यय की पूर्ति मंत्रालय व आई ई बी आर द्वारा जारी की गई निधियों से की जाती है। इसके अलावा, वर्ष 2009-10 से कर्मचारियों को देय सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर 31.03.2025 को कर्मचारियों को देय वर्ष 2024-25 सेवानिवृत्ति लाभ बही खातों (आय और व्यय खाता और बैलेंस शीट) में प्रदान किया गया है। सेवानिवृत्ति/सेवान्त हितलाभ के लिए कोई अलग आरक्षित निधि नहीं है। प्रतिबद्धताएं सरकार द्वारा विशिष्ट प्रयोजन के लिए जारी की गई निधियों के अधीन हैं।

विवरण	(राशि रु.में)
अधिर्वर्षिता एवं अन्य सेवांत लाभ	2,872,003,908
उपदान	131,149,390
अवकाश नकदीकरण	116,465,476
कुल	3,119,618,774
आय एवं व्यय खाते में समायोजन (चालू वर्ष)	146,910,184
आय और व्यय खाते में समायोजन (गत वर्ष)	218,184,206
तुलन-पत्र में समायोजन	2,754,524,384

10. वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मेलों के सह-प्रतिभागियों (निर्यातकों) से स्टाल किराया और स्टाल किराया अग्रिम के रूप में प्राप्त सभी आय को रसीद के आधार पर दर्ज किया जाता है और अनुसूची 14 के तहत दिखाया जाता है।
11. आईईबीआर से की गई जमाराशियों पर अर्जित ब्याज विभागीय प्राप्तियों के अंतर्गत लिया जाता है। स्थापना व्यय के लिए मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के साथ विभागीय प्राप्तियों का उपयोग स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। विशिष्ट निधियों से की गई जमाराशियों पर अर्जित / प्राप्त ब्याज को विशिष्ट निधियों में जमा किया जाता है।
12. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, वाणिज्य विभाग (डीओसी) से प्राप्त अनुदानों पर अर्जित रु. 8,01,987/- की ब्याज राशि भारत की संचित निधि में अंतरित की जा सकेगी। इस राशि में से रु. 4,03,864/- जमा कर दिए गए हैं, जबकि 31/03/2025 तक रु. 3,98,123/- देय हैं।
13. अनुदानों, सब्सिडी पर व्यय (अनुसूची 22) में स्थापना / प्रशासन और परिसंपत्तियों के अर्जन पर योजना व्यय सम्मिलित नहीं है।
14. डीसीपीएस का रु1,22,47,114/-का योगदान इस श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए अंशदायी पेंशन योजना - एनपीएस में नियोक्ता के योगदान को दर्शाता है। इस श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन अ डीए का 14% नियोक्ता का योगदान होगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सभी बकाया स्वीकृत फंड मैनेजर खाते (एक्सिस बैंक) में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।
15. एएमसी अनुबंध और बीमा से संबंधित भुगतान आमतौर पर एक वर्ष के लिए होता है और अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित खर्चों का हिस्सा पूर्व भुगतान के रूप माना जाता है।
16. वर्ष 2024-25 के लिए एएमसी, टेलीफोन और इंटरनेट, किराया, दरें और कर, मानव संसाधन विकास व्यय, जनशक्ति सेवाएं, मुद्रण और लेखन सामग्री, यात्रा भत्ता, विविध और प्रशासन जैसे शेष खर्चों को बकाया व्यय के रूप में शामिल किया गया था।

8. Stock and Spares as on 31.03.2025 is Rs.1,29,61,086/- includes:-

i)	Stock of priced publication, forms, Stationary & Stamp	Rs. 33,12,957/-
ii)	Stock of Chemicals & reference standards	Rs. 96,48,129/-
	(Stock and spares are valued at cost)	Rs.1,29,61,086/-

9 Every year MPEDA makes Budget provision for meeting Pension and other retirement benefits to the staff for that particular year and the expenditure is met from the funds released by the Ministry and IEBR funds. In addition to this, the retirement benefits payable to employees have been provided on actuarial valuation basis from 2009-10 onwards. Based on the Actuarial Report for the year 2024-25 retirement benefits payable to employees as on 31.03.2025 has been provided in the books of accounts (Income and Expenditure Account and Balance sheet). There is no separate reserve fund for retirement/terminal benefits. The commitments are subject to release of funds by the Government towards the specific purpose.

Particulars	Amount (Rs.)
Superannuation & Other Retirement Benefit	2,872,003,908
Gratuity	131,149,390
Leave Encashment	116,465,476
Total	3,119,618,774
Adjustment in Income & Expenditure A/C (Current Year)	146,910,184
Adjustment in Income & Expenditure A/C (Previous Years)	218,184,206
Adjustment in Balance Sheet	2,754,524,384

10. All the income received as stall rent and stall rent advance from the co-participants (exporters) of International fairs during the year is accounted on receipt basis and shown under Schedule 14.
11. The interest earned on deposits made out of IEBR is taken under departmental receipts. Departmental receipts along with the Grant received from Ministry for establishment expenses are utilized for meeting establishment expenses. Interest accrued/received on deposits made out of specific funds are credited to the specific funds.
12. During the financial year 2024-25, an interest amount of Rs. 8,01,987/- earned on grants received from the Department of Commerce (DoC) is transferrable to the Consolidated Fund of India. Of this amount, Rs. 4,03,864/- has been deposited, while Rs. 3,98,123/- remains payable as of 31/03/2025.
13. The expenditure on grants, subsidies (Schedule 22) does not include expenditure on establishment / administration and acquisition of assets.
14. DCPS contribution of Rs.1,22,47,114/- refers to contribution of the employer to contributory Pension Scheme - NPS for the benefit of employees falling under the category. Employer contribution will be 14% of the Basic salary + DA of the employees falling under this category. All dues for the FY 2024-25 have been transferred to the approved fund managers account (Axis Bank)
15. The payment relates to AMC Contract and Insurance is usually for one year and the part of expenses related to the next financial year is accounted as Pre-payments.
16. The expenses such as AMC , Telephone & Internet , Rent, rates & taxes, HRD expenses, Manpower services , Printing & Stationery, Travelling Allowance, Miscellaneous and Administration outstanding for the year 2024-25 was accounted as Outstanding Expenses.



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

17. अनुदान/सब्सिडी

- क) नेटफिश को सहायता के रूप में वर्ष के दौरान रु 1,40,00,000/- की राशि वितरित की गई है। नाक्सा की तकनीकी परामर्श प्राप्त करने के लिए सहायता के रूप में रु.55,13,001/- दिए गए। और अनुसंधान एवं विकास गतिविधि के लिए आरजीसीए को रु1,52,00,000/- की सहायता दी गई - (अनुलग्नक 20 देखें)।
- ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वितरित कुल वित्तीय समर्थन /सहायता रु 28,24,77,514/- है। संवितरण को दर्शाने वाली सूची अनुबंध-21 में अलग से संलग्न है। व्यय जो सब्सिडी से संबंधित गतिविधि से संबंधित था लेकिन उसे सीधे वित्तीय सहायता के रूप में नहीं माना जा सकता था, उसे अनुबंध 21 के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- ग) हमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अनुदान के लिए मंत्रालय और उद्योग से 1,35,00,000/- रुपये (अनुसूचित जाति के लिए रु. 1,10,00,000/- और अनुसूचित जनजाति के लिए रु. 25,00,000/-) प्राप्त हुए हैं। इसमें से रु. 1,26,00,000/- क्षेत्रीय प्रभाग कार्यालयों को वर्ष 2024-25 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जारी किए गए हैं (अनुबंध 23 देखें) और रु. 9,00,000/- अनुसूचित जाति श्रेणी के लाभार्थी को नर्सरी पालन इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में जारी किए गए हैं (अनुबंध 21 देखें)।

18. आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एमपीईडीए के आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन रु30,22,30,307/- हैं। इसका ब्यौरा अनुसूची-14 से लेकर अनुसूची-18 तक में दिया गया है।

19. आरजीसीए- एमएसी

एमपीईडीए और आरजीसीए-एमएसी के बीच पट्टा समझौते के अनुसार, आरजीसीए द्वारा एमपीईडीए के एमएसी (मल्टी स्पीशीज अक्वा कल्चर कॉम्प्लेक्स) वल्लारपडोम, केरल के उपयोग के लिए वर्ष के दौरान रु.5,25,000/- का वार्षिक पट्टा भुगतान प्राप्त हुआ है।

20. एक्वा सिस्टम की स्थापना

एक्वा सिस्टम की स्थापना के लिए बेंगलूर के मेसर्स ब्लू अक्वा स्टूडियो के साथ निष्पादित अनुबंध को अनुबंध के अनुसार कार्य निष्पादन में पार्टी की ओर से देरी के कारण एमपीईडीए द्वारा समाप्त कर दिया गया था। संगठन के हितों की रक्षा के लिए, कानूनी कार्रवाई शुरू की गई और मध्यस्थता आदेश एमपीईडीए के पक्ष में था। इसके बाद, एमपीईडीए ने अवार्ड के निष्पादन के लिए बेंगलूर वाणिज्यिक न्यायालय में एक निष्पादन याचिका दर्ज की है।

मेसर्स ब्लू अक्वा स्टूडियो द्वारा मध्यस्थता पंचाट के विरुद्ध मुख्य उप-न्यायालय एर्नाकुलम में दायर याचिका इसके बाद, एमपीईडीए ने पुरस्कार के निष्पादन के लिए बेंगलूर वाणिज्यिक न्यायालय में एक याचिका दायर की खारिज कर दी गई। एमपीईडीए ने मध्यस्थता निर्णय के निष्पादन और मेसर्स ब्लू अक्वा स्टूडियो से पंचाट राशि वसूलने के लिए अतिरिक्त नगर सिविल और सत्र न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय), बेंगलुरु में निष्पादन याचिका दायर की थी। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

21. अधिकांश निवेश अल्पावधि निक्षेपों में किए गए थे।

22. परिसंपत्ति

एमपीईडीए ने दिनांक 07.03.1981 को मुलवुकाड गाँव के वल्लारपाडम में मेसर्स टी स्टेंस एंड कंपनी लिमि., कोयम्बतूर से रु2,81,516/- राशि की जमीन खरीदी। स्वतंत्र विलेख के अनुसार, एमपीईडीए ने कणयन्नूर तालुका, वल्लारपाडम देशम, एर्नाकुलम जिले में 8 एकड़ 91.29 सेंट जमीन खरीदी थी।

लेखापरीक्षा प्रश्न के आधार पर, अध्यक्ष ने जिला के सर्वेक्षण संख्या 877 एर्नाकुलम को भूमि का पुनः सर्वेक्षण करने के लिए एक पत्र लिखा था और 22 और 23 नवंबर 2018 को कनयन्नूर तालुक के सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार, एमपीईडीए, वल्लारपाडम जमीन का मौजूदा माप निम्नानुसार है:

सर्वे किया गया कुल क्षेत्र	03.5546 हेक्टेयर (08.78335 एकड़)
बीटीआर के अनुसार कुल क्षेत्र	03.6070 (08.91275 एकड़)



17. Grants / Subsidies

- a) An amount of Rs.1,40,00,000/- have been disbursed during the year as Assistance to NETFISH. Rs. 55,13,001/- was given as Assistance for availing Technical consultancy of NaCSA & Rs.1,52,00,000/- was given as Assistance to RGCA towards Research and Development activity - (refer Annexure 20).
- b) Total Financial support/ assistance disbursed for the financial year 2024-25 is Rs. 28,24,77,514/-. A list showing disbursement is annexed separately vide Annexure-21. Expenditure which was attributable/ related to subsidy related activity but could not be directly considered as Financial Assistance have been classified under Annexure 21.
- c) We have received Rs.1,35,00,000/- (SC Rs.1,10,00,000/- & ST Rs.25,00,000/-) from MOC&I towards SC/ST Grants . Out of the same Rs. 1,26,00,000/- has been released to Regional Divison Offices for conducting SC/ST programmes during the year 2024-25 (refer Annexure 23) and Rs.9,00,000/- has been released to SC category beneficiary as financial assistance for establishing nursery rearing unit (refer Annexure 21).

18. Internal Extra Budgetary Resources (IEBR)

The Internal Extra Budgetary Resources of MPEDA for the FY 2024-25 is Rs. 30,22,30,307/-. The break up of the same was given in Schedule-14 to Schedule-18.

19. RGCA - MAC

As per the lease agreement between MPEDA & RGCA -MAC for using of MAC (Multi Species Aqua Culture Complex) Vallarpadom, Kerala of MPEDA by RGCA an annual lease payment of Rs. 5,25,000/- has been received during the year.

20. Installation of Aqua System

The agreements executed with M/s Bloo Aqua Studio, Bangalore for installation of Aqua systems was terminated by MPEDA due to delay from party for execution of works as per the agreement. To safeguard the interest of the organization, legal actions were initiated and Arbitration order was in favour of MPEDA. Subsequently, MPEDA filed an Execution Petition at Bangalore Commercial Court for execution of the award.

The petition filed by M/s Bloo Aqua Studio against Arbitration award in the Principal Sub-Court Ernakulam got dismissed. MPEDA had filed an Execution petition at the Additional City Civil and Sessions Judge (Commercial Court), Bengaluru for execution of the Arbitration award and to realize the award amount from M/s Bloo Aqua Studio. The matter is sub judice.

21. Most of the investments were on short term deposits.

22. Asset

MPEDA has purchased a land at Vallarpadam in Mulavukad Village on 07.03.1981 from M/s. T Stanes and Company Ltd., Coimbatore for an amount of Rs. 2,81,516/-. As per title deed, MPEDA purchased 8 acres and 91.29 cents of land in Survey No.877 of Kanayannur Taluk, Vallarpadam Desam in Ernakulam District.

Based on the audit query, Chairman had written a letter to the District Collector, Ernakulam to conduct a resurvey of the land and the survey was conducted on 22nd and 23rd November 2018 by the Survey Department of Kanayannur Taluk. As per the survey, the present measurement of MPEDA Vallarpadam land is detailed below:

Total area as surveyed	03.5546 Hectare (08.78335 Acres)
Total area as per BTR	03.6070 (08.91275 Acres)





एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

जिला कलेक्टर एर्णाकुलम के निदेशानुसार, राजस्व सतर्कता विभाग और सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एर्णाकुलम द्वारा भी जांच की गई। उपर्युक्त एजेंसियों के निदेशानुसार, उप निदेशक (प्रशा.) क्रमशः दिनांक 19.07.2019 एवं 20.07.2019 को जांच के लिए उपस्थित हुए एवं एमपीईडीए की टिप्पणी प्रस्तुत की।

23. जीएसटी / सेवा कर

क) वर्ष के दौरान जीएसटी भुगतान: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभाग को जीएसटी भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:-

विवरण	(राशि रु.में)
कुल जीएसटी	49,790,780.23
आईटीसी के माध्यम से भुगतान	34,794,575.72
नकद भुगतान	14,996,204.51

ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 (अप्रैल 2017- जून 2017) के लिए सेवा कर केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील के पास अपीलाधीन है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन आयुक्त है।

24. पूर्व अवधि समायोजन

चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों को प्रभावित करने वाला कोई पूर्व अवधि समायोजन नहीं है।

25. अचल संपत्तियों और निवेशों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों को वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और बाहरी देनदारियों को उद्दिष्ट निधियों / उपदान निधियों को छोड़कर वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
26. हमने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान व्यापार संवर्धन कार्यालय जापान को 1,56,34,617 येन जारी किए हैं। पिछले वर्ष हमने टीपीओ जापान को 1,26,08,000 येन जारी किए थे।
27. जहां भी आवश्यक हो, आंकड़ों को एक साथ जोड़ दिया गया है तथा बेहतर प्रस्तुति और तुलना के लिए जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

दीपा. ई.वी.
मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ. टी.आर. जिविनकुमार
सचिव

डी.वी. स्वामी भा प्र से
अध्यक्ष



As ordered by the District Collector, Ernakulam, an enquiry was conducted by the Revenue Vigilance as well as the Vigilance and Anti-Corruption Bureau, Ernakulam. As directed by the above Agencies, the Deputy Director (Admn) had appeared before the inquiry on 19.07.2019 and 20.07.2019 respectively and submitted MPEDA's comments.

23. GST /Service Tax

- a) GST payments during the year : GST payment to Department for the financial year 2024-25 is detailed as below:-


Particulars	Amount in Rs.
Total GST	49,790,780.23
Paid through ITC	34,794,575.72
Paid by cash	14,996,204.51

- b) Service Tax for the Financial Year 2017-18 (April 2017- June 2017) is under appeal with Commissioner of Central Taxes & Central Excise Appeal and the matter is sub judice.

24. Prior Period Adjustments

There are no prior period adjustments affecting the current year's financial statements.

25. Assets other than Fixed Assets and Investments are classified as Current Assets. External Liabilities excluding Earmarked Funds/Endowment Funds are classified as Current Liabilities.
26. We have released Yen 1,56,34,617/- to Trade Promotion Office Japan during the financial year 2024-25. Previous year we have released Yen 1,26,08,000/- to TPO Japan.
27. The figures have been clubbed together wherever necessary and previous year has been reclassified wherever necessary for the better presentation and comparison.


Deepa E.V.
Chief Accounts Officer


Dr. T.R. Gibinkumar
Secretary


D.V. Swamy IAS
Chairman



एमपीईडी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

अनुबंध -1- चिह्नित/स्थाई निधि

विवरण	महत्वपूर्ण दुनियादी बोचा निधि	ईपीएस निधि	जीपीएफ निधि	मत्स्यन यान के प्रति- स्थापन के लिए निधि	मत्स्यन यान के प्रति- स्थापन (एमपी आएन एल)	यून सीटी एडी निधि	एनएफ डीबी निधि (जलकृषि बीमा एवं एक्यू एफ का विस्तार)	एनएफ डीबी निधि (आर जी सीए जे हेचरी सहा यता)	निधि अक्वा रिया प्रदर्शनी	पीएम एनआर एफ (प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि)	निधि- एनएस पीए डी - आई सी ए आर परियो जना	नेटफिश के लिए पारा दीप बंदर गाह प्राप्ति से करण से निधि	चालू वर्ष कुल	गत वर्ष कुल
क) निधियों का अथशेष	25,000,000	112,458,993	99,165,055	963,720	1,006,111	154,588	2,334,634	11,741,400	21,389,939	24,405,290	2,403,955	-	301,023,685	305,105,497
ख) निधियों में वृद्धि														
(i) दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,926,000
(ii) निधियों से किए गए निवेशों से आय	-	3,573,939	4,024,078	67,224	-	10,783	22,696	819,027	1,285,233	1,640,365	42,142	-	11,485,487	9,663,113
(iii) अन्य वृद्धियाँ	-	10,000,000	17,976,569	-	1,800,000	-	-	-	-	-	6,324,000	2,620,000	38,820,569	18,854,601
(iv) ब्याज और कानूनी खर्च - ईपीएस योजना		363,238,888											363,238,888	347,746,682
कुल (क)+(ख)	25,000,000	489,371,820	121,165,702	1,030,944	2,806,111	165,371	2,357,330	12,560,427	22,675,172	26,045,655	8,770,097	2,620,000	714,568,629	684,295,893
इ) निम्न के लिए निधियों का उपयोग/ व्यय														
निधियों के उद्देश्य														
i. पूंजी व्यय														
- स्थाई परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (i)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय														
- वेतन, मज़दूरी व भत्ते आदि	-	-	-	-	1,748,732	-	-	-	-	-	4,666,456	-	6,415,188	522,045
- किराया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- प्रावधान / अन्य व्यय/ब्याज और कानूनी खर्च ईपीएस योजना	-	363,238,888	32,147,498	-	-	-	2,357,330	-	37,111	-	-	2,620,000	400,400,827	382,750,163
कुल (ii)	-	363,238,888	32,147,498	-	1,748,732	-	2,357,330	-	37,111	-	4,666,456	2,620,000	406,816,015	383,272,208
कुल (ग) (i+ii)	-	363,238,888	32,147,498	-	1,748,732	-	2,357,330	-	37,111	-	4,666,456	2,620,000	406,816,015	383,272,208
वर्षांत तक निवल शेष (क)+(ख)-(ग)	25,000,000	126,132,932	89,018,204	1,030,944	1,057,379	165,371	-	12,560,427	22,638,061	26,045,655	4,103,641	-	307,752,614	301,023,685

Annexure-1 - Earmarked / Endowment funds

Particulars	Critical Infrastructure Fund	EPS Fund	GPF Fund	Fund for replacement of Fishing Vessel	Indian Agri. Research Fund (MIPRNL)	UNCTAD Fund	NFDB Fund (AQ Insurance & Expansion of AQF)	NFDB Fund (Hatchery assistance RGCA)	Fund-Aqua Aquaria Show	PMNRF (Prime Ministers National Relief Fund)	Funds - NSPAAD - ICAR Project	Fund from Paradeep Port Authority For NETFISH	CURRENT YEAR TOTAL	PREVIOUS YEAR TOTAL
a) Opening balance of the funds	25,000,000	112,458,993	99,165,055	963,720	1,006,111	154,588	2,334,634	11,741,400	21,389,939	24,405,290	2,403,955	-	301,023,665	305,105,497
b) Additions to the funds														
(i) Donations / grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Income from investment made out of funds	-	3,573,939	4,024,078	67,224	-	10,783	22,696	8,19,027	1,285,233	1,640,365	42,142	-	11,485,487	9,663,113
(iii) Other additions	-	10,100,000	17,976,569	-	1,800,000	-	-	-	-	-	6,324,000	2,620,000	38,820,569	18,854,601
(iv) Interest and Legal Expenses - EPS Scheme	-	363,238,888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363,238,888	347,746,682
TOTAL (a)+(b)	25,000,000	489,371,820	121,165,702	1,030,944	2,806,111	165,371	2,357,330	12,560,427	22,675,172	26,045,655	8,770,097	2,620,000	714,568,629	684,295,893
c) Utilisation / Expenditure towards														
Objectives of funds														
I. Capital Expenditure														
- Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (i)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Revenue Expenditure														
- Salaries, Wages and allowances etc	-	-	-	-	1,748,732	-	-	-	-	-	-	-	6,415,188	522,045
- Rent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Administrative expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Provisions / Other Expenses/ Interest and Legal Expenses - EPS Scheme	-	363,238,888	32,147,498	-	-	-	2,357,330	-	37,111	-	-	2,620,000	400,400,827	382,750,163
Total (ii)	-	363,238,888	32,147,498	-	1,748,732	-	2,357,330	-	37,111	-	4,666,456	2,620,000	406,816,015	383,272,208
TOTAL (c) (i + ii)	-	363,238,888	32,147,498	-	1,748,732	-	2,357,330	-	37,111	-	4,666,456	2,620,000	406,816,015	383,272,208
NET BALANCE AS AT THE YEAR - END	25,000,000	126,132,932	89,018,204	1,030,944	1,057,379	165,371	-	12,560,427	22,638,061	26,045,655	4,103,641	-	307,752,614	301,023,685



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

अनुबंध 2 - प्राप्य अग्रिम

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
ई एम डी - मुख्यालय	7,888,896	4,003,766
ई एम डी - क्षेत्रीय केन्द्र, विजयवाडा	40,000	40,000
ई एम डी - क्षेत्रीय प्रभाग, मुम्बई	9,000	9,000
ई एम डी - टीपीओ, नई दिल्ली	9,000	9,000
निक्षेप - प्रतिभूति	8,380,663	9,987,202
पूर्व जमा/अग्रिम - ईपीएस	300,000	400,000
कुल	16,627,559	14,448,968

अनुबंध 3 - सांविधिक देयताएं

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
प्रतिनियुक्ति पर सी जी आई एस/ एल आई सी	16,463	16,343
डी सी पी एस अंशदाई भविष्य निधि वसूली	2,388,974	1,724,700
वेतन कटौती - प्रतिनियुक्ति पर जीपीएफ ऋण वसूली	2,700	2,700
वेतन कटौती - प्रतिनियुक्ति पर सामान्य भविष्य निधि अंशदान (एमपीईडीए को)	48,054	48,054
वेतन कटौती - आयकर	852,202	1,452,900
वेतन कटौती - जीपीएफ ऋण वसूली	417,386	381,440
वेतन कटौती - जीपीएफ अंशदान	816,158	953,008
टीडीएस देय	990,507	1,385,500
जीएस्टी टीडीएस देय	583,553	540,099
कुल	6,115,997	6,504,744



Annexure-2 - Advances Received

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
EMD - Head Office	7,888,896	4,003,766
EMD - RC Vijayawada	40,000	40,000
EMD - RD Mumbai	9,000	9,000
EMD - TPO New Delhi	9,000	9,000
Deposits - Security	8,380,663	9,987,202
Predeposit/Advance - EPS	300,000	400,000
TOTAL	16,627,559	14,448,968

Annexure-3 - Statutory Liabilities

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
CGIS / LIC on Deputaion	16,463	16,343
DCPS Contributory PF Recovery	2,388,974	1,724,700
Salary deductions - GPF Loan Recovery on Deputation	2,700	2,700
Salary deductions - GPF Subscriptions on Deputation (to MPEDA)	48,054	48,054
Salary deductions - Income Tax	852,202	1,452,900
Salary deductions - GPF Loan Recovery	417,386	381,440
Salary deductions - GPF Subscription	816,158	953,008
TDS payable	990,507	1,385,500
GST TDS payable	583,553	540,099
TOTAL	6,115,997	6,504,744



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

अनुबंध 4 - अन्य चालू देयताएं

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
वेतन कटौती - न्यायालय अटैचमेंट	2,761	2,761
वेतन कटौती - केंद्रीय सेवा सहकारी समिति	1,342,360	1,231,694
वेतन कटौती - एल आई सी	180,981	185,375
वेतन कटौती - एम पी ई डी ए उपभोक्ता सोसाइटी	1,800	1,800
वेतन कटौती - एम पी ई डी ए कर्मचारी कल्याण निधि	310,780	273,226
वेतन कटौती - स्टॉफ क्लब अंशदान	4,810	2,860
वेतन कटौती - अर्बन सहकारी समिति	3,790	3,790
वेतन कटौती - एच आर डी	4,858	5,422
वेतन कटौती - प्रतिनियुक्ति पर एचबीए	11,850	11,850
वेतन कटौती - अन्य	1,412,760	1,260,538
वेतन कटौती - वृत्ति कर	13,594	14,594
इंडिया इन्टरनेशनल सीफुड प्रदर्शनी 2022	1,597,410	1,600,674
बकाया व्यय	12,484,630	8,902,767
देय लेखे - अन्य	43,606,252	54,374,501
नाक्सा योजनाएं	162,100	162,100
अ ज - देय	-	3,039,292
अ ज जा - देय	-	887,925
देय पेंशन	16,680,637	17,091,309
देय वेतन - मुख्यालय	11,946,714	10,740,163
देय वेतन - क्षे.प्र.विजयवाडा	4,420	4,420
देय वेतन - क्षे.प्र.नागपट्टिनम	2,913	2,913
देय वेतन - क्षे.प्र.विज़ाग	14,600	9,800
देय वेतन - क्षे.प्र. कोचीन	72,283	52,283
देय वेतन - क्षे.प्र.मुम्बई	10,160	10,160
देय वेतन - प्रयोगशाला, भीमावरम	400	400
देय वेतन - प्रयोगशाला, नेल्लूर	39,200	30,000
देय वेतन - क्षे.प्र.भुवेश्वर	70,000	55,600
देय वेतन - क्षे.प्र.चेन्नई	5,000	5,000
देय वेतन - क्षे.प्र.वलसाड	1,400	-

Annexure-4 - Other Current Liabilities

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Salary deductions - Court Attachment	2,761	2,761
Salary deductions - Central Services Co-op Society	1,342,360	1,231,694
Salary deductions - LIC	180,981	185,375
Salary deductions - MPEDA Consumer Society	1,800	1,800
Salary deductions - MPEDA Employees Welfare Fund	310,780	273,226
Salary deductions - Staff Club Subscription	4,810	2,860
Salary deductions - Urban Co-op Society	3,790	3,790
Salary deductions - HRD	4,858	5,422
Salary deductions - HBA on deputation	11,850	11,850
Salary deductions - Others	1,412,760	1,260,538
Salary deductions - Professional Tax	13,594	14,594
India International Seafood Show 2022	1,597,410	1,600,674
Outstanding expenses	12,484,630	8,902,767
Accounts Payable - Others	43,606,252	54,374,501
NaCSA - schemes	162,100	162,100
SC- Payable	-	3,039,292
ST-Payable	-	887,925
Pension Payable	16,680,637	17,091,309
Salary Payable - Head Office	11,946,714	10,740,163
Salary Payable - RD Vijayawada	4,420	4,420
Salary Payable - RD Nagapattinam	2,913	2,913
Salary Payable - RD Vizag	14,600	9,800
Salary Payable - RD Cochin	72,283	52,283
Salary Payable - RD Mumbai	10,160	10,160
Salary Payable - Lab Bhimavaram	400	400
Salary Payable - Lab Nellore	39,200	30,000
Salary Payable - RD Bhubaneswar	70,000	55,600
Salary Payable - RD Chennai	5,000	5,000
Salary Payable - RD Valsad	1,400	-



एमपीईडीए वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

अन्य चालू देयताएं - जारी.....

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
देय वेतन - उ.क्षे.का. मंगलोर	1,000	-
देय वेतन - क्षे.प्र. मुंबई	2,030	2,238
देय वेतन - उ.क्षे.के, कारवार	600	600
देय वेतन - क्षे.प्र. कोलकाता	1,759	1,783
देय वेतन - क्षे.प्र. वेरावल	2,800	1,600
देय वेतन - उ.क्षे.के, भीमावरम	103,000	76,400
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	312,243	2,785,499
कुल क	90,411,896	102,831,339
वेतन कटौतियां - समूह बीमा योजना	5,076	4,916.00
कुल ख	5,076	4,916.00
कुल	90,406,820	102,826,423

Other Current Liabilities - Continued...

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Salary Payable - SRO Mangalore	1,000	-
Salary Payable - RD Mumbai	2,030	2,238
Salary Payable - SRC Karwar	600	600
Salary Payable - RD Kolkata	1,759	1,783
Salary Payable - RD Veraval	2,800	1,600
Salary Payable - SRC Bhimavaram	103,000	76,400
Leave salary and Pension Contribution	312,243	2,785,499
Total A	90,411,896	102,831,339
Salary deductions - Group Insurance Scheme	5,076	4,916.00
Total B	5,076	4,916.00
TOTAL	90,406,820	102,826,423



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

अनुबंध 5 - ईपीएस - इक्विटी भागीदारी योजना शेयर- लागत पर

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
ईपीएस - अंडमान फिशरीज़ लिमिटेड,पोर्ट ब्लेअर	330,000	330,000
ईपीएस - बे लाइनर्स लिमिटेड, हैदराबाद	2,700,000	2,700,000
ईपीएस - कोरोमन्डल फिशरीज़ लिमिटेड, हैदराबाद	2,475,000	2,475,000
ईपीएस - डी सी एल मारिटेक लिमिटेड, हैदराबाद	3,500,000	3,500,000
ईपीएस - फिशिंग फाल्कन्स लिमिटेड, हैदराबाद	4,900,000	4,900,000
ईपीएस - इन्डो अक्वाटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद	3,600,000	3,600,000
ईपीएस - इंटरग्रेड रूबियन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	3,000,000	3,000,000
ईपीएस - कल्याण सीफूड्स लिमिटेड, हैदराबाद	3,448,000	3,448,000
ईपीएस - किंग इन्टरनेशनल अक्वा मराइन लिमिटेड, कोल्लम	5,000,000	5,000,000
ईपीएस - लक्षद्वीप शिल्पी अक्वा लिमिटेड, कोचीन	3,000,000	3,000,000
ईपीएस - सीफ्रेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (पूर्व में ओशियन बाउंटी लिमिटेड, कोचीन)	440,000	440,000
ईपीएस - ओशियानिक एन्टरप्राइसेस लिमिटेड, भुवनेश्वर	400,000	400,000
ईपीएस - समुदिरा मरीन फार्म्स लिमिटेड	500,000	500,000
ईपीएस - सुदेश सीफूड्स लिमिटेड, मुंबई	3,600,000	3,600,000
ईपीएस - सम्मुरा मारीटाइम ट्रेड्स लिमिटेड, हैराबाद	1,207,700	1,207,700
ईपीएस - सूर्य चक्र सीफूड्स लिमिटेड, हैदराबाद	2,500,000	2,500,000
ईपीएस - सुवर्णा अक्वा फार्म्स लिमिटेड, हैदराबाद	5,000,000	5,000,000
ईपीएस - टेक्नोमिन अक्वा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, विजयवाड़ा	1,600,000	1,600,000
ईपीएस - तिरुमला फुजी टेक लिमिटेड, हैदराबाद	5,000,000	5,000,000
ईपीएस - विजया श्रिम्प फार्म लिमिटेड, हैदराबाद	2,500,000	2,500,000
कुल	54,700,700	54,700,700

अनुबंध 6 - अन्य निवेश

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
निवेश -जीपीएफ	75,735,142	92,489,689
निवेश - ईपीएस	56,622,434	53,048,495
निवेश - एनएफडीबी (अक्वा)	-	2,334,634
निवेश - पीएमएनआरएफ	26,045,655	24,405,290
निवेश - मत्स्यनयान का प्रतिस्थापन	1,030,944	963,720
निवेश - यूएनसीटीएडी	165,371	154,588
निवेश -एनएफडीबी (आरजीसीए हैचरी सहायता)	12,560,427	11,741,400
सावधि जमा - अक्वा अक्वेरिया प्रदर्शनी निधि	24,232,315	21,170,196
कुल	196,392,288	206,308,012

Annexure-5 - EPS - Equity Participation Schemes Shares - at cost

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
EPS - Andaman Fisheries Ltd., Port Blair	330,000	330,000
EPS - Bay Liners Ltd., Hyderabad	2,700,000	2,700,000
EPS - Coromandel Fisheries Ltd., Hyderabad	2,475,000	2,475,000
EPS - DCL Maritech Ltd., Hyderabad	3,500,000	3,500,000
EPS - Fishing Falcons Ltd., Hyderabad	4,900,000	4,900,000
EPS - Indo Aquatics Ltd., Hyderabad	3,600,000	3,600,000
EPS - Integrated Rubian Exports Ltd.	3,000,000	3,000,000
EPS - Kalyan Seafoods Ltd., Hyderabad	3,448,000	3,448,000
EPS - King International Aqua Marine Ltd., Quilon	5,000,000	5,000,000
EPS - Lakshadweep Shilpi Aqua Ltd., Cochin	3,000,000	3,000,000
EPS - Seafresh Exports Ltd. (Formerly Ocean Bounty Ltd, Cochin)	440,000	440,000
EPS - Oceanic Enterprises Ltd., Bhubaneswar	400,000	400,000
EPS - Samudira Marine Farms Ltd.	500,000	500,000
EPS - Sudhesh Seafoods Ltd., Bombay	3,600,000	3,600,000
EPS - Sumura Maritime Trades Ltd., Hyderabad	1,207,700	1,207,700
EPS - Suryachakra Seafoods Ltd., Hyderabad	2,500,000	2,500,000
EPS - Suvarna Aqua Farms Ltd., Hyderabad	5,000,000	5,000,000
EPS - Technomin Aqua Exports Ltd., Vijayawada	1,600,000	1,600,000
EPS - Thirumalaa Fuji Tech Ltd., Hyderabad	5,000,000	5,000,000
EPS - Vijaya Shrimp Farm Ltd., Hyderabad	2,500,000	2,500,000
TOTAL	54,700,700	54,700,700

Annexure-6 - Investment Others

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Investments - GPF	75,735,142	92,489,689
Investments - EPS	56,622,434	53,048,495
Investment - NFDB (Aqua)	-	2,334,634
Investment - PMNRF	26,045,655	24,405,290
Investment - Replacement of fishing vessels	1,030,944	963,720
Investment - UNCTAD	165,371	154,588
Investment - NFDB (Hatchery Assistance RGCA)	12,560,427	11,741,400
Fixed Deposit - Aqua Aquaria Show Fund	24,232,315	21,170,196
TOTAL	196,392,288	206,308,012



अनुबंध - 7 क - नकद शेष

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
मुख्यालय	-	-
व्यापार संवर्धन कार्यालय जापान	80,773	80,714
कुल	80,773	80,714

अनुबंध - 7 ख - अग्रदाय नकद शेष

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
क्षेत्रीय कार्यालय वेरावल	-	422
प्रयोगशाला नेल्लोर	-	627
क्षेत्रीय प्रभाग भुवनेश्वर	-	5
क्षेत्रीय प्रभाग कोच्ची	-	267
क्षेत्रीय प्रभाग मुम्बई	-	-
क्षेत्रीय प्रभाग वलसाड	-	500
क्षेत्रीय प्रभाग चेन्नई	-	-
क्षेत्रीय प्रभाग कोलकाता	-	130
क्षेत्रीय प्रभाग विशाखपट्टनम	-	500
उप क्षेत्रीय प्रभाग भीमावरम	-	420
उप क्षेत्रीय प्रभाग मंगलूरु	-	162
उप क्षेत्रीय प्रभाग पोरबंदर	-	385
उप क्षेत्रीय प्रभाग तूत्तीकोरिन	-	1,000
कुल	-	4,418
अनुबंध (7क + 7ख) का योग	80,773	85,132



Annexure-7 A - Cash Balance

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Head Office	-	-
TPO Japan	80,773	80,714
TOTAL	80,773	80,714

Annexure-7 B - Imprest Cash Balance

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
RO Veraval	-	422
Lab Nellore	-	627
RD Bhubaneswar	-	5
RD Cochin	-	267
RD Mumbai	-	-
RD Valsad	-	500
RD Chennai	-	-
RD Kolkata	-	130
RD Vishakapatnam	-	500
SRD Bhimavaram	-	420
SRD Mangalore	-	162
SRD Porbandar	-	385
SRD Tuticorin	-	1,000
TOTAL	-	4,418
Total of Annexure(7 A+ 7B)	80,773	85,132



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

अनुबंध - 8 - बैंक में नकद

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
एक्सिस बैंक	3,266,087	1,181,060
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एरणाकुलम	7,788	7,788
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	8,288	8,288
ट्रेशरी एस बी खाता	682,802	659,067
प्रयोगशाला, भीमावरम	10,675	945,188
प्रयोगशाला, नेल्लोर	12,051	253,574
लक्षद्वीप	9,518	64,285
क्षेत्रीय प्रभाग भुवनेश्वर	10,000	1,250,132
क्षेत्रीय प्रभाग कोचीन	5,042	993,519
क्षेत्रीय प्रभाग मुंबई	15,279	760,079
क्षेत्रीय प्रभाग नागपट्टिनम	4,995	2,184,193
क्षेत्रीय प्रभाग वल्साड	42,682	96,660
क्षेत्रीय प्रभाग विजयवाडा	112,483	2,322,079
क्षेत्रीय प्रभाग चेन्नई	10,000	510,148
क्षेत्रीय प्रभाग कोलकाता	46,323	6,648,835
क्षेत्रीय प्रभाग वेरावल	10,000	535,590
क्षेत्रीय प्रभाग विशाखपट्टनम	52,720	871,461
एसबीआई मुख्यालय (कर 67397839900)	443,283	898,329
एस बी आई, पनपिल्ली नगर	323,349,990	210,787,117
एसबीआई मुख्यालय (रसीद खाता 67396510751)	128,603,082	118,323,145
उप क्षेत्रीय प्रभाग भीमावरम	122,282	1,603,572
उप क्षेत्रीय प्रभाग गुवाहाती	-	28,444
उप क्षेत्रीय प्रभाग काविकनडा	14,011	-
उप क्षेत्रीय प्रभाग मंगलूरु	5,193	644,438
उप क्षेत्रीय प्रभाग पोरबंदर	10,000	713,779
उप क्षेत्रीय प्रभाग तूत्तीकोरिन	10,978	314,003
व्यापार संवर्धन कार्यालय, जापान	1,058,629	76,240
व्यापार संवर्धन कार्यालय, नई दिल्ली	10,500	286,829
व्यापार संवर्धन कार्यालय, न्यूयॉर्क	1,141,705	1,141,705
उप क्षेत्रीय प्रभाग हैदराबाद	-	212,244
व्यापार संवर्धन कार्यालय, जापान (डॉलर खाता)	105,668	101,613
आरबीआई ट्रेजरी एकल खाता (टीएसए -1003)	-	-
केंद्रीय नोडल खाता (एक्सिस-5377)	398,123	882,210

Annexure-8 - Cash at Bank

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Axis Bank	3,266,087	1,181,060
Central Bank of India - Ernakulam	7,788	7,788
Central Bank of India - New Delhi	8,288	8,288
Treasury SB A/c	682,802	659,067
Lab Bhimavaram	10,675	945,188
Lab Nellore	12,051	253,574
Lakshadweep	9,518	64,285
RD Bhubaneswar	10,000	1,250,132
RD Cochin	5,042	993,519
RD Mumbai	15,279	760,079
RD Nagapattinam	4,995	2,184,193
RD Valsad	42,682	96,660
RD Vijayawada	112,483	2,322,079
RD Chennai	10,000	510,148
RD Kolkata	46,323	6,648,835
RD Veraval	10,000	535,590
RD Visakhapatnam	52,720	871,461
SBI HO (Tax 67397839900)	443,283	898,329
SBI Panampilly Nagar	323,349,990	210,787,117
SBI HO (Receipt A/c 67396510751)	128,603,082	118,323,145
SRD Bhimavaram	122,282	1,603,572
SRD Guwahati	-	28,444
SRD Kakkinada	14,011	-
SRD Mangalore	5,193	644,438
SRD Porbandar	10,000	713,779
SRD Tuticorin	10,978	314,003
TPO Japan	1,058,629	76,240
TPO New Delhi	10,500	286,829
TPO New York	1,141,705	1,141,705
SRD Hyderabad	-	212,244
TPO Japan (Dollar account)	105,668	101,613
RBI Treasury Single Account (TSA -1003)	-	-
Central Nodal Account (Axis-5377)	398,123	882,210



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

अनुबंध - 8 - बैंक में नकद - जारी.....

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
बैंक-एनएसपीएएडी (आईसीएआर) एसबीआई 8634	-	2,440,264
एलिसा लैब बापट्ला 3024	2,419,452	1,474,875
एलिसा लैब कोन्टै 8238	1,224,550	1,224,550
एलिसा लैब हरोआ 6489	1,551,825	1,551,825
एस बी टी, (एमईपीएफ बीमांकिक मूल्यांकन)	19,899	18,832
आई आई एस एस प्रदर्शनी निधि	6,840,098	23,487,321
अक्वा अक्वेरिया प्रदर्शनी निधि	507,036	2,321,033
एसबी खाता जीपीएफ	18,725,869	12,141,907
कुल	490,868,904	399,966,222

अनुबंध -9 ऋण, अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
कर्मचारी		
अग्रिम - कंप्यूटर	75,780	102,514
अग्रिम - गृह निर्माण	-	-
अग्रिम - मोटर कार	-	-
अग्रिम - स्कूटर	-	-
अग्रिम - साइकिल	-	-
अग्रिम - त्योहार	-	-
अग्रिम - छुट्टी यात्रा रियायत	107,800	-
अग्रिम - दौरा	75,792	75,792
अग्रिम - स्थानांतरण टीए	1,398,610	-
कुल	1,657,982	178,306

Annexure-8 - Cash at Bank Continued...

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Bank - NSPAAD (ICAR) SBI 8634	-	2,440,264
Elisalab Bapatla 3024	2,419,452	1,474,875
Elisalab Contai 8238	1,224,550	1,224,550
Elisalab Haroa 6489	1,551,825	1,551,825
SBT (MEPF Actuarial Valuation)	19,899	18,832
IISS Show Fund	6,840,098	23,487,321
Aqua Aquaria Show Fund	507,036	2,321,033
SB A/C GPF	18,725,869	12,141,907
TOTAL	490,868,904	399,966,222

Annexure-9 - Loans, Advances & Other Assets

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Staff		
Advances - Computer	75,780	102,514
Advances - House building	-	-
Advances - Motor car	-	-
Advances - Scooter	-	-
Advances - Bicycle	-	-
Advances - Festival	-	-
Advances - LTC	107,800	-
Advances - Tour	75,792	75,792
Advances - Transfer TA	1,398,610	-
TOTAL	1,657,982	178,306



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

अनुबंध - 10 - निक्षेप

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
व्यावसायिक कर (वेतन वसूली के अलावा)	690	690
निक्षेप - विद्युत - मुख्यालय	910,582	910,582
निक्षेप - विद्युत - क्षे.प्र. मुंबई	34,080	34,080
निक्षेप - विद्युत - टीसीए वल्लारपाडम	164,250	164,250
निक्षेप - विद्युत - उ.क्षे.प्र.कण्णूर	212,281	212,281
निक्षेप - विद्युत - प्रयोगशाला, नेल्लूर	44,000	44,000
निक्षेप - विद्युत - प्रयोगशाला, भीमावरम	44,750	44,750
निक्षेप - विद्युत - क्षे.प्र. नागपट्टिनम	24,474	36,474
निक्षेप - विद्युत - क्षे.प्र. वलसाड	94,517	94,517
निक्षेप - विद्युत - उ.क्षे.प्र.भुबनेश्वर	510,989	510,989
निक्षेप - विद्युत - उ.क्षे.प्र.मंगलूरु	64,659	64,659
निक्षेप - विद्युत - उ.क्षे.प्र.भीमावरम	2,010	2,010
निक्षेप - विद्युत - उ.क्षे.प्र.पोरबंदर	45,001	45,001
निक्षेप - गैस - टीसीए वल्लारपाडम	8,900	8,900
निक्षेप - गैस - उ.क्षे.प्र.मैंगलूरु	1,739	1,739
निक्षेप - गैस - मुख्यालय	6,523	6,523
निक्षेप - गैस - क्षेत्रीय प्रभाग, कोच्ची	3,000	3,000
निक्षेप - गैस - क्षे.प्र.विज़ाग	2,550	2,550
निक्षेप - गैस - क्षे.प्र.मुंबई	5,000	5,000
निक्षेप - गैस - उ.क्षे.प्र.भुबनेश्वर	20,000	20,000
निक्षेप - गैस - उ.क्षे.प्र.तूत्तिकोरिन	1,600	1,600
निक्षेप - गैस - क्षे.प्र.नागपट्टिनम	1,850	1,850
निक्षेप - गैस - उ.क्षे.प्र.कण्णूर	5,000	5,000
निक्षेप - पेट्रोल - मुख्यालय	56,160	56,160
निक्षेप - पेट्रोल - क्षेत्रीय प्रभाग, कोच्ची	10,000	10,000
निक्षेप - किराया - मुख्यालय	47,234	47,234
निक्षेप - किराया - उ.क्षे.प्र.भुबनेश्वर	819,485	819,485
निक्षेप - किराया - क्षे.प्र.विज़ाग	175,000	175,000
निक्षेप - किराया - क्षे.प्र.कोलकाता	138,340	138,340
निक्षेप - किराया - क्षे.प्र.वेरावल	30,000	30,000
निक्षेप - किराया - उ.क्षे.प्र.तूत्तिकोरिन	136,100	136,100
निक्षेप - किराया - व्या.सं.का.न्यूयॉर्क	457,600	457,600
निक्षेप - किराया - व्या.सं.का.टोक्यो	1,415,626	1,415,626

Annexure-10 - Deposits

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Professional Tax (other than salary recovery)	690	690
Deposits - Electricity-Head Office	910,582	910,582
Deposits - Electricity-RD Mumbai	34,080	34,080
Deposits - Electricity -TCA Vallarpadom	164,250	164,250
Deposits - Electricity-SRD Kannur	212,281	212,281
Deposits - Electricity-Lab Nellore	44,000	44,000
Deposits - Electricity-Lab Bhimavaram	44,750	44,750
Deposits - Electricity-RD Nagapattinam	24,474	36,474
Deposits - Electricity-RD Valsad	94,517	94,517
Deposits - Electricity-SRD BBSR	510,989	510,989
Deposits - Electricity-SRD Mangalore	64,659	64,659
Deposits - Electricity-SRD Bhimavaram	2,010	2,010
Deposits - Electricity-SRD Porbandar	45,001	45,001
Deposits - Gas-TCA Vallarpadom	8,900	8,900
Deposits - Gas-SRD Mangalore	1,739	1,739
Deposits - Gas-Head Office	6,523	6,523
Deposits - Gas-RD Cochin	3,000	3,000
Deposits - Gas-RD Vizag	2,550	2,550
Deposits - Gas-RD Mumbai	5,000	5,000
Deposits - Gas-SRD BBSR	20,000	20,000
Deposits - Gas-SRD Tuticorin	1,600	1,600
Deposits - Gas-RD Nagapattinam	1,850	1,850
Deposits - Gas-SRD Kannur	5,000	5,000
Deposits - Petrol-Head Office	56,160	56,160
Deposits - Petrol-RD Cochin	10,000	10,000
Deposits - Rent-Head office	47,234	47,234
Deposits - Rent-SRD BBSR	819,485	819,485
Deposits - Rent-RD, Vizag	175,000	175,000
Deposits - Rent-RD, Kolkata	138,340	138,340
Deposits - Rent-RD Veraval	30,000	30,000
Deposits - Rent-SRD Tuticorin	136,100	136,100
Deposits - Rent-TPO New York	457,600	457,600
Deposits - Rent-TPO Tokyo	1,415,626	1,415,626



एमपीईडीए वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

अनुबंध - 10 - निक्षेप - जारी.....

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
निक्षेप - किराया - क्षे.प्र. नागपट्टनम	193,200	193,200
निक्षेप - किराया - व्या.सं.का नई दिल्ली	357,703	357,703
निक्षेप - किराया- क्षे.प्र, मुंबई	151,032	151,032
निक्षेप - किराया- क्षे.प्र, विजयवाडा	52,500	52,500
निक्षेप - किराया- क्षेत्रीय प्रभाग, कोच्ची	191,250	191,250
निक्षेप - किराया- उ.क्षे.प्र गुवाहाती	54,000	54,000
निक्षेप - किराया- प्रयोगशाला, नेल्लूर	235,872	235,872
निक्षेप - किराया- क्षे.प्र, मुंबई	23,352	23,352
निक्षेप - किराया- उ.क्षे.प्र मंगलूरु	7,500	7,500
निक्षेप - टेलिफोन- क्षे.प्र वेरावल	8,900	8,900
निक्षेप - टेलिफोन- क्षे.प्र. वलसाड	10,619	10,619
निक्षेप - टेलिफोन- उ.क्षे.प्र कारवार	220	220
निक्षेप - टेलिफोन- मुख्यालय	39,892	39,892
निक्षेप - टेलिफोन- उ.क्षे.प्र.कण्णूर	4,000	4,000
निक्षेप - टेलिफोन- क्षेत्रीय प्रभाग, कोच्ची	7,530	7,530
निक्षेप - टेलिग्राम- मुख्यालय	-	-
निक्षेप - टेलिग्राम- क्षे.प्र, विजयवाडा	324	324
निक्षेप - अन्य	654,512	654,512
कुल	7,486,396	7,498,396

अनुबंध - 11 - वार्षिक शुल्क / अंशदान

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
एमपीईडीए न्यूज़ लेटर के लिए अंशदान	759,000	955,000
कुल	759,000	955,000



Annexure-10 - Deposits Continued

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Deposits - Rent-RD Nagapattanam	193,200	193,200
Deposits - Rent-TPO New Delhi	357,703	357,703
Deposits - Rent- RD Mumbai	151,032	151,032
Deposits - Rent- RD Vijayawada	52,500	52,500
Deposits - Rent- RD Cochin	191,250	191,250
Deposits - Rent- SRD Guwahati	54,000	54,000
Deposits - Rent- Lab Nellore	235,872	235,872
Deposits - Rent- RD Mumbai	23,352	23,352
Deposits - Rent-SRD Mangalore	7,500	7,500
Deposits - Telephone-RD Veraval	8,900	8,900
Deposits - Telephone-RD Valsad	10,619	10,619
Deposits - Telephone-SRD Karwar	220	220
Deposits - Telephone- Head Office	39,892	39,892
Deposits - Telephone-SRD Kannur	4,000	4,000
Deposits - Telephone-RD Kochi	7,530	7,530
Deposits - Telegram- Head office	-	-
Deposits - Telegram- RD Vijayawada	324	324
Deposits - Others	654,512	654,512
TOTAL	7,486,396	7,498,396

Annexure-11 - Annual Fees/Subscription

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Subscription for MPEDA Newsletter	759,000	955,000
TOTAL	759,000	955,000



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

अनुबंध - 12 - प्रमाणन/नामांकन/सहायता शुल्क

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
पंजीकरण /जीएसपी प्रमाणपत्र/पुनर्वैधीकरण शुल्क	10,662,945	7,398,175
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (आलंकारिक मछली निर्यात)	75,000	79,500
पकड़ प्रमाणन शुल्क	31,499,416	29,107,500
मूल मुद्रण शुल्क का प्रमाणपत्र	255,160	331,589
मूल डाक शुल्क का प्रमाणपत्र	12,250	9,995
डीएस 2031	62,524,768	59,175,000
आईसीसी एटी शुल्क	762,000	952,500
ड्यूटी फ्री प्रमाणपत्र शुल्क आयात	810,000	826,000
आरसीएमसी	735,000	791,000
नॉन रेडियो एक्टिव प्रमाणपत्र शुल्क	1,188,000	1,356,000
मूल शुल्क का प्रमाणपत्र	7,086,727	7,308,961
एक्वा हैचरियों का प्रमाणपत्र	-	802,070
एक्वा फार्म का प्रमाणपत्र	8,000	-
एक्वा हैचरी का प्रमाणपत्र	384,560	-
वित्तीय सहायता शुल्क	3,014,500	1,408,000
फार्म नाकांकन शुल्क	3,940,361	3,436,022
कुल	122,958,687	112,982,312

अनुबंध - 13 - परीक्षण शुल्क

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
वाणिज्यिक नमूना परीक्षण शुल्क	7,513,030	7,645,762
एलिसा लैब परीक्षण शुल्क	39,431,500	38,452,500
कुल	46,944,530	46,098,262



Annexure-12 - Certification/Enrollment/Assistance Fee

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Registration/GSP Certificate/Revalidation Fee	10,662,945	7,398,175
Health certificate (Ornamental Fish Export)	75,000	79,500
Catch Certification Fee	31,499,416	29,107,500
Certificate of Origin Printing Fee	255,160	331,589
Certificate of Origin Postal charges	12,250	9,995
DS 2031	62,524,768	59,175,000
ICC AT Fee	762,000	952,500
Duty Free Certificate Fee- Import	810,000	826,000
RCMC	735,000	791,000
Non Radio Active Certificate Fee	1,188,000	1,356,000
Certificate of Orgin Fee	7,086,727	7,308,961
Certificate of Aqua Hatheries	-	802,070
Certificate of Aqua Farms	8,000	-
Certificate of Aqua Hatchery	384,560	-
Financial Assistance Fee	3,014,500	1,408,000
Farm Enrollment Fee	3,940,361	3,436,022
TOTAL	122,958,687	112,982,312

Annexure-13 - Testing Fees

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Commercial Sample Testing Fee	7,513,030	7,645,762
Elisa Lab Testing Fee	39,431,500	38,452,500
TOTAL	46,944,530	46,098,262



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

अनुबंध - 14 - प्रशिक्षण शुल्क

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
प्रयोगशाला प्रशिक्षण / परियोजना कार्य	30,424	37,802
मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण शुल्क	45,000	2,520,000
हैचरी नामांकन शुल्क	35,000	184,831
एचएसीसीपी प्रशिक्षण शुल्क	2,520,000	2,510,000
जलकृषि प्रशिक्षण शुल्क	1,037,500	-
वेबिनार शुल्क	-	210,000
कुल	3,667,924	5,462,633

अनुबंध - 15 - अन्य शुल्क/आय

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
प्रायोजन शुल्क - स्वर्ण जयंती	475,000	32,949
निविदा शुल्क	5,500	5,000
विश्व खाद्य प्रदर्शनी	390,696	1,479,631
पट्टा किराया - एलिसा लैब्स	-	28,783
स्टॉल किराया (प्रदर्शनियाँ / मेले)	99,366,217	24,757,715
कुल	100,237,413	26,304,078

अनुबंध - 16 - प्रकाशनों से आय

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
अन्य प्रकाशनों की बिक्री	16,057	32,178
सांख्यिकी डेटा	2,145	15,200
एम पी ई डी ए न्यूज़ लेटर में विज्ञापन	817,352	1,039,951
कुल	835,554	1,087,329

अनुबंध - 17 - कर्मचारियों के ऋणों पर अर्जित ब्याज

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
ब्याज - मकान किराया अग्रिम	64,964	100,393
ब्याज - कंप्यूटर अग्रिम	13,777	17,055
ब्याज - स्कूटर अग्रिम	-	-
ब्याज - मोटर कार अग्रिम	24,852	24,852
कुल	103,593	142,300

Annexure-14 - Training Fees

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Lab Training /Project Work	30,424	37,802
Value Addition Training Fee	45,000	2,520,000
Hatchery Enrollment Fee	35,000	184,831
HACCP Training Fee	2,520,000	2,510,000
Aqua culture Training fees	1,037,500	-
Webinar Fee	-	210,000
TOTAL	3,667,924	5,462,633

Annexure-15 - Other Fees/Income

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Sponsorship Fee - Golden jubilee	475,000	32,949
Tender fees	5,500	5,000
World Food Show	390,696	1,479,631
Lease Rent - ELISA Labs	-	28,783
Stall Rent (Exhibitions / Fairs)	99,366,217	24,757,715
TOTAL	100,237,413	26,304,078

Annexure-16 - Income from Publications

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Sale of other Publications	16,057	32,178
Statistics Data	2,145	15,200
Advertisement in MPEDA Newsletter	817,352	1,039,951
TOTAL	835,554	1,087,329

Annexure-17 - Interest Earned on Loans to Employees

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Interest - House Building Advance	64,964	100,393
Interest - Computer Advance	13,777	17,055
Interest - Scooter Advance	-	-
Interest - Motor Car Advance	24,852	24,852
TOTAL	103,593	142,300



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

अनुबंध - 18 - विविध आय (किराये की आय सहित)

(राशि रु.में)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
आय - मकान किराया	444,916	5,946,896
आय - विभागीय एवं विविध प्राप्तियाँ	3,475,834	4,003,869
आय - सूचना का अधिकार अधिनियम	280	90
कुल	3,921,030	9,950,855

अनुबंध - 19 - अन्य व्यय

(राशि रु.में)

विवरण	चालू वर्ष (2024-25)			गत वर्ष (2023-24)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
बैंक प्रभार	271,221	911,822	1,183,042	307,842	969,609	1,277,451
राजभाषा कार्यान्वयन	93,443	212,322	305,765	45,121	317,659	362,780
विविध प्रशा. व्यय	4,107,136	7,353,172	11,460,308	1,953,476	8,268,383	10,221,859
किताबें और अवधिक पत्रिकाएं	76,670	359,556	436,225	71,961	349,178	421,139
छुट्टी यात्रा रियायत	-	1,318,244	1,318,244	-	1,987,120	1,987,120
चिकित्सा दावा	-	3,191,651	3,191,651	-	3,844,235	3,844,235
सदस्यता शुल्क	-	7,000	7,000	7,375	1,000	8,375
अन्य व्यय	-	7,775,207	7,775,207	-	7,954,404	7,954,404
ड्रोन सर्वे व्यय	16,963,151	-	16,963,151	17,029,801	-	17,029,801
वृत्तिक शुल्क	-	2,796,076	2,796,076	4,275,446	3,586,375	7,861,821
प्रशिक्षण कार्यक्रम	7,652,484	1,238,079	8,890,563	7,671,930	2,032,934	9,704,864
एचआरडी व्यय/ प्रशिक्षुओं के लिए स्टाइपेंड	3,824,357	6,675,448	10,499,805	1,246,607	2,415,691	3,662,298
जन शक्ति सेवाएं	29,192,764	36,154,061	65,346,825	39,620,988	26,261,395	65,882,383
अभियान और कार्यक्रम	4,607,751	32,840	4,640,591	60,524	119,646	180,169
स्वर्ण जयंती	-	500,000	500,000	-	5,174	5,174
मानदेय	-	39,000	39,000	-	63,155	63,155
एचएसीसीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	1,144,743	1,144,743	-	1,359,507	1,359,507
शफरी प्रमाणन	-	790,240	790,240	-	846,623	846,623
स्वच्छ भारत	-	408,133	408,133	-	3,231,568	3,231,568
कुल	66,788,976	70,907,595	137,696,571	72,291,071	63,613,654	135,904,725

Annexure-18 - Miscellaneous Income (including Rental Income)

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Income - Building Rent	444,916	5,946,896
Income - Departmental & Misc. Receipts	3,475,834	4,003,869
Income - Right to Information Act	280	90
TOTAL	3,921,030	9,950,855

Annexure-19 - Other Expenses

(Amount in Rs.)

Particulars	Current year (2024-25)			Previous Year (2023-24)		
	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
Bank Charges	271,221	911,822	1,183,042	307,842	969,609	1,277,451
Hindi Implementation	93,443	212,322	305,765	45,121	317,659	362,780
Misc. Admn. Expenses	4,107,136	7,353,172	11,460,308	1,953,476	8,268,383	10,221,859
Books & Periodicals	76,670	359,556	436,225	71,961	349,178	421,139
Leave Travel Concession	-	1,318,244	1,318,244	-	1,987,120	1,987,120
Medical Claim	-	3,191,651	3,191,651	-	3,844,235	3,844,235
Membership Fee	-	7,000	7,000	7,375	1,000	8,375
Other Expenses	-	7,775,207	7,775,207	-	7,954,404	7,954,404
Drone Survey Expenses	16,963,151	-	16,963,151	17,029,801	-	17,029,801
Professional charge	-	2,796,076	2,796,076	4,275,446	3,586,375	7,861,821
Training Programme	7,652,484	1,238,079	8,890,563	7,671,930	2,032,934	9,704,864
HRD expenses/Stipend to Trainees	3,824,357	6,675,448	10,499,805	1,246,607	2,415,691	3,662,298
Manpower Services	29,192,764	36,154,061	65,346,825	39,620,988	26,261,395	65,882,383
Campaigns & Events	4,607,751	32,840	4,640,591	60,524	119,646	180,169
Golden Jubilee	-	500,000	500,000	-	5,174	5,174
Honorarium	-	39,000	39,000	-	63,155	63,155
HACCP Training Programme	-	1,144,743	1,144,743	-	1,359,507	1,359,507
SHAPHARI Certification	-	790,240	790,240	-	846,623	846,623
Swachh Bharat	-	408,133	408,133	-	3,231,568	3,231,568
TOTAL	66,788,976	70,907,595	137,696,571	72,291,071	63,613,654	135,904,725



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

अनुबंध - 20 - अन्य अनुदान

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए) के माध्यम से जलीय प्रजातियों के अनुसंधान और विकास के लिए सहायता	15,200,000	78,000,000
राष्ट्रीय चिरस्थायी जलकृषि केंद्र (नाक्सा) के माध्यम से क्लस्टर विकास हेतु सहायता	5,513,001	39,500,000
मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन और चिरस्थायी मत्स्यन केलिए नेटवर्क (नेटफिश) के माध्यम से विस्तार और जागरूकता कार्यकलाप तथा प्रशिक्षण के लिए सहायता	14,000,000	19,100,000
कुल	34,713,001	136,600,000

अनुबंध - 21 - वित्तीय सहायता

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
मूल्य वर्धित उत्पाद विकास के लिए समर्थन	251,848,742	55,531,280
शीत भंडारण विकास के लिए समर्थन (सीएसडी)	19,250,000	25,810,000
निर्यातोन्मुख मछली प्रबंधन केन्द्रों के लिए समर्थन - शीतित/सूखा	3,508,772	5,225,364
रोगमुक्त और सुरक्षित श्रिम्प उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता	600,000	6,934,002
मिनिलैब की स्थापना के लिए सहायता	-	-
प्रक्रिया स्वचालन के लिए समर्थन (एसपीए)	5,000,000	4,103,995
विविध जलकृषि और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता	1,370,000	8,955,470
अनुसूचित जाति श्रेणी के लाभार्थी को नर्सरी पालन इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता	900,000	-
कुल	282,477,514	106,560,111

Annexure-20 - Other Grants

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Assistance for the Research and development of aquatic species through Rajiv Gandhi Centre for Aqua Culture (RGCA)	15,200,000	78,000,000
Assistance for forming cluster development through National Centre for Sustainable Aqua Culture (NaCSA)	5,513,001	39,500,000
Assistance for the extension and awareness activities, training through Network for Fish Quality Management & Sustainable Fishing (NETFISH)	14,000,000	19,100,000
TOTAL	34,713,001	136,600,000

Annexure-21 - Financial Assistance

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Support for Value Added Product Development	251,848,742	55,531,280
Support for Cold Storage Development (CSD)	19,250,000	25,810,000
Support for export Oriented Fish handling centers - Chilled/ Dried	3,508,772	5,225,364
Financial Assistance for the Promotion of Disease Free and Safe Shrimp Production	600,000	6,934,002
Assistance for Establishment of Mini Lab	-	-
Support for Process Automation (SPA)	5,000,000	4,103,995
Financial Assistance for the Promotion of Diversified Aquaculture and Capacity Building	1,370,000	8,955,470
Financial Assistance for establishing nursery rearing unit to SC category beneficiary	900,000	-
TOTAL	282,477,514	106,560,111



अनुबंध - 22 - अनुदान/वित्तीय सहायता पर व्यय

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
क. अनुदान/वित्तीय सहायता पर व्यय		
बाजार संवर्धन/व्यापार मेले व अन्य व्यय	181,373,693	160,504,738
प्रयोगशाला व्यय (संदर्भ मानक, रसायन और ग्लासवेअर)	2,933,954	7,275,401
व्यय - एलीसा किट	5,824,575	10,369,820
व्यय - विविध/तकनीकी उपभोज्य वस्तुएं	3,544,241	3,634,239
व्यय - एनआरसीपी	6,420,172	3,717,328
व्यय - प्रदर्शन गतिविधियाँ (अक्वा)	259,515	400,130
कुल	200,356,150	185,901,655

टिप्पणी 1. अन्य व्यय में अनुदान, सब्सिडी व स्थापना व्यय को छोड़कर योजना के अन्तर्गत किए गए सभी व्यय शामिल हैं।

अनुबंध - 23 - अ.जा/अ.ज.जा निधि

(राशि रु.में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
अ.जा कल्याण	10,100,000	18,000,000
अ.ज.जा कल्याण	2,500,000	5,000,000
कुल	12,600,000	23,000,000



Annexure-22 - Expenditure on Grants/Financial Assistance

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
A. Expenditure on Grants/Financial Assistance		
Market Promotion, Trade Fairs and Other Expenses	181,373,693	160,504,738
Lab Expenses (Reference standards, Chemicals & Glasswares)	2,933,954	7,275,401
Expenses - Elisa kits	5,824,575	10,369,820
Expenses - Miscellaneous /Technical Consumables	3,544,241	3,634,239
Expenses - NRCP	6,420,172	3,717,328
Expenses - Demonstration Activities (Aqua)	259,515	400,130
TOTAL	200,356,150	185,901,655

Note 1. Other Expenses include all expenses incurred under Scheme except Grants, Subsidies & Establishment exp.

Annexure -23 - SC ST Fund

(Amount in Rs.)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
SC Welfare	10,100,000	18,000,000
ST Welfare	2,500,000	5,000,000
TOTAL	12,600,000	23,000,000

अनुबंध - 24 - एसाइड योजना के तहत प्राप्त एवं प्रयुक्त अनुदान

(राशि रु. में)

क्रम सं	परियोजना	एसाइड से अंशदान	सरकार से प्राप्त राशि (एसाइड)	एमपीईए प्राप्त अंशदान	एसईएआई से प्राप्त अंशदान	एनएफडीबी का अंशदान	कुल परियोजना लागत	उपयोग की गई राशि	वापस की गई राशि	निधियों से सृजित परिसंपत्ति	अभ्युक्तियां
1	सीलैब, अरुन का उन्नयन	225.00	225.00	75.00			300.00	282.56	17.44	'स्थायी परिसंपत्ति - प्रयोगशाला उपकरण'	पूरा किया गया और एसई एआई को सौंपा गया
2	क) सी पी सी अम्बलपुषा	334.34	334.34	35.00	25.00		394.34	394.34		स्थायी परिसंपत्तियां - 10पीपीसी के बिल्डिंग, बर्फ निर्माण संयंत्र, ईटीपी, शीत कक्ष, प्रयोगशाला, कार्यालय आदि के लिए।	पूरा किया गया और एसई एआई को सौंपा गया
	ख) सी पी सी शक्तिकुलगरा	280.00	280.00				280.00	280.00		स्थायी परिसंपत्तियां- 10पीपीसी के बिल्डिंग, बर्फ निर्माण संयंत्र, ईटीपी, शीत कक्ष, प्रयोगशाला, कार्यालय आदि के लिए।	पूरा किया गया और एसई एआई को सौंपा गया।
	ग) सी पी सी बालरामगढ़ी	330.00	165.00	35.00	55.00		420.00	90.00	*165.00	कार्य प्रगति पर	
3	ए क्यू एफ नीलाकरे चेन्नई, (आरजीसीए)	1500.00	1500.00			1050.00	2550.00	2550.00		अवसंरचना	पूरा किया
	कुल	2669.34	2504.34	60.00	165.00	1050.00	3944.34	3596.90	182.44		

* वर्ष 2015-16 के लिए एसाइड से प्राप्त धनराशि, मंत्रालय द्वारा प्राप्त निदेशानुसार वापस की गई।

Annexure 24 - GRANTS RECEIVED & UTILISED UNDER ASIDE

(Rs. in Lakhs)

Sl.No.	Project	Contribution from ASIDE	Amount received from Govt. (ASIDE)	Contribution of MPEDA received	Contribution of SEAI received	Contribution of NFDB	Total Project Cost	Amount utilised	Amount returned	Asset created out of funds	Remarks
1	Upgradation of Sea Lab Aroor	225.00	225.00		75.00		300.00	282.56	17.44	Fixed Assets - Laboratory equipments	
2	a) CPC Ambalapuzha	334.34	334.34	25.00	35.00		394.34	394.34		Fixed Assts-Building for 10PPC, ice making plant, ETP, Chill room, Laboratory, Office etc.	Completed and handed over to SEAI
	b) CPC Saktikulangara	280.00	280.00				280.00	280.00		Fixed Assts-Building for 10PPC, ice making plant, ETP, Chill room, Laboratory, Office etc.	Completed and handed over to SEAI
	c) CPC Balarangarhi	330.00	165.00	35.00	55.00		420.00	90.00	*165.00	Work in progress	
3	AQF Neelankarai Chennai (RGCA)	1500.00	1500.00			1050.00	2550.00	2550.00		Infrastructure	Completed
	TOTAL	2669.34	2504.34	60.00	165.00	1050.00	3944.34	3596.90	182.44		

*The amount received from AISDE returned as directed by Ministry for the year 2015-16



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर- लाभकारी संगठन) संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(राशि रु.में)

क्र.सं	प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	क्र.सं	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष	
I	अथ शेष बी/एफ			I	व्यय			
	हाथ में रोकड़	85,132	6,328		स्थापना व्यय एवं प्रशासनिक व्यय	73,479,874	74,940,490	
	बैंक जमा शेष	362,015,960	345,259,358		बैंक प्रभार	1,174,582	1,277,451	
II	प्राप्य अनुदान			II	विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं हेतु भुगतान			
	अनुदान (योजनाएँ)- एमओसीआई	625,000,000	560,000,000		योजनाओं हेतु भुगतान	39,087,511	40,333,272	
	अनुदान वेतन और सामान्य -एमओसीआई	450,000,000	440,000,000		सोसायटी को भुगतान	34,713,001	136,600,000	
	अनुदान अ.ज./अ. ज.जा कल्याण- एमओसीआई	13,500,000	23,000,000		बीमांकिक अनुदान मूल्यांकन व्यय	93,075,405	69,901,688	
	निर्दिष्ट कार्यक्रम (एनआरसीपी) - अन्य	-	20,000,000		लाभार्थियों को वित्तीय सहायता	282,477,514	106,560,111	
	निर्दिष्ट कार्यक्रम- नेटफिश	2,620,000	7,279,750		निर्दिष्ट कार्यक्रम के अंतर्गत भुगतान-नेटफिश	2,620,000	7,279,750	
	अन्य संस्थाओं से अनुदान	944,577	4,251,250		एनएसपीएएडी परियोजना हेतु भुगतान	4,439,229	522,045	
	एनएसपीएएडी परियोजना निधि	6,324,000	2,926,000		व्यापार मेले एवं अन्य भुगतान	155,440,770	144,735,543	
					III	अचल संपत्तियों की खरीद		
						कम्प्यूटर	1,102,837	2,173,074
			फर्नीचर और फिक्सचर	646,909		1,893,897		
				संयंत्र और मशीनरी	10,059,601	18,960,316		

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity : THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025

(Amount in Rs.)

S. no	Receipts	Current Year	Previous Year	S. no	Payments	Current Year	Previous Year
I	Opening Balance B/F			I	Expenses		
	Cash In Hand	85,132	6,328		Establishment and Administrative expenses	73,479,874	74,940,490
	Bank Balance	362,015,960	345,259,358		Bank Charges	1,174,582	1,277,451
				II	Payments against Various Projects and Schemes		
					Payments against Schemes	39,087,511	40,333,272
					Payments/grant to Societies	34,713,001	136,600,000
					Acturial Valuation Expense	93,075,405	69,901,688
II	Grants Received				Financial Assistance to Beneficiaries	282,477,514	106,560,111
	Grant (Schemes) -MOCI	625,000,000	560,000,000		Payments against Specified Programme-NETFISH	2,620,000	7,279,750
	Grant Salary and General -MOCI	450,000,000	440,000,000		Payment against NSPAAD Project	4,439,229	522,045
	Grant SC/ST Welfare - MOCI	13,500,000	23,000,000		Trade Fairs and Other Payments	155,440,770	144,735,543
	Specified Programme (NRCP)-Other	-	20,000,000				
	Specified Programme-NETFISH	2,620,000	7,279,750	III	Fixed Assets Purchases		
	Grants from other Institutions	944,577	4,251,250		Computers	1,102,837	2,173,074
	NSPAAD Project Fund	6,324,000	2,926,000		Furnitures and Fixtures	646,909	1,893,897
					Plant and Machinery	10,059,601	18,960,316



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

III निवेशों से आय				कार्यालय उपकरण	102,814	1,102
बैंकों से ब्याज	13,797,759	15,030,681		अन्य संपत्ति	571,943	3,467,746
अन्य ब्याज	-	25,428				
IV प्रचालनों से आय						
	280,360,049	201,746,041		IV जमा और निवेश		
				जमा	1,853,987	20,018,585
				निवेश	-	7,216,637
V अन्य प्राप्तियां				V सांविधिक देयताएं		
प्रतिभूति जमा	3,904,792	867,543		जी एस टी	(2,866,965)	10,321,326
अन्य जमा	247,448	19,000		टी डी एस	6,510,313	4,550,385
पुरानी संपत्तियों की बिक्री	72,974	791,759		VI कर्मचारी लाभ व्यय		
प्रायोजन आय	475,000	16,949		वेतन व्यय	225,353,444	204,559,489
अन्य विविध प्राप्तियां	280	90		वेतन - जनशक्ति सेवाएँ	62,940,657	63,261,276
पूर्व अवधि समायोजन	-	1,792,544		पेंशन	201,446,059	187,753,562
ईपीएस योजना-प्राप्तियां	10,000,000	-		प्रशिक्षण व्यय	5,866,121	8,043,824
				यात्रा भत्ता	20,557,634	25,855,781
				अन्य भत्ते	24,636,704	34,665,346
				VII अन्य भुगतान		
				अग्रिम	23,011,656	55,796,763
				कर्मचारियों को अग्रिम	3,977,027	1,840,054
				कानूनी प्रभार	2,705,604	1,141,832
				किराया, दरें और कर	25,051,885	23,936,285
				अन्य व्यय	331,537	3,304,000
				अन्त शेष:		
				नकद हाथ में	80,773	85,132
				बैंक में शेष	468,899,544	362,015,960
कुल	1,769,347,971	1,623,012,721	-	कुल	1,769,347,971	1,623,012,721

Deepa

दीपा. ई.वी.
मुख्य लेखा अधिकारी

Jayaram

डॉ. टी.आर. जिविनकुमार
सचिव

R

डी.वी. स्वामी भा प्र से
अध्यक्ष

III	Income From Investments		Office Equipments	102,814	1,102		
	Interest From Banks	13,797,759	15,030,681	Others Assets	571,943	3,467,746	
	Other Interest	-	25,428				
IV	Income From operations		280,360,049	201,746,041			
			IV	Deposits & Investments			
				Deposits	1,853,987	20,018,585	
				Investments	-	7,216,637	
V	Other Receipts		V	Statutory Liabilities			
	Security Deposits	3,904,792	867,543	GST	(2,866,965)	10,321,326	
	Other Deposits	247,448	19,000	TDS	6,510,313	4,550,385	
	Sale of old Assets	72,974	791,759	VI			
	Sponsorship Income	475,000	16,949	Employee benefit Expenses			
	Other Misc Receipts	280	90	Salary Expenses	225,353,444	204,559,489	
	Prior Period Adjustments	-	1,792,544	Salary - Manpower Services	62,940,657	63,261,276	
	EPS Scheme-Receipt	10,000,000	-	Pension	201,446,059	187,753,562	
				Training Expenses	5,866,121	8,043,824	
				Travelling Allowances	20,557,634	25,855,781	
			Other Allowances	24,636,704	34,665,346		
			VII	Other Payments			
			Advances	23,011,656	55,796,763		
			Advances to Staff	3,977,027	1,840,054		
			Legal Charges	2,705,604	1,141,832		
			Rent, Rates & Taxes	25,051,885	23,936,285		
			Other Expenses	331,537	3,304,000		
			By Closing Balance:				
			Cash in hand	80,773	85,132		
			Balance with banks	468,899,544	362,015,960		
	Total	1,769,347,971	1,623,012,721	-	Total	1,769,347,971	1,623,012,721

Deepa E.V.
Chief Accounts Officer

Dr. T.R. Gibinkumar
Secretary

D.V. Swamy IAS
Chairman



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का विचार

विचार

हमने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता, और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 19 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों में प्राधिकरण की इकाइयों/शाखाओं के खाते शामिल हैं।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूपता, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता सह प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, तो निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

हमारी राय में, एमपीईडीए के संलग्न वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और उन पर टिप्पणियाँ तथा निम्नलिखित प्रारूप पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों के साथ पढ़े जाने पर, 31 मार्च, 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं, तथा स्वायत्त निकाय पर लागू खाताओं के एकसमान प्रारूप के अनुसार, उसके वित्तीय निष्पादन और उसके नकदी प्रवाह को वर्ष के लिए समाप्त कर देते हैं।

विचार का आधार

हमने अपना लेखा-परीक्षण सीएजी के लेखा-परीक्षण नियमों/ मानकों/ मैनुअल/ दिशानिर्देशों/ मार्गदर्शन-टिप्पणियों/ आदेशों/ परिपत्रों आदि के अनुसार किया है। हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण हेतु लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व' अनुभाग में दिया गया है। हम वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ भी पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

एमपीईडीए का प्रबंधन स्वायत्त निकायों पर लागू खाताओं के एकसमान प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है, और आंतरिक नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है, जैसा कि प्रबंधन निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी को सक्षम करने के लिए आवश्यक है, जो भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

समग्र वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार की भौतिक गलतबयानी से मुक्त है, तथा एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/ मानकों/ मैनुअल/ दिशानिर्देशों/ मार्गदर्शन-टिप्पणियों/ आदेशों/ परिपत्रों आदि के अनुसार हमारा विचार शामिल हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

S. Vellianigiri

(एस. वी. वेल्लियांगिरी)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक

स्थान: चेन्नई

दिनांक: 14.10.2025

Opinion of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Marine Products Export Development Authority (MPEDA) for the year ended 31 March 2025

Opinion

We have audited the financial statements of Marine Products Export Development Authority (MPEDA), which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Income & Expenditure Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary or significant accounting policies under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General 's (Duties, Powers & Conditions or Service) Act, 1971 read with Section 19 (2) of the Marine Products Exports Development Authority Act, 1972. These financial statements include the accounts of units/branches of the authority.

This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.

In our opinion, the accompanying financial statements of MPEDA, read together with the accounting policies and Notes thereon and matters mentioned in the Draft Separate Audit Report, which follows, give a true and fair view of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with uniform format of accounts applicable to the Autonomous Body.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the CAG's auditing regulations/standards/manuals/ guidelines/ guidance-notes/orders/circulars etc. Our responsibilities are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the financial statements

The management of MPEDA is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with uniform format of accounts applicable to the Autonomous Bodies, and for internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations /standards/ manuals/ guidelines/ guidance-notes/ orders/ circulars etc.

For and on behalf of the CAG of India



(S. Velliangiri)

Place: Chennai

Date: 14.10.2025

Principal Director of Commercial Audit



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

वर्ष 2024-25 के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के खाताओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क.	तुलन पत्र
क.1	<p>संपत्ति</p> <p>चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि - ₹73.80 करोड़ अनुसूची 11</p> <p>ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्तियां</p> <p>अन्य अग्रिम (एमएसी परियोजना सहित) - ₹5.18 करोड़</p> <p>उपरोक्त में वेब-आधारित सांख्यिकी पैकेज के डिजाइन, विकास और रखरखाव के लिए 2014-15 और 2015-16 के दौरान ब्रॅडलाइन कंप्यूटर सिस्टम, चेन्नई (विक्रेता) को किए गए ₹0.20 करोड़ के भुगतान शामिल हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड से आयात निर्यात कोड-वार डेटा प्राप्त करने में असमर्थता के कारण विकास प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई थी, जो सांख्यिकी पैकेज की रीढ़ थी। इस प्रकार, विक्रेता से राशि वापस मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए, आय और व्यय खाते में खर्च के रूप में चार्ज करते हुए राशि को लिखा जाना चाहिए।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप 'अग्रिम अन्य (एमएसी परियोजना सहित)' को अधिक और व्यय को 0.20 करोड़ रुपये से कम करके दिखाया गया। परिणामस्वरूप, 'कॉर्पस में ले जाया गया अधिशेष' उसी राशि से अधिक बताया गया था।</p> <p>इस मुद्दे को एसएआर 2023-24 में भी उजागर किया गया था।</p>
क.2	<p>अचल संपत्तियां - ₹36.74 करोड़ अनुसूची 8</p> <p>मूल्यहास - ₹3.47 करोड़</p> <p>वल्लारपदम स्थित कार्यालय भवन पर मूल्यहास के ₹0.49 करोड़ शामिल नहीं हैं। एमपीईडीए ने लेखाओं के एकसमान प्रारूप के अनुरूप आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट दरों के अनुसार, कार्यालय भवन के लिए 10% की बजाय आवासीय भवन के लिए 5% की एकल दर पर मूल्यहास लगाया। इसके परिणामस्वरूप, कार्यालय भवन (भवन और हैचरी परिसर, वल्लारपदम) पर ₹0.49 करोड़ की सीमा तक मूल्यहास कम हुआ।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों को ₹20.49 करोड़ से अधिक और मूल्यहास को ₹20.49 करोड़ से कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, व्यय की तुलना में आय की अधिकता भी उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाई गई।</p>
ख.	आय और व्यय
ख.1	<p>व्यय</p> <p>अन्य प्रशासनिक व्यय - ₹21.86 करोड़ अनुसूची 21</p> <p>उपरोक्त में इक्विटी भागीदारी योजना के तहत 20 कंपनियों में किए गए निवेश के लिए ₹5.47 करोड़ का प्रावधान शामिल नहीं है। इक्विटी भागीदारी योजना (ईपीएस) के तहत, एमपीईडीए ने 1985 से 1998 के दौरान 33 कंपनियों में ₹6.27 करोड़ का इक्विटी निवेश किया था। योजना के अनुसार एमपीईडीए द्वारा निवेश किए गए ₹5.47 करोड़ के शेयरों की पुनर्खरीद में 20 प्रवर्तकों ने चूक की, इसलिए कानूनी कार्यवाही शुरू की गई और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एमपीईडीए ने मध्यस्थता निर्णय और कानूनी खर्चों के लिए ₹36.32 करोड़ का प्रावधान किया है। हालाँकि, ₹5.47 करोड़ के निवेश के लिए प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि वसूली की संभावना नगण्य है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक व्ययों के अंतर्गत प्रावधान कम दर्शाया गया है और चालू देनदारियों व प्रावधानों को ₹5.47 करोड़ तक कम दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय की अधिकता उस सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाई गई है।</p>
ग.	प्राप्ति और भुगतान खाता - कोई अवलोकन नहीं
घ.	लेखांकन नीतियाँ - कोई अवलोकन नहीं
ङ.	सामान्य - आकस्मिक देयताएं और खाताओं पर टिप्पणियाँ - कोई अवलोकन नहीं

Separate Audit Report on the Accounts of Marine Products Export Development Authority for the year 2024-25

A.	BALANCE SHEET
A. 1.	Assets
	Current Assets, Loans and Advances etc. - ₹ 73.80 crore SCHEDULE 11
	Loans, Advances and Other Assets
	Advances other (Including MAC Project) - ₹5.18 crore
	The above includes ₹0.20 crore payments made to Broadline Computer Systems, Chennai (vendor) during 2014-15 and 2015-16 for the design, development and maintenance of web-based statistics package. The development process was stopped in the middle due to inability to get the Import Export code-wise data from Central Board of Excise and Customs which was the backbone of the statistics package. As such, the amount is not expected to be recouped from the vendor. Hence, the amount should be written off charging as expenses in the Income and Expenditure Account.
	This resulted in overstatement of 'Advance others (including MAC Project)' and understatement of Expenses by ₹0.20 crore. Consequently, 'Surplus carried to Corpus' was overstated by the same amount.
	This matter was highlighted in SAR 2023-24 also.
A.2	Fixed Assets - ₹36.74 Crore SCHEDULE 8
	Depreciation - ₹3.47 Crore
	This does not include ₹0.49 crore towards depreciation on office building at Vallarpadam. MPEDA charged depreciation at single rate of 5% for residential building instead of 10% for office building as per the rates specified in Income Tax Act in line with the Uniform Format of Accounts. Due to this, there was short depreciation on office building (buildings and hatchery complex, Vallarpadam) to an extent of ₹0.49 crore.
	This resulted in overstatement of Fixed Asset and understatement of depreciation by ₹0.49 crore. Consequently, excess of income over expenditure by was also overstated to that extent.
B	Income and Expenditure
B.1	Expenditure
	Other Administrative expenses - ₹21.86 Crore SCHEDULE 21
	The above does not include provision of ₹5.47 crore towards investment made in 20 companies as per the Equity Participation Scheme. Under the Equity Participation Scheme (EPS), MPEDA has made equity investments amounting to ₹6.27 crore in 33 companies during 1985 to 1998. 20 promoters defaulted in repurchase of the share of ₹5.47 crore invested by MPEDA as per the scheme, hence legal proceedings, were initiated and the matter is sub-judice. MPEDA has created provision of ₹36.32 crore towards arbitration award and legal expenses. However, provision was not created for investment of ₹5.47 crore as the possibility of recovery is remote.
	This has resulted in understatement of Provision under Other Administrative Expenses and understatement of Current Liabilities and Provisions to the extent of ₹5.47 crore. Consequently, excess of income over expenditure for the year was overstated to that extent.
C.	Receipt and payments Account - No observation
D.	Accounting policies - No observation
E.	General - Contingent Liabilities and Notes on Accounts - No observation



एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

च.	प्रबंधन पत्र जिन कमियों को इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधक के ध्यान में लाया गया है।
छ.	आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन
छ.1	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एमपीईडीए ने कार्य प्रोफाइल से संबंधित आंतरिक नियंत्रण और सूचना प्रौद्योगिकी नीति तैयार नहीं की है। इसके अलावा, एमपीईडीए ने लेखा/वित्तीय नियमावली का रखरखाव भी नहीं किया गया है।
छ.2	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली को कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित (मार्च 2024) किया गया। नियमावली में लेखापरीक्षा की आवधिकता को वार्षिक, द्विवार्षिक और चतुर्वार्षिक में निर्धारित किया गया है तथा सभी अनुभागों/कार्यालयों का लेखापरीक्षा तीन वर्षों में एक बार किया जाना चाहिए। एमपीईडीए की 65 इकाइयां हैं जिनमें मुख्यालय, 8 क्षेत्रीय प्रभाग, 10 उपक्षेत्रीय प्रभाग, 3 व्यापार संवर्धन कार्यालय, 5 प्रयोगशालाएं, 3 सोसायटी, 15 एलिसा प्रयोगशालाएं और 20 एओसी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान नियोजित 44 इकाइयों के मुकाबले क्रमशः केवल 7 और 6 इकाइयां ही पूरी हुईं, जो नियोजित इकाइयों का 30% (65 इकाइयों की तुलना में 20s) है। इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा का व्यापक अपर्याप्त है।
छ. 3	अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली (सीए फर्म और एलएपी) एमपीईडीए के पास 65 इकाइयों में कुल 23.62 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियाँ हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भौतिक सत्यापन जुलाई 2025 में केवल 23 इकाइयों में आंशिक रूप से किया गया था। इसके अलावा, भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों को अचल संपत्ति रजिस्टर/खाता बहियों में अद्यतन नहीं किया गया था।
छ.4	इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली। एमपीईडीए ने इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन के लिए लेखांकन नीति नहीं बनाई है। वर्ष के दौरान, 65 में से 36 कार्यालयों/इकाइयों में इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।
छ.5	वैधानिक बकाया के भुगतान में नियमितता प्राधिकरण वैधानिक बकाया राशि का भुगतान नियमित रूप से करता था।
छ.6	इकाई के कामकाज से संबंधित अन्य मामले - शून्य
ज.	सहायता अनुदान सहायता अनुदान का प्रारंभिक शेष शून्य था। वर्ष के दौरान प्राप्त ₹108.85 करोड़ के सहायता अनुदान में से, प्राधिकरण ने वर्ष 2024-25 के दौरान ₹108.85 करोड़ की पूरी राशि का उपयोग किया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

S. Vellianigiri

(एस. वी. वेल्लियांगिरी)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक

स्थान: चेन्नई

दिनांक: 14.10.2025



F.	Management Letter Deficiencies which have not been included in this Separate Audit Report have been brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for remedial /corrective action.
G.	Assessment of Internal Controls
G.1	Adequacy of Internal Control System MPEDA has not framed policy for internal control and Information Technology Policy relating to work profile. Also, MPEDA has not maintained the Accounts / Financial manuals.
G.2	Adequacy of Internal Audit System Internal audit manual was approved (March 2024) for implementation. Manual has prescribed periodicity of audit into Annual, biennial, and Quadrennial and all the sections/offices should be audited once in three years. MPEDA has 65 units consisting of Head Office, 8 Regional Divisions, 10 Sub-regional divisions, 3 trade promotion offices, 5 laboratories, 3 societies, 15 ELISA laboratories and 20 AOC labs. Against the planned 44 units, during the FY 2023-24 and 2024-25, only 7 and 6 units respectively were completed which is 30% (20% compared to 65 units) of the planned units. Thus, the coverage of internal audit is inadequate.
G.3	System of Physical Verification of Fixed Assets (CA Firm & LAP) MPEDA has total fixed assets of ₹23.62 crore covering 65 units. The physical verification for the FY 2024-25 was partially carried out in 23 units in July 2025 only. Further, the discrepancies noticed during physical verification was not updated in the Fixed Assets Registers/ books of accounts.
G.4	System of Physical Verification of Inventory. MPEDA has not framed accounting policy for physical verification of Inventories. During the year, physical verification of inventories were not carried out in 36 out of 65 offices/ units.
G.5	Regularity in payment of Statutory Dues The Authority was regular in payment of Statutory Dues.
G.6	Other matters relating to functioning of the entity- Nil
H.	Grants in Aid The opening balance of the grants in aid was Nil. Out of the grants in aid of ₹108.85 crore received during the year, the Authority utilised entire sum of ₹108.85 crore during the year 2024-25.

For and on behalf of the CAG of India

(S. Velliangiri)

Principal Director of Commercial Audit

Place: Chennai

Date: 14.10.2025





एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

वर्ष 2024-25 के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का उत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	उत्तर
1.	हमने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण और उसी वर्ष समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा, तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं, जिनमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 19 (2) के तहत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है। इन वित्तीय विवरणों में प्राधिकरण की इकाइयों/शाखाओं के लेखे शामिल हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
2.	इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के अनुरूपता, लेखा मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) के अनुपालन और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
3.	हमारी राय में, एमपीईडीए के संलग्न वित्तीय विवरण, लेखा नीतियों और उन पर टिप्पणियों और निम्नलिखित प्रारूप पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों के साथ पढ़े जाने पर, 31 मार्च, 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण मिलता है, तथा स्वायत्त निकाय पर लागू खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार, उसके वित्तीय निष्पादन और उसके नकदी प्रवाह का भी सही और निष्पक्ष विवरण मिलता है।	कोई टिप्पणी नहीं
4.	हमने अपना लेखा-परीक्षण सीएजी के लेखा-परीक्षण नियमों/ मानकों/नियमावतियों/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-टिप्पणियों/आदेशों/ परिपत्रों आदि के अनुसार किया गया है। हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण हेतु लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व' अनुभाग में दिया गया है। वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों का निर्वहन भी पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।	कोई टिप्पणी नहीं



**REPLY TO THE SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT
AUTHORITY FOR THE YEAR 2024-25**

Sl no.	Audit Observations	Reply
1.	We have audited the financial statements of Marine Products Exports Development Authority (MPEDA), which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Income & Expenditure Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 19 (2) of the Marine Products Exports Development Authority Act, 1972. These financial statements include the accounts of units/branches of the authority.	No Comments
2.	This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.	No Comments
3.	In our opinion, the accompanying financial statements of MPEDA, read together with the accounting policies and Notes thereon and matters mentioned in the Draft Separate Audit Report, which follows, gives a true and fair view of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with uniform format of accounts applicable to the Autonomous Body.	No Comments
4.	We conducted our audit in accordance with the CAG's auditing regulations/ standards/ manuals/ guidelines / guidance-notes/ orders/ circulars etc. Our responsibilities are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.	No Comments





एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

5.	एमपीईडीए का प्रबंधन स्वायत्त निकायों पर लागू लेखाओं के एकसमान प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए ज़िम्मेदार है, और आंतरिक नियंत्रण के लिए भी ज़िम्मेदार है, जैसा कि प्रबंधन निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरणों को ऐसे तैयार करने के लिए आवश्यक है जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के गलत विवरणों से मुक्त हों।	कोई टिप्पणी नहीं
6.	समग्र वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, तथा एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें सीएजी के लेखापरीक्षा नियमों/मानकों/नियमावतियों/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-टिप्पणियों/ आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार हमारा विचार शामिल हो।	कोई टिप्पणी नहीं
क	तुलन पत्र	
क.1	<p>परिसंपत्तियाँ - चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि - ₹ 73.80 करोड़ अनुसूची 11 ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ अन्य अग्रिम (एमएसी परियोजना सहित) - ₹ 5.18 करोड़ उपरोक्त में वेब-आधारित सांख्यिकी पैकेज के डिज़ाइन, विकास और रखरखाव के लिए 2014-15 और 2015-16 के दौरान ब्रॅडलाइन कंप्यूटर सिस्टम्स, चेन्नई (विक्रेता) को किए गए ₹ 0.20 करोड़ के भुगतान शामिल हैं। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जो सांख्यिकी पैकेज का आधार था, से आयात-निर्यात कोड-वार आँकड़े प्राप्त न हो पाने के कारण विकास प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई थी। अतः, विक्रेता से राशि की वसूली की उम्मीद नहीं है। इसलिए, इस राशि को आय-व्यय खाते में व्यय के रूप में दर्ज करके बड़े खाते में डाल दिया जाना चाहिए। यह 'अन्य अग्रिम (एमएसी परियोजना सहित)' को अधिक दर्शाने और खर्चों को ₹ 0.20 करोड़ कम दर्शाने का कारण बना। परिणामस्वरूप, 'कॉर्पस में ले जाया गया अधिशेष' भी उतनी ही राशि से अधिक दर्शाया गया। इस बात को एसएआर 2023-24 में भी उजागर किया गया था।</p>	<p>ब्रॅडलाइन कंप्यूटर सिस्टम्स, चेन्नई द्वारा विकसित वेब-आधारित सांख्यिकी पैकेज पूरी तरह से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा डेटा साझाकरण पर निर्भर था। चूंकि सीबीआईसी ने अचानक निर्यात डेटा साझा करना बंद कर दिया, इसलिए पैकेज अपेक्षित रूप से कार्य नहीं कर सका। समझौते की भुगतान अनुसूची के अनुसार, ब्रॅडलाइन कंप्यूटर सिस्टम्स, चेन्नई को 31.03.2016 तक ₹ 19,80,345/- की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था। उसके बाद कोई और भुगतान नहीं किया गया।</p> <p>लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार, यह मामला वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निर्णय हेतु उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष रखा जाना है, और परिणाम के आधार पर आवश्यक लेखांकन किया जाएगा।</p>
क.2	<p>अचल संपत्तियाँ - ₹ 36.74 करोड़ अनुसूची 8 मूल्यह्रास - ₹ 3.47 करोड़</p> <p>इसमें वल्लारपाडम स्थित भवनों पर मूल्यह्रास के रूप में ₹ 0.49 करोड़ शामिल नहीं हैं।</p> <p>एमपीईडीए ने लेखाओं के एकरूप प्रारूप के अनुरूप आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट दरों के अनुसार, कार्यालय भवन के लिए 10S की बजाय आवासीय भवन के लिए 5% की एकल दर से मूल्यह्रास लगाया। इसके परिणामस्वरूप, कार्यालय भवन (वल्लारपाडम स्थित भवन एवं हैचरी परिसर) पर ₹ 0.49 करोड़ की सीमा तक कम मूल्यह्रास हुआ।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्ति को ₹ 0.49 करोड़ से अधिक और मूल्यह्रास को ₹ 0.49 करोड़ से कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, व्यय की तुलना में आय की अधिकता भी उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाई गई।</p>	<p>लेखापरीक्षा अवलोकन को विधिवत नोट कर लिया गया है, और आगामी वित्तीय वर्ष में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।</p>



5.	The management of MPEDA is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with uniform format of accounts applicable to the Autonomous Bodies, and for internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.	No Comments
6.	Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations /standards/ manuals/ guidelines/ guidance-notes/ orders/ circulars etc.	No Comments
A	Balance Sheet	
A.1	<p>Assets - Current Assets, Loans and Advances etc – ₹ 73.80Cr Schedule 11 Loans, Advances and Other Assets Advances other (Including MAC Project) – ₹ 5.18 Crore The above includes ₹ 0.20 crore payments made to Broadline Computer Systems, Chennai (vendor) during 2014-15 and 2015-16 for the design, development and maintenance of web-based statistics package. The development process was stopped in the middle due to inability to get the Import Export code-wise data from Central Board of Excise and Customs which was the backbone of the statistics package. As such, the amount is not expected to be recouped from the vendor. Hence, the amount should be written off charging as expenses in the Income and Expenditure Account. This resulted in overstatement of 'Advance others (including MAC Project)' and understatement of Expenses by ₹ 0.20 crore. Consequently, 'Surplus carried to Corpus' was overstated by the same amount. This was highlighted in SAR 2023-24 also.</p>	<p>The web-based statistics package developed by Broadline Computer Systems, Chennai was fully dependent on data sharing by Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC). Since CBIC abruptly stopped sharing export data, the package could not function as intended. As per the payment schedule of the agreement, an advance amount of ₹19,80,345/- was paid to Broadline Computer Systems, Chennai up to 31.03.2016. No further payments have been made thereafter.</p> <p>As per the audit observation, the matter is scheduled to be placed before the appropriate authority for a decision during FY 2025–26, and the necessary accounting will be carried out based on the outcome.</p>
A.2	<p>Fixed Assets – ₹ 36.74 Crore Schedule 8 Depreciation – ₹ 3.47 Crore This does not include ₹ 0.49 crore towards depreciation on buildings at Vallarpadam. MPEDA charged depreciation at single rate of 5% for residential building instead of 10% for office building as per the rates specified in Income Tax Act in line with the Uniform Format of Accounts. Due to this, there was short depreciation on office building (building and hatchery complex Vallarpadam) to an extent of ₹ 0.49 crore. This resulted in overstatement of fixed Asset and understatement of depreciation by ₹ 0.49 crore. Consequently excess of income over expenditure by was also overstated to that extent.</p>	<p>The audit observation is duly noted, and necessary corrective action will be taken in the forthcoming financial year.</p>





एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

ख	आय और व्यय	
ख.1	<p>व्यय - अन्य प्रशासनिक व्यय - ₹ 21.86 करोड़, अनुसूची 21</p> <p>उपरोक्त में इक्विटी भागीदारी योजना के अनुसार 20 कंपनियों में किए गए निवेश के लिए ₹ 5.47 करोड़ का प्रावधान शामिल नहीं है।</p> <p>इक्विटी भागीदारी योजना (ईपीएस) के अंतर्गत, एमपीईडीए ने 1985 से 1998 के दौरान 33 कंपनियों में ₹ 6.27 करोड़ का इक्विटी निवेश किया है। योजना के अनुसार एमपीईडीए द्वारा निवेश किए गए ₹ 5.47 करोड़ के शेयरों की पुनर्खरीद में 20 प्रवर्तकों ने चूक की, इसलिए कानूनी कार्यवाही शुरू की गई और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एमपीईडीए ने मध्यस्थता निर्णय और कानूनी खर्चों के लिए ₹ 36.32 करोड़ का प्रावधान किया है। हालांकि, ₹ 5.47 करोड़ के निवेश के लिए प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि वसूली की संभावना बहुत कम है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक व्ययों के अंतर्गत प्रावधान कम दर्शाया गया है और वर्तमान देनदारियों एवं प्रावधानों को ₹ 5.47 करोड़ तक कम दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय की अधिकता उस सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाई गई थी। एमपीईडीए ने ईपीएस (1985-1998) के तहत 33 कंपनियों में ₹ 627.24 लाख का निवेश किया, जिनमें से 22 ने 31.03.2022 की अवधि तक शेयर पुनर्खरीद दायित्वों का भुगतान नहीं किया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 2 कंपनियों ने बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया और चूककर्ताओं की संख्या घटकर 20 रह गई। कानूनी कार्यवाही चल रही है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है।</p>	<p>लेखांकन विवेक और भौतिकता के अनुरूप, ₹ 5.47 करोड़, जो कि निवेश राशि है, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि मामला न्यायालय के अधीन है। हालांकि, सीएजी लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के अनुसार, ब्याज और अन्य कानूनी एवं प्रशासनिक खर्चों के लिए ₹ 36.32 करोड़ का प्रावधान किया गया है।</p> <p>तदनुसार, अंतिम निर्णय के परिणाम के अनुरूप, ₹ 5.47 करोड़ की निवेश राशि के लिए आवश्यक लेखांकन समायोजन किए जाएंगे।</p>
ग.	प्राप्ति एवं भुगतान खाता - कोई अवलोकन नहीं	ध्यान दिया गया
घ.	लेखा नीतियाँ - कोई अवलोकन नहीं	ध्यान दिया गया
ङ.	सामान्य - आकस्मिक देयताएँ और खातों पर टिप्पणियाँ - कोई अवलोकन नहीं	ध्यान दिया गया
च.	प्रबंधन पत्र इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।	ध्यान दिया गया



B	Income and Expenditure	
B.1	<p>Expenditure – Other Administrative expenses - ₹ 21.86 crore, Schedule 21</p> <p>The above does not include provision of ₹ 5.47 crore towards investment made in 20 companies as per the Equity Participation Scheme.</p> <p>Under the Equity Participation Scheme (EPS), MPEDA has made equity investments amounting to ₹ 6.27 crore in 33 companies during 1985 to 1998. 20 promoters defaulted in repurchase of the share of ₹ 5.47 crore invested by MPEDA as per the scheme, hence legal proceedings, were initiated and the matter is sub-judice. MPEDA has created provision of ₹ 36.32 crore towards arbitration award and legal expenses. However, provision was not created for investment of ₹ 5.47 crore as the possibility of recovery is remote.</p> <p>This has resulted in understatement of Provision under Other Administrative Expenses and understatement of Current Liabilities and Provisions to the extent of ₹5.47 crore. Consequently, excess of income over expenditure for the year was overstated to that extent.</p>	<p>MPEDA invested ₹627.24 lakhs in 33 companies under EPS (1985–1998), of which 22 defaulted on share repurchase obligations up to the period 31.03.2022. During the FY 2022-23, 2 companies fully settled the dues and defaulters are reduced to 20 numbers. Legal proceedings are underway, and the matter is sub-judice.</p> <p>In line with accounting prudence and materiality, no provision has been made for the ₹5.47 crore, which is the investment amount, as the matter is under the purview of court. However, a provision of ₹36.32 crores has been created for the interest and other legal & administrative expenses as per the comments of C&AG Audit.</p> <p>Accordingly, the necessary accounting adjustments will be carried out for the investment amount of ₹5.47 crore, in line with the outcome of the final adjudication.</p>
C.	Receipt and Payments Account – No observation	Noted
D.	Accounting policies – No observation	Noted
E.	General - Contingent Liabilities and Notes on Accounts – No observation	
F.	<p>Management Letter</p> <p>Deficiencies which have not been included in this Separate Audit Report have been brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.</p>	Noted





<p>छ.</p>	<p>आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन</p>	
<p>छ.1</p>	<p>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एमपीईडीए ने कार्य प्रोफाइल से संबंधित आंतरिक नियंत्रण और सूचना प्रौद्योगिकी नीति के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। साथ ही, एमपीईडीए ने लेखा/वित्तीय नियमावली का रखरखाव भी नहीं किया है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • एमपीईडीए साइबर सुरक्षा नीति सहित भारत सरकार के दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन में अपने आईटी बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करता है। प्रमुख सुरक्षा उपायों में फ़ायरवॉल सुरक्षा, सीडेक हनीपोट्स, बहु-स्तरीय प्रमाणीकरण के साथ सुरक्षित ईमेल, लाइसेंस प्राप्त सॉफ़्टवेयर, एंटीवायरस सिस्टम और प्रतिबंधित बाहरी डिवाइस का सीमित उपयोग शामिल हैं। वेब एप्लिकेशन सरकारी या मीटी-अनुमोदित क्लाउड सर्वर पर होस्ट किए जाते हैं, जिनमें लीज्ड लाइनों और मल्टीफैक्टर प्रमाणीकरण के माध्यम से ई-ऑफिस एक्सेस सुरक्षित होता है। एक सिसो साइबर संकट प्रबंधन योजना, नियमित ऑडिट और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा समर्थित सुरक्षा की देखरेख करता है। • एमपीईडीए नियम, अध्याय V, नियम 31 के अनुसार, इन नियमों में अन्यथा प्रावधान के अलावा, केंद्रीय कोषागार नियम, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 और केंद्र सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 1962 के प्रावधान, जो वर्तमान में लागू हैं, ऐसे संशोधनों या अनुकूलनों के अधीन होंगे जो केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा किए जा सकते हैं और प्राधिकरण के सभी वित्तीय लेनदेन पर लागू होंगे। सभी वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाएं केंद्र सरकार के नियमों, जिनमें जीएफआर, एफआरएसआर, सीसीएस पेंशन नियम और जीपीएफ विनियम शामिल हैं, के सख्त अनुपालन में संचालित की जाती हैं। शक्तियों का प्रत्यायोजन स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत रूप से परिभाषित किया गया है, और एक निविदा निगरानी समिति सभी खरीद की देखरेख करती है। पारदर्शिता, जवाबदेही और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षा विंग एक विस्तृत मैनुअल के तहत काम करता है।





G.	Assessment of Internal Controls	
G.1	<p>Adequacy of Internal Control System MPEDA has not framed a policy for internal control and Information Technology Policy relating to work profile. Also MPEDA has not maintained the Accounts / Financial manuals.</p>	<ul style="list-style-type: none"> MPEDA manages its IT infrastructure in full compliance with Government of India guidelines, including the Cyber Security Policy. Key safeguards include firewall protection, CDAC honeypots, secure email with multi-level authentication, licensed software, antivirus systems, and restricted external device use. Web applications are hosted on Government or MeitY-approved cloud servers, with e-Office access secured via leased lines and multifactor authentication. A CISO oversees security, supported by a Cyber Crisis Management Plan, regular audits, and awareness programs. As per the MPEDA Rule, chapter V, Rule 31, except as otherwise provided in these Rules, the provisions of the Central Treasury Rules, the Delegation of Financial powers Rules, 1958, and the General Financial Rules, 1962 of the Central Government, for the time being in force, shall subject to such modifications or adaptations as may be made by the Authority therein with the previous approval of the Central Government apply to all financial transactions of the Authority. All financial and administrative processes are conducted in strict compliance with Central Government rules, including GFR, FRSR, CCS Pension Rule and GPF regulations. Delegation of Powers is clearly defined individually, and a Tender Monitoring Committee oversees all procurement. An Internal Audit Wing operates under a detailed manual to ensure transparency, accountability, and regulatory compliance.





<p>छ.2</p>	<p>आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली को कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित (मार्च, 2024) किया गया। नियमावली में लेखापरीक्षा की आवधिकता को वार्षिक, द्विवार्षिक और चतुर्वार्षिक में निर्धारित किया गया है और सभी अनुभागों/कार्यालयों का लेखापरीक्षा तीन वर्षों में एक बार किया जाना चाहिए। एमपीईडीए की 65 इकाइयाँ हैं जिनमें मुख्यालय, 8 क्षेत्रीय प्रभाग, 10 उप-क्षेत्रीय प्रभाग, 3 व्यापार संवर्धन कार्यालय, 5 प्रयोगशालाएँ, 3 समितियाँ, 15 एलिसा प्रयोगशालाएँ और 20 एओसी प्रयोगशालाएँ शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान नियोजित 44 इकाइयों में से, क्रमशः केवल 7 और 6 इकाइयाँ ही पूरी हुईं, जो नियोजित इकाइयों का 30s (65 इकाइयों की तुलना में 20%) है। इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा का कवरेज पर्याप्त नहीं है।</p>	<p>एमपीईडीए के लेखापरीक्षा कवरेज में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं सहित सभी प्रमुख परिचालन इकाइयाँ, और एलिसा प्रयोगशालाएँ और एओसी शामिल हैं, जिनका लेखापरीक्षा उन क्षेत्रीय कार्यालयों/समितियों के साथ की जाती है जिनसे वे संबद्ध हैं। न्यूनतम कर्मचारियों के साथ संचालित होने वाली उपग्रह इकाइयों और पोर्ट ब्लेयर कार्यालय की देखरेख आस-पास के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है और तदनुसार उनका ऑडिट किया जाता है। नियमित रूप से वर्चुअल ऑडिट किए जाते हैं और सभी महत्वपूर्ण फाइलें अनुपालन के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभाग के माध्यम से भेजी जाती हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा विंग निर्णय लेने वाली समितियों में भी भाग लेता है और शासन को मजबूत करने के लिए विस्तारित कवरेज शुरू कर रहा है।</p>
<p>छ.3</p>	<p>अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली (सीए फर्म और एलएपी) एमपीईडीए के पास 65 इकाइयों में कुल 23.62 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियाँ हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भौतिक सत्यापन आंशिक रूप से केवल 23 इकाइयों में जुलाई 2025 में किया गया था। इसके अलावा, भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों को अचल संपत्ति रजिस्ट्रों/लेखा पुस्तकों में अद्यतन नहीं किया गया था।</p>	<p>संबंधित इकाइयों/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अचल संपत्तियों का वार्षिक सत्यापन किया जाता है और तदनुसार भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र एकत्र किए जाते हैं। एओसी प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की संपत्तियाँ लेखांकन मानदंडों के अनुसार उनके अलग-अलग वित्तीय विवरणों में दर्शाई जाती हैं। एमपीईडीए की संपत्तियाँ इसके मुख्यालय, 8 क्षेत्रीय प्रभागों, 10 उप-क्षेत्रीय प्रभागों, 5 प्रयोगशालाओं, 3 व्यापार संवर्धन कार्यालयों, 14 एलिसा प्रयोगशालाओं और 2 नमूना संग्रह केंद्रों (कुल 42 कार्यालय) में फैली हुई हैं। चूंकि शेष 23 कार्यालयों का उनके संबंधित आरडी/एसआरडी कार्यालयों में विलय कर दिया गया है, लेकिन वे परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) में परिलक्षित नहीं होते हैं, इसलिए एएमएस को तदनुसार अद्यतन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। लेखापरीक्षा अवलोकन के प्रत्युत्तर में, एमपीईडीए उचित दस्तावेज़ीकरण के साथ समय पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करेगा और एक औपचारिक सत्यापन नीति लागू करेगा।</p>
<p>छ.4</p>	<p>इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली एमपीईडीए ने इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन के लिए लेखांकन नीति नहीं बनाई है। वर्ष के दौरान, 65 कार्यालयों/इकाइयों में से 36 में इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।</p>	<p>लेखापरीक्षा अवलोकन को ध्यान में रखा गया है और एमपीईडीए उचित दस्तावेज़ीकरण के साथ समय पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करेगा और एक औपचारिक सत्यापन नीति लागू करेगा।</p>





<p>G.2</p>	<p>Adequacy of Internal Audit System Internal audit manual was approved (March 2024) for implementation. Manual has prescribed periodicity of audit into Annual, biennial, and Quadrennial and all the sections/offices should be audited once in three years. MPEDA has 65 units consisting of Head Office, 8 Regional Divisions, 10 Sub-regional divisions, 3 trade promotion offices, 5 laboratories, 3 societies, 15 ELISA laboratories and 20 AOC labs. Against the planned 44 units, during the FY 2023-24 and 2024-25, only 7 and 6 units respectively were completed which is 30% (20% compared to 65 units) of the planned units. Thus, the coverage of internal audit is not adequate.</p>	<p>MPEDA's audit coverage includes all major operational units including QC labs, and ELISA Labs and AOCs audited alongside regional offices/societies to which they are attached. Satellite units and the Port Blair office, operating with minimal staff, are overseen by nearby regional offices and audited accordingly. Virtual audits are conducted regularly, and all key files are routed through the Internal Audit Section for compliance. The Internal Audit Wing also participates in decision-making committees and is initiating expanded coverage to strengthen governance.</p>
<p>G.3</p>	<p>System of Physical Verification of Fixed Assets (CA Firm and LAP) MPEDA has total fixed assets of Rs. 23.62 crore covering 65 units. The physical verification for the FY 2024-25 was partially carried out in 23 units in July 2025 only. Further the discrepancies noticed during physical verification was not updated in the fixed Asset registers / books of Accounts.</p>	<p>Fixed assets are verified annually by respective units/field offices and physical verification certificates collected accordingly. Assets of AOC Labs and other Societies are reflected in their separate financial statements, as per accounting norms. MPEDA's assets span across its Head Office, 8 Regional Divisions, 10 Sub-Regional Divisions, 5 Labs, 3 Trade Promotion Offices, 14 ELISA Labs, and 2 Sample Collection Centres (total office 42). Since the remaining 23 offices have been merged with their respective RD/SRD offices but not reflected in the Asset Management System (AMS), necessary steps will be taken to update the AMS accordingly. In response to the audit observation, MPEDA will ensure timely physical verification with proper documentation and implement a formal verification policy.</p>
<p>G.4</p>	<p>System of Physical Verification of Inventory MPEDA has not framed Accounting Policy for physical verification of inventories. During the year, physical verification of inventories were not carried out in 36 out of 65 offices/ units.</p>	<p>The audit observation well noted and MPEDA will ensure timely physical verification with proper documentation and implement a formal verification policy.</p>





एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

छ.5	वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता प्राधिकरण वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमित था।	ध्यान दिया गया
छ.6	इकाई के कामकाज से संबंधित अन्य मामले - शून्य	
ज.	सहायता अनुदान सहायता अनुदान का आरंभिक शेष शून्य था। वर्ष के दौरान प्राप्त ₹108.85 करोड़ की सहायता अनुदान में से, प्राधिकरण ने वर्ष 2024-25 के दौरान ₹108.85 करोड़ की पूरी राशि का उपयोग किया।	ध्यान दिया गया





G.5	Regularity in payment of Statutory Dues The Authority was regular in payment of Statutory Dues.	Noted
G.6	Other matters relating to functioning of the entity- Nil	
H.	Grants in Aid Opening Balance of grants in aid was nil. Out of the Grants in Aid of ₹ 108.85 crore received during the year, the Authority utilized entire sum of ₹ 108.85 crore during the year 2024-25.	Noted





*A palette of possibilities,
packed in every product.*



**CATCH, CREATE
CELEBRATE**





MPEDA



समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

एमपीईडीए हाउस, पनम्पिल्ली नगर, कोच्ची - 682 036, केरल
दूरभाष: +91 484 2311901 फैक्स: +91 484 2314467
ई-मेल: ho@mpeda.gov.in वेबसाइट: www.mpeda.gov.in

The Marine Products Export Development Authority
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

MPEDA House, Panampilly Avenue
Kochi – 682 036, Kerala, India

Phone: +91 484 2311901 Fax: +91 484 2314467

E-mail: ho@mpeda.gov.in Website: www.mpeda.gov.in